प्रहरी

शासनादेश संग्रह भाग 4

राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखण्ड

SIEMAT

व्रतेषु जागृहि

(SIEMAT)
STATE INSTITUTE OF EDUCATIONAL MANAGEMENT & TRAINING
Nanoorkherha Tapovan Enclave Dehradoon Phone No 0135-2114181 Fax- 0135-2782942
ई-मेल uksiemat@gmail.com

संदेश

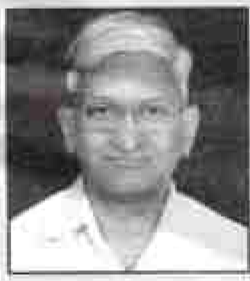

किसी भी संगठन के विभिन्न स्तरों से जुड़े उत्तरदायी अधिकारियों, कर्मियों को अपना सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करने एवं उस संगठन के सतत प्रगति करने हेतु सम्बन्धित संगठन की सेवा शर्तों, मानकों, नियमों की समुचित एवं सही जानकारी का होना नितांत आवश्यक है। तभी वे अपने कार्यदायित्वों के अनुरूप संगठन के लक्ष्य प्राप्ति मे अपना योगदान कर सकते हैं इसके साथ–साथ प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य करने से ही उस संगठन के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति संभव है अन्यथा की स्थिति में एक न्यूनता की स्थिति आ जाती है जिससे संगठन की प्रभाविकता एवं गुणवत्ता प्रभावित होती है। अतः शासन द्वारा समय–समय पर प्रबंधकीय, वित्तीय, अकादमिक क्षेत्रों से संबधित शासनादेश निर्गत होते रहते हैं ताकि विभिन्न स्तरों पर कार्य नियमानुसार सम्पन्न हों। यही बात विद्यालयी शिक्षा के संदर्भ में भी लागू होती है। एक संस्थाध्यक्ष से यह अपेक्षा रहती है कि उसके द्वारा कार्यालयी प्रक्रियाओं में त्रुटि न हो साथ ही वह अपने प्रभावी व कुशल नेतृत्व से अपनी संस्था को गतिशीलता प्रदान करे। समय–समय पर निर्गत होने वाले विभिन्न शासनादेश इस दिशा में समुचित मार्गदर्शन करते हैं व महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए सीमैट द्वारा पूर्व में विभिन्न शासनादेशों के संकलन प्रहरी–1 व प्रहरी–2 का प्रकाशन किया जा चुका है। इनकी लोकप्रियता व माँग को देखते हुए उक्त शासनादेशों के संकलनों की अगली शृंखला प्रहरी–3 व प्रहरी–4 आपके समक्ष प्रस्तुत है। आशा है उक्त संकलन आपके कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित विभिन्न भ्रांतियों, जिज्ञासाओं का निराकरण करने में सहायक सिद्ध होंगे।

अनिल कुमार नेगी
(निदेशक)
अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण
उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्राक्कथन

राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान (सीमैट) अपनी अवस्थापना के उपरांत से ही शिक्षा अधिकारियों, शैक्षिक प्रबंधन एवं नियोजन से जुड़े विभिन्न अभिकर्मियों के प्रशिक्षण, कार्यशालाओं, बैठकों आदि के माध्यम से क्षमता संवर्धन करता आ रहा है। उपर्युक्त के साथ–साथ सीमैट द्वारा समय–समय पर प्रकाशित विभिन्न अभिलेखों के माध्यम से शिक्षा विभाग के कार्मिक तथा अधिकारी गण लाभान्वित हुए हैं तथा हो रहे हैं। सीमैट के विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान प्रतिभागियों द्वारा शासनादेशों की जानकारी की अपेक्षा की गई जिसके फलस्वरुप विभिन्न प्रशिक्षणों में प्रकरण के अनुरुप उन्हें संबंधित शासनादेशों की जानकारियाँ प्रदान की गई।

सीमैट द्वारा यह आवश्यकता महसूस की गई कि अधिकाधिक लक्ष्य समूह विभिन्न शासनादेशों से लाभान्वित हो व उन्हें समस्त शासनादेशों का संकलन एक सुव्यवस्थित रूप में उपलब्ध हो सके ताकि वे अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन शासनादेशों के अनुरूप भली भाँति कर सकें। इसीको दृष्टिगत रखते हुए सीमैट द्वारा शासनादेशों के संकलन की शृंखला प्रहरी–1 व 2 पूर्व में प्रकाशित की जा चुकी है जिनकी सकारात्मक व उत्साहजनक प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुई हैं। इसी शृंखला को आगे बढ़ाते हुए उक्त संकलन की आगामी कड़ी प्रहरी–3 व 4 आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। उम्मीद है कि इन शासनादेशों के अध्ययनों से आप अधिकाधिक लाभ प्राप्त करेंगे, अन्यों के साथ इनकी साझेदारी करेंगे व शैक्षिक व्यवस्था के उन्नयन में उक्त का उपयोग करेंगे।

मैं शासनादेशों के इस अंक के संकलनकर्ताओं तथा सीमैट की टीम को उनके इस उल्लेखनीय प्रयास हेतु बधाई देती हूँ तथा अपेक्षा करती हूँ कि इनका उपयोग प्रशिक्षणों में भी सुनिश्चित किया जाएगा।

सीमा जौनसारी
(अपर निदेशक)
राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संरक्षक -	राधिका झा महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
निर्देशन एवं प्रेरणा-	श्री अनिल नेगी निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण।
अधिशासी सम्पादक-	श्रीमती सीमा जौनसारी अपर निदेशक, सीमैट, उत्तराखण्ड, देहरादून
सम्पादन-	1- श्री कुलदीप गैरोला, विभागाध्यक्ष (शोध एवं मूल्यांकन) सीमैट उत्तराखण्ड। 2- श्रीमती हेमलता भट्ट विभागाध्यक्ष (नीति, नियोजन एवं प्रबन्धन) सीमैट उत्तराखण्ड।
सम्पादन सहयोग-	1. डॉ0 डी0पी0रतूड़ी प्रोफेशनल (शोध एवं मूल्यांकन) 2. डॉ0 जे0एस0 बिष्ट, प्रोफेशनल (नीति, नियोजन एवं प्रबन्धन) 3. डॉ0 एम0एम0 उनियाल, जूनियर प्रोफेशनल (नीति, नियोजन एवं प्रबन्धन) 4. डॉ0 विजय सिंह रावत, जूनियर प्रोफेशनल (शोध एवं मूल्याकन)
संकलन एवं सहयोग	सुनील कुमार रतूड़ी वित्त अधिकारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय हरिद्वार मोहन लाल प्रशासनिक अधिकारी, महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून एस.पी. डबराल प्रशासनिक अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, देहरादून खिलाप सिंह पिमोली प्रशासनिक अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी, कार्यालय रूड़की हरिद्वार विमल कुमार मिश्र प्रधान सहायक, महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड राजेन्द्र पाल, लेखाकार, सीमैट श्री चतर सिंह नेगी, पुस्तकालयाध्यक्ष, सीमैट श्री विनीत त्रिपाठी, कम्प्यूटर प्रोग्रामर, सीमैट श्री सुनील पुरोहित, कम्प्यूटर ऑपरेटर, सीमैट प्रीति राणा, कम्प्यूटर ऑपरेटर, सीमैट
टिप्पणी :	प्रस्तुत शासनादेशों के संग्रह/मुद्रण में यद्यपि पूर्ण सावधानी बरती गई है तथापि मानवीय त्रुटि संभाव्य है। कृपया इन शासनादेशों का संदर्भ लेते समय मूल शासनादेशों का संज्ञान ले लिया जाए।

वर्ष -2013-14

विषय सूची

शासनादेशों का संग्रह – प्रहरी भाग–4

1.	टी०एम०ए० पई फाउंडेशन व अन्य बनाम कर्नाटक राज्य व अन्य के संबंध में।	01
2.	छठवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के संबंध में।	02
3.	अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के विनियमितीकरण के संबंध में।	03
4.	वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन।	04–48
5.	बेसिक शिक्षा परिषद में की गयी सेवा के उपरांत 01.10.2005 अथवा उसके पश्चात राजकीय विद्यालयों में नियुक्त होने पर पेंशन हित लाभ के संबंध में।	49–50
6.	महँगाई भत्ते की दरों में वृद्धि होने पर संशोधित ग्रेच्युटी के आगणन के संबंध में।	51
7.	स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन संशोधन विषयक।	52–53
8.	वेतन विसंगति समिति द्वारा राजकीय विभागों से इतर स्वायतशासी संस्थाओं/निगमों के वेतनमान के संबंध में।	54
9.	वेतन विसंगति समिति द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रशासनिक संवर्ग की वेतन विसंगति के संबंध में।	55–56
10.	राजकीय विद्यालयों में की गई सेवा के उपरांत दिनांक 01.10.2005 अथवा उसके पश्चात अशासकीय विद्यालयों में नियुक्त होने पर पेंशन लाभ के संबंध में ।	57–58
11.	विद्यालयों के नाम परिवर्तन किए जाने के संबंध में नीति।	59–60
12.	उत्तराखंड राज्य शैक्षिक (अध्यापक संवर्ग) सेवा नियमावली 2011।	61–80
13.	राजकीय कर्मचारियों/पेंशन भोगियों की अविवाहित, विधवा एवं तलाकशुदा पुत्रियों के लिए पारिवारिक पेंशन के संबंध में।	81
14.	पेंशन पुनरीक्षण हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या 419/XXVII(7)/2008, दिनांक 27 अक्टूबर, 2008 से प्रस्तर 6 (3) का संशोधन।	82–83
15.	उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अंतर्गत न्यूनतम दर की युक्तियुक्तता का आकलन किया जाना।	84

16.	14 मई, 1989 को सी0टी0 संवर्ग मृत घोषित होने के पश्चात नियुक्त सी0टी0 वेतनमान के अध्यापकों के विनियमितीकरण के संबंध में।	85
17.	प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में स्थगित की गयी नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ किए जाने के संबंध में ।	86–87
18.	राज्य सरकार की सरकारी सेवक महिला जिनके बच्चे 40% या उससे अधिक विकलांग हैं उनको बाल्य देखभाल अवकाश के संबंध में।	88–89
19.	अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में मौलिक रूप से सृजित एवं रिक्त पदों के सापेक्ष रखे गए पी0टी0ए0 शिक्षकों के भुगतान के संबंध में ।	90–91
20.	अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में मौलिक रूप से सृजित एवं रिक्त पदों के सापेक्ष रखे गए जो निर्धारित अर्हता पूर्ण करते हों को मानदेय भुगतान के संबंध में।	92
21.	अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में मौलिक रूप से सृजित एवं रिक्त पदों के सापेक्ष (P.T.A.) शिक्षकों के मानदेय के संबंध में संशोधन।	93
22.	मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 10–15 वर्षों से कार्य कर रहे अध्यापकों के विनियमितीकरण के संबंध में।	94
23.	राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थानों शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के 01 जुलाई, 2011 से महँगाई भत्ते के पुनरीक्षण के संबंध म।	95–96
24.	दिनांक 01, अक्टूबर, 2005 से राज्य में लागू अंशदायी पेंशन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में स्पष्टीकरण।	97–99
25.	वेतन विसंगति समिति की संस्तुतियों पर लिए गए निर्णयानुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण के संबंध में।	100–103
26.	उत्तराखंड राज्य द्वारा निर्धारित दिनांक 05 जुलाई, 2005 की जारी अधिसूचना के संबंध में।	104
27.	राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2012 से महँगाई भत्ते का पुनरीक्षण।	105–106
28.	01.01.2006 से अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों के दिनांक 01.01.2012 से महँगाई भत्ता का पुनरीक्षण।	107–108
29.	पी0टी0ए0 शिक्षकों की नियुक्तियों में रोस्टर प्रणाली का उल्लंघन किए जाने के कारण रोक लगाए जाने के संबंध में ।	109

30.	गढ़वाल एवं कुमायूँ मंडल में "शिकायत निवारण एवं समीक्षा प्रकोष्ठ" तथा पदों में "शिकायत पंजीकरण प्रकोष्ठ" के सृजन के संबंध में।	110—113
31.	उत्तराखंड के समस्त निगमों में ई—प्रोक्योरमेंट सिस्टम लागू किए जाने के संबंध में।	114—116
32.	उत्तराखंड निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011।	117—118
33	उत्तराखंड सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (प्रथम संशोधन) नियमावली 2012।	119
34.	जिला अधिकारियों के कृत्यों एवं कर्तव्यों का निर्धारण।	120—122
35.	राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महँगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में।	123—124
36.	राज्य सरकार के अपुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महँगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में।	125—126
37.	राज्य, कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को दिनांक 01 जुलाई, 2012 से महँगाई भत्ते का पुनरीक्षण ।	127—128
38.	राज्य कर्मचारियों के लिए एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम की व्यवस्था के संबंध में।	129—132
39.	राज्य कर्मचारियों के लिए एश्योर्ड प्रोग्रेशन स्कीम (A.C.P.) की व्यवस्था के संबंध में।	133—135
40.	उत्तराखंड सचिवालय से इतर राजकीय विभागों के लिपिकीय संवर्ग के वेतनमान संशोधन।	136—137
41.	राज्य के विशिष्ट एवं अति विशिष्ट महानुभावों तथा राज्य सरकार के विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों हेतु शासकीय वाहन क्रय के संबंध में।	138—143
42.	शासकीय पत्राचार में ई—मेल के प्रयोग के संबंध में।	144—145
43.	जनता की शिकायतों को ऑन—लाईन दर्ज करने एवं उनके निस्तारण हेतु "समाधान" योजना लागू किए जाने विषयक।	146—150
44.	उत्तराखंड सचिवालय से इतर राजकीय विभागों के लिपिकीय संवर्ग के वेतनमान का संशोधन।	151—152
45.	अधिसूचना संख्या 21/XXVII(7) अ0पें0यो0/2005 दिनांक 25 अक्टूबर 2005 द्वारा लागू नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के संबंध में।	153—154
46.	राज्य में विभिन्न प्रकार की प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियों का युक्तिकरण किए जाने के संबंध में।	155—160

47.	अधिसूचना संख्या – 21/XXVII(7) (अ0पें0यो0) 2005 दिनांक 25 अक्टूबर 2005 द्वारा नई पेंशन योजना के संबंध में स्पष्टीकरण।	161–162
48.	अविभाजित उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स तथा उत्तर प्रदेश से स्थानांतरित हुए पेंशनर्स की व्ययपूर्ति दावों के संबंध में।	163–164
49.	पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों की नई पेंशन योजना में जमा अंशदान को सी.आर.ए. से प्राप्त करने के संबंध में।	165–166
50.	विभागीय अधिकारियों के अवकाश, सत्रांत लाभ एवं अतिरिक्त सेवा विस्तार प्रकरणों के संबंध में दिशा निर्देश।	167–168
51.	राज्य के शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा–9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए पाने वाले शिक्षण शुल्क के संबंध में।	169–170
52.	उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद विनिमय 2009 में अग्रेतर संशोधन के संबंध में।	171–179
53.	विद्यालयों के निरीक्षण के संबंध में।	180–182
54.	प्रदेश के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा संस्थानों के शिक्षकों को चयन वेतनमान, प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृति किए जाने विषयक।	183
55.	विभाग में सम्बद्ध शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सम्बन्ध में।	184
56.	निर्माण कार्यों की सूचना के प्रारूप के संबंध में।	185–187
57.	दिनांक 01 जनवरी, 2006 अथवा इसके पश्चात सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिकों के वेतन निर्धारण।	188–189
58.	अध्यापक पात्रता परीक्षा 2011 उत्तीर्ण चयनित प्रशिक्षु शिक्षकों के डी0एल0एड0 प्रशिक्षण के संबंध में।	190–191
59.	आई.सी.टी. के अर्न्तगत (राष्ट्रीय पुसकार हेतु चयन के लिए राज्य स्तरीय समिति के संबंध में।	192
60.	उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना (संशोधन) नियमावली।	193
61.	उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन (संशोधन) नियमावली 2013।	194
62.	शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा–19 (1) के प्राविधानुसार अनुसूची में उल्लिखित विद्यालयों हेतु न्यूनतम कार्यदिवस एवं अध्यापकों के लिए प्रति सप्ताह कार्यकारी घण्टों के निर्धारण के संबंध में।	195–196

63.	मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत जनपद, विकासखण्ड व विद्यालय स्तर पर गठित समिति के संबंध में।	197–199
64.	उत्तराखण्ड प्रदेश में स्थित शिक्षण संस्थानों को आई.सी.एस.ई एवं सी.बी.एस.ई. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति के संबंध में।	200–201
65.	Direct Benefit Transfer योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य एवं जनपद स्तर पर अधिकारियों/कार्मिकों को नामित किए जाने के संबंध में।	202
66.	शिक्षा सत्र 2014–15 के लिए कक्षा 1 से 8 की पाठय के मुद्रणार्थ हेतु पाठय–पुस्तक समिति का गठन के संबंध में।	203–204
67.	प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या/समकक्ष पदों पर प्रोन्नति हेतु निर्धारित पात्रता में 50 प्रतिशत की सीमा शिथिलीकरण के संबंध में।	205
68.	स.अ. एल.टी के पदों पर मृतक आश्रितों को उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा (TET-II) की परीक्षा उत्तीर्ण करने के संबंध में।	206–207
69.	शिक्षक शिक्षा की पुनर्संरचना एवं पुनर्गठन योजनान्तर्गत राज्य में SCERT तथा तीन DRC का DIET में उच्चीकरण के संबंध में।	208–221
70.	राज्य कर्मचारियों के लिए एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम की व्यवस्था के संबंध में।	222–228
71.	प्रदेश के वाहन चालक सेवा संवर्ग का पुनर्गठन – 01 जुलाई, 2013.	229–231
72.	उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2013।	232–234
73.	उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन (तृतीय संशोधन) नियमावली 2013।	235–236
74.	वेतन समिति, उत्तराखंड (2008) की संस्तुतियों पर लिए गए निर्णयानुसार 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना की स्वीकृति एवं वेतन निर्धारण।	237–243
75.	कोटद्वारा दुगड्डा, श्रीनगर एवं ऋषिकेश में 'सी' श्रेणी तथा मसूरी में 'बी–2' श्रेणी के समान दर से मकान किराया भत्ता दिया जाना।	244
76.	सरकारी सेवकों को स्थायी मासिक भत्ता के स्थान पर वाहन भत्ता अनुमन्य किया जाना।	245

उत्तरांचल शासन

न्याय अनुभाग

संख्या: 240-एक(1)/क्लीम(1)/न्या.अनु./2005

देहरादून : दिनांक : 5 जुलाई, 2005

अधिसूचना

प्रकीर्ण

टी०एम०ए० पई फाउन्डेशन व अन्य बनाम कर्नाटक राज्य व अन्य (ए०आई०आर० 2003 एस०सी० 355) में मा० उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.10.2002 के प्रस्तर 64 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में महामहिम राज्यपाल उत्तरांचल राज्य में स्थित अथवा कार्यरत सभी स्तर की एवं सभी प्रकार की ऐसी शिक्षण संस्थाएं जिन्हें शासकीय सहायता प्राप्त न होती हो, के अध्यापकों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध संस्था के प्रबन्धन द्वारा उनकी सेवाओं के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय, जिसमें अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा समाप्ति सम्बन्धी मामले भी सम्मिलित है, के विरुद्ध अपील दायर करने तथा अपील की सुनवाई हेतु राज्य के प्रत्येक जिले में "शैक्षिक अधिकरण" स्थापित किये जाने तक राज्य के प्रत्येक जिले में जिला न्यायाधीश को मा. उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल के परामर्श से उनके भौगोलिक क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित उक्त प्रकृति की अपीलों की सुनवाई एवं निस्तारण हेतु अधिकृत करते है।

आज्ञा से,

(यू०सी०ध्यानी)

सचिव।

संख्या : 240-एक(1)(1)/क्लीम(1)/न्या.अनु./2005-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तरांचल, रुड़की, हरिद्वार को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे कृपया उपर्युक्त अधिसूचना को उत्तरांचल सरकार द्वारा प्रकाशित असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग 4 खण्ड (ख) परिनियत आदेश में प्रकाशित करने एवं अधिसूचना की 20 मुद्रित प्रतियाँ इस अनुभाग को भी भेजने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(आर०डी०पालीवाल)

अपर सचिव।

: 240-एक(1)(1)/क्लीम(1)/न्या.अनु./2005-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

महानिबन्धक, उत्तरांचल उच्च न्यायालय, नैनीताल।

समस्त जिला न्यायाधीश, उत्तरांचल।

प्रमुख सचिव, शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तरांचल शासन, देहरादून।

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तरांचल को उनके जिले में स्थित प्राथमिक शिक्षा से लेकर माध्यमिक स्तर की ऐसी शिक्षण संस्थाएं जिन्हें शासकीय सहायता प्राप्त न होती हो के प्रबन्धन को सूचित करने हेतु।

रजिस्ट्रार कुमायूं विश्व विद्यालय नैनीताल एवं गढ़वाल विश्व विद्यालय श्रीनगर गढ़वाल को उनके भौगोलिक क्षेत्र में स्थित सभी प्रकार की उच्च शिक्षा से सम्बन्धित ऐसी शिक्षण संस्थाएं जिन्हें शासकीय सहायता प्राप्त न होती हो के कर्मचारियों/प्रबन्धन को सूचित करने हेतु।

निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तरांचल, हल्द्वानी।

निदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तरांचल, ननूर खेड़ा, सहस्त्र धारा रोड, देहरादून।

निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, उत्तरांचल।

निदेशक, तकनीकी शिक्षा, उत्तरांचल, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल।

[illegible] अनुभाग/एन.आई.सी./गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आर०डी०पालीवाल)

अपर सचिव।

संख्या:४६3 / XXvii(7) / द्वि0प्रति0 / 2010

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0--सा0नि0)अनु0-7 देहरादून दिनाँक12 मार्च,2010

विषय:-छठवे वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में दिनांक 01-01-2006 के पूर्व रू0 6500-10500 के वेतनमान को रू0 7450-11500 वेतन बैण्ड-2 रू0 9300-34800 ग्रेड पे रू0 4600 में उच्चीकृत किये जाने के संबध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिको के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण / विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश मे गठित वेतन विसंगति समिति के द्वारा सभी तथ्यों पर विचार विमर्श के बाद यह छठवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 13-11-2009 द्वारा दिनांक 1-1-2006 के पूर्व रू0 6500-10500 के वेतनमान को रू0 7450-11500 मे उच्चीकृत करते हुए नये वेतनमान में रू0 4600 की ग्रेड पे स्वीकृत की गयी है उक्त के आलोक में वेतन विसंगति समिति द्वारा संस्तुति की गयी कि जिन-जिन विभागों में रू0 6500-10500 के वेतनमान के पद उपलब्ध हैं के वेतनमान को भारत सरकार के उक्त कार्यालय ज्ञाप द्वारा उच्चीकृत किये गये वेतनमान के अनुरूप स्वीकृत किये जाने हेतु सम्बन्धित विभाग अपने प्रस्ताव पूर्ण औचित्य सहित वित्त विभाग की सहमति हेतु प्रेषित करेगें, जिस पर वित्त विभाग द्वारा गुणदोष के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

भवदीय

(राधा रतूड़ी)
सचिव वित्त

संख्या– 346 /xxiv-4/2010-10(9)/2010

प्रेषक,

मनीषा पंवार
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4 देहरादूनः दिनांक 27 अप्रैल, 2010

विषय– अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापक के विनियमितिकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या–59/XXIV–4–10(9)/2010, दिनांक 03 फरवरी, 2010 के द्वारा ऐसे विद्यालयों में कार्यरत प्रभारी प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य जो कि उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 के अर्न्तगत उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद द्वारा बनाये गये विनियमों के अनुरूप प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य पद की अर्हता पूर्ण नहीं करते है उन विद्यालयों में शासनादेश संख्या–370/XXIV–4/2008, दिनांक 11 दिसम्बर, 2009 के द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया पर लगायी गयी रोक को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया था।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–59/XXIV –4–10(9)/2010, दिनांक 03 फरवरी, 2010 को निरस्त करते हुए सनातन धर्म इण्टर कालेज मसूरी, देहरादून में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर नियुक्ति की सम्पूर्ण प्रकिया को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है।

भवदीय

/

(मनीषा पंवार)
सचिव।

संख्या–346(1)/xxiv-4/2010, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
2. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी।
3. मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, कुमायूं/गढ़वाल
4. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0एल0 साह)
उप सचिव।

संख्या-562/ xxvii (7)/2010

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
2. आयुक्त, कर,
   उत्तराखण्ड देहरादून।
3. आयुक्त,
   गढ़वाल मण्डल/ कुमाऊँ मण्डल।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–7 देहरादून: दिनांक: 24 मई, 2010

विषय:– वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग–1 में विद्यमान वित्तीय अधिकारों के प्रतिनिधायन पर सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार राज्यपाल महोदय अनुलग्नक में उल्लिखित वित्तीय अधिकार उनके समक्ष अंकित अधिकारियों को प्रतिनिहित करते हैं।

2– उक्त प्रतिनिधायन तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे और जो विशेष मदें, अनुलग्नक में सम्मिलित हैं, उनके लिये कालम– 6 में अंकित पूर्व प्राधिकार तद्नुसार संशोधित /निरस्त समझे जायेंगे।

3– वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग–1के विवरण पत्र XX के कम संख्या–(1) तथा विवरण पत्र XI के कम संख्या–(4) पर वर्णित प्रतिनिधायनों को समाप्त किया जाता है।

4– वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग–1, द्वितीय संस्करण (31 दिसम्बर, 1985 तक संशोधित) के सम्बन्धित विवरण–पत्र अनुलग्नक के अनुसार संशोधित समझे जायेंगे।

5– किसी प्राधिकारी को प्रतिनिहित किये गये वित्तीय अधिकार, वित्त विभाग की विशिष्ट स्वीकृति के बिना उस प्राधिकारी द्वारा किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को पुनः प्रतिनिहित नहीं किये जायेंगे।

संलग्नक:यथोपरि।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या–562/xxvii(7)/2010 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्रीजी, उत्तराखण्ड शासन।
2. स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) / (लेखा परीक्षा) देहरादून।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, लक्ष्मी रोड देहरादून।
5. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7. समस्त वित्त नियंत्रक/ वित्त अधिकारी उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।

शासनादेश संख्या– 562/xxvii (7)/2010, दिनांक: 24 मई, 2010 का अनुलग्नक

क.स.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	परिसीमायें	अभ्युक्ति	पूर्ण अधिकार
1	2	3	4	5	6
			विवरण पत्र– I – पुस्तकें, समाचार–पत्र, पत्रिकाएं, नक्शे तथा अन्य प्रकाशन		
1	कार्यालयों अथवा उनके अधीनस्थ कार्यालयों के प्रयोग के लिये पुस्तकें, समाचार पत्र, पत्रिकायें, नक्शे एवं अन्य प्रकाशन का क्रय	1– प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	–बजट की उपलब्धता, आवश्यकता एवं मानक के अधीन	पूर्ण अधिकार
		2–विभागाध्यक्ष	एक वर्ष मे रू0 15000/– (रू0 पन्द्रह हजार) तक	–तदैव–	पूर्ण अधिकार
		3–कार्यालयाध्यक्ष	एक वर्ष मे रू0 5000/– (रू0 पाँच हजार) तक (गैर तकनीकी पत्रिकाओं को छोड़कर)	–तदैव–	एक वर्ष मे रू0 1200/– (रू0 एक हजार दो सौ) तक (समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं ,ग तकनीकी पत्रिकाओं को छोड़कर)
2	शिक्षण संस्थाओं केउपयोगार्थ व उनके पुस्तकालयों हेतु कक्षा शिक्षण पुस्तकें और सन्दर्भ पुस्तकें खरीदना।				
	(क) सन्दर्भ पुस्तकें (ख) अन्य प्रकाशन	सचिवालय के प्रशासनिक विभाग।	(क) एक वर्ष मे रू0 50,000/– (रू0 पचास हजार) से अधिक (ख) एक वर्ष मे रू0 50,000/– (रू0 पचास हजार) से अधिक	–बजट की उपलब्धता, आवश्यकता एवं मानक के अधीन	समस्त राजकीय शिक्षण/प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रधानाध्यापक/प्रिंसिपल। पूर्ण अधिकार
	(क) सन्दर्भ पुस्तकें (ख) अन्य प्रकाशन	विभागाध्यक्ष उच्च शिक्षा महाविद्यालयों के प्राचार्य	(क) एक वर्ष मे रू0 50,000/– (रू0 पचास हजार) तक (ख) एक वर्ष मे रू0 50,000/– (रू0 पचास हजार) तक	–एक बार मे रू0 20,000/– (रू0 बीस हजार) से अधिक मूल्य की पुस्तकों के क्रय हेतु एक्सपर्ट कमेटी की संस्तुति ली जानी अनिवार्य होगी।	
	(क) सन्दर्भ पुस्तकें (ख) अन्य प्रकाशन	कार्यालयाध्यक्ष प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य	(क) एक वर्ष मे रू0 800/– (रू0 आठ सौ) तक (ख) एक वर्ष मे रू0 1500/– (रू0 पन्द्रह सौ) तक		
	(क) सन्दर्भ पुस्तकें (ख) अन्य प्रकाशन	प्रधानाध्यापक कक्षा 1 से कक्षा 8 तक।	(क) एक वर्ष मे रू0 300/– (रू0 तीन सौ) तक (ख) एक वर्ष मे रू0 1200/– (रू0 एक हजार दो सौ) तक		

क्र.स.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	परिसीमायें	अभ्युक्ति	पूर्व अधिकार
1	2	3	4	5	6
			विवरण पत्र– II – विज्ञापन व्यय		
1	(क) विज्ञापन के लिए व्यय स्वीकृत करना।	विभागाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार	वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–5 भाग–1 के परिशिष्ट –10 व मैनुअल ऑफ गवर्नमेन्ट आर्डर्स के पैरा 605 के अन्तर्गत उल्लिखित शर्तों के अधीन टिप्पणी– विज्ञापन सूचना निदेशक उत्तराखण्ड के माध्यम से छपवाया जायेगा।	पूर्ण अधिकार वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–5 भाग–1 के परिशिष्ट –10 व मैनुअल ऑफ गवर्नमेन्ट आर्डर्स के पैरा 605 के अन्तर्गत उल्लिखित शर्तों के अधीन
	(ख) निर्माण कार्यों/ अधिप्राप्ति कार्यों विषयक सूचना सम्पादित कराने के लिये निविदा सूचना स्थानीय पत्रों में देने हेतु।	कार्यालयाध्यक्ष	किसी एक मामले में रू0 15,000/– (रू0 पन्द्रह हजार) की सीमा तक, किन्तु शर्त यह है कि इस प्रकार छपाया गया कार्य आवश्यक हो।	उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2008 के प्रस्तर 2.12 तथा 2.13 के अनुसार सीमित निविदा पृच्छा– यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि प्रतिस्पर्धा के आधार पर अधिक अनुक्रियाशील निविदा प्राप्त करने के लिये यथा सम्भव अधिकतम अनुमोदित आपूर्ति––कर्ताओं को चिन्हित किया जाए। ऐसे आपूर्तिकर्ता को चिन्हित करने के लिए विज्ञापन, व्यापक परिचालन वाले प्रकाशनों, राष्ट्रीय समाचार पत्रों और सम्बन्धित आपूर्तिकर्ताओं के विभिन्न वेबसाईटों का उपयोग किया जा सकता है। विज्ञापन द्वारा निविदा पृच्छा–(1) रू0 25,00,000 (रू0 पच्चीस लाख) तथा उससे अधिक की अनुमानित लागत की सामग्री की अधिप्राप्ति के लिए कम से कम दो व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार– पत्रों में	किसी एक मामले में रू0 500/– (रू0 पांच सौ) की सीमा तक, किन्तु शर्त यह है कि इस प्रकार छपाया गया कार्य आवश्यक हो। टिप्पणी- सूचना निदेशक, उ0प्र0 द्वारा अनुमोदित दो समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाए तथा उपरोक्त अधिकारी द्वारा बिलों का सत्यापन कराया जाए।

1	2	3	4	5	6
				विज्ञापन द्वारा निविदा आमन्त्रित की जाए। रू025,00,000 (रू0 पच्चीस लाख) से कम कीमत की सामग्री की अधिप्राप्ति, व्यापक परिचालन वाले स्थानीय समाचार-पत्र (पत्रों) और विशेष मामले में व्यापक परिचालन वाले एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से की जाये। (2) निविदा पृच्छा राज्य सरकार/विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाए तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.)की वेबसाइट से भी सम्बद्ध होनी चाहिए।	

क.स.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	परिसीमायें	अभ्युक्ति	पूर्व अधिकार
1	2	3	4	5	6
			विवरण पत्र- III - मकान का किराया/भूमि तथा भवन		
1	राज्य की निधियों से निर्मित उनके नियंत्रण के अधीन (आवासिक भवनों और डाक बंगलों को छोड़कर) भवनों का जिला राजस्व प्राधिकारियों के माध्यम से विक्रय अथवा विध्वंस स्वीकृत करना।	1- प्रशासकीय विभाग	रू0 5,00,000/- (रू0 पांच लाख) से अधिक एवं रू0 10,00,000/- (रू0 दस लाख) खाते मूल्य तक	टिप्पणी-(1) भवनों का बाजार मूल्य पर विक्रय (भूमि को सम्मिलित करते हुए) किया जायेगा। (2) भूमि का मूल्य जिलाधिकारी तथा भवन का मूल्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित किया	रू0 50,000/- (रू0 पचास हजार) से अधिक एवं 1 लाख रुपये के खाता मूल्य तक। टिप्पणी-(1) भवनों का बाजार मूल्य पर विक्रय (भूमि को सम्मिलित करते हुए) किया जायेगा।

1	2	3	4	5	6
				जाएगा।	(2) भूमि का मूल्य जिलाधिकारी तथा भवन का मूल्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
		2–विभागाध्यक्ष	रु0 5,00,000/– (रु0 पांच लाख) तक	टिप्पणी–(1) भवनों का बाजार मूल्य पर विक्रय (भूमि को सम्मिलित करते हुए) किया जायेगा। (2) भूमि का मूल्य जिलाधिकारी तथा भवन का मूल्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित किया जाएगा।	भवनों का विक्रय एवं विक्र0 स्वीकृत करने के मामले में रु0 50,000/– (रु0 पचास हजार) के खाता मूल्य तक। कलेक्टर के इस आशय के प्रमाण पत्र के अधीन कि उन्होंने अपेक्षित जांच के बाद और अपनी पूरी जानकारी में यह सुनिश्चित कर लिया है कि उक्त भवन की किसी अन्य विभाग को आवश्यकता नहीं है और किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिये उसे सुविधापूर्वक उपयोग में नहीं लाया जा सकता है।
		3–कार्यालयाध्यक्ष	कोई अधिकार नहीं।		

1	2	3	4		5	6
2	अनावासिक प्रयोजनों हेतु किराये पर लिये गये भवनों का किराया स्वीकृत करना (गोदामों को छोड़कर)	1– प्रशासकीय विभाग	जिलाधिकारी के औचित्य प्रमाण पत्र की सीमा में पूर्ण अधिकार।		निम्नलिखित शर्तों के अधीन:– 1– रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट के अधीन निर्धारित अथवा स्थानीय नगरपालिका द्वारा निर्धारित किराये से जैसी भी स्थिति हो, किराया अधिक न हो। जहां इस प्रकार का भवन किराये पर उपलब्ध नहीं हो, वहां किराया उस किराये से अधिक नहीं होना चाहिए जिसे जिलाधिकारी द्वारा उचित प्रमाणित किया गया हो और सम्बन्धित स्थानीय निकाय को सूचित किया गया हो। 2– जहां भवन कार्यालय के उपयोगार्थ लिया जा रहा हो, वित्त (सी) विभाग के शासनादेश संख्या– सी–2299/दस–एम–639–61, दिनांक 8 जून, 1966 में निर्धारित मानक नमूनों का यथेष्ठ ध्यान रखा जाना चाहिए और अन्य मामलों में जगह औचित्यपूर्ण आवश्यकताओं से अधिक नहीं होना चाहिए। टिप्पणी–1. सरकारी कार्यालय के लिए प्राइवेट भवन किराये	देहरादून – रू0 2.50 प्रति वर्ग फुट। अधिकतम सीमा रू0 6000/– (रू0 छः हजार) प्रतिमाह। अन्य पर्वतीय जिलों में रू0 2 प्रति वर्ग फुट। अधिकतम सीमा रू0 3000/– (रू0 तीन हजार) प्रतिमाह।
		2– विभागाध्यक्ष	क– देहरादून	रू0 10,000/– (रू0 दस हजार) प्रतिमाह तक		
			ख– नैनीताल, पौड़ी	रू0 07,000/– (रू0 सात हजार) प्रतिमाह तक		
			ग– अन्य जनपद मुख्यालय	रू0 5,000/– (रू0 पांच हजार) प्रतिमाह तक		
			घ– तहसील / ब्लाक मुख्यालय	रू0 2500/– (रू0 दो हजार पांच सौ) प्रतिमाह तक		

1	2	3	4	5	6
		3–कार्यालयाध्यक्ष	कोई अधिकार नहीं	पर लेने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी। 1. कार्यालय हेतु कार्मिकों की संख्या के आधार पर निर्धारित मानक पर स्थान (Accommodation) की आवश्यकता का आंकलन पहले कर लिया जाये। 2. सरकारी कार्यालय हेतु भवन किराये पर लेने के लिए स्थल चयन में उन इलाकों को वरीयता दी जाय जो कॉस्ट इफेक्टिव (Cost Effective) एवं मितव्ययी हो। यह प्रयास किया जाय कि नगर के व्यावसायिक केन्द्रों (Commercial Hubs) जहां पर किराये की दरें अधिक होती है वहां पर भवन किराये पर लिये जाने से बचा जाये। उक्त स्थानों पर सरकारी कार्यालय हेतु भवन किराये पर तभी लिये जाए जब इसका पर्याप्त आधार एव औचित्य हो। 3. ऐसे भवन जो रैन्ट कन्ट्रोल एक्ट की परिधि के बाहर है, को किराये पर लेने के लिए विभाग द्वारा स्थानीय रूप से अधिक पढ़े जाने वाले दो प्रमुख एवं लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्रों में कार्यालय प्रयोजन हेतु भवन की आवश्यकता का पूर्ण एवं स्पष्ट विज्ञापन कराया जाए। 4– विभाग तीन	

1	2	3	4	5	6
				अधिकारियों की एक कमेटी गठित करेगा, जो विज्ञापन के फलस्वरूप प्राप्त आवेदनों पर विचार करके एवं उपलब्ध भवनों का निरीक्षण करके उपयुक्त भवन का चयन करेगी। कमेटी द्वारा चयनित भवन के लिए जिलाधिकारी से किराये के औचित्य का प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जायेगा। इसके दृष्टिगत सक्षम अधिकारी द्वारा भवन का किराया औचित्य के आधार पर कमेटी की संस्तुति पर प्रतिनिधायन की सीमा में स्वीकृत किया जा सकेगा। – जिलाधिकारी द्वारा भवन किराया का औचित्य प्रमाण पत्र मुख्यतः भवन की लोकेशन, स्थिति, भवन का बिल्ट-अप एरिया, कारपेट एरिया, मुख्य सड़क से भवन की दूरी, पार्किंग एवं अन्य सुविधाओं आदि को देखते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए। मकान किराया का औचित्य प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के पूर्व यह भी अवश्य देखा जाए कि किराये पर लिये जाने वाले भवन के आस-पास रजिस्टर्ड लीज पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा जो भवन किराये पर लिये गये हैं उनमें किराये की क्या स्थिति है। चूंकि राज्य सरकार के कार्यालयों हेतु लिये जाने वाले	

1	2	3	4	5	6
				किराये के भवन के लिए राज्य सरकार एक सिक्योर्ड एन्टिटी है तथा इसमें भवन स्वामी का किराये का एवं अन्य कोई जोखिम निहित नही होता है, अतः इस फैक्टर को भी दृष्टिगत रखते हुए किराये पर लिये जाने वाले भवनों का किराया औचित्य प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाए। 3. किराये का औचित्य प्रमाण पत्र जिलाधिकारी स्वयं अपने हस्ताक्षर से जारी करेंगे । तहसीलदार या रेन्ट कन्ट्रोल आफिसर तथा किसी भी अन्य अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र इस निमित्त मान्य नही होगा। टाउन एरिया/ नोटिफाईड एरिया/ ग्रामीण क्षेत्रों में किराये की दर की अनुमोदन जिलाधिकारी का होगा, परन्तु किराया का औचित्य प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए परगनाधिकारी अधिकृत होंगे । टिप्पणी–2–सरकारी कार्यालयों के लिए किराये पर लिये गये जो भवन रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट के अन्तर्गत आ गये हैं उन भवनो के किराये में वृद्धि के संबंध में निम्न प्रकिया अपनायी जाएगी:– सरकारी कार्यालयों के लिए किराये पर लिये गये जो भवन "उ0प्र0 शहरी भवन	

1	2	3	4	5	6
				(किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियम) अधिनियम,1972" के प्राविधानों के अन्तर्गत आ गये है, यदि उनका किराया बढ़ाने की मांग मकान मालिक द्वारा की जाती है तो उसे इसके लिए उक्त अधिनियम की धारा–21(8) के प्राविधानों का पालन करना होगा,जिसके अनुसार किसी भी भवन की स्थिति में जिला अधिकारी मकान मालिक के आवेदन पर उसके लिए देय मासिक किराया उतनी धनराशि तक बढ़ा सकता है जो किरायेदार के अधीन भवन के बाजार मूल्य के 10 प्रतिशत के बारहवें भाग के बराबर होगा और इस प्रकार बढ़ाया गया किराया आवेदन पत्र के दिनांक के ठीक बाद पड़ने वाले किरायेदारी के मास के प्रारम्भ से देय होगा, किन्तु अग्रेत्तर वृद्धि करने के लिए इस प्रकार का आवेदन पत्र वृद्धि के अंतिम आदेश के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात ही दिया जा सकेगा । यदि उभयपक्षों के बीच किसी निर्धारित अवधि तक किराया न बढ़ाने की शर्तें तय हो चुकी हो तो उस अवधि तक किराये की वृद्धि सम्भव	

1	2	3	4	5	6
				नहीं होगी ।	
3	पट्टे पर ली गयी भूमि के किराये का भुगतान स्वीकार करना	1– प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग-1 के परिशिष्ट 10 में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए बजट की उपलब्धता की सीमा में तथा पूर्ण पारदर्शिता से। (शासनादेश संख्या–ए–2–930/दस–84–14(30)/ 73, दिनांक 28 फरवरी, 1984)	पूर्ण अधिकार वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 के परिशिष्ट 10 में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए प्रत्येक मामले में प्रतिवर्ष रू0 3000/– (रू0 तीन हजार) तक।
		2–विभागाध्यक्ष	कोई अधिकार नहीं		
		3–कार्यालयाध्यक्ष	कोई अधिकार नहीं		
4.	गैर–आवासिक भवनों की जिनकी सरकारी प्रयोग के लिये आवश्यकता न हो, किराये पर देना।	1– प्रशासकीय विभाग	वित्त विभाग एवं न्याय विभाग के परामर्श से कार्यवाही की जायेगी।		वित्त विभाग एवं न्याय विभाग के परामर्श से कार्यवाही की जायेगी।
		2–विभागाध्यक्ष	विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष को प्रतिनिहित अधिकार समाप्त किये जाते हैं।		वित्त विभाग एवं न्याय विभाग के परामर्श से कार्यवाही की जायेगी।
		3–कार्यालयाध्यक्ष			

क्र.सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	परिसीमायें	अभ्युक्ति	पूर्व अधिकार
1	2	3	4	5	6
विवरण पत्र– IV गोदामों का किराया					
(1)भण्डार (स्टोर्स) वस्तुएं (मैटीरियल्स) औजार, संयंत्र और बीज, उर्वरकों इत्यादि के संग्रह करने के निमित्त किराये पर लिये गये गोदामों का किराया स्वीकृत करना।					
1	(क) पर्वतीय क्षेत्र	1– प्रशासकीय विभाग	रू0 . 2,000/– (रू0 दो हजार) प्रति माह से अधिक	वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–5, भाग–1 के परिशिष्ट 10 के नियम 24 में दी हुई	पूर्ण अधिकार
		2–विभागाध्यक्ष	2,000/– (रू0 दो हजार) प्रति माह		प्रत्येक मामले में रू0 2,500/– (रू0 दो हजार

1	2	3	4	5	6
			तक	शर्तों के अधीन	पांच सौ) प्रतिवर्ष तक
		3–कार्यालयाध्यक्ष	कोई अधिकार नहीं		कोई अधिकार नहीं
	(ख) मैदानी क्षेत्र	1– प्रशासकीय विभाग	रू0 5,000/– (रू0 पांच हजार) प्रति माह से अधिक		पूर्ण अधिकार
		2–विभागाध्यक्ष	रू0 5,000/– (रू0 पांच हजार) प्रति माह तक		प्रत्येक मामले में रू0 2,500/– (रू0 दो हजार पांच सौ) प्रतिवर्ष तक
		3–कार्यालयाध्यक्ष	कोई अधिकार नहीं		कोई अधिकार नहीं

क.स.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	परिसीमायें	अभ्युक्ति	पूर्व अधिकार
1	2	3	4	5	6
		विवरण पत्र– V – प्रकीर्ण आकस्मिक आवर्तक व्यय			
1	(क) सामान्य व्यय के प्रत्येक मामले में यथा, लेखन सामग्री, टेलीफोन के बिल पर व्यय, गाडियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद, कम्प्यूटर स्टेशनरी तथा बीज का क्रय।	1– प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	–बजट की उपलब्धता एवं मानक के अधीन –क्रय प्रक्रिया उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार होगी।	पूर्ण अधिकार
		2–विभागाध्यक्ष	सामग्री क्रय हेतु एक बार में रू0 3,00,000/ (रू0 तीन लाख) मूल्य तक		रू0 1,00,000/– (रू0 एक लाख) तक।
		3–कार्यालयाध्यक्ष	सामग्री क्रय हेतु एक बार में रू0 30,000/– तीस हजार तक		रू0 20,000 तक।
	(ख)नगरपालिका / नगरमहापालिका अथवा कैन्टोनमेंट करों तथा बिजली और पानी सम्बन्धी व्यय का भुगतान स्वीकृत करना।	1– प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–5, भाग–1 पैरा 165 में दी हुई शर्तों के अधीन	पूर्ण अधिकार वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–5, भाग–1 पैरा 165 में दी हुई शर्तों के अधीन
		2–विभागाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार		
		3–कार्यालयाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार		
	(ग) औषधियों का क्रय	चिकित्सा महानिदेशक	सामग्री क्रय हेतु रू0 25,00,000/– (रू0 पच्चीस लाख) तक (क्रय समिति के अनुमोदन से)	शासनादेश संख्या–2046 (चि0)/ 206(चि0)/2001 दिनांक 13 सितम्बर, 2001 तथा संख्या–1248/चि0–3–200 2–122/2002 दिनांक 6 जनवरी, 2003 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन	
	(घ) विभागीय	पुलिस महानिदेशक	सामग्री क्रय हेतु रू0		

1	2	3	4	5	6
	विशिष्ट सामग्रियों का क्रय		25,00,000/- (रू0 पच्चीस लाख) तक (क्रय समिति के अनुमोदन से)		

क.स.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	परिसीमायें	अभ्युक्ति	पूर्व अधिकार
1	2	3	4	5	6
			विवरण पत्र- VI – राजस्व में छूट अथवा परित्यजन		
1	राजस्व में छूट देना अथवा वसूली छोड देना:- 1.ऐसी धनराशियां जो विभागाध्यक्षों द्वारा वसूल न होने योग्य प्रमाणित की गयी हों.	1- प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार		प्रत्येक मामले में, रू0 5,000/- (रू0 पांच हजार) तक।
		2-विभागाध्यक्ष	रू0 10,000/- (रू0 दस हजार) तक		प्रत्येक मामले में, रू0 2,000/- (रू0 दो हजार) रूपये तक।
		3-कार्यालयाध्यक्ष	कोई अधिकार नही		कोई अधिकार नही
2	ऐसी धनराशियां, जो वसूल न होने योग्य घोषित न हुई हों।	1- प्रशासकीय विभाग	प्रत्येक मामले मे रू0 5,000/- (रू0 पांच हजार) रूपये तक।	निम्नलिखित शर्तो के अधीन:- 1. इस अधिकार का प्रयोग उन मामलो मे नही किया जाएगा जिनमें कि ऐसी छूटें किसी अधिनियम या नियमावली अथवा पृथक अनुदेशों द्वारा नियन्त्रित होती हों अथवा कोई विशेष प्रतिनिधायन मौजूद हो।	प्रत्येक मामले मे, रू0 2,000/- (रू0 दो हजार) रूपये तक।

1	2	3	4	5	6
		2- विभागाध्यक्ष	प्रत्येक मामले मे 2,000 रूपये तक।	2. जहा पर छूट देने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित हो वहां उसका अनिवार्य रूप से पालन किया जाना चाहिए। 3. उस मामले मे प्रक्रिया के किसी दोष का पता न चले। 4. किसी सरकारी कर्मचारी की ओर से असावधानी न की गई हो जिसमे किसी उच्चतर प्राधिकारी के आदेश अपेक्षित हो। 5- प्रत्येक मामले मे वसूली की छूट के कारण अभिलिखित किये गये हो।	प्रत्येक मामले मे, 1,000 रूपये तक।
3	व्यापार कर देयों की वसूली न होने वाली धनराशि को उसे वसूल करने के लिये हर सम्भव प्रयत्न करने के पश्चात संयुक्त जांच दल (Joint enquiry team) द्वारा आवश्यक जांच	1- वित्त विभाग	रू0 2,50,000/- (रू0 दो लाख पचास हजार) से ऊपर परन्तु रू0 10,00,000/- (रू0 दस लाख) से अनधिक ।	प्रत्येक मामले संयुक्त जांच दल द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र से आयुक्त व्यापार कर द्वारा संतुष्ट होने पर कि देय वसूल नहीं की जा सकती, वित्त विभाग की सहमति से टिप्पणी: अप्रतिलभ्य व्यापार कर बकाया के अपलेखन (Write-off)	रू01,00,000/- (रू0 एक लाख) से ऊपर परन्तु रू05,00,000/- (रू0 पांच लाख) से जो अधिक न हो, के प्रत्येक मामले मे संयुक्त जांच दल द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र के सम्बन्धित डिप्टी

1	2	3	4	5	6
	पड़ताल के पश्चात् इस आशय का प्रमाण-पत्र दिये जाने पर कि देय वसूल नहीं की जा सकती, बट्टे खाते में डालना।			की स्वीकृति प्रदान करने वाले संबंधित अधिकारियों की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी की वे यह सुनिश्चित कर ले की अपलेखन आदेश जारी किये जाने से पूर्व निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति कर ली गई है- (1) छः वर्ष से कम अवधि के बकाये के अपलेखन की आवश्यकता न्यूनतम होनी चाहिए। यदि विशेष परिस्थितियों में छः वर्ष से कम अवधि के बकाये को अपलेखित (Write-off) किया जाता है तो अपलेखन आदेश की एक प्रति शासन को भी सूचनार्थ भेज दी जाये। (2) प्रत्येक प्राधिकारी, उनके द्वारा स्वीकृत किये गये अपलेखनों के सम्बन्ध में रजिस्टर रखेगा जिसमें अपलेखन के सम्बन्ध में दी गई स्वीकृतियों के सम्बन्ध में सभी आवश्यक तथ्य अंकित किये जायेंगे जो कि भविष्य में आवश्यकतानुसार देखे जा सकें। (3) अपलेखन आदेश जारी करने से पूर्व पूरी तरह से यह सुनिश्चित कर लिया जावेगा कि वसूली की दिशा में हर सम्भव कार्यवाही की जा चुकी है। जिस मामले में बकायेदारों की संख्या एक से अधिक हो, उसमें सभी के विरुद्ध वसूली की प्रभावी कार्यवाही की जा चुकी है तथा बकायादार/बकायादारों के चल/अचल सम्पत्तियों के सम्बन्ध में विस्तृत आख्या भी सम्बन्धित पत्रावली में	कलेक्टर, व्यापार कर (संग्रह) तथा आयुक्त व्यापार कर द्वारा संतुष्ट होने पर कि देय वसूल नहीं की जा सकती, प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने पर, वित्त विभाग की सहमति से। टिप्पणी अप्रतिलभ्य व्यापार कर बकाया के अपलेखन (Write-off) की स्वीकृति प्रदान करने वाले संबंधित अधिकारियों की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी की वे यह सुनिश्चित कर लें की अपलेखन आदेश जारी किये जाने से पूर्व निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति कर ली गई है- (1) छः वर्ष से कम अवधि के बकाये के अपलेखन की आवश्यकता न्यूनतम होनी चाहिए। यदि विशेष परिस्थितियों में छः वर्ष से कम अवधि के बकाये को अपलेखित (Write-off) किया जाता है तो अपलेखन आदेश की एक प्रति शासन को भी सूचनार्थ भेज दी जाये। (2) प्रत्येक

1	2	3	4	5	6
				उपलब्ध है। (4) वसूली के सिलसिले मे संबधित बकायादार / बकायादारों को गिरफ्तार किया जा चुका है। (5)बकायादार / बकायादारों से बकाया की वसूली के सिलसिले में विस्तृत जांच न केवल उनके व्यवसाय के स्थान पर वरन् उनके स्थायी अथवा अस्थायी निवासों की जगह पर भी की जा चुकी है।	प्राधिकारी, उनके द्वारा स्वीकृत किये गये अपलेखनों के सम्बन्ध में रजिस्टर रखेगा जिसमें अपलेखन के सम्बन्ध में दी गई स्वीकृतियों के सम्बन्ध में सभी आवश्यक तथ्य अंकित किये जायेंगे जो कि भविष्य में आवश्यकतानुसार देखे जा सकें। (3) अपलेखन आदेश जारी करने से पूर्व पूरी तरह से यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि वसूली की दिशा मे हर सम्भव कार्यवाही की जा चुकी है। जिसे मामले मे बकायेदारो की संख्या एक से अधिक हो, उसमें सभी के विरुद्ध वसूली की प्रभावी कार्यवाही की जा चुकी है तथा बकायादार / बकायादारों के चल / अचल सम्पतियों के सम्बन्ध मे विस्तृत आख्या मामले की सम्बन्धित पत्रावली में उपलब्ध है। (4) वसूली के सिलसिले में संबधित बकायादार / बकायादारों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

1	2	3	4	5	6
					(5)बकायादार/बकायादारी से बकाया की वसूली के सिलसिले में विस्तृत जांच न केवल उनके व्यवसाय के स्थान पर वरन् उनके स्थायी अथवा अस्थायी निवास की जगह पर भी की जा चुकी है।
		2–मण्डलायुक्त	प्रतिनिधायन को समाप्त किया जाता है।		प्रत्येक मामले में रू01,00,000/– (रू0 एक लाख) रुपये तक डिप्टी कलेक्टर तथा व्यापार कर अधिकारी द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र से कलेक्टर संग्रह द्वारा संतुष्ट होने पर कि देय वसूली नहीं की जा सकती, प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने पर वित्त नियंत्रक मण्डलीय मुख्यालय, राजस्व परिषद् के परामर्श से।
		3– आयुक्त कर	प्रत्येक मामले में रू0 2,50,000/– (रू0 दो लाख पचास हजार) तक संयुक्त जॉच दल द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र से अपर आयुक्त (वित्त) कार्यालय वाणिज्य कर आयुक्त के परामर्श से सन्तुष्ट होने पर कि देय वसूल नहीं की जा सकती।		
		4 कलेक्टर	प्रत्येक मामले में रू0 50,000/– (रू0 पचास हजार) तक।		प्रत्येक मामले में रू0 25,000/– (रू0 पच्चीस हजार) तक।

1	2	3	4	5	6
		5– परगना अधिकारी	प्रत्येक मामले में रू० 5,000/– (रू० पांच हजार) तक।		प्रत्येक मामले में रू० 2,500/– (रू० दो हजार पांच सौ) रूपये तक।

क्र.सं.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	परिसीमायें	अभ्युक्ति	पूर्व अधिकार
1	2	3	4	5	6
		विवरण पत्र– VII – हानियों को बट्टे खाते डालना			
1	भण्डार या लोकधन की अवसूलनीय हानियाँ जिनके अन्तर्गत पूर्णतः नष्ट हुये स्टाम्पों की हानि भी सम्मिलित है को बट्टे खाते डालना।	1–प्रशासकीय विभाग	प्रत्येक मद में रू० 20,000/– (रू० बीस हजार) से अधिक तथा रू० 50,000/– (रू० पचास हजार) से अनधिक की सीमा तक, बशर्ते मदों के समूह का कुल मूल्य रू० 1,00,000/– (रू० एक लाख) से अधिक न हो। उपरोक्त निम्नलिखित प्रतिनिधायन इस शर्त के अधीन है कि हानि से इस बात का पता न चलता हो कि– 1 प्रणाली का कोई दोष है जिसमें संशोधन के लिए उच्चतर प्राधिकारी के आदेशों की आवश्यकता हो, अथवा 2. किसी एक विशेष अधिकारी अथवा अधिकारियों की ओर से कोई घोर असावधानी की गई हो जिसके निमित्त सम्भवतः अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिए उच्चतर प्राधिकारी के आदेशों की आवश्यकता हो।		प्रत्येक मद में रू० 20,000/– (रू० बीस हजार) से अधिक तथा रू० 50,000/– (रू० पचास हजार) से अनधिक की सीमा तक, बशर्ते मदों के समूह का कुल मूल्य रू० 1,00,000/– (रू० एक लाख) से अधिक न हो। उपरोक्त प्रतिनिधायन इस शर्त के अधीन है कि हानि से इस बात का पता न चलता हो कि– 1 प्रणाली का कोई दोष है जिसमें संशोधन के लिए उच्चतर प्राधिकारी के आदेशों की आवश्यकता हो, अथवा 2. किसी एक विशेष अधिकारी अथवा अधिकारियों की ओर से कोई घोर असावधानी की गई हो जिसके निमित्त सम्भवतः अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिए उच्चतर

1	2	3	4	5	6
					प्राधिकारी के आदेशों की आवश्यकता हो।
		2– मण्डलायुक्त	राजस्व विभाग के सम्बन्ध के– प्रत्येक मद में रू0 20,000/– (रू0 बीस हजार) की सीमा तक, बशर्ते मदों के समूह का कुल मूल्य एक वर्ष में रू0 50,000/– (रू0 पचास हजार) से अधिक न हो।		राजस्व विभाग के सम्बन्ध में– प्रत्येक मद में रू0 20,000/– (रू0 बीस हजार) की सीमा तक, बशर्ते मदों के समूह का कुल मूल्य एक वर्ष में रू0 50,000/– (रू0 पचास हजार) से अधिक न हो।
		3–विभागाध्यक्ष	प्रत्येक मद में रू0 20,000/– (रू0 बीस हजार) की सीमा तक, बशर्ते मदों के समूह का कुल मूल्य एक वर्ष में रू0 50,000/– (रू0 पचास हजार) से अधिक न हो।		प्रत्येक मद में रू0 20,000/– (रू0 बीस हजार) की सीमा तक, बशर्ते मदों के समूह का कुल मूल्य एक वर्ष में रू0 50,000/– (रू0 पचास हजार) से अधिक न हो।
		4–कार्यालयाध्यक्ष (प्रथम श्रेणी के अधिकारी)	प्रत्येक मामले में रू0 2,000/– (रू0 दो हजार) तक, किन्तु एक वर्ष में कुल रू0 10,000/– (रू0 दो हजार) की सीमा तक।		प्रत्येक मामले में रू0 2,000/– (रू0 दो हजार) तक, किन्तु एक वर्ष में कुल रू0 10,000/– (रू0 दो हजार) की सीमा तक।

क्र०सं०	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	परिसीमायें	अभ्युक्ति	पूर्व अधिकार
1	2	3	4	5	6
			विवरण पत्र– VIII – प्रकीर्ण आकस्मिक व्यय		
1	नीलामकर्ताओं को जहाँ उनकी सेवाएं लेना अनिवार्य समझा जाए, कमीशन का भुगतान स्वीकृत करना।	1– प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार		–
		2–विभागाध्यक्ष	उनके द्वारा बिक्री की सकल धनराशि के 6 प्रतिशत की अनधिक दर तक, किन्तु नीलामकर्ता की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्रशासकीय विभाग की अनुमति प्राप्त करनी		उनके द्वारा बिक्री की सकल धनराशि के 5 प्रतिशत की अनधिक दर तक, किन्तु नीलामकर्ता की नियुक्ति के सम्बन्ध में

1	2	3	4	5	6
			होगी।		प्रशासकीय विभाग की अनुमति प्राप्त करनी होगी।
2	प्रदर्शनियों के लिए व्यय स्वीकृत करना जिसमें परिवहन व्यय, अस्थाई कर्मचारियों का यात्रा भत्ता, आकस्मिक व्यय इत्यादि सम्मिलित है।	1–प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 तथा बजट की सीमा में	–
		2–विभागाध्यक्ष।	क– रू0 5,00,000/– (रू0 पांच लाख) तक (यदि व्यय अनुमोदित आयोजनागत (प्लान) योजना के अन्तर्गत है) ख– रू0 50,000/– (रू0 पचास हजार) तक (यदि व्यय आयोजनेतर पक्ष से किया जाना है)		एक वर्ष में रू0 10,000/– (रू दस हजार) तक इस शर्त के अधीन कि उक्त के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट स्वीकृतियां न हों।
3	विलम्ब शुल्क (डैमरेज/वारफेज चार्जेज) पर व्यय स्वीकृत करना।	1– प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार		पूर्ण अधिकार
		2–विभागाध्यक्ष	रू0 10,000/– (रू0 दस हजार) तक प्रशासकीय विभाग को सूचित करना होगा।		पूर्ण अधिकार, किन्तु रू0 2,500/– (रू0 दो हजार पांच सौ) से अधिक के प्रत्येक मामले में प्रशासकीय विभाग को सूचित करना होगा।
		3–कार्यालयाध्यक्ष	रू0 5000/– (रू0 पांच हजार) तक प्रशासकीय विभाग को सूचित करना होगा।		पूर्ण अधिकार, किन्तु रू0 1000/– (रू0 एक हजार) से अधिक के प्रत्येक मामले में प्रशासकीय विभाग को सूचित करना होगा।
4	शिलान्यास तथा उद्घाटन आदि जैसे अवसरों के सम्बन्ध में आकस्मिक व्यय स्वीकृत करना।	1– प्रशासकीय विभाग	एक बार में रू0 20,000/– (रू0 बीस हजार) तक तथा एक वर्ष में रू0 5,00,000/– (रू0 पांच लाख) तक, इस प्रतिबन्ध के साथ कि मा0 मुख्य मंत्री जी/ विभागीय मन्त्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो व्यय, सचिव, सामान्य प्रशासन अनुभाग के अर्धशासकीय पत्र संख्या-आठ (6/51/67) सामान्य प्रशासन अनुभाग–2, दिनांक 28 जनवरी, 1972 में निर्धारित अनुदेशों के अनुसार हो।		रू0 2,000/– (रू0 दो हजार) की सीमा तक, इस प्रतिबन्ध के साथ कि एक वित्तीय वर्ष में कुल व्यय रू0 20,000/– (रू0 बीस हजार) से अधिक न हो तथा मुख्यमन्त्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो व व्यय सचिव, सामान्य प्रशासन अनुभाग के अर्धशासकीय पत्र संख्या- आठ (6/51/67) सामान्य प्रशासन

1	2	3	4	5	6
					अनुभाग-2 दिनांक 28 जनवरी, 1972 में निर्धारित अनुदेशों के अनुसार हो।
		2--विभागाध्यक्ष	एक बार में रू0 10,000/– (रू0 दस हजार) तक तथा एक वर्ष में रू0 1,00,000/– (रू0 एक लाख) तक, इस प्रतिबन्ध के साथ कि मा0 मुख्य मंत्री जी/ विभागीय मन्त्री जी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो एवं, सचिव, सामान्य प्रशासन अनुभाग के अर्धशासकीय पत्र संख्या-आठ (6/51/67) सामान्य प्रशासन अनुभाग-2 दिनांक 28 जनवरी, 1972 में निर्धारित अनुदेशों के अनुसार हो।		कोई अधिकार नहीं।
		3– कार्यालयाध्यक्ष	कोई अधिकार नहीं।		कोई अधिकार नहीं।
5	कार्मिकों को वर्दी तथा गर्म कपड़ों की आपूर्ति स्वीकृत करना।	1– विभागाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार,	बजट उपलब्धता एवं मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट आर्डर्स के परिशिष्ट 16 (1981 का संस्करण) और वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-5, भाग-1 के परिशिष्ट 10 तथा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 में दी हुई शर्तों के अधीन।	पूर्ण अधिकार, मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट आर्डर्स के परिशिष्ट 16 (1981 का संस्करण) और वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-5, भाग-1 के परिशिष्ट 10 में दी हुई शर्तों के अधीन।
		2– कार्यालयाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार,		
6	टेलीफोन संयोजन	1–प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार, वित्त विभाग की सहमति से	नये टेलीफोन का संयोजन प्रशासकीय विभाग के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति से किया जाएगा टेलीफोन की अनुमन्यता प्रभावी शासनादेशों के आधार पर अनुमन्य होगी।	
		2–विभागाध्यक्ष।	यदि पद स्वीकृत है तो अनुमन्यता के आधार पर पूर्ण अधिकार।		
		3–कार्यालयाध्यक्ष	कोई अधिकार नहीं।		

क.स.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	परिसीमायें	अभ्युक्ति	पूर्व अधिकार
1	2	3	4	5	6
			विवरण पत्र- IX – निर्माण कार्य		
1	वर्तमान आवासिक भवनों में सुधार के लिए अनुमानों की प्रशासकीय स्वीकृत प्रदान करना।	1-प्रशासकीय विभाग	आय-व्ययक प्राविधान के अन्तर्गत पूर्ण अधिकार	बजट उपलब्धता एवं उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2008 के अधीन	आय-व्ययक प्राविधान के अन्तर्गत प्रत्येक मामले में रू0 50,000/- (रू0 पचास हजार) की सीमा तक किन्तु शर्त यह है कि मानक किराया (स्टैण्डर्ड रेन्ट) या ऐसे वर्ग के किरायेदारों की जिनके लिए वह बना हो, औसत उपलब्धियों के 10 प्रतिशत से अधिक न हो।
		2- विभागाध्यक्ष	आय-व्ययक प्राविधान के अन्तर्गत प्रत्येक मामले में रू0 5,00,000/- (रू0 पांच लाख) की सीमा से अनधिक तक किन्तु शर्त यह है कि मानक किराया (स्टैण्डर्ड रैन्ट) या ऐसे वर्ग के किरायेदारों की जिनके लिए वह बना हो, औसत उपलब्धियों के 10 प्रतिशत से अधिक न हो।		आय-व्ययक प्राविधान के अन्तर्गत प्रत्येक मामले में रू0 10,000/- (रू0 दस हजार) की सीमा तक।

क.स.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	परिसीमायें	अभ्युक्ति	पूर्व अधिकार
1	2	3	4	5	6
			विवरण पत्र- X – ठेके और टेण्डर		
1	छोटे निर्माण कार्यों (पेटी वर्क्स) के निष्पादन तथा सभी प्रकार की मरम्मतों/आउटसोर्सिंग से सफाई/ सुरक्षा/ माली की व्यवस्था के लिये टेण्डर/ठेके	1- प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	वित्तीय संग्रह, खण्ड-5, भाग-1 का पैरा 204 बजट उपलब्धता एवं उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2008 के अधीन	
		2-विभागाध्यक्ष	आय-व्ययक प्राविधान के अन्तर्गत प्रत्येक मामले में रू0 5,00,000/- (रू0 पांच लाख) तक		आय-व्ययक प्राविधान के अन्तर्गत प्रत्येक मामले में रू0 50,000/- (रू0 पचास हजार) तक
		3-कार्यालयाध्यक्ष	आय-व्ययक प्राविधान के अन्तर्गत प्रत्येक मामले में रू0 1,00,000/-(रू0 एक		आय-व्ययक प्राविधान के अन्तर्गत प्रत्येक मामले में रू

1	2	3	4	5	6
	स्वीकृत करना।		लाख) तक किन्तु शर्त यह है कि अनुमान विभागाध्यक्षों द्वारा स्वीकृत कर दिये गये हों।		25,000/- (रु0 पच्चीस हजार) तक किन्तु शर्त यह है कि अनुमान विभागाध्यक्षों द्वारा स्वीकृत कर दिये गये हों।

क्र.स.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	परिसीमायें	अभ्युक्ति	पूर्ण अधिकार
1	2	3	4	5	6
		विवरण पत्र– XI – अग्रिम धनराशियां			
1	स्थाई अग्रिम	1– प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	वित्तीय हस्तपुस्तिका–खण्ड–5 भाग–1 के अध्याय–3 के पैरा 67 के अधीन	पूर्ण अधिकार
		2–विभागाध्यक्ष	कोई अधिकार नही		कोई अधिकार नही
		3–कार्यालयाध्यक्ष	कोई अधिकार नही		कोई अधिकार नही
2	भवन निर्माण /पुर्ननिर्माण /क्रय/मरम्मत के लिए सरकारी सेवकों को अग्रिम	1– प्रशासकीय विभाग	अनुमन्य सीमा तक	वित्तीय हस्तपुस्तिका–खण्ड–5 भाग–1 के अध्याय–11के पैरा 244 के अधीन शासनादेश संख्या 537/वि0अनु0–1/2004 दिनांक 16 जुलाई,2004 एवं समय–समय पर वित्त विभाग विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश की शर्तों के अधीन	अनुमन्य सीमा तक
		2–विभागाध्यक्ष	अनुमन्य सीमा तक अधीनस्थ श्रेणी–2 तक के कार्मिकों के सम्बन्ध मे वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक की संस्तुति पर।		अनुमन्य सीमा तक
		3–कार्यालयाध्यक्ष	कोई अधिकार नहीं		कोई अधिकार नही
3	मोटर कार/मोटर साईकिल/स्कूटर क्रय करने के लिए सरकारी सेवको को अग्रिम	1– प्रशासकीय विभाग	अनुमन्य सीमा तक	वित्तीय हस्तपुस्तिका – खण्ड–5 भाग–1 के अध्याय–11के पैरा 242 व 245 तथा शासनादेश संख्या 538/वि0अनु0–1/2004 दिनांक 16 जुलाई,2004 की एवं समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश की शर्तों के अधीन	अनुमन्य सीमा तक
		2–विभागाध्यक्ष	अनुमन्य सीमा तक अधीनस्थ श्रेणी–2 तक के कार्मिको के सम्बन्ध में वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक की संस्तुति पर।		अनुमन्य सीमा तक
		3–कार्यालयाध्यक्ष	कोई अधिकार नही		कोई अधिकार नही
4	कम्प्यूटर के क्रय हेतु सरकारी सेवकों को अग्रिम	1– प्रशासकीय विभाग	अनुमन्य सीमा तक	वित्त अनु0–1 का शासनादेश सं0 538 ए/वि0अनु0/2004 दिनांक 16 जुलाई,2004 एवं समय–समय पर	अनुमन्य सीमा तक अनुमन्य सीमा तक

1	2	3	4	5	6
		2-विभागाध्यक्ष	अनुमन्य सीमा तक अधीनस्थ श्रेणी-2 तक के कार्मिकों के सम्बन्ध में वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक की संस्तुति पर।	वित्त विभाग विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश की शर्तों के अधीन	
		3-कार्यालयाध्यक्ष	कोई अधिकार नहीं		
5	स्वयं अथवा अधीनस्थ सरकारी सेवक को, स्थानान्तरण अथवा उच्च शिक्षा/प्रशिक्षण पर जाने हेतु अग्रिम वेतन/यात्रा भत्ता स्वीकृत करना	1- प्रशासकीय विभाग 2-विभागाध्यक्ष 3-कार्यालयाध्यक्ष	एक माह के मूल वेतन की सीमा में पूर्ण अधिकार	वित्तीय हस्तपुस्तिका-खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-11 के पैरा 249 (ए) की शर्तों के अधीन एक माह के मूल वेतन की सीमा में	एक माह के मूल वेतन की सीमा में पूर्ण अधिकार
6	(क) दौरे के लिए अग्रिम स्वीकृत करना	1- प्रशासकीय विभाग 2-विभागाध्यक्ष 3-कार्यालयाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार पूर्ण अधिकार कोई अधिकार नहीं	(क) वित्तीय हस्तपुस्तिका -खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-3 के पैरा 67 की शर्तों के अधीन	पूर्ण अधिकार
	(ख) अपने स्वयं के दौरे अथवा अधीनस्थ अराजपत्रित/राजपत्रित सरकारी सेवकों के दौरे के लिए यात्रा भत्ता अग्रिम स्वीकृत करना	1- प्रशासकीय विभाग 2-विभागाध्यक्ष 3-कार्यालयाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार पूर्ण अधिकार पूर्ण अधिकार	(ख) वित्तीय हस्तपुस्तिका- खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-11के पैरा 249 (सी)जैसा कि वह शासनादेश संख्या-ए-1-233/दस -84-15(9)72 दिनाक 20 जनवरी,1984 द्वारा संशोधित की गयी है तथा निम्नलिखित शर्तों के अधीन पूर्ण अधिकार-	
				1. राजपत्रित अथवा अराजपत्रित सेवक(निरीक्षण अधिकारी को सम्मिलित करते हुए), जिसे अन्तर्गत स्थानों जो दुर्गम है,लम्बा दौरा करना अभिष्ट हो,तीस दिन से अनधिक अवधि के लिये वैयक्तिक यात्रा व्यय पूर्ति हेतु तथा दौरे से संबंधित प्रेषित उसके द्वारा किया गया प्रकीर्ण मदों पर व्यय जैसे- अभिलेख, तम्बू अथवा सरकारी सम्पत्ति की ढुलाई पर प्रयुक्त वाहनों की पूर्ति हेतु संगणित	

1	2	3	4	5	6
				यात्रा भत्ते की राशि के 90 प्रतिशत तक का अग्रिम । 2. राजपत्रित अथवा अराजपत्रित सरकारी सेवक को, यात्रा के उन सभी मामलों में जिनमें यात्रा भत्ता उसी प्रकार अनुमन्य है जैसे कि दौरों पर यात्रा भत्ता देय है, सम्भावित धनराशि के 90 प्रतिशत तक टिप्पणी— 1. इस नियम में कार्यालयाध्यक्ष अग्रिम देने के लिए अधिकृत है । वे ऐसे अग्रिम स्वयं अपने लिए अथवा अपने कार्यालयों के किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी को भी स्वीकृत कर सकते हैं बशर्ते कि यात्रा भत्ते की धनराशि एक समय में रू0 1,000/— (रू0 एक हजार) से कम होने की सम्भावना न हो तथा अधिकतम अग्रिम की धनराशि रू0 5,000/— (रू0 पांच हजार) तक हो। 2. एक सरकारी सेवक को द्वितीय अग्रिम तब तक स्वीकृत नहीं किया जा सकता है जब तक कि पहले अग्रिम का समायोजन न हो गया हो। 3. इस नियम के अन्तर्गत, अग्रिम का समायोजन, दौरे के समाप्त होने पर अथवा मार्च 31 को, जो भी पहले हो, हो जाना चाहिए । यद्यपि मार्च के माह में आहरित अग्रिम का समायोजन, दौरे के समाप्त होने पर अथवा अनुवर्ती 30 अप्रैल तक किया जा सकता है।	
7	एल0टी0सी0 हेतु अग्रिम स्वीकृत	1— प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	बजट की उपलब्धता की सीमा में शासनादेश सं0	पूर्ण अधिकार

1	2	3	4	5	6
	करना है।			1115/ वि0अनु0-3/2003 दिनांक 31 दिसम्बर,2003 के प्राविधानों के अनुसार	
		2-विभागाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार		पूर्ण अधिकार अपने अधीनस्थ अराजपत्रित कर्मचारियों के सम्बन्ध में पूर्ण अधिकार।
		3-कार्यालयाध्यक्ष	अपने अधीनस्थ अराजपत्रित कर्मचारियों के सम्बन्ध में पूर्ण अधिकार।		
8	कानूनी कार्यवाही हेतु अग्रिम स्वीकृत करना।	1- प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	बजट की सीमा में	
		2-विभागाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार		
		3-कार्यालयाध्यक्ष	पूर्ण अधिकार		
9	चिकित्सा अग्रिम	1- प्रशासकीय विभाग	रू0 1,00,000/- (रू0 एक लाख) से अधिक किन्तु रू0 2,00,000/- (रू0 दो लाख) तक	चिकित्सा अनु-3 के शासनादेश स0-679/चि0-3-2005-437/2002 दिनांक 4 सितम्बर,2005 के द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार।	रू0 1,00,000/- (रू0 एक लाख) से अधिक किन्तु रू0 2,00,000/- (रू0 दो लाख) तक
		2-विभागाध्यक्ष	रू0 40,000/- (रू0 चालीस हजार) से अधिक किन्तु रू0 1,00,000/- (रू0 एक लाख) तक		रू0 40,000/- (रू0 चालीस हजार) से अधिक किन्तु रू0 1,00,000/- (रू0 एक लाख) तक
		3-कार्यालयाध्यक्ष	रू0 40,000/- (रू0 चालीस हजार) तक		रू0 40,000/- (रू0 चालीस हजार) तक
10	सामान्य कार्यालय व्यय	1- प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	-बजट की उपलब्धता एवं मानक के अधीन -क्रय प्रक्रिया उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार होगी।	पूर्ण अधिकार
		2-विभागाध्यक्ष	रू0 5,00,000/- (रू0 पांच लाख) तक		रू025,000/- (रू0 पच्चीस हजार)
		3-कार्यालयाध्यक्ष	रू025,000/- (रू0 पच्चीस हजार)		

क्र.स.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	परिसीमायें	अभियुक्ति	पूर्ण अधिकार
1	2	3	4	5	6
विवरण पत्र- XII - भण्डार और सामग्री-नयी साज-सज्जा/ कार्यालय उपयोग हेतु उपकरण/विशिष्ट विभागीय कार्य हेतु उपकरण व संयंत्र का क्रय स्वीकार करना					
1	1- कार्यालय उपयोग हेतु उपकरण/ नई साज सज्जा 2- विभागीय कार्य हेतु उपकरण एवं संयत्र।	प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	-बजट की उपलब्धता एवं मानक के अधीन	पूर्ण अधिकार रू0 10,000/- (रू0 दस हजार) रूपये से ऊपर के मूल्य की किसी वस्तु के मामले में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करनी होगी।

1	2	3	4	5	6
2	1– कार्यालय उपयोग हेतु उपकरण/ नई साज सज्जा	विभागाध्यक्ष	इस प्रतिबन्ध के साथ कि किसी एक वस्तु का मूल्य रू0 1,00,000/– (रू0 एक लाख) से अधिक नहीं होगा तथा एक बार में रू0 5,00,000/– (रू0 पांच लाख) तक की सामग्री का क्रय किया जा सकता है।	–क्रय प्रक्रिया उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार होगी। –बजट मैनुअल के प्रस्तर 59 के अधीन "नये व्यय" की स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी। – समय–समय जारी मितव्ययता विषयक शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा। –ए0सी0 की अनुमन्यता रू0 8700/– (रू0 आठ हजार सात सौ) तथा ऊपर के ग्रेड वेतन के अधिकारियों के लिए होगी।	निम्नलिखित शर्तों के अधीन पूर्ण अधिकार:– 1– किसी एक वस्तु का मूल्य रू0 10,000/– (रू0 दस हजार) से अधिक नहीं होगा। 2– क्रय की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिये। 3– स्वीकृत विशिष्ट प्राविधानित अनुदानों के अन्तर्गत निधियां उपलब्ध है। टिप्पणी– नई साज –सज्जा की श्रेणी में आने वाली वस्तुओं की सूची कॉलम 2 में दी गयी है।
	2– विशिष्ट विभागीय कार्य हेतु उपकरण एवं संयत्र।	विभागाध्यक्ष	इस प्रतिबन्ध के साथ कि किसी एक वस्तु का मूल्य रू0 5,00,000/– (रू0 पांच लाख) से अधिक नहीं होगा तथा एक बार में रू0 10,00,000/– (रू0 दस लाख) तक की सामग्री का क्रय किया जा सकता है।		
	विशिष्ट विभागीय कार्य हेतु उपकरण एवं संयत्र।	I निदेशक, कृषि	इस प्रतिबन्ध के साथ कि किसी एक वस्तु का मूल्य रू0 7,00,000/– रू0 सात लाख से अधिक नहीं होगा तथा एक बार में रू0 10,00,000/– (रू0 दस लाख) तक की सामग्री का क्रय किया जा सकता है।		
		II पुलिस महानिदेशक	इस प्रतिबन्ध के साथ कि किसी एक वस्तु का मूल्य रू0 10,00,000/– (रू0 दस लाख) से अधिक नहीं होगा तथा एक बार में रू0 75,00,000/– (रू0 पचहत्तर लाख) तक की सामग्री का क्रय किया जा सकता है।		
		III प्रमुख वन संरक्षक	इस प्रतिबन्ध के साथ कि किसी एक वस्तु का मूल्य रू0 10,00,000/– (रू0 दस लाख) से अधिक नहीं होगा तथा एक बार में रू0		

1	2	3	4	5	6
			75,00,000/– (रु० पचहत्तर लाख) तक की सामग्री का क्रय किया जा सकता है।		
		IV महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	इस प्रतिबन्ध के साथ कि किसी एक वस्तु का मूल्य रु० 10,00,000 (रु० दस लाख) से अधिक नही होगा तथा एक बार में रु० 25,00,000 (रु० पच्चीस लाख) तक की सामग्री का क्रय किया जा सकता है। शासनादेश संख्या– 2048 (वि0)/ 206(वि0)/2001 दिनांक 13 सितम्बर, 2001 तथा संख्या– 1246/वि0–3–2002–122 /2002 दिनांक 8 जनवरी, 2003 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन		
		3–कार्यालयाध्यक्ष	कोई अधिकार नही		कोई अधिकार नहीं
			विवरण पत्र– XIII– भण्डार और सामग्री		
2	फालतू और निष्प्रयोज्य भण्डार का विक्रय स्वीकृत करना (अभियन्त्रण विभागों को छोड़कर)	1– प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार		पूर्ण अधिकार
		2–विभागाध्यक्ष	रु० 1,00,000/– (रु० एक लाख) से अधिक मूल मूल्य (Basic Price) के फालतू भण्डार का विक्रय 20 प्रतिशत से अनाधिक ह्रासित मूल्य पर किया जाये।		
		3–कार्यालयाध्यक्ष	रु० 25,000–/– (रु० पचीस हजार) से अनधिक मूल मूल्य (Basic Price)तक इस प्रतिबन्ध के साथ कि फालतू भण्डार का विक्रय 20 प्रतिशत से अधिक ह्रासित मूल्य पर किया जाय,परन्तु ऐसी सामग्री जो पूर्णतः नष्ट या किसी स्वरूप में पुनः प्रयोग नही की जा सकती हो, उसके ह्रासित मूल्य को शून्य समझा जाय।	रु० 25,000–/– (रु० पचीस हजार) से अनधिक मूल मूल्य (Basic Price) तक इस प्रतिबन्ध के साथ कि फालतू भण्डार का विक्रय 20 प्रतिशत से अधिक ह्रासित मूल्य पर किया जाय,परन्तु ऐसी सामग्री जो पूर्णतः नष्ट या किसी स्वरूप में पुनः प्रयोग नही की जा सकती हो, उसके ह्रासित मूल्य को शून्य समझा जाय।	
			टिप्पणी– जब भण्डार किसी प्राविधिक अथवा औद्योगिक विद्यालय का हो, तो विक्रय के लिए परामर्श– दात्री समिति की स्वीकृति आवश्यक होगी।	टिप्पणी– जब भण्डार किसी प्राविधिक अथवा औद्योगिक विद्यालय का हो, तो विक्रय के लिए परामर्श– दात्री समिति की स्वीकृति आवश्यक	

1	2	3	4	5	6
			रू० 5,00,000/- (रू० पांच लाख) से अधिक लागत की फालतू एवं निष्प्रयोज्य भण्डार के विक्रय के प्रस्तावों पर निर्णय लिये जाने हेतु प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव व सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा, जिसके सदस्य वित्त विभाग के प्रतिनिधि(जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे के न हो)तथा संबंधित विभागाध्यक्ष होंगे। केवल अतिविशिष्ट तथा जटिल मामले ही वित्त विभाग को सन्दर्भित किये जायेंगे।	होगी। रू० 5,00,000/- (रू० पांच लाख) से अधिक लागत की फालतू एवं निष्प्रयोज्य भण्डार के विक्रय के प्रस्तावों पर निर्णय लिये जाने हेतु प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव व सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा, जिसके सदस्य वित्त विभाग के प्रतिनिधि(जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे के न हो)तथा संबंधित विभागाध्यक्ष होंगे। केवल अतिविशिष्ट तथा जटिल मामले ही वित्त विभाग को सन्दर्भित किये जायेंगे।	

नोट– सभी अधिप्राप्तियों के लिए प्रोक्योरमेन्ट रूल्स एवं बजट मैनुअल के नियमों का अनुपालन बाध्यकारी होगा।

अभियंत्रण विभागों के निर्माण कार्य सम्बन्धी प्रतिनिधायन

नोट– सभी अधिप्राप्तियों के लिए प्रोक्योरमेन्ट रूल्स एवं बजट मैनुअल के नियमों का अनुपालन बाध्यकारी होगा।

क.स.	अधिकार का प्रकार	किसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा	परिसीमायें	पूर्व परिसीमायें
1	2	3	4	5
		विवरण पत्र–I मुद्रण सम्बन्धी व्यय		
1	रू० 75,00,000/- (रू० पचहत्तर लाख) तक के निर्माण कार्यों के अल्पकालीन सूचना सम्पादित करने के लिये निविदा सूचना समाचार पत्रों में देने हेतु।	प्रभागीय अधिकारी/ अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, लघु सिंचाई।	किसी एक मामले में रू० 15000/- (रू० पन्द्रह हजार) की सीमा तक, किन्तु शर्त यह है कि इस प्रकार छपाया गया कार्य आवश्यक हो। टिप्पणी– विज्ञापन सूचना निदेशक उत्तराखण्ड के माध्यम से छपवाया जायेगा।	किसी एक मामले में रू० 500/- (रू० पांच सौ) की सीमा तक, किन्तु शर्त यह है कि इस प्रकार छपाया गया कार्य आवश्यक हो।
		विवरण पत्र–II प्रकीर्ण आकस्मिक व्यय		
1	खजरा और खसरा के लिये अनुदान स्वीकृत करना।	1– अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग।	आय–व्ययक में निर्दिष्ट धनराशि के अन्तर्गत पूर्ण अधिकार।	आय–व्ययक में निर्दिष्ट धनराशि के अन्तर्गत पूर्ण अधिकार।
		2–प्रभागीय अधिकारी, सिंचाई विभाग।	रू० 5,000/- (रू० पांच हजार) की सीमा तक।	रू० 5,000/- (रू० पांच हजार) की सीमा तक।

1	2	3	4	5
			अनुसार निर्मित किये जायेंगे और यह कि निर्माण की लागत उनसे सम्बन्धित अनुज्ञेय वित्तीय सीमाओं या समय- समय पर शासन द्वारा नियत की गई क्षेत्र सीमाओं से अधिक नहीं होगी और शर्त यह भी है कि निर्माण कार्य तब तक प्रारम्भ नहीं किया जाएगा जब तक कि शासन द्वारा उनके व्यय की स्वीकृति न प्रदान कर दी जाय।	स्वीकृत मानक डिजाइन के अनुसार निर्मित किये जायेंगे और यह कि निर्माण की लागत उनसे सम्बन्धित अनुज्ञेय वित्तीय सीमाओं या समय- समय पर शासन द्वारा नियत की गई क्षेत्र सीमाओं से अधिक नहीं होगी और शर्तयह भी है कि निर्माण कार्य तब तक प्रारम्भ नहीं किया जाएगा जब तक कि शासन द्वारा उनके व्यय की स्वीकृति न प्रदान कर दी जाय।
			(2) आवासिक भवनों में बिजली लगाने का व्यय फन्डामेन्टल रूल्स/तत्सम्बन्धी विषयक शासनादेशों में दी हुई सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए और उसमें फिटिंग्स की मात्रा सब्सीडियरी रूल्स के अनुसार होनी चाहिए।	(2) आवासिक भवनों में बिजली लगाने का व्यय फन्डामेन्टल रूल्स/तत्सम्बन्धी विषयक शासनादेशों में दी हुई सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए और उसमें फिटिंग्स की मात्रा सब्सीडियरी रूल्स के अनुसार होनी चाहिए।
			(3) अनुमान में स्थायी आवासिक तथा गैर आवासिक भवनों की संख्या उससे अधिक नहीं होनी चाहिए जो योजना के अनुरक्षण के लिये, जब यह पूरी हो जाय, अनुमोदित मापदण्ड के अनुसार विभिन्न वर्गों के कर्मचारी वर्ग की संख्या के लिये अनुमन्य हो।	(3) अनुमान में स्थायी आवासिक तथा गैर आवासिक भवनों की संख्या उससे अधिक नहीं होनी चाहिए जो योजना के अनुरक्षण के लिये, जब यह पूरी हो जाय, अनुमोदित मापदण्ड के अनुसार विभिन्न वर्गों के कर्मचारी वर्ग की संख्या के लिये अनुमन्य हो।
			(4) ऐसे आवासिक भवन(स्थायी अथवा अस्थायी दोनों प्रकार के) जिला मुख्यालयों पर नहीं बनाये जायेंगे जो लोक निर्माण विभाग की एक स्थानीय(पूल्ड) आवास योजना के अन्तर्गत न आते हों।	(4) ऐसे आवासिक भवन(स्थायी अथवा अस्थायी दोनों प्रकार के) जिला मुख्यालयों पर नहीं बनाये जायेंगे जो लोक निर्माण विभाग की एक स्थानीय(पूल्ड) आवास

1	2	3	4	5
				योजना के अन्तर्गत न आते हों।
			(5) डाक बंगले/रेस्ट हाउस का निर्माण करते समय अन्य डाक बंगलो से निकटता के सिद्धान्त का दृढ़ता से पालन किया जायेगा और उनके निर्माण कार्य के लिये शासन की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।	(5) डाक बंगले/रेस्ट हाउस का निर्माण करते समय अन्य डाक बंगलो से निकटता के सिद्धान्त का दृढ़ता से पालन किया जायेगा और उनके निर्माण कार्य के लिये शासन के पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
			(6) गाड़ियों के लिये (हल्की तथा भारी दानों प्रकार की) व्यवस्था शासन द्वारा अनुमोदित संख्या (स्केल) के अनुसार की जायेगी और क्रय के लिये आदेश देने से पहले उनकी पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।	(6) गाड़ियों के लिये (हल्की तथा भारी दानों प्रकार की) व्यवस्था शासन द्वारा अनुमोदित संख्या (स्केल) के अनुसार की जायेगी और क्रय के लिये आदेश देने से पहले उनकी पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।
	ख– मूल निर्माण कार्यो के लिए परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करना।	मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग/ सिंचाई विभाग /प्र0 अभियन्त्रण सेवा/लघु सिंचाई विभाग। ।	2 – उपर्युक्त– 1 में उल्लिखित शर्तो तथा अपवादों के अधीन किसी एक मामले में रू0– 5 करोड़ (रू0 पांच करोड़) तक।	2– उपर्युक्त– 1 में उल्लिखित शर्तो तथा अपवादों के अधीन किसी एक मामले में रू0– 2 करोड़ (रू0 दो करोड़) तक।
		अधीक्षण अभियन्ता लो0 नि0 विभाग/ सिंचाई विभाग/ प्र0 अभियन्त्रण सेवा/ लघु सिंचाई वि0	3– उपर्युक्त–1 में उल्लिखित शर्तो तथा अपवादों के अधीन किसी एक मामले में रू0 2 करोड़ (रू0 दो करोड़)।	3– उपर्युक्त–1 में उल्लिखित शर्तो तथा अपवादों के अधीन किसी एक मामले में रू0 1 करोड़ (रू0 एक करोड़)।

1	2	3	4	5
2	मूल निर्माण कार्य और विस्तार अथवा किसी उच्चतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति मूल सहायक निर्माण कार्यों के लिये सामान्य परियोजना संबंधी ब्यौरेवार अनुमानों की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान करना।	1– अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग	1– निम्नलिखित मामलों में मुख्य अभियन्ता के पूर्व अनुमोदन के अधीन रु0– 2.5 करोड़ की सीमा तक।	1– मुख्य अभि. से पूर्व अनुमोदन के अधीन रु0 1 करोड़ तक की सीमा तक।
			(1) ऐसे नये अथवा वर्तमान जल–मार्गों के, जिनका जल–निस्तारण शीर्ष पर 1,000 क्यूसेक से अधिक हो, नदी नियंत्रण के शीर्ष कार्य सम्बन्धी निर्माण कार्य।	
			(2)ऐसे वर्तमान जल–मार्गों के, जिनका जल निस्तारण शीर्ष पर 500 क्यूसेक से अधिक हो, निर्माण अथवा कार्य में परिवर्तन सम्बन्धी निर्माण कार्य।	
			(3) ऐसे जल–मार्गों के निकट, जिनका जल–निस्तारण 1,000 क्यूसेक अथवा उससे अधिक हो, नई चिनाई सम्बन्धी निर्माण कार्य। (मासोनरी) निर्माण कार्य अथवा वर्तमान कार्यों के परिवर्तन सम्बन्धी निर्माण कार्य।	
			(4) किसी ऐसे जल–मार्ग के, जिसका क्षेत्र एक से अधिक वृत्त में व्याप्त हो, सम्पकाट में परिवर्तन सम्बन्धी निर्माण कार्य।	
			(5) ऐसी वर्तमान जलमार्ग प्रणालियों में परिवर्तित, जिनमें वर्तमान जल मार्गों की प्राधिकृत जलनिस्सारण में वृद्धि होती हो अथवा ऐसे अतिरिक्त जल –मार्गों का निर्माण जिनसे नहर के प्राधिकृत जलनिस्सारण में वृद्धि करने की आवश्यकता हो।	(5) ऐसी वर्तमान जलमार्ग प्रणालियों में परिवर्तित, जिनमें वर्तमान जल मार्गों की प्राधिकृत जलनिस्सारण में वृद्धि होती हो अथवा ऐसे अतिरिक्त जल –मार्गों का निर्माण जिनसे नहर के प्राधिकृत जलनिस्सारण में वृद्धि करने की आवश्यकता हो।

1	2	3	4	5
			(ह) किसी डाक बंगले, आवास अथवा कार्यालय से सम्बन्धित निर्माण कार्य जिसकी लागत रू0 10,000/– (रू0 दस हजार) से अधिक हो।	(ह) किसी डाक बंगले आवास अथवा कार्यालय से सम्बन्धित निर्माण कार्य जिसकी लागत रू0 10,000/– (रू0 दस हजार) से अधिक हो।
			टिप्पणी:– अधीक्षण अभियन्ता किसी ऐसी परियोजना को स्वीकृति करने के लिये सक्षम नहीं है, जो विस्तार के बिना अपूर्ण रहती हो, किन्तु जो विस्तार सहित होने पर उसकी स्वीकृति के अधिकार से बाहर हो जाती हो। उसी प्रकार वह अनुमानों को खण्डों में स्वीकृति नहीं करेगा, जिसके एक साथ होने पर उच्चतर प्राधिकारी की स्वीकृति अपेक्षित हो।	
		3– अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग	रू0 1 करोड़ (एक करोड़) की सीमा तक विभागीय मैनुअल में उल्लिखित शर्तों के अधीन।	2– रू0 40,00,000/– (रू0 चालीस लाख) की सीमा तक विभागीय मैनुअल में उल्लिखित शर्तों के अधीन।
3	निर्माण कार्यों के ब्यौरेवार अनुमानों/ अनुपूरक अनुमानों/ पुनरीक्षित अनुमानों की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान करना।	1– मुख्य अभियन्ता, लो0 नि0 विभाग/ सिंचाई विभाग / ग्रा0 अभियन्त्रण सेवा/ लघु सिंचाई विभाग।	1– पूर्ण अधिकार।	1– पूर्ण अधिकार।
		2 अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) लो0 नि0 विभाग/ सिंचाई विभाग/ ग्रा0 अभियन्त्रण सेवा / लघु सिंचाई विभाग।	2– रू0– 2.5 करोड़ (रू0 दो करोड़ पचास लाख) की सीमा तक।	2– रू0– 1 करोड़ (रू0 एक करोड़ पचास लाख) की सीमा तक।
		3– अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक लो0 नि0 विभाग।	3–रू0 40,00,000/– (रू0 चालीस लाख) की सीमा तक।	3– रू0 20,00,000/– (रू0 बीस लाख) की सीमा तक।

1	2	3	4	5
		4– अधिशासी अभियन्ता (सिविल) व कार्य अधीक्षक, लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग/ ग्रा0 अभियन्त्रण सेवा/ लघु सिंचाई विभाग।	4– रू0 1 करोड़ (रू0 एक करोड़) की सीमा तक।	रू0 40,00,000/– (रू0 चालीस लाख) की सीमा तक।
		5– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत एवं यांत्रिक, लोक निर्माण विभाग।	5– रू0 8,00,000/– (रू0 आठ लाख) की सीमा तक।	5– रू0 4,00,000/– (रू0 चार लाख) की सीमा तक।
4	स्वीकृत मूल आगणन में हुए व्ययाधिक्य की स्वीकृति प्रदान करना।	1– प्रशासकीय विभाग लो0 नि0 वि0/सिंचाई विभाग/ ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा/ लघु सिंचाई विभाग।	15 प्रतिशत से अधिक।	15 प्रतिशत से अधिक।
		2–मुख्य अभियन्ता लो0 नि0 विभाग/ सिंचाई विभाग/ ग्रा0 अभियन्त्रण सेवा/लघु सिंचाई विभाग।	7.5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत की सीमा तक	7.5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत की सीमा तक
		3– अधीक्षण अभियन्ता लो0 नि0 विभाग/ सिंचाई विभाग/ ग्रा0 अभियन्त्रण सेवा/लघु सिंचाई विभाग।	5 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत की सीमा तक	5 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत की सीमा तक
		4–अधिशासी अभियन्ता (सिविल) व कार्य अधीक्षक लोक निर्माण विभाग तथा अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग।	5 प्रतिशत की सीमा तक	5 प्रतिशत की सीमा तक
		5– अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा/लघु सिंचाई विभाग।	5 प्रतिशत की सीमा तक	
			उपर्युक्त अधिकार निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे– 1– व्ययाधिक्य अथवा अनुमानित वृद्धि केवल निर्माण सामग्री एवं श्रम के मूल्य से पूर्णतया संबंधित हो।	उपर्युक्त अधिकार निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे– – व्ययाधिक्य अथवा अनुमानित वृद्धि केवल निर्माण सामग्री एवं श्रम के मूल्य से पूर्णतया संबंधित हो।
			2– व्ययाधिक्य के समायोजन के लिये बजट प्राविधान में बचत उपलब्ध हो।	2– व्ययाधिक्य के समायोजन के लिये बजट प्राविधान में बचत उपलब्ध हो।
			3– व्ययाधिक्य को केवल एक बार समायोजित करने का अधिकार होगा, और यदि उसके बाद भी व्ययाधिक्य होता है तो उसके लिये शासन के संबंधित वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।	3– व्ययाधिक्य को केवल एक बार समायोजित करने का अधिकार होगा, और यदि उसके बाद भी व्ययाधिक्य होता है तो उसके लिये शासन के

1	2	3	4	5
				संशोधित वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
5	स्वयं उसके द्वारा अथवा उच्चतर प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति मूल अनुमान के ऊपर बढ़ती स्वीकृत करना।	1– प्रशासकीय विभाग, लो०नि० विभाग, सिंचाई विभाग, ग्रा० अभियन्त्रण सेवा/लघु सिंचाई विभाग।	15 प्रतिशत से अधिक।	15 प्रतिशत से अधिक।
		2– मुख्य अभियन्ता, लो०नि० विभाग/सिंचाई विभाग/ ग्रा० अभियन्त्रण सेवा/लघु सिंचाई विभाग।	7.5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत की सीमा तक।	7.5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत की सीमा तक।
		3–अधीक्षण अभियन्ता, लो०नि० विभाग / सिंचाई विभाग / ग्रा० अभियन्त्रण सेवा/लघु सिंचाई विभाग।	5 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत की सीमा तक।	5 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत की सीमा तक।
		4–अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग / ग्रा० अभियन्त्रण सेवा, लघु सिंचाई विभाग।	5 प्रतिशत की सीमा तक।	5 प्रतिशत की सीमा तक।
			उपर्युक्त अधिकार निम्नलिखित शर्तो के अधीन होंगे–	उपर्युक्त अधिकार निम्नलिखित शर्तो के अधीन होंगे–
			(1) स्वयं या उच्च अधिकारी द्वारा मूल स्वीकृत प्राक्कलन के ऊपर बढ़ती की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ दी जा सकेगी कि कुल अधिकता की धनराशि प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति के उनके अधिकार की सीमा तक है।	(1) स्वयं या उच्च अधिकारी द्वारा मूल स्वीकृत प्राक्कलन के ऊपर बढ़ती की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के साथ दी जा सकेगी कि कुल अधिकता की धनराशि प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति के उनके अधिकार की सीमा तक है।
			(2) किसी उच्चतर प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित अनुमान की कोई बढ़ती धनराशि स्वीकृत करने का अधिकार अधीनस्थ प्राधिकारी को न होगा। जब बढ़ती निर्माण की ऐसी उन्नत अवस्था में स्थिति हो जिससे कि पुनरीक्षित अनुमान का प्रस्तुत करना प्रायोजन रहित हो जाता हो और बढ़ती का स्पष्टीकरण कार्य– समाप्ति सूचना में (वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–6 के प्रस्तर–398 के	(2) किसी उच्चतर प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित अनुमान की कोई बढ़ती धनराशि स्वीकृत करने का अधिकार अधीनस्थ प्राधिकारी को न होगा। जब बढ़ती निर्माण की ऐसी उन्नत अवस्था में स्थिति हो जिससे कि पुनरीक्षित अनुमान का

1	2	3	4	5
			अधीन) कर दिया गया हो, कार्य समाप्ति सूचना पारित करने के उसके अधिकार पुनरीक्षित अनुमान स्वीकृत करने के उसके अधिकारों के समरूप ही होंगे।	प्रस्तुत करना प्रयोजन रहित हो जाता हो और बढ़ती का स्पष्टीकरण कार्य- समाप्ति सूचना में (वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-6 के प्रस्तर-318 के अधीन) कर दिया गया हो, कार्य समाप्ति सूचना पारित करने के उसके अधिकार पुनरीक्षित अनुमान स्वीकृत करने के उसके अधिकारों के समरूप ही होंगे।
			टिप्पणी- (1) अधीक्षण अभियन्ता स्वीकृत मूल निर्माण कार्यों और मरम्मत पर रू0- 5000/- (रू0 पांच हजार) की सीमा के अन्दर अधिक व्यय भी स्वीकृत अनुमान की कुल धनराशि पर विचार किये बिना पारित कर सकता है। (वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड- 6 का प्रस्तर 398)	**टिप्पणी-** (1) अधीक्षण अभियन्ता स्वीकृत मूल निर्माण कार्यों और मरम्मत पर रू0- 5000/- (रू0 पांच हजार) की सीमा के अन्दर अधिक व्यय भी स्वीकृत अनुमान की कुल धनराशि पर विचार किये बिना पारित कर सकता है। (वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड- 6 का प्रस्तर 318)
			(2) किसी अधीक्षण अभियन्ता या अधिशासी अभियन्ता को किसी उच्चतर अधिकारी द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित अनुमान से कोई भी अधिक धनराशि स्वीकृत करने का कोई अधिकार न होगा।	(2) किसी अधीक्षण अभियन्ता या अधिशासी अभियन्ता को किसी उच्चतर अधिकारी द्वारा स्वीकृत पुनरीक्षित अनुमान से कोई भी अधिक धनराशि स्वीकृत करने का कोई अधिकार न होगा।
6	स्वीकृत अनुमानों में प्रासंगिक व्यय के लिये की गयी व्यवस्था को किसी ऐसे अतिरिक्त/नये कार्य या मरम्मत के व्यय को पूरा करने के लिये परिवर्तित करना जिसके लिये अनुमान में कोई व्यवस्था न की गयी	1-अधीक्षण अभियंता, लो0नि0वि0/सिंचाई विभाग /ग्रा0अभि0 सेवा/लघु सिंचाई विभाग ।	1- पूर्ण अधिकार।	1- पूर्ण अधिकार।

1	2	3	4	5
	हो।			
		2–अधिशासी अभियन्ता (सिविल) व कार्य अधीक्षक, लोक निर्माण विभाग तथा अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग।	2– रू0– 1,00,000/– (रू0 एक लाख) की सीमा तक।	2– रू0– 25000/– (रू0 पच्चीस हजार) की सीमा तक।
		3–अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा/ लघु सिंचाई विभाग।	3– रू0–75,000/– (रू0 पचहत्तर हजार) की सीमा तक।	3– रू0–15000/– (रू0 पन्द्रह हजार) की सीमा तक।
		4–अधिशासी अभियन्ता, विद्युत/यांत्रिक, लोक निर्माण विभाग।	4– रू0– 25,000/– (रू0 पच्चीस हजार) की सीमा तक।	4– रू0– 10000/– (रू0 दस हजार) की सीमा तक।
7	विशेष मरम्मत– विशेष मरम्मतों के अनुमानों की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान करना।	1– अधीक्षण अभियंता लो0 नि0 विभाग/ ग्रा0 अभियंत्रण सेवा/लघु सिंचाई।	1–पूर्ण अधिकार	1–पूर्ण अधिकार
		2–अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग।	2– पूर्ण अधिकार।	2– पूर्ण अधिकार।
			टिप्पणी– यदि ऐसे मरम्मत से मुख्य नहर अथवा शाखा, जहाँ कुल जलपूर्ति 1,000 क्यूसेक से अधिक हो, की डिजाइन में परिवर्तन होता हो अथवा यदि ऐसी मरम्मत से किसी जलमार्ग की पूर्ण जलापूर्ति निकासी में वृद्धि होती हो, तो मुख्य अभियन्ता की पूर्व स्वीकृति के अधीन।	टिप्पणी– यदि ऐसे मरम्मत से मुख्य नहर अथवा शाखा, जहाँ कुल जलपूर्ति 1,000 क्यूसेक से अधिक हो, की डिजाइन में परिवर्तन होता हो अथवा यदि ऐसी मरम्मत से किसी जलमार्ग की पूर्ण जलापूर्ति निकासी में वृद्धि होती हो, तो मुख्य अभियन्ता की पूर्व स्वीकृति के अधीन।
		3–अधिशासी अभियन्ता (सिविल) व कार्य अधीक्षक, लो. नि. विभाग तथा अधिशासी अभियन्ता /ग्रा0 अभियन्त्रण सेवा/लघु सिंचाई विभाग।	3–प्रत्येक अनुमान के लिये रू0 5,00,000/– (रू0 पांच लाख) तक आवासिक भवनों के मामलों को छोड़कर।	3–प्रत्येक अनुमान के लिये रू0 2,50,000/– (रू0 दो लाख पचास हजार) तक आवासिक भवनों के मामलों को छोड़कर।
		4– अधिशासी अभियन्ता (प्रभारीय अधिकारी) सिंचाई विभाग।	4रू0 5,00,000/– (रू0 पांच लाख) की सीमा तक सिवाय निम्नलिखित मामलों के जिनमें अधीक्षण अभियन्ता की स्वीकृति	4–रू0 2,50,000/– (रू0 दो लाख पचास हजार) की सीमा तक सिवाय निम्नलिखित

1	2	3	4	5
			आवश्यक होगी:–	मामलों के जिनमें अधीक्षण अभियंता की स्वीकृति आवश्यक होगी:–
			1–ऐसे निर्माण कार्यों अथवा मरम्मतों के लिये जिनमें 200 क्यूसेक से अधिक अथवा उसे कम जल ले जाने वाले जलमार्ग की डिजाइन में परिवर्तन होता हो, प्रभारीय अधिकारी अनुमान स्वीकृत करने से पूर्व अधीक्षण अभियंता की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर लेंगे।	1–ऐसे निर्माण कार्यों अथवा मरम्मतों के लिये जिनमें 200 क्यूसेक से अधिक अथवा उसे कम जल ले जाने वाले जलमार्ग की डिजाइन में परिवर्तन होता हो, प्रभारीय अधिकारी अनुमान स्वीकृत करने से पूर्व अधीक्षण अभियंता की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर लेंगे।
			2–नहरों,उसकी उप शाखाओं में दरार पड़ने के कारण नष्ट हुई फसल के लिये रू0 5000/– (रू0 पांच हजार) से अधिक का मुआवजा।	2–नहरों,उसकी उप शाखाओं में दरार पड़ने के कारण नष्ट हुई फसल के लिये रू0 1000/– (रू0 एक हजार) से अधिक का मुआवजा।
			3–किसी डाक बंगले,रहने के मकान अथवा कार्यालय की विशेष मरम्मत जो रू0 5000/– (रू0 पांच हजार) से अधिक होती हो, अथवा उस भवन की डिजाइन में या ऐसे भवन के उपयोग में कोई परिवर्तन होता हो।	3–किसी डाक बंगले,रहने के मकान अथवा कार्यालय की विशेष मरम्मत जो रू0 1000/– (रू0 एक हजार) से अधिक होती हो, अथवा उस भवन की डिजाइन में या ऐसे भवन के उपयोग में कोई परिवर्तन होता हो।
8	गैर आवासिक भवनों में बिजली संबंधी निर्माण कार्यों के लिए अनुमानों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करना।	1– प्रशासकीय विभाग	1– पूर्ण अधिकार।	1– पूर्ण अधिकार।
		2– मुख्य अभियंता, लो0 नि0 विभाग/ सिंचाई विभाग /प्रा0 अभियंत्रण सेवा/लघु सिंचाई।	2– रू0– 6,00,000/– (रू0 छः लाख) की सीमा तक।	2– रू0– 1,50,000/– (रू0 एक लाख पचास हजार) की सीमा तक।
		3– अधीक्षण अभियंता, सिविल व विद्युत/यांत्रिक लो0नि0वि0 तथा अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग प्रा0	3– रू0– 2,00,000/– (रू0 दो लाख) की सीमा तक।	3– रू0– 50000/– (रू0 पचास हजार) की सीमा तक।

1	2	3	4	5
		अभियंत्रण सेवा/लघु सिंचाई।		
9	भवनों के निर्माण के लिये अपेक्षित भूमि के प्राविधिक अनुमान स्वीकृत करना।	1–अधीक्षण अभियंता, लो०नि०विभाग/सिंचाई विभाग/ग्रा० अभियंत्रण सेवा/लघु सिंचाई।	1–पूर्ण अधिकार।	1–पूर्ण अधिकार।
		2– अधिशासी अभियंता (सिविल) व कार्य अधीक्षक, लो०नि० विभाग तथा अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग/ लघु सिंचाई /ग्रा० अभियंत्रण सेवा।	2– रू0–5,00,000/– (रू0 पांच लाख) की सीमा तक।	2– रू0 2,00,000/– (रू0 दो लाख) की सीमा तक।
10	सूखा सहायता कार्यो के लिये प्राविधिक अनुमान स्वीकृत करना।	1– मुख्य अभियंता, लो०वि० विभाग/सिंचाई विभाग/ग्रा० अभियंत्रण सेवा/ लघु सिंचाई।	1–पूर्ण अधिकार।	1–पूर्ण अधिकार।
		2– अधीक्षण अभियंता (सिविल) लो० नि० विभाग, अधीक्षण अभियंता, सिंचाई विभाग/ ग्रा० अभियंत्रण सेवा/ लघु सिंचाई।	2– रू0– 2 करोड़ (रू0 दो करोड़) की सीमा तक।	2– रू0– 1 करोड़ (रू0 एक करोड़) की सीमा तक।
		3– अधिशासी अभियंता (सिविल) व कार्य अधीक्षक, लो०नि० विभाग, सिंचाई विभाग/ ग्रा० अभियंत्रण सेवा/ लघु सिंचाई।	3– रू0– 75,00,000/– (रू0 पचहत्तर लाख) की सीमा तक।	3– रू0– 40,00,000/– (रू0 चालीस लाख) की सीमा तक।
		4– मण्डलों के आयुक्त।	4– रू0– 2,00,000/– (रू0 दो लाख) की सीमा तक, सामान्य दरों पर लागत की सीमा।	4–रू0–1,00,000/– (रू0 एक लाख) की सीमा तक, सामान्य दरों पर लागत की सीमा।
11	निक्षेप कार्यो के निष्पादन की स्वीकृति प्रदान करना।	मुख्य अभियंता, लो०नि० विभाग/सिंचाई विभाग/ग्रा० अभियंत्रण सेवा/ लघु सिंचाई।	पूर्ण अधिकार, किन्तु वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड– 6 के पैरा 392 तथा 633 से 636 तक में दी हुई प्रक्रिया अपनायी जाय।	पूर्ण अधिकार, किन्तु वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड– 6 के पैरा 392 तथा 633 से 636 तक में दी हुई प्रक्रिया अपनायी जाय।
		विवरण पत्र– VI– ठेके/और टेन्डर		
1	किसी स्वीकृत निर्माण कार्य अथवा उसके किसी एक भाग के निष्पादन के लिये टेन्डर स्वीकृत करना।	1– मुख्य अभियंता, लो० नि० विभाग/ सिंचाई विभाग /ग्रा० अभियंत्रण सेवा /लघु सिंचाई।	1– पूर्ण अधिकार।	1– पूर्ण अधिकार।

1	2	3	4	5
		2– (क)अधीक्षण अभियंता लो० नि० विभाग / सिंचाई विभाग / ग्रा० अभियंत्रण सेवा /लघु सिंचाई।	2– पूर्ण अधिकार, परन्तु रू0– 2 करोड़ (रू0 दो करोड़) से अधिक के कार्य में मुख्य अभियंता से अनुमोदन आवश्यक होगा।	2– पूर्ण अधिकार, परन्तु रू0– 1 करोड़ (रू0 एक करोड़) से अधिक के कार्य में मुख्य अभियंता से अनुमोदन आवश्यक होगा।
		2–(ख) अधीक्षण अभियंता विद्युत/यांत्रिक, लो0 निर्माण विभाग।	2–(ख) रू0– 35,00,000/– (रू0 पैंतीस लाख) की सीमा तक।	2–(ख) रू0– 20,00,000/– (रू0 बीस लाख) की सीमा तक।
		3–अधिशासी अभियंता (सिविल) व कार्य अधीक्षक, लो0नि0वि0, अधिशासी अभियन्ता/ प्रभागीय अधिकारी, सिंचाई विभाग।	3– रू0– 75,00,000/– (रू0 पचहत्तर लाख) की सीमा तक।	3– रू0– 40,00,000/– (रू0 चालीस लाख) की सीमा तक।
		4–अधिशासी अभियंता, ग्रा0 अभियंत्रण सेवा।	4– रू0– 40,00,000/– (रू0 चालीस लाख) की सीमा तक।	4–रू0–20,00,000/– (रू0 बीस लाख) की सीमा तक।
		5–अधिशासी अभियंता, विद्युत/यांत्रिक, लो0 निर्माण विभाग।	5– रू0– 5,00,000/– (रू0 पांच लाख) की सीमा तक।	5– रू0– 2,00,000/– (रू0 दो लाख) की सीमा तक।
		6– सहायक अभियंता, लो0नि0वि0/ सिंचाई विभाग/ग्रा0 अभियंत्रण सेवा /लघु सिंचाई। ।	6– रू0– 10,00,000/– (रू0 दस लाख) की सीमा तक।	6– रू0– 2,00,000/– (रू0 दो लाख) की सीमा तक।
		7–मुख्य विद्युत निरीक्षक।	7– रू0 5,00,000/– (रू0 पांच लाख) की सीमा तक,	7– रू0 50,000/– (रू0 पचास हजार) की सीमा तक,
		8– सहायक अभियन्ता, विद्युत/यांत्रिक	8– रू0– 2,00,000/– (रू0 दो लाख) लाख की सीमा तक।	कोई जिक्र नहीं है।
			किन्तु शर्त यह है कि क्रमांक– 1 से 5 की दशा में अधिकार उस धनराशि तक सीमित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत अनुमान की धनराशि और उसके साथ ऐसी बढ़ती जोड़कर होती हो, जिससे नियमों के अधीन स्वीकृत करने के लिये वे प्राधिकृत हों और क्रमांक 6 व 8 की दशा में टेन्डर की धनराशि स्वीकृत अनुमानों की धनराशि से अधिक न हो।	किन्तु शर्त यह है कि क्रमांक– 1 से 5 की दशा में अधिकार उस धनराशि तक सीमित होंगे जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत अनुमान की धनराशि और उसके साथ ऐसी बढ़ती जोड़कर होती हो, जिससे नियमों के अधीन स्वीकृत करने के लिये वे प्राधिकृत हों और क्रमांक 6 व 7 की दशा में टेन्डर की धनराशि स्वीकृत

1	2	3	4	5
				अनुभागों की धनराशि से अधिक न हो।
2	मूल मरम्मतों और कार्य के समस्त मामलों में कार्य पूरा हो जाने पर ठेकेदारों को प्रतिभूति जमाओं की वापसी स्वीकृत करना।	1– अधिशासी अभियंता व कार्य अधीक्षक, लो०नि०वि०, अधिशासी अभियन्ता/ प्रभागीय अधिकारी, सिंचाई विभाग/ ग्रा० अभियंत्रण सेवा/ लघु सिंचाई।	1– पूर्ण अधिकार	1– पूर्ण अधिकार
		2– उप प्रभागीय अधिकारी अथवा अनुभागों के प्रभारी/ सहायक अभियंता, लो० नि० विभाग।	2– ऐसे मामले में जहां कार्य की धनराशि, ठेके स्वीकार करने के उनके अधिकारों से अधिक न हो, वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड– 6 पैरा 619 के उपबन्धों के अधीन।	2– ऐसे मामले में जहां कार्य की धनराशि, ठेके स्वीकार करने के उनके अधिकारों से अधिक न हो, वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड– 6 पैरा 619 के उपबन्धों के अधीन।
विवरण पत्र– VII– भण्डार और सामग्री				
1	औजारों और संयत्र का क्रय और उनके लिये आवश्यक अनुमान तथा पुनरीक्षित अनुमान स्वीकृत करना	1– प्रशासनिक विभाग	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार
		2– मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग/ सिंचाई विभाग /लघु सिंचाई, ग्रा० अभियंत्रण सेवा।	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार
		3– अधीक्षण अभियन्ता, सिविल, विद्युत/यांत्रिक लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग /लघु सिंचाई, ग्रा० अभियंत्रण सेवा।	1– सीमित निविदा पृच्छा विधि के अन्तर्गत रू० 7,50,000/– (रू० सात लाख पच्चास हजार) तक क्रय का पूर्ण अधिकार। 2–विज्ञापन द्वारा निविदा पृच्छा के अन्तर्गत रू० 15,00,000/– (रूपये पन्द्रह लाख) तक क्रय का पूर्ण अधिकार। 3–एकल निविदा प्रणाली विधि के अन्तर्गत रू० 2,00,000/– (रूपये दो लाख) तक क्रय का पूर्ण अधिकार। उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का प्रस्तर–14 एकल स्रोत पृच्छा– एकल स्रोत से अधिप्राप्ति/क्रय	रू 1,00,000/– (रू० एक लाख) की सीमा तक।

1	2	3	4	5
			निम्नलिखित परिस्थितियों में किया जा सकेगा:- क- उपभोक्ता विभाग को इस बात की जानकारी है कि अपेक्षित सामग्री का विनिर्माण किसी एक विशेष फर्म द्वारा किया जाता है। ख- आपात स्थिति में, अपेक्षित सामग्री का किसी विशेष स्रोत से क्रय किया जाना आवश्यक है और ऐसे निर्णय लेने के कारण अभिलिखित करने होंगे तथा वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित हो। ग- मशीनों या ऐसे अन्य पुर्जों के मानकीकरण के लिए जो विद्यमान उपकरणों में उपयोग किए जाने के लिए उपयुक्त है, सक्षम तकनीकी विशेषज्ञ के परामर्श तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अपेक्षित गई केवल एक विशेष फर्म से ही खरीदी जा सकेगी। 4-क्रय समिति के माध्यम से आपूर्ति हेतु रू0 1,00,000/- (रू0 एक लाख) तक पूर्ण अधिकार।	
		4- अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग/ सिंचाई विभाग /लघु सिंचाई /पा0 अभियंत्रण	1- क्रय समिति के माध्यम से आपूर्ति हेतु रू0 50,000/- (रू0 पचास हजार) तक पूर्ण अधिकार। 2. बिना कोटेशन के माध्यम से आपूर्ति हेतु रू0 15,000/- (पन्द्रह हजार) तक का अधिकार।	रू 20,000/- (रू0 बीस हजार) की सीमा तक।
2	(क) ढुलाई के लिये अनुमान स्वीकृत किया जाना।	1- निदेशक कृषि	रू0 20,000/- (रू0 बीस हजार) तक।	रू0 2000/- (रू0 दो हजार) तक।
		2- अधीक्षण अभियन्ता सिविल/वि0/यां0, लो0नि0वि0 सिंचाई विभाग /लघु सिंचाई, पा0 अभियंत्रण सेवा। ।	1- पूर्ण अधिकार	1- पूर्ण अधिकार
		3- अधिशासी अभियन्ता सिविल/वि0/यां0, लो0नि0वि0 सिंचाई विभाग /लघु सिंचाई, पा0 अभियंत्रण	2- रू0 1,00,000/- (रू0 एक लाख)	2- रू0 10000/- (रू0 दस हजार) की सीमा तक।

1	2	3	4	5
		सेवा। ।		
	(ख) औजारों और संयंत्र की मरम्मत के लिए अनुमान स्वीकृत किया जाना।	1– निदेशक सूचि	रू0 20,000/– (रू0 बीस हजार) तक।	रू0 2000/– (रू0 दो हजार) तक।
		2– अधीक्षण अभियन्ता सिविल/वि0/यां0, लो0नि0वि0 सिंचाई विभाग /लघु सिंचाई, ग्रा0 अभियंत्रण सेवा।	1– पूर्ण अधिकार	1– पूर्ण अधिकार
		3 – अधिशासी अभियन्ता वि0/यां0, लो0नि0वि0।	2– रू0 30,000/– (रू0 तीस हजार)	2– रू0 10,000/– (रू0 दस हजार)
		4–अधिशासी अभियन्ता सिविल, लो0नि0वि0 सिंचाई विभाग /लघु सिंचाई, ग्रा0 अभियंत्रण सेवा।	3– रू0 15,000/– (रू0 पन्द्रह हजार) सहायक अभियन्ता (वि0/यां0) की संस्तुति पर	3– रू0 10,000/– (रू0 दस हजार) की सीमा तक।
3	(क) किसी भण्डार को (सामग्री, औजार और संयंत्र स्थल पर वस्तुएं और विघटित किये गये निर्माण कार्यों से प्राप्त सामग्री सहित) फालतू घोषित करना तथा सार्वजनिक नीलामी द्वारा उसका विक्रय स्वीकृत करना।	1– प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार
		2– मुख्य अभियन्ता/ अधीक्षण अभियन्ता/ लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग /लघु सिंचाई	रू0 15,00,000/– (रू0 पन्द्रह लाख) की पुस्तक मूल्य तक।	रू0 5,00,000/– (रू0 पांच लाख) के पुस्तक मूल्य तक।
		3– अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/सिंचाई/ ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग	रू0 2,00,000/– (रू0 दो लाख) लाख की पुस्तक मूल्य तक।	रू0 50,00,000/– (रू0 पचास हजार) के पुस्तक मूल्य तक।
		4– अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई/लघु सिंचाई ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग	रू0 20,000 (रू0 बीस हजार) तक	रू0 5,000/– (रू0 पांच हजार) के पुस्तक मूल्य तक
	(ख) किसी भण्डार को (सामग्री, औजार और संयंत्र स्थल पर वस्तुएं और विघटित किये गये निर्माण कार्यों से प्राप्त सामग्री सहित) निष्प्रयोज्य घोषित करना।	1– प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार
		2– मुख्य अभियन्ता/ लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग /ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग लघु सिंचाई	रू0 15,00,000/– (रू0 पन्द्रह लाख) के पुस्तक मूल्य तक।	रू0 10,00,000/– (रू0 दस लाख) के पुस्तक मूल्य तक।
		3– अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग / ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग लघु सिंचाई विभाग	रू0 1,50,000/– (रू0 एक लाख पचास हजार) के पुस्तक मूल्य तक।	रू0 1,00,000/– (रू0 एक लाख) के पुस्तक मूल्य तक।
		4– अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/ सिंचाई विभाग / ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग लघु सिंचाई विभाग	रू0 20,000/– (रू0 बीस हजार) के पुस्तक मूल्य तक।	रू0 10,000/– (रू0 दस हजार) के पुस्तक मूल्य तक।
4	उपर्युक्त घोषित निष्प्रयोज्य भण्डार के सार्वजनिक नीलामी द्वारा विक्रय करना अथवा अन्य प्रकार से नष्ट किया जाना	1– प्रशासकीय विभाग	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार
		2– परिवहन आयुक्त	रू0 50,000/–(रू0 पचास हजार) तक	रू0 10,000 (रू0 दस हजार) तक

1	2	3	4	5
	स्वीकृत करना ।	3– मुख्य अभियन्ता/लोक निर्माण विभाग/सिंचाई/लघु सिंचाई ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा	1– 15,00,000/– (रुपये पन्द्रह लाख) पुस्तक मूल्य तक।	1– 5,00,000/– (रू० पांच लाख) के पुस्तक मूल्य तक।
		4– अधीक्षण अभियन्ता/ लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग /लघु सिंचाई /ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा	3–रू० 1,50,000/– (रू० एक लाख पचास हजार) के पुस्तक मूल्य तक।	3– रू० 50,000/–(रू० पचास हजार) के पुस्तक मूल्य तक।
		5– अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग /लघु सिंचाई ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, मुख्य विद्युत निरीक्षक	4– विभाग को रू० 20,000/– (रुपये बीस हजार) पुस्तक मूल्य तक।	4– 5,000/– (रू० पांच हजार) के पुस्तक मूल्य तक। रू० 5,00,000/– (रू० पांच लाख) पुस्तक मूल्य तक।
			टिप्पणी–अधीक्षण अभियन्ता द्वारा इस प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग उनकी अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति,जिसके सदस्य क्रमशः संबंधित अधिशासी अभियन्ता, जिले मे तैनात वरिष्ठ सहायक अभियन्ता तथा जिला कोषाधिकारी होंगे के माध्यम से किया जाएगा । 2–कृत कार्यवाही की सूचना अधीक्षण अभियन्ता के द्वारा एक सप्ताह के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता तथा महालेखाकार, उत्तराखण्ड को दी जाएगी । 3–कृत कार्यवाही की सूचना अधिशासी अभियन्ता के द्वारा एक सप्ताह के अन्तर्गत अधीक्षण अभियन्ता तथा महालेखाकार, उत्तराखण्ड को दी जाएगी ।	टिप्पणी–अधीक्षण अभियन्ता द्वारा इस प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग उनकी अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति,जिसके सदस्य क्रमशः संबंधित अधिशासी अभियन्ता, जिले मे तैनात वरिष्ठ सहायक अभियन्ता तथा जिला कोषाधिकारी होने के माध्यम से किया जाएगा । 2–कृत कार्यवाही की सूचना अधीक्षण अभियन्ता के द्वारा एक सप्ताह के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता तथा महालेखाकार, उत्तराखण्ड को दी जाएगी । 3–कृत कार्यवाही की सूचना अधिशासी अभियन्ता के द्वारा एक सप्ताह के अन्तर्गत अधीक्षण अभियन्ता तथा महालेखाकार, उत्तराखण्ड को दी जाएगी ।
5	ऐसी सामग्री का (औजार और संयंत्र नहीं) जो न चालू हो और न मरम्मत योग्य हो, पूर्ण मूल्य तथा लागत पर सामान्य	1– अधीक्षण अभियन्ता/ लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग /लघु सिंचाई ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा	पूर्ण अधिकार	पूर्ण अधिकार

1	2	3	4	5
	परीक्षक शुल्क जमा कर अनार सम्भागीय/अन्तर्विभागीय स्थानान्तरण करना।	2– अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग /लघु सिंचाई /ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा	रु0 50,000/– (रुपये पचास हजार) के पुस्तक मूल्य तक।	किसी एक मामले में रु 10,000/– (रु0 दस हजार) के पुस्तक मूल्य तक।
		3– उप प्रभागीय/ अधिकारी व सहायक अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/सिंचाई विभाग/ ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा. / लघु सिंचाई।	किसी मामले में रु0 10,000/– (रु0 दस हजार) के पुस्तक मूल्य तक।	किसी मामले में रु0 2,000/– (रु0 दो हजार) के पुस्तक मूल्य तक।
6	निर्धारित माप (स्केल) के अनुसार वस्तुओं की खरीद और उसके लिये आवश्यक अनुमान (पुनरीक्षित अनुमान सहित) स्वीकृत करना।	1–अधीक्षण अभियन्ता व कार्य अधीक्षक, सिविल/विद्युत/यांत्रिक, लोक निर्माण विभाग, अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग/ ग्रा0 अभियन्त्रण सेवा/ लघु सिंचाई।	1– पूर्ण अधिकार।	1– पूर्ण अधिकार।
		2– अधिशासी अभियन्ता, सिविल विद्युत/यांत्रिक लो0 नि0 वि0. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग/ लघु सिंचाई /ग्रा. अभि. सेवा	2– रु0 50,000/– (रु0 पचास हजार) की सीमा तक।	2– रु0 5,000/– (रु0 पांच हजार) की सीमा तक।
		3– शासन के विद्युत निरीक्षक।	3– रु0 2,500/– (रु0 दो हजार पांच सौ) की सीमा तक।	3– रु0 250/– (दो सौ पचास) की सीमा तक।
7	स्वीकृत मात्रा से अधिक परिमाण में रेखण सर्वेक्षण (ड्राइंग सर्वेइंग तथा गणितीय उपकरण (मैथमेटिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्स) रखना।	1– मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, ग्रा0 अभियन्त्रण सेवा/ लघु सिंचाई।	1– पूर्ण अधिकार।	1– पूर्ण अधिकार।
		2– अधीक्षण अभियन्ता, सिविल, विद्युत, यांत्रिक, लोक निर्माण विभाग तथा अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, ग्रा0 अभियन्त्रण सेवा/ लघु सिंचाई।	2– पूर्ण अधिकार, इस प्रतिबन्ध के साथ कि इस सम्बन्ध में आवश्यक सूचना मुख्य अभियन्ता को भेजी जाय।	2– पूर्ण अधिकार, इस प्रतिबन्ध के साथ कि इस सम्बन्ध में आवश्यक सूचना मुख्य अभियन्ता को भेजी जाय।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 05 वित्त/65–7–6–2010–500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

संख्या 509 /XXIV-2/10/8(17)/2009

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक 11 जून 2010

विषय: बेसिक शिक्षा परिषद में की गयी सेवा के उपरान्त दिनांक 1–10–2005 अथवा उसके पश्चात राजकीय विद्यालयों में नियुक्त होने पर पुरानी पेंशन हित लाभ योजना अनुमन्य कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या– अर्थ–5(क)8/21180/2009–10 दिनांक 06 जुलाई 2009 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बेसिक शिक्षा परिषद एवं अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर/माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/कार्मिक, जो राजकीय/अशासकीय विद्यालयों में संवर्ग के किन्हीं पदों पर दिनांक 1–10–2005 को या उसके पश्चात नये नियुक्त हुए है, परन्तु वे उक्त तिथि से पूर्व उत्तराखण्ड राज्य सरकार की पुरानी पेंशन हित लाभ योजना से आच्छादित थे, तथा जिनकी पुरानी परिषदीय/अशासकीय विद्यालयों की सेवा और नई राजकीय/अशासकीय विद्यालयों की सेवा के मध्य कोई व्यवधान नहीं है, और वे उचित माध्यम से अनुमति लेकर नयी सेवा में आये है, ऐसे शिक्षकों/कार्मिकों को पुरानी पेंशन हित लाभ योजना से आच्छादित किये जाने की स्वीकृति निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:–

(1) उक्त लाभ पेंशनी स्थापना सेवाओं और पदों पर चाहे वे अस्थायी हो या स्थायी हो, दिनांक 1 अक्टूबर 2005 को या उसके पश्चात नियमित चयन के फलस्वरूप सीधी भर्ती से पूर्णकालिक पदों पर नियुक्त एवं पूर्व से राजकीय/अशासकीय सेवा में न रहने वाले तथा प्रवेश करने वाले शिक्षकों/कार्मिकों पर लागू नहीं होगा।

(2) यदि किसी शिक्षक/कार्मिक की नई अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत सी0पी0एफ0 कटौती की गयी है, तो राज्य सरकार का अंश मय ब्याज के राजकोष में जमा किया जायेगा, एवं शिक्षक/कार्मिक का अंशदान ब्याज सहित उसे भुगतान कर दिया जायेगा।

(3) पेंशन के पात्र वही शिक्षक/कार्मिक होंगे जो दिनांक 30–9–2005 को या उसके पूर्व नियमित रूप से चयनित हों, तथा नियमित एवं पूर्णकालिक पद पर नियुक्त हों।

(47)

(4) संगत परिनियमों / नियमों में उक्तवत् व्यवस्था अविलम्ब करा ली जायेगी।

(5) सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी के द्वारा उक्त व्यवस्था से आच्छादित होने वाले कार्मिकों / शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादन हेतु अविलम्ब उनके जनपद स्तरीय अधिकारी से अभिलेख प्राप्त करके, प्रकरण में आवश्यक आदेश निर्गत करके उसकी सूचना निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड को भी दी जायेगी ताकि कार्मिको / शिक्षकों के द्वारा किया गया अभिदान की मय ब्याज के वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

2— यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-2500/XXVII(7)/2010 दिनांक 26 मई, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(मनीषा पंवार)
सचिव।

संख्या- 554 (1)/XXIV-2/10/9(17)/2009 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1— महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2— निजी सचिव—मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3— निजी सचिव—मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4— निदेशक, लेखा एवं हकदारी, 23 लक्ष्मीरोड डालनवाला, देहरादून।
5— समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6— समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7— अपर शिक्षा निदेशक, गढवाल मण्डल, पौडी / कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
8— समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9— प्रभारी, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
10— प्रभारी, मीडिया सेंटर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11— वित्त (वे0आ0—सा0नि0) अनुभाग—7, उत्तराखण्ड शासन।
12— गार्ड फाईल

आज्ञा से

(कवीन्द्र सिंह)
अनु सचिव

संख्या-229/XXVII(7)/2010

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड
देहरादून।

वित्त विभाग: वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनु-7 देहरादून : दिनांक 02 जुलाई, 2010

विषय: महँगाई भत्ते की दरों में वृद्धि होने पर संशोधित ग्रेच्युटी के आगणन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार महँगाई भत्ते की दर में वृद्धि होने पर संशोधित ग्रेच्युटी के आदेश निदेशक, लेखा एवं हकदारी द्वारा किये जाते रहे हैं। इस प्रक्रिया में पेंशनरों को संशोधित ग्रेच्युटी भुगतान होने में अनावश्यक विलम्ब होता है।

अतः शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि निदेशक, लेखा एवं हकदारी द्वारा निर्गत किये जाने वाले मूल भुगतान आदेश में मूल वेतन, महँगाई भत्ते की दर एवं अर्हकारी सेवा जिसके आधार पर ग्रेच्युटी आगणित की गई है, का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा तथा भविष्य में महँगाई भत्ते की दर में वृद्धि होने के कारण यदि किसी पेंशनर की ग्रेच्युटी संशोधित की जानी हो तो यह कार्य कोषागार स्तर पर ही किया जायेगा। संबंधित कोषाधिकारी द्वारा ग्रेच्युटी की नियमानुसार गणना कर, अन्तर के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी एवं संशोधन का अंकन भुगतानादेशों में लाल स्याही से स्पष्ट रूप से किया जायेगा। कोषागार द्वारा इस आशय की संकलित सूचना निदेशक, लेखा एवं हकदारी को प्रति माह भेजी जायेगी।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव

संख्या:229(1)XXVII(7)/2010, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1- निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे संबंधित कोषाधिकारियों को अपने स्तर से निर्देश जारी कर दें एवं सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन की कार्यवाही भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
2- निदेशक, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड।
3- समस्त कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
सचिव

(49)

संख्याः 734 XXvii(7)स्वै0प0क0/2010

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0—सा0नि0)अनु0—07 देहरादून:दिनांक:27अक्टूबर,2010

विषयः—स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन विषयक शासनादेश संख्या:40/XXVII (7)स्व0 प0क0/ 2009 दिनांक 13 फरवरी,2009 में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 40/XXVII(7)/स्वै0परि0 क0/2009 दिनांक 13 फरवरी,2009 में यह व्यवस्था है कि जिन कर्मचारियों को 1सितम्बर,2008 से पूर्व विशेष वेतन देय हो गया है उस धनराशि के दोगुना के बराबर परिवार नियोजन भत्ता दिया जाय। दिनांक 31 अगस्त,2008 के बाद जिन कर्मचारियों को परिवार नियोजन भत्ता देय होता है उनके लिए इसकी धनराशि पुनरीक्षित वेतनमानों में ग्रेड वेतन के 10 प्रतिशत के बराबर अनुमन्य होगा।

विभिन्न कर्मचारी संघो द्वारा की गई जिज्ञासाओं पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिन कर्मचारियों को दिनांक 31 अगस्त,2008 तक पुराने वेतनमान में परिवार नियोजन भत्ता अनुमन्य हुआ है उनके परिवार नियोजन भत्ते की दर अनुमन्यता के समय पुराने वेतनमान के प्रतिस्थापित वेतन बैण्ड के ग्रेड पे के 10 प्रतिशत के बराबर दिनांक 01 जनवरी,2006 से अनुमन्य होगा।

2— शासनादेश संख्या40/XXVII(7)/स्वै0परि0क0/2009, दिनांक 13 फरवरी, 2009 केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,
(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त।

संख्या : 736 (1)/XXVII(7)/2010 तददिनांक

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
5. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
7. सचिव,राज्य सम्पत्ति विभाग,उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
9. वित्त आडिट प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
10. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, ।
11. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
12. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(शरद चन्द्र पाण्डेय)

अपर सचिव ।

संख्या:96| XXvii(7)न0 प्रति0 / 2011

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादून:दिनांक: 08 मार्च 2011

विषय:–वेतन विसंगति समिति द्वारा राजकीय विभागों से इतर स्वायत्तशासी संस्थाओं / निगमों के वेतनमान ₹ 6500–10500 का ₹ 7450–11500 में संशोधन के संबंध में की गई संस्तुति पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतन आदि के पुनरीक्षण / विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति के सम्मुख तथ्य प्रस्तुत किये गये कि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या:483 / XXVII(7) / द्वि0प्रति0 / 2010 दिनांक 12 मार्च,2010 द्वारा राजकीय विभागों के दिनांक 1–1–2006 के पूर्व ₹ 6500–10500 के वेतनमान को ₹ 7450–11500 वेतन बैण्ड–2 ₹ 9300–34800 ग्रेड पे ₹ 4600 में उच्चीकृत किया गया है किन्तु राज्य के स्थानीय निकाय सार्वजनिक उपक्रम तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं के संबंध में उक्तानुसार निर्णय न लिये जाने के कारण उक्त श्रेणी के कार्मिकों को वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 12 मार्च,2010 के अनुसार उच्चीकृत वेतनमान का लाभ अनुमन्य नहीं हो पा रहा है।

अतः इस संबंध मे समिति द्वारा संस्तुति की गई कि इस संबध मे यथास्थिति विभाग अपने निदेशक मण्डल / बोर्ड के माध्यम से सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग की सहमति से राज्य सरकार के अनुरूप ₹ 6500–10500 के वेतनमान को ₹ 7450–11500 के वेतनमान में अर्थात ₹ 4200 की ग्रेड पे से संगत वेतन बैण्ड में ₹ 4600 की ग्रेड पे में उच्चीकृत किये जाने पर विचार कर सकता है।

भवदीय

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त।

संख्या:857 XXVII(7)न0' ते0 / 2011

प्रेषक,

राधा रतूडी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

सचिव,
विधालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादून:दिनाक 08 मार्च, 2011

विषय–वेतन विसंगति समिति द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रशासनिक संवर्ग की वेतन विसंगति के संबध में की गई संस्तुति पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के संबध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कार्मिकों के वेतन आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियो पर विचार हेतु प्रदेश मे गठित वेतन विसंगति समिति के सम्मुख विभाग द्वारा तथ्य प्रस्तुत किये गये कि छटे वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम में विद्यालयी शिक्षा विभाग के शैक्षिक संवर्ग के वेतनमान इस शर्त के अधीन भारत सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग प्रतिस्थापित किये गये कि शैक्षिक संवर्ग एवं प्रशासनिक संवर्ग पृथक–पृथक किय जाये। शैक्षिक संवर्ग के छठे वेतन आयोग की संस्तुतियो के कम मे वेतनमान भारत सरकार से प्रतिस्थापित किये जाने के फलस्वरूप इससे उपर प्रशासनिक संवर्ग के वेतनमान उक्तानुसार प्रतिस्थापित न होने के कारण इस संवर्ग के वेतनमानों में विसंगति उत्पन्न हो गयी है। इसके साथ ही यह भी तथ्य प्रस्तुत किया गया कि उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न विभागो के मध्य एवं केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों के मध्य उक्त श्रेणी के पदो/वेतनमानों मे आपसी समकक्षता नही है।

अतः समिति संस्तुति करती है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रशासनिक संवर्ग के उप निदेशक के पूर्व वेतनमान ₹ 10650–15850 को वेतनमान ₹ 12000–16500 मे संशोधित करते हुए पुनरीक्षित वेतन बैण्ड ₹ 15600–39100 ग्रेड पे ₹ 7600, संयुक्त निदेशक के पूर्व वेतनमान ₹ 12000–16500 को वेतनमान ₹ 14300–18300 मे संशोधित करते हुए पुनरीक्षित वेतन बैण्ड ₹ 37400–67000 ग्रेड पे ₹8700 तथा अपर निदेशक के पूर्व वेतनमान ₹ 14300–18300 को वेतनमान

₹ 16400-20000 संशोधित करते हुए पुनरीक्षित वेतन बैण्ड ₹ 37400-67000 ग्रेड पे ₹ 8900 भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के समान समतुल्यता के आधार पर अनुमन्य किया जाए।

2- उक्तानुसार संशोधित/पुनरीक्षित वेतनमान वित्त विभाग के शासनादेश संख्या:74/XXVII(7)/2009 दिनांक 01 मार्च,2009 के आधार पर दिनांक 01 जनवरी,2006 से प्राकल्पित आधार पर तथा वास्तविक लाभ दिनांक 01-04 2009 से देय होगा।

3- कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय

(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त।

संख्या 26 /XXIV-2/11/9(17)/2009

प्रेषक,

मनीषा पवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग-2 देहरादून दिनांक 31 मार्च, 2011

विषय: राजकीय विद्यालयों में की गयी सेवा के उपरान्त दिनांक 1-10-2005 अथवा उसके पश्चात अशासकीय विद्यालयों में नियुक्त होने पर पुरानी पेंशन हित लाभ योजना अनुमन्य कराये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 509/XXIV-2/10/9(17)/2009 दिनांक 11 जून, 2010 के क्रम में एवं आपके पत्र संख्या- अर्थ 5(क)8/21452-53/पेंशन/2010-11 दिनांक 06 जुलाई 2009 के सदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/कार्मिक, जो अशासकीय विद्यालयों में सवर्ग के किन्ही पदों पर दिनांक 1-10-2005 को या उसके पश्चात नये नियुक्त हुए हैं परन्तु वे उक्त तिथि से पूर्व उत्तराखण्ड राज्य सरकार की पुरानी पेंशन हित लाभ योजना से आच्छादित थे, तथा जिनकी पुरानी राजकीय विद्यालयों की सेवा और नई अशासकीय विद्यालयों की सेवा के मध्य कोई व्यवधान नहीं है, और वे उचित माध्यम से अनुमति लेकर नयी सेवा में आये हैं, ऐसे शिक्षकों/कार्मिकों को पुरानी पेंशन हित लाभ योजना से आच्छादित किये जाने की स्वीकृति शासनादेश संख्या 509/XXIV-2/10/9(17)/2009 दिनांक 11 जून, 2010 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है।

2. सगत परिनियमों/नियमों में तत्सबंधी व्यवस्था अविलम्ब कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-4959/XXVII(7)/2010 दिनांक 01 मार्च 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(मनीषा पवार)
सचिव।

संख्या- 26 (1)/XXIV-2/11/9(17)/2009 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2- निजी सचिव-मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3- निजी सचिव-मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4- निदेशक, लेखा एवं हकदारी, 23 लक्ष्मीरोड डालनवाला, देहरादून।
5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7- अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
8- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9- प्रभारी, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
10- प्रभारी, मीडिया सेंटर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11- वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन।
12- गार्ड फाईल

आज्ञा से

(फकीरेन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

संख्या 145 /XXIV-2/11/11(5)/2009

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांक 31 मार्च, 2011

विषयः विद्यालयों के नाम परिवर्तन के संबंध में नीति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके प्रस्ताव पत्रांक/23129/5ख 4/01/नाम परिर्तन/ 2010-11 दिनांक 24 जुलाई 2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विद्यालयों के नाम परिवर्तन के संबंध में निम्नवत् नीति निर्धारित की जाती हैः-

(1) शासनादेश संख्या 24/XXIV-2/2006 दिनांक 24 अगस्त, 2006 के प्राविधानुसार विद्यालयों की स्थापना एवं भवन निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि दान करने वाले व्यक्तियों की नामावलि शिलापट्ट के रूप में विद्यालय के भवन पर अंकित कर दी जायेंगी।

(2) विद्यालयों के नाम परिवर्तन से विद्यालयों के नामों की एकरूपता खण्डित होती है। अतः अपरिहार्य परिस्थितियों में ही स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों एवं युद्ध में शहीद सैनिकों जिन्हें रक्षा मंत्रालय द्वारा यह दर्जा दिया गया हो, के नाम से उनकी ग्राम पंचायत में स्थित प्राथमिक विद्यालय का नामकरण उनके नाम से किये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(3) हाईस्कूल एवं इण्टर कालेजों का सेवित क्षेत्र काफी बड़ा होता है जिसके कारण क्षेत्र के एकाधिक व्यक्तियों के नाम पर विद्यालयों के नामकरण किये जाने पर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है। अतः भविष्य में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों/राजकीय इण्टर कालेजों के नाम परिवर्तन नहीं किये जायेंगे।

(4) किसी व्यक्ति द्वारा किसी परिजन की स्मृति में यदि कोई भवन/कक्ष निर्मित कराया जाता है, तो उक्त कक्ष/भवन की दीवार पर उक्त आशय का शिलापट्ट लगाया जा सकेगा।

(5) विद्यालयों में उस क्षेत्र की विभूतियों का विवरण किसी दीवार पर अंकित किया जायेगा, जिससे विद्यालयों के नाम परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न न हो।

2— उपरोक्त नीति के विपरीत प्रस्ताव प्राप्त होने पर उसमें यथासमय उच्चादेश से शिथिलीकरण प्राप्त किया जायेगा।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

संख्या (1)/XXIV—2/11/11(5)/2009 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1— आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
2— समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3— अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
4— समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड, द्वारा निदेशक।
5— मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग—4 (घोषणा), उत्तराखण्ड शासन।
6— शिक्षा अनुभाग—1 (बेसिक), उत्तराखण्ड शासन।
7— शिक्षा अनुभाग—4, उत्तराखण्ड शासन।
8— गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(कवीन्द्र सिंह)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
शिक्षा अनुभाग–2
संख्या /xxiv-2/2011
देहरादून ____ अप्रैल, 2011

अधिसूचना
विविध

प0आ0–

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके तथा इस विषय के विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करते हुए राज्यपाल महोदय उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक (अध्यापन संवर्ग) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक(अध्यापन संवर्ग) सेवा नियमावली, 2011

भाग एक–सामान्य

1– (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक(अध्यापन संवर्ग) सेवा नियमावली, 2011 है। — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2– उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक(अध्यापन संवर्ग) सेवा एक राज्य सेवा है जिसमें समूह 'क' एवं 'ख' के पद सम्मिलित हैं। — सेवा की प्रास्थिति

3– जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में :– — परिभाषाएँ

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से राज्यपाल अभिप्रेत हैं;

(ख) "भारत का नागरिक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो "भारत का संविधान" के भाग II के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाता है;

(ग) "आयोग" से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

(घ) "संविधान" से "भारत का संविधान" अभिप्रेत है;

(ङ) "सरकार से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(च) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(छ) "सेवा का सदस्य" से इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ से पूर्व प्रवृत्त नियमावली या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ज) "सेवा" से उत्तराखण्ड राज्य शैक्षिक(अध्यापन संवर्ग) सेवा अभिप्रेत है;

(झ) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपाल अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो; तथा

(ञ) "भर्ती का वर्ष" से कैलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है;

भाग दो– संवर्ग

सेवा संवर्ग 4– (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी राज्यपाल द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उपधारा (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिए जायें, सेवा की सदस्य संख्या उतनी होगी जो परिशिष्ट में दी गयी है; परन्तु–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेंगे या राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार आस्थगित कर सकेंगे, कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी अथवा अस्थायी पद सृजित कर सकते हैं जैसा वे उचित समझें।

भाग तीन– भर्ती

भर्ती का स्रोत 5– सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों की भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी, अर्थात:–

(एक)	(क) प्रधानाचार्य, राजकीय बालक इण्टर कालेज।	प्रथमतः नियमावली के प्रख्यापन के समय शैक्षिक संवर्ग विकल्पित प्रधानाचार्य राजकीय इण्टर कालेज के पदों पर मौलिक रूप से कार्यरत अधिकारियों से भरे जाने के उपरान्त मौलिक रूप से नियुक्त राजकीय हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक या सहायक निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् तथा वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
	(ख) प्रधानाचार्या, राजकीय बालिका इण्टर कालेज।	प्रथमतः नियमावली के प्रख्यापन के समय शैक्षिक संवर्ग विकल्पित प्रधानाचार्या राजकीय बालिका इण्टर कालेज के पदों पर मौलिक रूप से कार्यरत अधिकारियों से भरे जाने के उपरान्त मौलिक रूप से नियुक्त राजकीय कन्या हाईस्कूल की प्रधानाध्यापिका जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, में से चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(दो) (क) प्रधानाध्यापक, राजकीय हाईस्कूल।	क्रमशः 45 प्रतिशत और 55 प्रतिशत के अनुपात में मौलिक रूप से नियुक्त पुरुष शाखा के– (एक) प्रवक्ताओं में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, तथा (दो) सहायक अध्यापकों(स्नातक वेतनक्रम) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में बारह वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
(ख) प्रधानाध्यापिका, राजकीय कन्या हाईस्कूल।	क्रमशः 45 प्रतिशत और 55 प्रतिशत के अनुपात में मौलिक रूप से नियुक्त महिला शाखा के– (एक) प्रवक्ताओं में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, तथा (दो) सहायक अध्यापिकाओं(स्नातक वेतनक्रम) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में बारह वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
(ग) सहायक निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद/वरिष्ठ प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।	मौलिक रूप से नियुक्त प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/प्रवक्ता, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद या शोध अधिकारी, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद/उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद/निदेशालय जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

परन्तु यदि क्रम संख्या (एक) एवं (दो) पर उल्लिखित पदों के सम्बन्ध में पर्याप्त संख्या में पात्र अधिकारी पदोन्नति के लिए उपलब्ध न हों तो सरकार द्वारा अपेक्षित सेवावधि में शिथिलता दी जा सकती है।

आरक्षण

उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाएगा।

भाग चार– अर्हता

राष्ट्रीयता

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी:–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, होना चाहिए, या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूपसे बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, लंका तथा केनिया, युगाण्डा और संयुक्त तंजानियाँ गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीका देशों से प्रव्रजन किया हो;

परन्तु उक्त श्रेणी (ख) और (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह भी कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिए भी उप पुलिस, उप महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा:
परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है, प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी– ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिक अर्हता 8– सेवा में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए:–

पद	अर्हता
1. प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज/प्रधानाचार्या, राजकीय बालिका इण्टर कालेज।	आवश्यक– (क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि। तथा (ख) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक प्रशिक्षण उपाधि(बी०एड०) अथवा किसी राजकीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण महाविद्यालय से एल०टी० डिप्लोमा।
2. प्रधानाध्यापक, राजकीय हाईस्कूल /प्रधानाध्यापिका राजकीय कन्या हाईस्कूल।	आवश्यक– (क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि। तथा (ख) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक प्रशिक्षण उपाधि(बी०एड०) अथवा किसी राजकीय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण महाविद्यालय से एल०टी० डिप्लोमा।
3. सहायक निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद/ वरिष्ठ प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।	आवश्यक– (क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि। तथा (ख) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण उपाधि(एम०एड०) अथवा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में स्नातक प्रशिक्षण उपाधि(बी०एड०) तथा विद्यालयी शिक्षा के किसी विषय में पी०एच०डी०। अथवा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षाशास्त्र में द्वितीय श्रेणी स्नातकोत्तर उपाधि(शिक्षाशास्त्र में एम०ए०) के साथ शिक्षाशास्त्र में स्नातक प्रशिक्षण(बी०एड०) उपाधि।

9– चयन समिति द्वारा जिस कैलेण्डर वर्ष में पदोन्नति की जाय, उस वर्ष की 01 जुलाई को न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए — आयु

10– सेवा के किसी पद पर नियुक्ति/पदोन्नति के लिए ऐसा पुरुष पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक जीवित पत्नी हो, पात्र नहीं होगी; — वैवाहिक प्रास्थिति

परन्तु, यदि सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

भाग पाँच– भर्ती प्रक्रिया

11– नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा। — रिक्तियों की अवधारणा

12– (1) प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज/प्रधानाचार्या, राजकीय बालिका इण्टर कालेज के पद पर पदोन्नति अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर एक चयन समिति के माध्यम से की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :– — चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

(क) प्रमुख सचिव/सचिव, विद्यालयी शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड शासन – अध्यक्ष

(ख) प्रमुख सचिव या सचिव कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड शासन या उनका नाम निर्दिष्ट अधिकारी जो अपर सचिव, स्तर से अन्यून स्तर का हो। – सदस्य

(ग) महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा या उनका नाम निर्दिष्ट अधिकारी जो अपर निदेशक स्तर से अन्यून स्तर का हो। – सदस्य

(घ) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा – सदस्य

(2) प्रधानाध्यापक, रा०उ०मा०वि०/प्रधानाध्यापिका, रा०बा०उ०मा०वि० के पदों पर पदोन्नति अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर एक चयन समिति के माध्यम से की जाएगी जिसमें निम्नलिखित होंगे:–

(क) प्रमुख सचिव/सचिव, विद्यालयी शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड शासन – अध्यक्ष

(ख) प्रमुख सचिव या सचिव कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड शासन या उनका नाम निर्दिष्ट अधिकारी जो अपर सचिव, स्तर से अन्यून स्तर का हो। – सदस्य

(ग) महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा या उनका नाम निर्दिष्ट अधिकारी जो अपर निदेशक स्तर से अन्यून स्तर का हो। – सदस्य

(घ) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा या उनका नाम निर्दिष्ट अधिकारी जो अपर निदेशक स्तर से अन्यून स्तर का हो। – सदस्य

(3) सहायक निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद/वरिष्ठ प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के पदों पर पदोन्नति अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर एक चयन समिति के माध्यम से की जाएगी जिसमें निम्नलिखित होंगे:–

(क) प्रमुख सचिव/सचिव, विद्यालयी शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड शासन – अध्यक्ष

(ख) प्रमुख सचिव या सचिव कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड शासन या उनका नाम निर्दिष्ट अधिकारी जो अपर सचिव, स्तर से अन्यून स्तर का हो। – सदस्य

(ग) महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा या उनका नाम निर्दिष्ट अधिकारी जो अपर निदेशक स्तर से अन्यून स्तर का हो। – सदस्य

(घ) निदेशक, अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण या उनका नाम निर्दिष्ट अधिकारी जो अपर निदेशक स्तर से अन्यून स्तर का हो – सदस्य

(4) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गुणानुक्रम/ज्येष्ठता के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी और उनकी चरित्र पंजिका तथा उनसे सम्बन्धित अन्य ऐसे अभिलेखों के साथ चयन समिति के समक्ष रखी जाएगी, जो उचित समझे जाय।

(5) चयन समिति द्वारा उप नियम (4) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार किया जाएगा और यदि वह आवश्यक समझे तो उसके द्वारा अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया जा सकता है।

(6) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के आधार पर सूची तैयार कर उसे नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगी।

भाग छः– नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता

13– (1) उपनियम (2) के अध्यधीन रहते हुए नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उस क्रम में लेकर जिसमें वे नियम 12 के अधीन बनायी गयी सूचियों में हों, नियुक्ति करेगा।

(2) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति का आदेश जारी किया जाता है तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जाएगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों के नाम का उल्लेख चयन में अवधारित ज्येष्ठता के आधार या उस क्रम में, यथास्थिति, जिस क्रम में उनका नाम उस संवर्ग में है, जिससे उन्हें पदोन्नति किया गया है, किया जाएगा।

परिवीक्षा

14– (1) सेवा या किसी स्थायी पद पर या उसके विरुद्ध रिक्ति पर नियुक्त व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा;

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जाएंगे, पृथक–पृथक मामलों में परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसी तारीख विनिर्दिष्ट की जाएगी, जब तक अवधि बढ़ायी जाय;

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी।

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ाई गयी अवधि में किसी परिवीक्षाधीन द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

(4) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गयी है, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किये गए पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में प्रदान की गयी हो।

15– पदोन्नति द्वारा सेवा में प्रवेश करने वाले अभ्यर्थियों से सरकार ऐसा प्रशिक्षण पूरा करने और ऐसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा कर सकती है, जो वह समीचीन समझे। प्रशिक्षण और विभागीय परीक्षा

16– परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायी किया जा सकेगा यदि उसने– स्थायीकरण

(क) विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई है, उत्तीर्ण कर ली हो;

(ख) विहित प्रशिक्षण, यदि कोई है, सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो;

(ग) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक बताया गया हो;

(घ) उसकी सत्यनिष्ठा अभिप्रमाणित है; तथा

(ङ) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो गया है कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा योग्य है।

17– (1) एतद्पश्चात् की गई व्यवस्था के अतिरिक्त किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता का निर्धारण उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (ज्येष्ठता निर्धारित) नियमावली, 2002 के अनुसार किया जाएगा। किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता का निर्धारण मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से किया जाएगा और यदि दो या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाते हैं तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम मे निर्धारित की जाएगी जिसमें उनके नाम उसकी नियुक्ति आदेश में क्रमांकित किये जाते हैं; ज्येष्ठता

परन्तु उपबन्ध यह है कि यदि नियुक्ति आदेश में कोई पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाता है, जिससे कोई व्यक्ति मूल रूप में नियुक्त किया जाता है तो वह दिनांक उसकी मौलिक नियुक्ति आदेश का दिनांक माना जाएगा तथा अन्य मामले में इसे आदेश जारी किये जाने का दिनांक माना जाएगा;

परन्तु और यह कि यदि चयन के पश्चात् किसी के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति आदेश जारी किए जाते हैं तो ज्येष्ठता वह होगी जो नियम 19 के उपनियम (3) के अधीन जारी किये गए संयुक्त नियुक्ति आदेश में उल्लिखित है।

(2) जहाँ नियुक्तियाँ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से अथवा किसी एक से अधिक स्रोत द्वारा की जाती हैं और स्रोतों का पृथक–पृथक कोटा विहित है तो परस्पर ज्येष्ठता नियम 18 के अनुसार तैयार की गई संयुक्त सूची के नामों को चक्रीय क्रम में इस प्रकार क्रमांकित कर अवधारित की जाएगी कि विहित प्रतिशत बना रहे।

भाग सात– वेतन आदि

18– (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान वह होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय। वेतनमान

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ पर प्रवृत्त सेवा के वेतनमान(वेतनबैण्ड तथा ग्रेड पे) परिशिष्ट में दिए गए हैं।

परिवीक्षा अवधि के दौरान वेतन 19– (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल प्राविधान के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यदि स्थायी सरकारी सेवा में नहीं है, तो उसे एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी करने, विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने और प्रशिक्षण प्राप्त करने पर, जहाँ विहित हो, समयमान में प्रथम वेतनवृद्धि की अनुमति प्रदान की जाएगी तथा दूसरी वेतनवृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने तथा स्थायी किये जाने पर दी जाएगी:

परन्तु यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें, ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतनवृद्धि के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जाएगा:

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतनवृद्धि के लिए नहीं गिनी जाएगी।

(3) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पहले से ही स्थायी सरकारी सेवा में है, राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सामान्य सेवारत सेवकों पर लागू संगत नियमों द्वारा विनियमित किया जाएगा।

भाग आठ– अन्य प्राविधान

पक्ष समर्थन 20– किसी पद या सेवा पर लागू नियमावली के अधीन अपेक्षित संस्तुति से भिन्न संस्तुति पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के अयोग्य कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन 21– ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो इन नियमों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते, सेवा में नियुक्त ऐसे व्यक्ति राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सेवारत सरकारी सेवकों पर साधारणतः लागू विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होंगे।

सेवा शर्तों का शिथिलीकरण 22– यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई हो सकती है तो वह इस मामले में लागू नियमावली में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा इस सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अधीन इस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त कर देगी या शिथिल कर देगी जो वह मामले के सम्बन्ध में न्यायोचित तथा साम्यतापूर्वक कार्यवाही करने के लिए उचित समझे:

परन्तु उपबन्ध यह है कि जहाँ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया है, वहाँ नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त करने या शिथिल करने से पूर्व आयोग से परामर्श करना होगा।

व्यावृत्ति 23– इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्धित किया जाना अपेक्षित हो।

'परिशिष्ट'

[देखिए नियम 4 का उपनियम (2)]

क्र.सं.	पद का नाम	वेतनबैण्ड	ग्रेड वेतन	संवर्गीय पद
1–	प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज	₹ 15600–39100	₹ 7600	898
2–	प्रधानाचार्या, राजकीय बालिका इण्टर कालेज	₹ 15600–39100	₹ 7600	106
3–	प्रधानाध्यापक, राजकीय हाईस्कूल	₹ 15600–39100	₹ 5400	753
4–	प्रधानाध्यापिका, राजकीय कन्या हाईस्कूल	₹ 15600–39100	₹ 5400	113
5–	वरिष्ठ प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/ सहायक निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी.	₹ 15600–39100	₹ 5400	83
	संवर्ग के कुल पदों की संख्या			1953

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. /xxiv-2/2011 dated for general information :

No. /xxiv-2/2011

Dated: Dehradun, 2011

NOTIFICATION

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing Rules and Orders on the subject, the Governor is pleased to make the following Rules regulating recruitment and conditions of persons appointed to the Uttarakhand State Educational (Teaching Cadre) Service:--

THE UTTARAKHAND STATE EDUCATIONAL(TEACHING CADRE) SERVICE RULES, 2011

PART I- GENERAL

Short title and commencement 1- (1) These Rules may be called the Uttrakhand State Educational (Teaching Cadre) Service Rules 2011.

(2) They shall come into force at once.

Status of the Service 2- The Uttrakhand State Educational (Teaching Cadre) Service comprise group 'A' and 'B' posts.

Definations 3- In these Rules, unless there is anything repugnant in the subject or content--

(a) 'Appointing authority' means the Governor;

(b) 'Citizen of India' means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution;

(c) 'Commission' means the Uttrakhand Public Service Commission;

(d) 'Constitution' means the Constitution of India;

(e) 'Government' means the State Government of Uttrakhand;

(f) 'Governor' means the Governor of Uttrakhand;

(g) 'Member of the service' means a person substantively appointed under these Rules or Orders in force prior to the commencement of these Rules to a post in the cadre of the service;

(h) 'Service' means the Uttrakhand State Educational (Teaching Cadre) Service;

(i) 'Substantive Appointment' means an appointment, not being an ad hoc appointment, on a post in the cadre of the service and made after selection in accordance with the Rules and, if there were on Rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government; and

(j) 'Year of recruitment' means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year.

PART II- CADRE

4- (1) The strength of the service and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time. **Cadre Strength**

(2) The strength of the service and each category of post therein shall, untill orders varying the same are passed under sub-rules, be as given in the Appendix:

Provided that-

(i) The appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation;

(ii) The Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

PART III- RECRUITMENT

5- Recruitment to the various categories of posts in the services shall be made from the following sources, namely:-- **Source of Recruitment**

(i) (a) Principal, Government Boy's Inter Colleges.	First of all these posts will be filled by substanatively appointed Principals who are working as Principals of Government Intermediate College (Group 'A') as on the date of notification of these service rules and who have opted for teaching cadre. After filling the posts in the manner prescribed above, the rest of the posts will be filled by promotion, through the Selection Committee from amongst substantively appointed Head Master, Government High School, Assistant Director SCERT/Senior Lecturer, District Institute of Education and Training, who have completed Five year's service as such on the first day of the year of recruitment.
(b) Principals, Government Girl's Inter College.	First of all these posts will be filled by substanatively appointed Principals who are working as Principals of Government Girls Intermediate College (Group 'A') as on the date of notification of these service rules and who have opted for teaching cadre. After filling the posts in the manner prescribed above, the rest of the posts will be filled by promotion, through the Selection Committee

	from amongst substantively appointed. Head Mistress Govt Girls High School, Assistant Director SCERT and senior lecturer DIET who have completed Five year's service as such on the first day of the year of recruitment.
(ii) (a) Head Master, Government High School.	By promotion through the Selection Committee in the ratio of 45 Percent and 55 Percent respectively from amongst substanatively appointed:- (A) Lecturers who have completed five year's service as such on the first day of the year of the recruitment. and (B) Assistant Masters(L.T. Grade) who have completed twelve year's service as such on the first day of the year of recruitment.
(b) Head Mistress, Govenrment Girl's High School.	By promotion through the Selection Committee in the ratio of 45 Percent and 55 Percent respectively from amongst substanatively appointed:- (A) Lecturer who have completed five year's service as such on the first day of the year of the recruitment. and (B) Assistant Mistress(L.T. Grade) who have completed twelve year's service as such on the first day of the year of recruitment.
(iii) Assistant Director, SCERT/ Senior Lecturer, DIET.	By promotion through the Selection Committee amongst substantively appointed lecturers, from DIET and SCERT or Research officer's, from SCERT/ Uttrakhand Vidhyalai Shiksha Parishad/Directorate, who have completed five year's service as such on the first day of the year of the recruitment.

Provided that if sufficient number of suitable eligible persons are not available for promotion to the posts mentioned at serial number(i) to (iii) above the field of eligibility may be extended by the Government giving relaxation in the length of service.

Reservation

Reservation for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other Categories shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of recruitment.

PART IV- QUALIFICATION

Nationality

A candidate for direct recruitment to a post in the service must be--

(a) a citizen of India; or

(b) a Tibetan refugee who came over to India before the I[st] January, 1962 with the intention of permanently setting in India; or

(c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Ceylon or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania(formerly Tanganika and Zanzibar) with the interntion of permanently setting in India:

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government:

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be reqired to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttrakhand:

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

Note-- A Candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

Academic Qualification

A candidate must have following qulifications for appointment:--

Sl.No.	Post	Qualificatuon
1.	Principal, Government Inter Colleges/Government Girl's Inter Colleges.	Essential (a) A Post-graduate Degree from a University established by law in India. and (b) A gruduate Training degree in education (B.Ed.) from a University established by law in India or LT Diploma from a Government or recognised Training Colleges.

2. Head Master, Government High School's/Head Mistress, Government Girl's High School.	Essential (a) A Bechelor's Degree from a University established by law in India or a Degree recognised by the Government as equivalent thereto. (b) A Graduate Training Degree in Education(B.Ed) from a University established by law in India or L.T. Diploma from a Govenrment or recognised Training College's.
3. Assistant Director, SCERT/ Senior lecturers, DIET.	Essential (a) A Post-graduate Degree from a University established by law in India. and (b) A Post-gruduate Training degree in education (M.Ed.) from a University established by law in India. or A Graduate Training degree in Education(B.Ed) or L.T. Diploma from a Govenrment or recognised Training College's. and Ph.d degree in any School Subject. or A Post Graduate degree in Education(M.A. Education) with IInd Division and Graduate Training degree in Education(B.Ed.) from a Unitersity established by Law in India.

Age 9- A candidate for Promotion must have attained the minimum age of 30 years on 1st July of the Calendar year in which post are Filled by selection Committee.

Marital Status 10- A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man, already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the service:

Provided that a medical certificate of fitness shall not be required form a Candidate recruited by Promotion.

PART V- PROCEDURE FOR RECRUITMENT

11- The apponting authority shall determine the Number of number of vacancies to be filled during the course of the years as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other Categories belonging to State of Uttrakhand under Rule 6. **Determination of vacancies**

12- (1) Recruitment by promotion to the post of Principal, Government Inter College and Principal, Government Girl's Inter College shall be made on the basis of Seniorty to the rejection of merit through a Selection Committee constituted as under:-- **Procedure of recruitment by promotion through the Selection Committee**

(a) Principal Secretary or Secretary in the Department of School Education Government of Uttrakhand. - Chairman

(b) Principal Secretary or Secretary in the the Department of Persnol Government of Uttrakhand or his nominee not below the rank of Additional secretary. - Member

(c) Director General, School Education Uttrakhand. - Member

(d) Director of Secondary Education School Education. - Member

(2) Recruitment by promotion to the posts of Head Masters, Government High School and Head Mistresses, Government Girl's High School shall be made on the basis of Seniorty subject to the rejection of unfit through a Selection Committee constituted as under:--

(a) Principal Secretary/Secretary in the Department of School Education Government of Uttrakhand. - Chairman

(b) Principal Secretary/Secretary in the the Department of Personnel Government of Uttrakhand or his nominee not below the rank of Additional secretary. - Member

(c) Director General, School Education Uttrakhand. - Member

(d) Director of Secondary Education School Education. - Member

(3) Recruitment by promotion to the posts of Assistant Director, SCERT and Senior lectures, District institute of Education and Training shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of unfit through a Selection Committee constituted as under-

(a) Principal Secretary or Secretary in the Department of School Education, Government of Uttrakhand	-	Chairman
(b) Principal Secretary or Secretary in the Department of Personnel, Government of Uttrakhand, or his nominee not below the rank of Additional Secretary	-	Member
(c) Director General, School Education Uttrakhand or his nominee not below the rank of Additional Director	-	Member
(d) Director (Academic, Research & Training) School Education or his nominee not below the rank of Additional Director	-	Member

(4) The appointing authourity shall prepare an eligibility list of the candidates arranged in order of merit/seniority, and place it before the selection committee alongwith their character rolls and such other record, pertaining to them, as may be considered proper.

(5) The selection committee shall consider the cases of candidates on the basis of the records, referred to in sub-rule (4), and if it considers necessary, it may interview the candidates also.

(6) The selection committee shall prepare a list of selected candidates arranged in order of seniority and forward the same to the appointing authority.

PART VI- APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

13- (1) Subject to the provisions of sub-rule (2) the appointing authority shall make appointment by taking the names of candidate in the order in which they stand in the lists prepared under rules 12 as the case may be.

(2) If more than one orders of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection or, as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted.

14- (1) A person appointed by promotion on different categories of posts in the service shall be placed on probation for a period of two year. **Probation**

(2) The appointing authourity may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is granted:

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstance beyond two years.

(3) If it appears to the appointing authourity at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(4) A Probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The appointing authority may allow continuous services, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

15- Every person selected to the Service by Promotion shall be required to undergo Such Training and Pass such departmental examination as may be prescribed by the Government. **Training and departmental Examination**

16- A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if-- **Confirmation**

(a) he has passed the perscribed departmental examination, if any

(b) he has successfully undergone the prescribed training, if any

(c) his work and conduct are reported to be satisfactory,

(d) his integrity is certified,

(e) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

17- (1) Except as hereinafter provided, the seniority of persons in any category of post shall be determined according to the Uttrakhand Government Servants Seniority Rules, 2002. The Seniority of persons in any cotegory of post shall be determined from the date of the orders of substantive appointment and if two or more persons are appointed together, by such order in which their names are arranged in the appointment order: **Seniority**

Provided that if the appointment order specifies a particular back date with effect from which a person is substantively appointed, that date will be deemed to be the date of order of substantive appointment and, in other cases, it will mean the date of issue of the order:

Provided also that if more than one orders of appointment are issued in respect of any one selection, the seniority shall be determined as it is mentioned in the combined appointment order issued under sub-rule (3) of rule 19.

(2) Where appointments are made both by promotion and direct recruitment or from more than one source and the respective quota of the source is prescribed, the interse seniority shall be determined by arranging the names in a cyclic order in a combined list, prepared in accordance with rule 18, in such manner that the prescribed percentage in maintained:

PART VII- PAY ETC.

Pay Scale

18- (1) The Scale of pay admissible to a person appointed to a post in the cadre of the service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The Scales of pay(Pay band and Grade pay) of the service in force at the commencement of these Rules are giver Appendix.

Pay during probation

19- (1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service, and second increment after two years' service when he has completed the probationary period and is also confirmed:

Provided that if the pariod of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not account for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person, who has already been holding a post under the Government, shall be regulated by the relevant Fundamental Rules:

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not account for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of such persons, who has already been holding a confirm post under the Government, shall be regulated by the relevant Fundamental Rules, applicable to Government servants generally serving in connection with the affairs of the State.

PART VIII- OTHER PROVISIONS

20- No recommendations, either written or oral, other than those required under the Rules applicable to the post or service will be taken into consideration. An attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment. **Canvassing**

21- In regard to the matters not specifically covered by these Rules or by special orders, the persons appointed to the service shall be governed by the Rules, regulations and orders, applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State. **Regulation other matters**

22- Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service causes hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rule applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with case in a just and equitable manner: **Relaxation in the conditions of service**

Provided that where a rule has been framed in consultation with the Commission, that body shall be consulted before the requirements of the rule are dispensed with or relaxed.

23- Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard. **Savings**

APPENDIX

[See sub rule (2) of rule 4]

Sl. No.	Name of the Post	Pay Band	Grade pay	No. of Cadre Post
1–	Principal, Government Inter College's.	₹ 15600-39100	₹ 7600	898
2–	Principal, Government Girl's Inter College's.	₹ 15600-39100	₹ 7600	106
3–	Head Master, Government High School's.	₹ 15600-39100	₹ 5400	753
4–	Head Mistress, Government Girl's High School's.	₹ 15600-39100	₹ 5400	113
5–	Assistant Director, SCERT/ Senior Lecturer, DIET.	₹ 15600-39100	₹ 5400	83
	Total Number of Posts in Cadre			1953

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0- सा0नि0)अनु0 7
संख्याः -- /xxvii(7)09(xxiii)/2011
देहरादून, दिनांकः 11 मई,2011

कार्यालय ज्ञाप

विषयः–राजकीय कर्मचारियों/पेंशनभोगियों की अविवाहित, विधवा एंव तलाकशुदा पुत्रियों के लिए पारिवारिक पेंशन हेतु निर्धारित आयु सीमा को हटाया जाना।

वेतन समिति की संस्तुति से राज्य सरकार के दिनांक 01–01–2006 को अथवा इसके पश्चात सेवानिवृत्त पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स के संबंध में कार्यालय ज्ञाप संख्या 419/xxvii(7)/2008 दिनांक 27 अक्टूबर,2008 के प्रस्तर–8(2)(क)(3) में की गई व्यवस्था में पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता हेतु राजकीय कर्मचारी की मृत्यु के दिन 25 वर्ष से कम आयु की अविवाहित, विधवा एवं तलाकशुदा पुत्री को दिनांक 01–01–2006 से पारिवारिक पेंशन हेतु अर्ह माना गया था तथा शासनादेश संख्या3–984/दस–98–308/97 दिनांक 24 जुलाई, 1998 के प्रस्तर–1 के बिन्दु 1 में अन्य शर्तो के अलावा विधवा एवं तलाकशुदा पुत्रियों के लिए पारिवारिक पेंशन, उनके 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अथवा पुर्नविवाह करने की तारीख तक, इनमें से जो भी पहले हो, तक अनुमन्य की गई है।

2– अतः उक्त के संबंध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिए गये निर्णय के क्रम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय कर्मचारियों/पेंशनभोगियों की अविवाहित पुत्रियों को 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद भी पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र बनाये जाने हेतु निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) अविवाहित पुत्रियों को भी 25 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद अन्य शर्तें पूरी कर लिए जाने की शर्त के अधीन पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र बनाया जाए।

(ii) अविवाहित पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन की सहमति उनकी जन्म तिथि के क्रमानुसार दी जाएगी और उनमें से छोटी पुत्री तब तक पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र नहीं होगी जब तक कि उससे अगली बड़ी पुत्री पारिवारिक पेंशन के लिए अपात्र नहीं ठहराई जाती।

(iii) 25 वर्ष से बड़ी आयु की अविवाहित पुत्रियाँ केवल तभी पारिवारिक पेंशन की पात्र होंगी जबकि 25 वर्ष से कम आयु के अन्य पात्र बच्चे, पारिवारिक पेंशन ग्रहण करने के लिए पात्र नहीं रहे हों और यह कि परिवार में पारिवारिक पेंशन ग्रहण करने के लिए कोई निःशक्त संतान नहीं है।

3– उक्त संशोधन के फलस्वरूप उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 24 जुलाई,1998 एवं कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27 अक्टूबर,2008 को केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए और उनके शेष सभी प्राविधान यथावत रहेंगे।

4– उक्त व्यवस्था तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव वित्त

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्या: 85 / xxvii(7)9(24) / 2011
देहरादून, दिनांक: 07 जून 2011

कार्यालय ज्ञाप

विषयः–पेंशन पुनरीक्षण हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या:419 / XXVII(7) / 2008 दिनांक 27 अक्टूबर,2008 के प्रस्तर–6(3) का संशोधन।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय कर्मचारी संघ द्वारा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के कम दिनांक 01–01–2006 अथवा उसके पश्चात सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को पेंशन / ग्रेच्युटी / पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण में संशोधन के संबंध में निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या:419 / XXVII (7) / 2008 दिनांक 27 अक्टूबर,2008 के प्रस्तर–6(3) में नीचे उल्लिखित कालम–1 के अनुसार व्यवस्था को नीचे कालम–2 के अनुसार संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

वर्तमान बिन्दु 6(3)	संशोधित बिन्दु 6(3)
20 वर्ष या इससे अधिक की सेवा पर **'अंतिम माह में आहरित वेतन'** या 10 माह की औसत परिलब्धियां जो भी कर्मचारी को लाभकारी हों, के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन अनुमन्य होगी। जिन सरकारी सेवकों ने पुनरीक्षित वेतनमान को वरण करने का विकल्प दिया है, उनके लिए भी उक्त व्यवस्था समान रूप से लागू होगी।	20 वर्ष या इससे अधिक की सेवा पर 'अंतिम आहरित वेतन' या 10 माह की औसत परिलब्धियां जो भी कर्मचारी को लाभकारी हों, के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन अनुमन्य होगी। जिन सरकारी सेवकों ने पुनरीक्षित वेतनमान को वरण करने का विकल्प दिया है, उनके लिए भी उक्त व्यवस्था समान रूप से लागू होगी।

2– उक्त के फलस्वरूप उपरिउल्लिखित कार्यालय ज्ञाप दिनांक27 अक्टूबर,2008 केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाए।

3– उक्त बिन्दुओं पर अब उक्त स्पष्ट की जा रही स्थिति के अनुसार कार्यान्वयन की कार्यवाही संबंधित पेंशन स्वीकर्ता अधिकारियों के द्वारा की जानी सुनिश्चित की जाएगी।

भवदीय,
(राधा रतूड़ी)
सचिव,वित्त।

संख्या : 86 (1)/XXVII(7)9(24)/2011 तददिनांक

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड।
4. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. प्रमुख सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
7. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय,नैनीताल,उत्तराखण्ड।
9. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
11. वित्त आडिट प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
12. सामान्य प्रशासन विभाग,उत्तराखण्ड शासन।
13. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
15. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
16. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
17. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव ।

पत्र संख्या– 91 /xxvii(7)/2011

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग– 7 देहरादून: दिनांक: 15 जून, 2011

विषय: उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अन्तर्गत न्यूनतम दर की युक्तियुक्तता का आकलन किया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के सुसंगत प्राविधानों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये मुझे यह स्पष्ट किये जाने का निदेश हुआ है कि यद्यपि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के प्रस्तर 24(XIV) के अनुसार संविदा सामान्यतः न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदादाता को प्रदत्त (एवार्ड) की जानी चाहिए तथापि ऐसा करने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी का यह भी दायित्व है कि मूल्य के युक्तियुक्तता (Reasonableness) का आकलन अवश्य कर ले। सामग्री के मूल्य की युक्तियुक्तता (Reasonableness) प्रचलित बाजार दर, पूर्व क्रय मूल्य, कच्चा माल, मजदूरी के आर्थिक सूचकांक (economic indices) अन्य इनपुट कॉस्ट तथा यथार्थ मूल्य (intrinsic value) आदि को ध्यान में रख कर आकलित की जानी चाहिए।

इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के प्रस्तर 3(7) के क्रम में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि न्यूनतम दर पर संविदा अवार्ड करने से पूर्व यह अवश्य समाधान कर लिया जाये कि दरें युक्तियुक्त (Reasonable) तथा गुणवत्ता के अनुरूप हों।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 91 /xxvii (7)/2011 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. स्टॉफ आफीसर, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, नियोजन, राज्य योजना आयोग प्रायोजना रचना एवं मूल्याकन प्रभाग।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

संख्या 615 /xxiv-4/2011-10(49)/2010

प्रेषक,

सुवर्द्धन,
अपर सचिव(स्वतन्त्र प्रभार)
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4 देहरादून: दिनांक: 25 अगस्त, 2011

विषयः– दिनांक 14 मई, 1989 को सी0टी0 सवंर्ग मृत घोषित होने के पश्चात नियुक्त सी0टी0 वेतनमान के अध्यापकों के विनियमितीकरण के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, विद्यालयी शिक्षा के पत्र सं0 06 (03)/112/87253/10–11 दिनांक 17 फरवरी, 2011 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें। निदेशक द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव का शासन स्तर पर सम्यक रूप से परीक्षण किया गया और परीक्षणोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि निदेशक द्वारा दिनांक 17.02.2011 को प्रेषित प्रस्ताव औचित्यपूर्ण है। अतः प्रेषित प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है।

कृपया निदेशालय के प्रस्ताव के साथ भेजी गई सूची में से उन शिक्षकों का विनियमितीकरण करना सुनिश्चित करें, जो कि नियुक्ति की तिथि को एल0टी0 वेतनमान में नियुक्ति पाने के लिए सभी शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं पूरी करते हों, कृत कार्यवाही से शासन को भी 15 दिन के अंदर अवगत कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

24/8/11

(सुवर्द्धन)
अपर सचिव(स्वतन्त्र प्रभार)

संख्या–651 / xxiv–4 / 2011–10(34) / 2010

प्रेषक,

सुबर्द्धन,
अपर सचिव (स्वतंत्र प्रभार),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4 देहरादून: दिनांक 09 सितम्बर, 2011

विषय– प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में स्थगित की गयी नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि अधिसूचना संख्या–175 / xxiv–4 / 2011–1(3) / 2010, दिनांक 01 अप्रैल, 2011 द्वारा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 (संशोधन) विनियम, 2011 में आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं।

2. इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त अधिसूचना दिनांक 01–04–2011 जारी होने के फलस्वरूप प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में स्थगित की गई नियुक्ति प्रक्रिया सम्बन्धी शासनादेश संख्या– 291 / xxiv–4 / 2010, दिनांक 19 अप्रैल, 2010 तद्सम्बन्धी संशोधन कार्यालय आदेश संख्या– 330 / xxiv–4 / 2010, दिनांक 20 अप्रैल, 2010 तथा शासनादेश संख्या– 346 / xxiv–4 / 2010–10(9) / 2010, दिनांक 27 अप्रैल, 2010 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में संस्था के प्रधानों के पदों को छोड़ते हुए अन्य अध्यापकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के विधिवत् एवं मानकानुसार सृजित पदों पर चयन की कार्यवाही विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 एवं तद्सम्बन्धी विनियम तथा अधिसूचना संख्या–175 / xxiv–4 / 2011–1(3) / 2010, दिनांक 01 अप्रैल, 2011 द्वारा जारी उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् (संशोधन) विनियम, 2011 में विहित प्राविधानों के अनुसार / नियमानुसार नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से प्रारम्भ कर दी जाए। संस्था के प्रधान अर्थात हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक एवं इण्टरमीडिएट कालेज के प्रधानाचार्य के पदों पर नियुक्ति हेतु यथासमय पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

2....

4. इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाना है कि उपर्युक्त प्रस्तर–2 में अंकित शासनादेशों के जारी होने के पूर्व सम्बन्धित संस्थाओं में विज्ञापित रिक्तियों की नियुक्ति प्रक्रिया में नई व्यवस्था भूतलक्षी प्रभाव (Retrospective) से लागू नहीं होगी। कृपया तदनुसार तत्काल आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायें।

भवदीय,

(सुबर्द्धन)
अपर सचिव (स्वतंत्र प्रभार)।

संख्या–651 (1)/xxiv–4/2011,तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी को मा0 शिक्षा मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर, नैनीताल।
5. समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. अपर/संयुक्त शिक्षा निदेशक, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. एन0आई0सी0 सचिवालय।
9. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(उषा शुक्ला)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्या207 /xxvii(7)34/2011
देहरादून, दिनांकः 13 अक्टूबर,2011

कार्यालय ज्ञाप

विषयः–राज्य सरकार की सरकारी सेवक महिला जिनके बच्चे 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग है को बाल्य देखभाल अवकाश की स्वीकृति।

राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवकों जिनके बच्चे 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग है को विशिष्ठ परिस्थितियों यथा संतान की बीमारी अथवा परीक्षा आदि में सन्तान की 22 वर्ष की आयु तक देखभाल हेतु सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम दो वर्ष(730 दिन) का बाल्य देखभाल अवकाश निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) बाल्य देखभाल अवकाश केवल दो बड़े जीवित बच्चों के लिए ही अनुमन्य होगा।
(2) बाल्य देखभाल अवकाश अधिकार के रूप में नहीं माना जा सकेगा तथा किसी भी परिस्थिति में कोई भी कर्मचारी बिना पूर्व स्वीकृति के बाल्य देखभाल अवकाश पर नहीं जा सकेगा।
(3) बाल्य देखभाल अवकाश उपार्जित अवकाश की भांति माना जाएगा और उसी तरह स्वीकृत एवं अवकाश खाता रखा जाएगा।
(4) उपार्जित अवकाश की भांति बाल्य देखभाल अवकाश के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश को बाल्य देखभाल अवकाश में सम्मिलित माना जाएगा।

2– बाल्य देखभाल अवकाश(Child Care Leave) निम्न शर्तों के अधीन अनुमन्य होगा:–

(i) बाल्य देखभाल अवकाश कलैण्डर वर्ष में अधिकतम 3 बार अनुमन्य होगा।
(ii) बाल्य देखभाल अवकाश 15 दिन से कम अनुमन्य नहीं होगा।
(iii) परिवीक्षा काल में बाल्य देखभाल अवकाश अनुमन्य नहीं होगा, विशेष परिस्थितियों में यदि नियुक्ति अधिकारी चाहें तो बाल्य देखभाल अवकाश गुण–दोष के आधार पर कम से कम अवधि का अनुमन्य किये जाने पर विचार कर सकते हैं।

उक्त व्यवस्था विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं की महिला शिक्षकों(UGC,CSIR एवं ICAR से आच्छादित पदों को छोड़कर) एवं सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षणेत्तर महिला कर्मचारियों पर भी लागू होगी।

3– उक्त व्यवस्था दिनांक 01 अक्टूबर,2011 से प्रभावी होगी।

भवदीय,
(हेमलता ढौंडियाल)
सचिव,वित्त

संख्या :207 (1)/XXVII(7)34/2011 तददिनांक

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड।
4. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. प्रमुख सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
7. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
8. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय,नैनीताल,उत्तराखण्ड।
9. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ।
10. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडीटर उत्तराखण्ड देहरादून।
11. वित्त आडिट प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
12. सामान्य प्रशासन विभाग,उत्तराखण्ड शासन।
13. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
15. इरला चैक अनुभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
16. निदेशक, एन0 आई0 सी0 उत्तराखण्ड, देहरादून।
17. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव ।

संख्या– 1102/xxiv–4/2011–10(4)/2010

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा विभाग
उत्तराखण्ड देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4 देहरादून: दिनांक 15 दिसम्बर, 2011

विषय–अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में मौलिक रूप से सृजित एवं रिक्त पदों के सापेक्ष रखे गये ऐसे पी०टी०ए० शिक्षकों को जो निर्धारित अर्हता पूर्ण करते हो को मानदेय का भुगतान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–6(4)/21915/2011–12, दिनांक 29 जून, 2011, 6(4)/पी०टी०ए०/46830/2011–12, दिनांक 19 सितम्बर, 2011 एवं पत्र संख्या–6(4)/पी०टी०ए०/51528/2011–12, दिनांक 03 अक्टूबर, 2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक अभिभावक एसोसिएशन द्वारा नियमानुसार रखे गये केवल ऐसे पी०टी०ए० शिक्षक जो उक्त विद्यालयों में मौलिक रूप से सृजित एवं रिक्त पदों के सापेक्ष दिनांक 10 अप्रैल, 2006 से पूर्व से कार्यरत हों, के सम्बन्ध में निम्नवत् स्वीकृति प्रदान करते हैं–

1. उक्त पी०टी०ए० शिक्षकों को ₹ 7,000/– (रूपये सात हजार मात्र) प्रतिमाह मानदेय अनुमन्य किया जाए।

2. उक्त विद्यालयों में पी०टी०ए० शिक्षकों की नवीन नियुक्तियों पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जाता है। भविष्य में यदि किसी प्रबन्ध तन्त्र द्वारा पी०टी०ए० शिक्षकों की नियुक्तियां की जाती हैं, तो सम्बन्धित विद्यालय की शासकीय वित्तीय सहायता एवं मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशा०सं०–320(P)/XXVII(3)/2011–12, दिनांक 13 दिसम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
सचिव।

संख्या–1102 (1)/xxiv–4/2011, तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री को मा0 शिक्षा मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
4. समस्त, जिलाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
6. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग–3/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
8. कम्प्यूटर सेल, वित्त विभाग, देहरादून।
9. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कवीन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

संख्या–1107/xxiv-4/2011-10(4)/2010

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा विभाग
उत्तराखण्ड देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4 देहरादूनः दिनांक 15 दिसम्बर, 2011

विषय–अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में मौलिक रूप से सृजित एवं रिक्त पदों के सापेक्ष रखे गये ऐसे पी०टी०ए० शिक्षकों को जो निर्धारित अर्हता पूर्ण करते हो को मानदेय का भुगतान किये जाने विषयक शासनादेश दिनांक 13 दिसम्बर, 2011 का संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 1102/xxiv-4/ 2011-10 (4)/ 2010 दिनांक 13 दिसम्बर, 2011 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक अभिभावक एसोसिएशन द्वारा नियमानुसार रखे गये केवल ऐसे पी०टी०ए० शिक्षक जो उक्त विद्यालयों में मौलिक रूप से सृजित एवं रिक्त पदों के सापेक्ष दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 या इस तिथि के पूर्व से कार्यरत हों, को ₹ 7,000/– (रूपये सात हजार मात्र) प्रतिमाह का मानदेय अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते है।

2– उपर्युक्तानुसार शासनादेश संख्या:1102/xxiv-4/2011-10(4)/2010 दिनांक 13 दिसम्बर, 2011 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा एवं उक्त शासनादेश की अन्य सभी शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशा०सं०– 323 (P)/XXVII(3)/2011-12, दिनांक 15 दिसम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
(ओम प्रकाश)
सचिव।

...2

संख्या– 1116 /xxiv–4/2011–10(4)/2010

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा विभाग
उत्तराखण्ड देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4 देहरादून: दिनांक 20 दिसम्बर, 2011

विषय–अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में मौलिक रूप से सृजित एवं रिक्त पदों के सापेक्ष रखे गये ऐसे पी0टी0ए0 शिक्षकों को जो निर्धारित अर्हता पूर्ण करते हो को मानदेय का भुगतान किये जाने विषयक शासनादेश दिनांक 13 दिसम्बर, 2011 एवं दिनांक 15–12–2011 का संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1102/xxiv–4/ 2011–10 (4)/ 2010 दिनांक 13 दिसम्बर, 2011 एवं शासनादेश संख्या–1107/xxiv–4/2011–10 (4)/ 2010, दिनांक 15 दिसम्बर, 2011 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि आपके पत्र संख्या–06(04)/पी0टी0ए0/55208/ 2011–12, दिनांक 18 अक्टूबर, 2011 द्वारा उपलब्ध करायी गयी 590 पी0टी0ए0 शिक्षकों की सूची में से केवल ऐसे अर्ह पी0टी0ए0 शिक्षक जो प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में मौलिक रूप से सृजित एवं रिक्त पदों के सापेक्ष कार्यरत हो, और जो उक्त माध्यमिक विद्यालयों में अभिभावक अध्यापक एसोसिएशन द्वारा नियमानुसार रखे गये हों, को ₹ 7,000/– (रूपये सात हजार मात्र) प्रतिमाह का मानदेय अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उपर्युक्तानुसार शासनादेश संख्या–1102/xxiv–4/2011–10(4)/2010, दिनांक 13 दिसम्बर, 2011 एवं शासनादेश संख्या–1107/xxiv–4/2011–10(4)/ 2010, दिनांक 15 दिसम्बर, 2011 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा एवं शासनादेश दिनांक 13 दिसम्बर, 2011 की अन्य सभी शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0स0–336(P)/XXVII(3)/2011–12, दिनांक 20 दिसम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
Om Prakash
(ओम प्रकाश)
सचिव।

संख्या–1132 / xxiv–4 / 2011–1(2) / 2010

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4 देहरादून: दिनांक 27 दिसम्बर, 2011

विषय– मा0 न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 10–15 वर्षो से कार्य कर रहे अध्यापकों का विनियमितीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–06(04) / 55 / 86928 / 2010–11, दिनांक 17 फरवरी, 2011 एवं पत्र संख्या–06(04) / 121(1) / 55664 / 2011–12, दिनांक 17 अक्टूबर, 2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त पत्रों के साथ उपलब्ध करायी गयी सूची मे से ऐसे शिक्षक जो विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 एवं इसके अर्न्तगत बनाये गये विनियमों तथा कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या–1412 / XXX(2) / 2011–3(1) / 2006, दिनांक 21 नवम्बर, 2011 के उपबन्धों से आच्छादित हों, के अनुसार नियुक्ति वर्ष से नियमानुसार विनियमितीकरण की कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(ओम प्रकाश)
सचिव।

संख्याः 13 /xxvii(7)02/2012

प्रेषक,

हेमलता ढौंडियाल,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड।
2– वित्त अधिकारी/कुल–सचिव,समस्त राज्य विश्वविद्यालय,उत्तराखण्ड।
3– समस्त अध्यक्ष,जिला पंचायतें,उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादून,दिनांक 21 जनवरी,2012

विषयः राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को दिनांक 01 जुलाई,2011 से मंहगाई भत्ते का पुनरीक्षण ।

पठित निम्नलिखित :–

1– शासनादेश संख्याः221/xxvii(7)02/2011 दिनांक 30 सितम्बर,2011।
2–भारत सरकार,वित्त मंत्रालय,व्यय विभाग,कार्यालय ज्ञाप शासनादेश सं0 1(14)/ 2011–ई–ii(बी) दिनांक 03 अक्टूबर,2011 ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 के शासनादेश संख्या 221/xxvii(7) 02/2011 दिनांक 30 सितम्बर,2011 द्वारा दिनांक 01 जनवरी,2011 से महंगाई भत्ता मूल वेतन के 51 प्रतिशत की दर से अनुमन्य किया गया है।

2– उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क0 सं0 1 एवं 2 में उल्लिखित शासनादेश शासनादेश संख्याः221/xxvii(7)02/2011 दिनांक 30 सितम्बर,2011 तथा भारत सरकार,वित्त मंत्रालय,व्यय विभाग,कार्यालय ज्ञाप संख्याः 1(14)/ 2011– ई–ii(बी) दिनांक 03 अक्टूबर,2011 के क्रम में राज्यपाल महोदय ने दिनांक 01–07–2011 से प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों को महगाई भत्ते में 7 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 51 प्रतिशत से बढ़ाकर 58 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।

3– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या–1–1599/दस–42(एम)/97,23नवम्बर,1998 के प्रस्तर–3,4,5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

4– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत/संशोधित दरों पर महगाई भत्ते को दिनांक 01 जुलाई,2011, से उन कर्मचारियों, जिनकी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद हुई हो (अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित हैं) को छोड़कर शेष कर्मचारियों को दिनांक 01 जुलाई,2011 से 31 दिसम्बर,2011 तक(सेवा निवृत्त एवं 6 माह के अधीन सेवा निवृत्त होने वाले व्यक्तियों को छोड़कर) की बढ़ी हुई धनराशि उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी तथा माह 01 जनवरी,2012 से इसको नकद भुगतान किया जाएगा। परन्तु 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के अवशेष(एरियर) भुगतान से 10 प्रतिशत पेंशन अंशदान तथा उतनी ही धनराशि नियोक्ता के अंश के साथ पेंशन संबंधी सुसंगत लेखा शीर्षक में जमा तथा शेष धनराशि एन0एस0सी0 के रूप में भुगतान किया जायेगा।

5– इस आदेश के द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के भुगतान की प्रक्रिया जो उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित है, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर भी लागू होगी।

भवदीय,

(हेमलता ढौंडियाल)
सचिव।

संख्या : 13(1) xxvii(7)02/2012 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार,औबराय भवन,माजरा,देहरादून।
2. समस्त कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड,देहरादून।
3. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक),भारत सरकार,वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं-261,नार्थ ब्लाक,नई दिल्ली-110001।
4. सचिव,राज्यपाल महोदय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
5. सचिव,विधान सभा,उत्तराखण्ड,देहरादून।
6. महानिबन्धक,उच्च न्यायालय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
7. रीजनल प्रॉविडेन्ट फण्ड कमिश्नर,कानपुर/देहरादून।
8. निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवाएं,उत्तराखण्ड,देहरादून।
9. वित्त, आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
10. स्थानिक आयुक्त,उत्तराखण्ड,नई दिल्ली।
11. निदेशक,एन0आई0सी0,उत्तराखण्ड,देहरादून।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्या: 52–/xxvii(7)56/2012
देहरादून, दिनांक: 22 मार्च,2012

कार्यालय ज्ञाप

विषयः– दिनांक 01, अक्टूबर 2005 से राज्य में लागू अंशदायी पेंशन योजना के स्वायत्तशासी संस्थाऐं/अशासकीय विद्यालय/विश्वविद्यालय आदि में कियान्वयन के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या – 21/XXVII(7) अं0पें0यो0/2005, दिनांक 25, अक्टूबर 2005 के द्वारा दिनांक 01 अक्टूबर 2005 को अथवा इसके बाद राज्य सरकार की सेवा में आए समस्त कार्मिक और जो शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में जिनमें राज्य कर्मचारियों की भांति पुरानी पेंशन योजना लागू थी, और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है, हेतु अनिवार्य रूप से अंशदान पेंशन योजना लागू है।

इस सम्बन्ध में अब तक समय–समय पर अधिसूचना संख्या–21/XXVII (7)अं0पें0यो0 / 2005, दिनांक 25 अक्टूबर, 2005, कार्यालय ज्ञाप संख्या –132/XXVII (7) / 2006, दिनांक 24 जुलाई, 2006, सं0 – 346/XXVII (7) / 2007, दिनांक 21 नवम्बर, 2007, सं0– 210/XXVII (7) / 2008, दिनांक 3 जुलाई, 2008, संख्या–643/XXVII (7) (अं0पें0यो0) / 2010 दिनांक 11,अगस्त, 2010 व संख्या–272/XXVII (7)56 / 2011 दिनांक 09 दिसम्बर, 2011 जारी किये जा चुके हैं।

पूर्व में स्वायत्तशासी संस्थाऐं/स्थानीय निकाय/अशासकीय विद्यालय/विश्वविद्यालय आदि जहां अंशदायी पेंशन योजना लागू है, तथा एकीकृत भुगतान प्रणाली के माध्यम से कोषागारों से वेतन आहरित नही होता है से सम्बन्धित कार्मिकों हेतु शासनादेश सं0 – 346/XXVII (7) / 2007, दिनांक 21 नवम्बर, 2007, सं0– 210/XXVII (7) / 2008, दिनांक 3 जुलाई, 2008, में अंशदान के लेखांकन व धनराशि के निवेश की प्रकिया निर्धारित की गयी थी।

शासनादेश संख्या–643/XXVII (7) (अं0पें0यो0) / 2010 दिनांक 11,अगस्त, 2010 द्वारा राज्य सरकार के कार्मिको हेतु उक्त योजना का सफलतापूर्वक कियान्वयन हो रहा है। अब राजकीय कर्मचारियों की भांति राज्य की स्वायत्तशासी संस्थाऐं/निकाय अथवा सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत कार्मिक जिनका वेतन कोषागारों से एकीकृत भुगतान लेखा प्रणाली से आहरित नही होता है और जिनमें राज्य कर्मचारियों की भांति पुरानी पेंशन योजना लागू थी, हेतु योजना के कियान्वयन के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल निम्नलिखित व्यवस्था किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1– राज्य सरकार की ओर से निदेशक लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड एवं सी0आर0ए0 व एन0पी0एस ट्रष्ट के मध्य अनुबन्ध की शर्तें उक्त संस्थाओं पर भी यथावत लागू होंगी।

2– ऐसी समस्त संस्थाऐं/विभाग राज्य स्तर पर 'एकल सम्पर्क बिन्दु' के लिए योजना से सम्बन्धित समस्त कियाकलापों के संचालन के लिए सी0आर0ए0 से इण्टरफेस के रूप में एक नोडल अधिकारी नामित करेंगें, जो योजना से सम्बन्धित समस्त कियाकलापों हेतु उत्तरदायी होगा।

3– योजना से आच्छादित कार्मिकों का डाटा व धनराशि कमशः सी0आर0ए0 व एन0पी0एस ट्रष्ट को प्रेषण से पूर्व उक्त संस्थाओं को पंजीकरण हेतु पी0एफ0आर0डी0ए0 (Pension Fund Regulatory and Development Authority) को सहमति पत्र (Letter of Consent) उपलब्ध कराना होगा जिसकी एक प्रतिलिपि सी0आर0ए0, एन0पी0एस0ट्रष्ट, सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष व राज्य के नोडल आफिस निदेशालय लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून को भी भेजी जायेगी।

4– ऐसी संस्थाओं को सी0आर0ए0 में पंजीकरण हेतु मास्टर कियेशन फार्म (MCF), सहमति पत्र (Letter of Consent) के साथ सी0आर0ए0 को उपलब्ध करना होगा।

5- उपरोक्त प्रस्तर – 3 व 4 में उल्लेखित सहमति पत्र (Letter of Consent) व मास्टर फिटेशन फार्म (MCF) प्रथम बार समस्त संस्थाओं को अनुमोदन हेतु निदेशक, लेखा एवं हकदारी के माध्यम से प्रेषित करने होंगे।

6- समस्त संस्थायें जिनमें उक्त योजना लागू है, एवं जो शासनादेश संख्या- 21/XXVII (7) अपेयो/दिनांक 25/10/2005 में उल्लेखित शर्तें पूरी करते हो (शासन के नियंत्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं और शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में जिनमें राज्य कर्मचारियों की भांति पुरानी पेंशन योजना लागू थी, और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है) वे इस आशय का प्रमाण पत्र एवं संदर्भित शासनादेश भी निदेशालय लेखा एवं हकदारी को उपलब्ध करायेंगी।

7- शासनादेश सं0- 174 /XXVII (7)फ0मैनै0 / 2009 दिनांक 21 जुलाई, 2009 के द्वारा राज्य में नई पेंशन योजना के सम्बन्ध में निदेशक लेखा एवं हकदारी को नोडल आफिस का कार्य सौंपा गया है। अतः योजना की राज्य स्तर पर मोनिटरिंग हेतु सी0आर0ए0 में डी0टी0ए0 (Directorate of Treasuries & Accounts), के रूप में निदेशक लेखा एवं हकदारी का पंजीकरण पूर्व में किया गया है।

8- योजना से सम्बन्धित सी0आर0ए0 में पंजीकरण हेतु समस्त संस्थाओं को सी0आर0ए0 द्वारा निर्धारित प्रारूप के अनुसार डी0टी0ओ0 (District Treasuries office) व डी0डी0ओ0 (Drawing Disbursing Officer) के फार्म कमशः N2 व N3 भरकर सी0आर0ए0 में जमा करने होंगे।

9- सी0आर0ए0 में कन्ट्रीब्यूशन फाईल अपलोड एवं ट्रष्टी बैंक में धनराशि जमा करने हेतु दो माडल उपलब्ध हैं। केन्द्रीकृत माडल जिसमें किसी विभाग/संस्था द्वारा राज्य स्तर पर समस्त आंकड़ों व धनराशि को केवल एक कार्यालय द्वारा कमशः सी0आर0ए0 व ट्रष्टी बैंक को हस्तगत किया जायेगा। विकेन्द्रीकृत माडल में राज्य के विभिन्न स्थानों पर स्थित कार्यालयों से कन्ट्रीब्यूशन फाईल व धनराशि अपलोड की जायेगी। इस सम्बन्ध में उपरोक्त संस्थाएँ अपनाए गये प्रारूप से मास्टर फिटेशन फार्म (MCF) के माध्यम से पंजीकरण के समय सी0आर0ए0 को अवगत करायेंगी।

10- योजना से सम्बन्धित धनराशि व आकड़ों का प्रेषण इलैक्ट्रानिक माध्यम से होता है। अतः जिन संस्थाओं /विभागों में राज्य स्तरीय अनेक कार्यालय हैं, में योजना का प्रारूप सी0आर0ए0 को डाटा अपलोड व ट्रष्टी बैंक को धनराशि का प्रेषण हेतु विभागाध्यक्ष स्तर पर केन्द्रीकृत (Centralised) मोड अपनाया जाय, जिससे पूरे विभाग में एकरूपता बनी रहेगी।

11- उपरोक्त पंजीकरण प्रकिया के उपरान्त योजना से आच्छादित कार्मिकों का पंजीकरण सी0आर0ए0 से निर्धारित प्रान (Permanent retirement Account Number) फार्म Annexure S1 के माध्यम से सी0आर0ए0 के फैसिलिटेशन सेंटर, से किया जायेगा।

12- उपरोक्त फार्म एवं प्रारूप सी0आर0ए0 की वेबसाईट www.npscra .nsdl.co. in\downloads\ Forms\ Autonomous bodies पर उपलब्ध है, जिनको आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है।

13- एक बार सी0आर0ए0 में कार्मिकों के पंजीकरण के बाद संस्थाओं को चयनित माडल (Centralized or Decentralized) के अनुरूप सब्सकाइबर कन्ट्रीब्यूशन फाईल सी0आर0ए0 सिस्टम में अपलोड की जानी होगी एवं सम्बन्धित धनराशि ट्रष्टी बैंक में जमा की जायेगी। फाईल अपलोड करने के सम्बन्ध में आवश्यक प्रशिक्षण पंजीकरण के उपरान्त सी0आर0ए0 द्वारा दिया जायेगा।

14- पंजीकरण प्रकिया के पूर्ण होने के उपरान्त लिगेसी डाटा को यथाशीघ्र अपलोड करना सुनिश्चित किया जाये।

15- उक्त संस्थाओं में योजना से आच्छादित कार्मिकों का सी0आर0ए0 में खाते खुलवाने, ट्रान्जक्शन चार्ज व आकड़ों का वार्षिक अनुरक्षण आदि के सम्बन्ध में एन0एस0डी0एल0 (सी0आर0ए0) को राज्य सरकार के साथ अनुबन्ध के अनुसार भुगतान सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा ही किया जायेगा।

16- शासनादेश संख्या-643/XXVII (7) (अ0पें0यो0) / 2010 दिनांक 11,अगस्त, 2010 में प्रतिनियुक्ति पर गये राजकीय कार्मिकों के जमा अंशदान का ड्राफ्ट निदेशालय लेखा एवं हकदारी को उपलब्ध कराने हेतु व्यवस्था की गयी थी। परन्तु उपरोक्त व्यवस्था के बाद इन संस्थाओं/

विभागों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिकों का अंशदान वेतन आहरित करने वाले विभाग/संस्था द्वारा अंशदान सीधे सी0आर0ए0 व ट्रस्टी बैंक में जमा किया जायेगा।

उक्तवत निर्गत की जा रही संशोधित व्यवस्था के दृष्टिगत इस विषय में जारी अधिसूचना कार्यालय ज्ञाप केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाये।

भवदीय,

(हेमलता ढौंडियाल)
सचिव,वित्त।

संख्या 52 (1)/XXVII (7)56/ 2012, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
2– समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
3– महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
4– रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल।
5– स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड नई दिल्ली।
6– सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड देहरादून।
7– सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड देहरादून।
8– उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9– समस्त कोषागार अधिकारी उत्तराखण्ड।
11– निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
10– निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल।
11– उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की।
12– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड एकक देहरादून।
13– वित्त आडिट प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।
14– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव, वित्त

संख्या: 67 / XXVII(7)40(2) / 2012

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादून: दिनांक 13 अप्रैल, 2012

विषय:– वेतन विसंगति समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण की फिटमैन्ट तालिका एवं विकल्प की सुविधा प्रदान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के संदर्भ में वित्त विभाग के परिपत्र संख्या:483 / XXVII(7)द्वि0प्रति0 / 2010, दिनांक 12 मार्च, 2010 द्वारा दिनांक 01–01–2006 के पूर्व 6500–10500 के वेतनमान को ₹7450–11500 में उच्चीकृत करते हुए नये वेतन बैण्ड–2 ₹9300–34800 में ग्रेड पे ₹4600 स्वीकृत की गयी है तथा उच्चीकृत ग्रेड वेतन अनुमन्य कराये जाने के संदर्भ में विकल्प की सुविधा उपलब्ध कराये जाने तथा वेतन निर्धारण हेतु फिटमैन्ट तालिका की अनुमन्यता के संदर्भ में कतिपय विभागों द्वारा जिज्ञासाएं की जा रही हैं। विसंगति समिति की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार किसी पद पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 अथवा उसके बाद की तिथि से वर्तमान वेतनमान के सादृश्य वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन के स्थान पर अनुमन्य उच्चीकृत / संशोधित वेतनमान के सादृश्य वेतन

बैंड/ग्रेड वेतन जिसका विवरण निम्नवत् है में संलग्न तालिकाओं के अनुसार वेतन निर्धारण किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र.सं.	वर्तमान वेतनमान/सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	उच्चीकृत वेतनमान/सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	वेतन निर्धारण की संलग्न तालिका संख्या
	2	3	4
1	₹6500–10500/वेतन बैण्ड–2(₹9300–34800) ग्रेड पे ₹4200	₹7450–11500/ वेतन बैण्ड–2(₹9300–34800) ग्रेड पे ₹4600	तालिका संख्या:1
2	₹6500–10500/वेतन बैण्ड–2(₹9300–34800) ग्रेड पे ₹4200	₹7500–12000/वेतन बैण्ड–2(₹9300–34800) ग्रेड पे ₹4800	तालिका संख्या:2

2– उपरोक्तानुसार वेतन बैंड–2 (₹9300–34800) एवं ग्रेड वेतन ₹4200 के स्थान पर वेतन बैंड–2 (₹9300–34800) में ग्रेड वेतन ₹4600 में संशोधन के फलस्वरूप सम्बन्धित कार्मिक/अधिकारी द्वारा शासनादेश संख्या–395/XXVII(7)/2008, दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतनमान के सम्बन्ध में दिये गये विकल्प के स्थान पर संशोधित विकल्प इस आदेश के जारी होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर प्रस्तुत किया जा सकेगा।

3– संलग्न तालिका में उल्लेखानुसार वेतन निर्धारण वित्त विभाग के शासनादेश संख्या:395/XXVII(7)/2008, दिनांक 17 अक्टूबर,2008 एवं तत्क्रम में जारी शासनादेशों में निर्धारित व्यवस्था के अन्तर्गत किया जायेगा।

4– यदि किसी विभाग द्वारा ग्रेड वेतन उच्चीकरण के फलस्वरूप उक्त वर्णित फिटमैन्ट तालिका से इतर वेतन निर्धारण किया गया हो तो उसे ठीक कर उपरोक्तानुसार संलग्न फिटमैन्ट तालिका के अनुसार ही वेतन निर्धारण किया जाय। त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप सम्बन्धित को भुगतान की गई धनराशि की तत्काल वसूली सुनिश्चित की जाय।

संख्या:–67/XXVII(7)40(2)/2012 दिनांक 13 अप्रैल, 2012 का संलग्नक

(1) पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान – 6500–200–10500
(2) उच्चीकृत वेतनमान – 7450–225–11500
(3) उच्चीकृत वेतनमान के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना (वेतन बैण्ड–2, 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन 4600)

क्र०सं०	पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान में मूल वेतन	उच्चीकृत वेतनमान के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित वेतन (₹ में)		
		वेतन बैण्ड में वेतन	ग्रेड वेतन	संशोधित मूल वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	6500	12540	4600	17140
2	6700	12540	4600	17140
3	6900	12840	4600	17440
4	7100	13210	4600	17810
5	7300	13580	4600	18180
6	7500	13950	4600	18550
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	18930
8	7900	14700	4600	19300
9	8100	15070	4600	19670
10	8300	15440	4600	20040
11	8500	15810	4600	20410
12	8700	16190	4600	20790
13	8900	16560	4600	21160
14	9100	16930	4600	21530
15	9300	17300	4600	21900
16	9500	17670	4600	22270
17	9700	18050	4600	22650
18	9900	18420	4600	23020
19	10100	18790	4600	23390
[illegible]	[illegible]	19160	[illegible]	23760
21	10500	19530	4600	24130
22	10700	19910	4600	24510
23	10900	20280	4600	24880
24	11100	20650	4600	25250

संख्या:–67/XXVII(7)40(2)/2012 दिनांक 13 अप्रैल, 2012 का संलग्नक

(1) पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान – 6500–200–10500
(2) उच्चीकृत वेतनमान – 7500–250–12000
(3) उच्चीकृत वेतनमान के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना (वेतन बैण्ड–2, 9300–34800 एवं ग्रेड वेतन 4800)

क्र0सं0	पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान में मूल वेतन	उच्चीकृत वेतनमान के सादृश्य पुनरीक्षित वेतन संरचना में निर्धारित वेतन (₹ में)		
		वेतन बैण्ड में वेतन	ग्रेड वेतन	संशोधित मूल वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	6500	13350	4800	18150
2	6700	13350	4800	18150
3	6900	13350	4800	18150
4	7100	13350	4800	18150
5	7300	13580	4800	18380
6	7500	13950	4800	18750
7	7700	14330	4800	19130
8	7900	14700	4800	19500
9	8100	15070	4800	19870
10	8300	15440	4800	20240
11	8500	15810	4800	20610
12	8700	16190	4800	20990
13	8900	16560	4800	21360
14	9100	16930	4800	21730
15	9300	17300	4800	22100
16	9500	17670	4800	22470
17	9700	18050	4800	22850
18	9900	18420	4800	23220
19	10100	18790	4800	23590
20	10300	19160	4800	23960
21	10500	19530	4800	24330
22	10700	19910	4800	24710
23	10900	20280	4800	25080
24	11100	20650	4800	25450

संख्या–185/xxxvi(2)/2012

प्रेषक,

धर्मेन्द्र सिंह अधिकारी,
संयुक्त सचिव न्याय एवं संयुक्त विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
देहरादून।

न्याय अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक 02 मई, 2012

विषय– उत्तराखण्ड राज्य द्वारा निर्धारित दिनांक 5 जुलाई, 2005 को जारी अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराने विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त अपने पत्र संख्या– आंग्ल भाषा/2123/2011–12, दिनांक 1 मार्च, 2012 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उक्त विषयक सूचना उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– उक्त के कम में टी0एम0ए0पई फाउण्डेशन व अन्य बनाम कर्नाटक राज्य अन्य (ए0आई0आर0 2003 एस0सी0 355) में मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 31–10–2002 के प्रस्तर–64 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में निर्गत न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या– 240–एक(1)/छत्तीस(1) /न्या0अनु0/2005 दिनांक 5–7–2005 की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय,

(धर्मेन्द्र सिंह अधिकारी)
संयुक्त सचिव।

संख्या 143 /xxvii(7)02/2012

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड।
2– वित्त अधिकारी/कुल–सचिव,समस्त राज्य विश्वविद्यालय,उत्तराखण्ड।
3– समस्त अध्यक्ष,जिला पंचायतें,उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादून,दिनांक 13 जून,2012

विषय: राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी,2012 से महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण ।

पठित निम्नलिखित :–

1– शासनादेश संख्या:13/xxvii(7)02/2012 दिनांक 21 जनवरी,2012 ।
2–भारत सरकार,वित्त मंत्रालय,व्यय विभाग,कार्यालय ज्ञाप सं0 1(1)/ 2012– ई–ii(बी) दिनांक 03 अप्रैल,2012 ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 के शासनादेश संख्या 13/xxvii(7) 02/2012 दिनांक 21 जनवरी,2012 द्वारा दिनांक 01 जुलाई,2011 से महंगाई भत्ता मूल वेतन के 58 प्रतिशत की दर से अनुमन्य किया गया है।

2– उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क0 सं0 1 एवं 2 में उल्लिखित शासनादेश संख्या 13/xxvii(7)02/2012 दिनांक 21 जनवरी,2012 तथा भारत सरकार,वित्त मंत्रालय,व्यय विभाग,कार्यालय ज्ञाप सं0 1(1)/2012–ई–ii(बी) दिनांक 03 अप्रैल,2012 के क्रम में राज्यपाल महोदय ने दिनांक 01–01–2012 से प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 7 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 58 प्रतिशत से बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।

3– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या–1–1599/दस–42(एम)/97,23नवम्बर,1998 के प्रस्तर–3,4,5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

4– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत/संशोधित दरों पर महंगाई भत्ते को दिनांक 01 जनवरी,2012, से उन कर्मचारियों, जिनकी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद हुई हो (अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित हैं) को छोड़कर शेष कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी,2012 से 30 जून,2012 तक(सेवा निवृत्त एवं 6 माह के अधीन सेवा निवृत्त होने वाले व्यक्तियों को छोड़कर) की बढ़ी हुई धनराशि उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी तथा माह 01 जुलाई,2012 से इसका नकद भुगतान किया जाएगा। परन्तु 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के अवशेष(एरियर) की धनराशि नई पेंशन योजना में जमा की जायेगी।

5– इस आदेश के द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के भुगतान की प्रक्रिया जो उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित है, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर भी लागू होगी।

भवदीय,
(राधा रतूड़ी)
सचिव।

संख्या 143 / XXVII(7)02/2012 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार,ओबराय भवन,माजरा,देहरादून।
2. समस्त कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड,देहरादून।
3. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक),भारत सरकार,वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं-261,नार्थ ब्लाक,नई दिल्ली-110001।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग/सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपकम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निकाय/उपकम के कार्मिकों को मंहगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के संबंध में स्वयं निर्णय ले सकते है तथा इस संबंध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता न होगी।
5. सचिव,राज्यपाल महोदय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
6. सचिव,विधान सभा,उत्तराखण्ड,देहरादून।
7. महानिबन्धक,उच्च न्यायालय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
8. रीजनल प्रॉविडेन्ट फण्ड कमिश्नर,कानपुर/देहरादून।
9. निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवाएं,उत्तराखण्ड,देहरादून।
10. वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
11. स्थानिक आयुक्त,उत्तराखण्ड,नई दिल्ली।
12. निदेशक,एन0आई0सी0,उत्तराखण्ड,देहरादून।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव।

संख्याः 154/xxvii(7)02 / 2012

प्रेषक,

राधा रतूड़ी
सचिव वित्त
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

1– समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड।

2– वित्त अधिकारी / कुल–सचिव,समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।

3– समस्त अध्यक्ष,जिला पंचायतें,उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादून,दिनांक 13 जून,2012

विषयः दिनांक 1–1–2006 से अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत राज्य कर्मचारियों / स्थानीय निकाय तथा सहायता प्राप्त शिक्षण तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को दिनांक 01–01–2012 से महगाई भत्ता का पुनरीक्षण।

पठित निम्नलिखित :-

1– शासनादेश संख्याः15 / xxvii(7)02 / 2012 दिनांक 21 जनवरी,2012।

2– भारत सरकार,वित्त मंत्रालय,व्यय विभाग,कार्यालय ज्ञाप संख्या–1(3)2008संस्था–II(ख) दिनांक 20 अप्रैल,2012 ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत कार्मिकों को वित्त(वे0आ0–सा0नि0) अनु0–7 के शासनादेश संख्याः15 / xxvii(7)02 / 2012 दिनांक 21 जनवरी,2012 द्वारा दिनांक 01–07–2011 से महगाई भत्ता मूल वेतन के 127 प्रतिशत की दर से अनुमन्य किया गया है।

2– उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्र0 सं0 1 एवं 2 में उल्लिखित शासनादेश दिनांक 21 जनवरी,2012 एवं 20 अप्रैल,2012 के क्रम में दिनांक 01–01–2006 से अपुनरीक्षित वेतनमान में कार्यरत राज्य कर्मचारियों / स्थानीय निकाय में कार्यरत कर्मचारियों तथा सहायता प्राप्त शिक्षण तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों का दिनांक 01–01–2012 से महगाई भत्ते को 127 प्रतिशत से बढ़ाकर 139 प्रतिशत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या–1–1599 / दस–42(एम) / 97,23 नवम्बर,1998 के प्रस्तर–3,4,5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

4– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृति / संशोधित दरों पर मंहगाई भत्ते को दिनांक 01 जनवरी,2012, से उन कर्मचारियो जिनकी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद हुई हो अर्थात (अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित) को छोड़कर, शेष कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी,2012 से 30 जून,2012 तक (सेवानिवृत्त अथवा 6 माह के अधीन सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों को छोड़कर) की बढ़ी धनराशि उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी तथा दिनांक 01 जुलाई,2012 से नकद भुगतान किया जाएगा, परन्तु 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के अवशेष(एरियर) की धनराशि नई पेंशन योजना में जमा की जायेगी।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

संख्या : 154 / xxvii(7)02/2012 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1 महालेखाकार,ओबराय भवन,माजरा,देहरादून।

2 प्रमुख सचिव ,सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग,उत्तराखण्ड शासन।

3 समस्त कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड,देहरादून।

4 वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक),भारत सरकार,वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा न-261,नार्थ ब्लाक,नई दिल्ली-110001।

5. प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग/सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को मंहगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के संबंध में स्वंय निर्णय ले सकते है तथा इस संबंध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता न होगी।

6. सचिव,राज्यपाल महोदय,उत्तराखण्ड,देहरादून।

7 सचिव,विधान सभा,उत्तराखण्ड,देहरादून।

8 महानिबन्धक,उच्च न्यायालय,उत्तराखण्ड,देहरादून।

9 रीजनल प्रॉविडेन्ट फण्ड कमिश्नर,कानपुर/देहरादून।

10 निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवाएं,उत्तराखण्ड,देहरादून।

11. वित्त, आडिट प्रकोष्ठ,उत्तराखण्ड शासन।

12 स्थानिक आयुक्त,उत्तराखण्ड,नई दिल्ली।

13 निदेशक,एन0आई0सी0,उत्तराखण्ड,देहरादून।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव।

संख्या– 279/xxiv–4/2012–10(4)/2010

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4 देहरादूनः दिनांक 20 जून, 2012

विषय– पी0टी0ए0 शिक्षकों की नियुक्तियों में रोस्टर प्रणाली का उल्लंघन किये जाने के कारण रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–06(04)/पी0टी0ए0/83140/2011–12 दिनांक 02 मार्च, 2012 एवं पत्र संख्या–06(04)/पी0टी0ए0/90059/2011–12, दिनांक 31 मार्च, 2012 के सन्दर्भ में अवगत कराया जाना है कि राज्य सरकार के विभागों एवं राज्याधीन निगमों,परिषदों, स्वायत्तशासी संस्थाओं/शिक्षण संस्थाओं में यदि विभागीय ढांचे में स्वीकृत पदों के सापेक्ष जिनके सापेक्ष किन्हीं कारणों से नियमित चयन के स्थान पर मानदेय पर कार्मिक/सेवाओं की व्यवस्था की जा रही हो, तो ऐसे सेवायोजन में कार्मिकों को सेवायोजित करने हेतु प्रचलित आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा। यदि ऐसी नियुक्तियां स्वीकृत ढांचे के पदों के सापेक्ष नहीं की जा रही हो तो उस स्थिति में आरक्षण के नियम लागू नहीं होगें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में लगाये गये पी0टी0ए0 शिक्षकों को मानदेय उक्त विद्यालयों में मौलिक रूप से सृजित एवं रिक्त पदों के सापेक्ष अनुमन्य किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में मामले में आरक्षण नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए एवं कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

महत्वपूर्ण/समयबद्ध/फैक्स
संख्या 165/सु0भ्र0उ0ज0स0/2012-02 (01) 2012

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह रावत,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. मण्डलायुक्त,
गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल।
2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड ।

सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा अनुभाग देहरादूनःदिनांक 21 जून, 2012

विषय— गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल में " शिकायत निवारण एवं समीक्षा प्रकोष्ठ " तथा जनपदों में " शिकायत पंजीकरण प्रकोष्ठ " के सृजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आम जन की कठिनाईयों का निराकरण शीघ्रातिशीघ्र हो तथा स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रशासन की स्थापना हो, इस हेतु आवश्यक है कि आम जन द्वारा की गयी शिकायतों/परिवादों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाय तथा शिकायती प्रकरण पर की गयी कार्यवाही एवं लिए गये निर्णय से शिकायतकर्ता को अवगत कराया जाये। शिकायतों का निस्तारण समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जा रहा है, इसकी समय-समय पर उच्च स्तरीय समीक्षा की जानी आवश्यक है। यद्यपि राज्य सरकार द्वारा जन सेवा अधिकार अधिनियम लागू करके बहुत सी सेवाओं को समयबद्ध रूप से प्रदान किये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है, तथापि अनेक विषय जो शिकायतों में अंकित रहते हैं, अब भी सेवा अधिकार अधिनियम से आच्छादित नहीं है। शिकायतों के निराकरण हेतु आम जन द्वारा विभिन्न स्तरों पर परिवाद/शिकायतें दी जाती हैं। जनपद एवं मण्डल स्तर के परिवाद/शिकायतों को शासन में प्रेषित किया जाता है। शासन स्तर से इन शिकायतों को पुनः जनपद एवं मण्डल स्तर पर प्रेषित किया जाता है। इससे प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक समय लगता है तथा शासन का कार्य भी प्रभावित होता है।

2 आम जन की शिकायतों के त्वरित एवं समयबद्ध निस्तारण के लिए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गढ़वाल मण्डल एवं कुमायूँ मण्डल में मण्डलायुक्त स्तर पर " शिकायत निवारण एवं समीक्षा प्रकोष्ठ" एवं राज्य के प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय में "शिकायत पंजीकरण प्रकोष्ठ" स्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3. प्रत्येक जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय में स्थापित "शिकायत पंजीकरण प्रकोष्ठ" में आम जन अपनी शिकायत स्वयं उपस्थित होकर अथवा पंजीकृत डाक/साधारण डाक के

माध्यम से भेजकर दर्ज करा सकेंगे। शिकायत दर्ज कराते समय शिकायतकर्ता द्वारा अपना नाम एवं पता, मोबाईल/दूरभाष नम्बर (यदि हो) अंकित किया जायेगा। शिकायतकार्ता से प्राप्त शिकायत को "शिकायत पंजीकरण प्रकोष्ठ" में कम्प्यूटर में दर्ज करने के उपरान्त शिकायतकार्ता को पंजीकरण कमांक आवंटित कर प्राप्ति रसीद उपलब्ध करायी जायेगी। मण्डल स्तर पर स्थापित " शिकायत निवारण एवं समीक्षा प्रकोष्ठ" में शिकायतों/परिवादों के निस्तारण की प्रगति समीक्षा करके शिकायतों/परिवादों का निस्तारण समयबद्ध रूप से कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

4. शिकायत/परिवाद के अन्तर्गत नये प्रस्तावों, मांगों, परियोजनाओं अथवा कार्यकमों को किसी क्षेत्र विशेष अथवा राज्य में लागू करने की मांग को नहीं सम्मिलित किया जायेगा। यथा, किसी जनपद में विद्यमान दूरदराज के गॉव हेतु मोटर मार्ग निर्मित करने की मांग शिकायत/परिवाद की परिभाषा में आगणित नहीं की जायेगी । शिकायत/परिवाद के तहत केवल संचालित योजनाओं, परियोजनाओं अथवा कार्यकमों में कथित अनियमितताओं अथवा अकियान्वयन की स्थिति को ही सम्मिलित माना जायेगा । यथा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत किसी जनपद के किसी ब्लाक में खाद्यान्न का वितरण नियमानुसार न होने की शिकायत इत्यादि।

5. जनपद के शिकायत पंजीकरण प्रकोष्ठ में शिकायतें प्राप्त होने के उपरान्त उनका प्राथमिक परीक्षण जिलाधिकारी कार्यालय में उक्त प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी द्वारा किया जायेगा। जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त द्वारा शिकायतों के प्राथमिक परीक्षण हेतु नोडल अधिकारी नामित किये जायेंगे। नामित अधिकारियों का पदनाम, पूरा पता, दूरभाष नम्बर तथा ई–मेल एकाउन्ट की सार्वजनिक जानकारी दी जायेगी।

6. शिकायतों के परीक्षण हेतु नामित अधिकारियों द्वारा प्रथमतः प्रत्येक शिकायत के सम्बन्ध में यह देखा जायेगा कि शिकायत का निस्तारण किस स्तर से होना है। जो शिकायतें जनपद स्तर/जिलाधिकारी स्तर से निस्तारित होने योग्य होंगी, उनका निस्तारण जनपद/जिलाधिकारी स्तर से करते हुए शिकायतकर्ता को अवगत कराया जायेगा। जिन शिकायतों का निस्तारण विभागाध्यक्ष, मण्डल अथवा शासन स्तर से होना है, उन शिकायतों को विभागाध्यक्ष , मण्डल स्तर पर सम्बन्धित कार्यालय को अन्तरित कर उनका निराकरण कराया जायेगा। शिकायत का निस्तारण होने पर परिणाम से शिकायतकर्ता को अवगत कराया जायेगा। शासन स्तर से सम्बन्धित शिकायतों/परिवादों के सम्बन्ध में परिवादी को अवगत कराया जायेगा कि मामला शासन स्तर से निस्तारित होना है।मामले पर जनपद एवं मण्डल स्तर पर अग्रेतर कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा तथा मामले को निक्षेपित कर दिया जायेगा।

7. शिकायत पंजीकृत होने के उपरान्त उस पर यथा शीघ्र कार्यवाही कर शिकायतकर्ता को परिणामों से अवगत कराया जायेगा। शिकायत का निस्तारण कर परिणाम से शिकायतकर्ता को अवगत कराये जाने के लिए 90 कार्य दिवसों की समय सीमा होगी । अन्य स्तरों के लिए निस्तारण हेतु अग्रसारित शिकायतों को भी 90 कार्य दिवसों के अन्दर ही निस्तारण किया जाना होगा। शिकायतों को निस्तारण के लिए अन्य स्तरों पर अन्तरण के लिए अधिकतम् समय सीमा 05 कार्य दिवस होगी।

8. जिलाधिकारी प्रत्येक माह जनपद स्तर पर प्राप्त शिकायतों/परिवादों के निस्तारण की समीक्षा करेंगे। जनपद स्तर पर प्राप्त शिकायतों एवं उनके निस्तारण की प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर मण्डलायुक्त को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक प्रेषित करेंगे। मण्डलायुक्त को भेजे जाने वाले विवरण में शिकायतकर्ता का नाम एवं पता, शिकायत प्राप्त होने का दिनांक एवं निस्तारण/लम्बित होने की स्थिति से अवगत कराया जायेगा।

मण्डलायुक्तों द्वारा अपने मण्डल के समस्त जनपदों की शिकायत निवारण की स्थिति की प्रतिमाह समीक्षा की जायेगी, जिसमें विशेष रूप से इस बात पर ध्यान दिया जायेगा कि कितनी पुरानी शिकायतें/परिवाद लम्बित हैं तथा उनके लम्बित रहने का कारण कितना औचित्यपूर्ण है? उनका निस्तारण क्यों नहीं हो पा रहा है? शिकायत के निराकरण में रूचि न लेने वाले अथवा विलम्ब हेतु उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की गयी अथवा नहीं।

मण्डलायुक्त लम्बित शिकायतों/परिवादों के निस्तारण हेतु यथावश्यक/ यथाविधि निर्देश पारित कर सकेंगे। मण्डलायुक्त शिकायतों/परिवादों के निस्तारण में जिस अधिकारी द्वारा रूचि नहीं ली जा रही है अथवा विलम्ब किया जा रहा है, उसको चिन्हित करेंगे तथा विलम्ब हेतु उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को संस्तुति करेंगे । मण्डलायुक्त की संस्तुति पर सक्षम प्राधिकारी सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध उपयुक्त अनुशासनिक कार्यवाही करेंगे। मण्डलायुक्तों द्वारा शिकायतों/परिवादों के निस्तारण के सम्बन्ध में अपनी समेकित त्रैमासिक रिपोर्ट मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित की जायेगी ।

9. उक्त प्रयोजन से विभिन्न स्तरों पर रखे जाने वाली पंजिकाओं का प्रारूप निम्नवत् होगाः–

प्रारूप–1

जिलाधिकारी कार्यालय,जनपदीय कार्यालय, मण्डलायुक्त कार्यालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय में शिकायतों/ परिवादों के सम्बन्ध में रखी जाने वाली पंजिकाओं का प्रारूपः–

क्र.स.	आवेदक का नाम, पता एवं दूरभाष नम्बर	प्राप्ति का दिनांक	शिकायत का विषय	शिकायत से सम्बन्धित विभाग/ निस्तारण का स्तर	आवेदन स्वीकृत करने / निरस्त करने की स्थिति एवं संक्षिप्त कारण	कृत कार्यवाही / पारित आदेश का दिनांक एवं विवरण

Created by Ajeet Singh S.O.

प्रारूप-।।

लम्बित प्रकरणों की समीक्षा हेतु जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त स्तर पर रखी जाने वाली पंजिका का प्रारूपः-

क्र.स.	आवेदक का नाम, पता एवं दूरभाष नम्बर	मूल आवेदन के प्राप्ति का दिनांक	शिकायत का विषय	प्रकरण पर कृत कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण	लम्बित होने का कारण	उत्तरदायी अधिकारी एवं उसके विरूद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण	कृत कार्यवाही / पारित आदेश का दिनांक एवं विवरण

10. शिकायतों को दर्ज कराने हेतु जनपद हरिद्वार, उधमसिंहनगर एवं देहरादून में दो-दो कम्प्यूटर आपरेटर/डाटा एन्ट्री आपरेटर एवं अन्य जनपदों सहित मण्डलायुक्त स्तर पर एक-एक कम्प्यूटर आपरेटर/डाटा एन्ट्री आपरेटर की तैनाती आउटसोर्सिंग के माध्यम से करने की भी स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं। इनके पारिश्रमिक का भुगतान जिला कार्यालय/मण्डलायुक्त कार्यालय हेतु प्राविधानित आय-व्ययक व्यवस्था से किया जायेगा ।

11. प्रत्येक मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी द्वारा आम जन की सुविधा हेतु मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर शिकायतें दर्ज कराने के लिए संक्षिप्त विवरण, शिकायत दर्ज कराने हेतु निर्धारित कक्ष/स्थान, शिकायत निवारण हेतु निर्धारित अधिकतम् समय सीमा, शिकायतों के प्राथमिक परीक्षण करने हेतु नामित नोडल अधिकारियों का पदनाम, पूरा पता, दूरभाष नम्बर तथा ई-मेल एकाउन्ट एवं समीक्षक अधिकारी का विवरण/पता इंगित किया जायेगा।

12. उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 34NP/XXVII(5)/2012-13 दिनांक 19-06-2012 से प्राप्त सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
सचिव,

संख्या 165/सु0अ0उ0ज0स0/2012-02 (01) 2012 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. गोपन अनुभाग।
5. एन0आई0सी0/ मीडिया सेन्टर देहरादून।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)

संख्या: / /xxvii(7)/2012

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग–7 देहरादून: दिनांक 31 जुलाई, 2012

विषय:– उत्तराखण्ड के समस्त निगमों में ई–प्रोक्योरमेन्ट सिस्टम लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत है शासनादेश संख्या 102/XXVII(7)/2011 दि0 06 जुलाई, 2011 (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा राज्य में ई–प्रोक्योरमेन्ट सिस्टम लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। ई–प्रोक्योरमेन्ट सिस्टम को भारत सरकार के मिशन मोड प्रोजेक्ट के अन्तर्गत क्रियान्वित किया जाना है। उक्त के अनुसार समस्त विभागों में अधिप्राप्तियां ई–प्रोक्योरमेंट से निम्नवत् कराये जाने का निर्णय लिया गया है–

(क) रु0 पांच लाख अथवा ऊपर की धनराशि की समस्त सामग्रियां एवं सेवायें।
(ख) रु0 एक करोड़ से ऊपर की धनराशि के समस्त निर्माण कार्य।

यहां यह उल्लेखनीय है कि ई–प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008 के प्रस्तर 17 के अनुसार की गई है जो राज्य के सभी सरकारी विभागों, प्रतिष्ठानों, सांविधिक प्राधिकरणों आदि में लागू है। अतः विभिन्न संस्थाओं के जो–जो अधिकारी निर्माण कार्यों/सामग्री व सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु निविदा करने के लिए उत्तरदायी हैं, वे वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर ई–टैन्डरिंग के आधार पर कार्य किया जाना सुनिश्चित करेंगे। ई–टैन्डरिंग में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 तथा इसमें समय–समय पर किये गये संशोधनों द्वारा निर्धारित समस्त प्राविधानों एवं प्रक्रियाओं का पूर्णतः अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। निगमों को छूट है कि वे उक्त निर्धारित सीमा से कम धनराशि की सामग्री अथवा निर्माण कार्यों की अधिप्राप्ति भी ई–टेन्डरिंग के माध्यम से कर सकते है। ई–प्रोक्योरमेन्ट की व्यवस्था लागू करने के लिये निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है :–

निगम के किसी वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाना है। विभागीय नोडल अधिकारी, नोडल अधिकारी, ई–प्रोक्योरमेंट उत्तराखण्ड के सम्पर्क में रहते हुए अपने विभाग में उक्त योजना को लागू करने के सम्बन्ध में सभी आवश्यक प्रशासनिक, तकनीकी एवं प्रशिक्षण से सम्बन्धित कार्य सम्पन्न करायेंगे।

2– निगम के मुख्यालय स्तर पर ई–प्रोक्योरमेन्ट प्रकोष्ठ की स्थापना की जानी है। यह नोडल

अधिकारी के अतिरिक्त वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी एवं दो से तीन कम्प्यूटर की अभिरूचि रखने वाले अधिकारी/कार्मिक शामिल होंगे। यह प्रकोष्ठ विभाग में ई–प्रोक्योरमेंन्ट लागू करने से सम्बन्धित समस्त कार्य सम्पन्न करेगा।

3– ई–प्रोक्योरमेंन्ट लागू करने के लिए ई– टेण्डर करने वाले प्रत्येक कार्यालय को निम्न हार्डवेयर की आवश्यकता होगी:–

क– कम्प्यूटर (यू०एस०बी० पोर्ट के साथ)
ख– लेजर प्रिन्टर
ग– इन्टरनेट कनेक्शन न्यूनतम 512 KBPS
घ– स्कैनर

4– विभागीय नोडल अधिकारी सहित प्रोक्योरमेंन्ट प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले समस्त अधिकारियों को **Digital Signature** प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा जो कि उनके नाम से जारी किया जायेगा एवं जारी करने की तिथि से दो साल तक वैद्य होगा। Digital Signature सरकारी अधिकारियों को एन०आई०सी० द्वारा जारी कराया जायेगा। Digital Signature प्राप्त करने हेतु निर्धारित फार्म पर विभागीय नोडल अधिकारी के माध्यम से एन०आई०सी० को आवेदन उपलब्ध कराना होगा।

5– ई–प्रोक्योरमेंन्ट में प्रतिभाग करने वाले सभी अधिकारियों को अधिकारिक ई–मेल एड्रेस प्राप्त किया जाना आवश्यक है ताकि पासवर्ड इत्यादि की सूचना ई–मेल से प्रेषित की जा सके।

6– ई–प्रोक्योरमेंन्ट में प्रतिभाग करने वाले कान्ट्रेक्टर द्वारा प्रथम बार Digital Signature भारत सरकार की इम्पेनल्ड एजेन्सी के माध्यम से निर्धारित शुल्क पर प्राप्त किये जा सकते है। विभागीय नोडल अधिकारी इस सम्बन्ध में सभी कान्ट्रेक्टरों को मार्गदर्शित करेगें।

7– विभागीय नोडल अधिकारी system administrator के रूप में कार्य करेंगे जिसमें user create करना, user को role assign करना जैसी सेवायें शामिल है। एन०आई०सी० द्वारा system administrator को user login password उपलब्ध कराया जायेगा, जिसका प्रयोग करके वह विभागीय कार्यालय/अधिकारियों हेतु user create कर सकेंगे।

अवगत कराना है कि कतिपय सरकारी विभागों, निगमों, प्रतिष्ठानों, सांविधिक प्राधिकरणों में ई–प्रोक्योरमेंट की व्यवस्था लागू नहीं हो पायी है। अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार ई–टेन्डरिंग व्यवस्था लागू करने हेतु समस्त प्रशासकीय विभाग अधीनस्थ सभी सरकारी विभागों, निगमों, प्रतिष्ठानों, सांविधिक प्राधिकरणों को निदेशित किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें। तीन माह में कार्य की प्रगति की उच्च स्तर पर समीक्षा की जायेगी।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त

संख्या: २२२ /xxvii(7)/2011 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रधान महालेखाकार, लेखा परीक्षा, उत्तराखण्ड।
4. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबरॉय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
5. महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उत्तराखण्ड।
6. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमायूं उत्तराखण्ड।
7. समस्त निगमों के प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
9. श्री अरुणेन्द्र सिंह चौहान, नोडल अधिकारी, ई–प्रोक्योरमेंट उत्तराखण्ड ।
10. सम्बन्धित निगमों के वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4
संख्या– 361/XXIV–4/2012–
देहरादून: दिनांक 24 अगस्त, 2012

अधिसूचना

चूंकि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (केन्द्रीय अधिनियम सं0 35 वर्ष, 2009) राज्य में प्रवृत्त है और उक्त अधिनियम की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 प्रख्यापित की जा चुकी है;

और चूंकि उत्तराखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, में विद्यालयों की मान्यता सम्बन्धी नियम एवं शर्तें उपबन्धित किए जा चुके हैं;

और चूंकि उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 के अधीन भी अशासकीय पूर्व माध्यमिक/प्राथमिक/नर्सरी विद्यालयों की मान्यता के लिए विनियम उपबन्धित किए जा चुके हैं;

और चूंकि "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 251 के अधीन संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान मण्डलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति होने पर राज्य के विधान मण्डल द्वारा बनाई गई विधि उस विरोध की मात्रा तक अप्रवर्तनीय होती है;

और चूंकि उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 की धारा 18 की उपधारा (4) में राज्य सरकार को विनियमों के परिस्कार, विखण्डन या रचना करने की शक्ति दी गयी है;

अतः अब, राज्यपाल उक्त शक्तियों का प्रयोग करके उसके द्वारा उपबन्धित विनियमों के अध्याय 7के निम्नलिखित उपबन्धों को विखण्डित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(क) अशासकीय पूर्व माध्यमिक (जूनियर हाईस्कूल) विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने हेतु नियम/शर्तों से सम्बन्धित उपबन्ध;

(ख) अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता प्रदान करने हेतु नियम/शर्तों के उपबन्ध;

(ग) नर्सरी विद्यालयों की मान्यता शर्तों से सम्बन्धित उपबन्ध; और

(घ) प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता शर्तों से सम्बन्धित उपबन्ध।

(मनीषा पंवार)
सचिव।

संख्या– 361 (1) / XXIV–4 / 2012, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निजी सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, शिक्षा मंत्री को मा0 शिक्षा मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
5. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. निदेशक / सम्प्रापति, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
8. अपर शिक्षा निदेशक / गढ़वाल मण्डल, पौड़ी / कुमायूं मण्डल, नैनीताल।
9. समस्त जिलाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. उप निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि अधिसूचना की 300 प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक अनुभाग–2
संख्या 861/XXX(2)/2012 55(41)2004
देहरादून: दिनांक: 30/ 8 / 2012

अधिसूचना

राज्यपाल 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तराखण्ड सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली 2004 में संशोधन करने के उद्देश्य निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2012

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1– (1) यह नियमावली उत्तराखण्ड सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (संशोधन) नियमावली, 2012 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 2 का संशोधन

2– उत्तराखण्ड सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) नियमावली 2004 में, नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम 2 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
2– इस नियमावली के अधीन ऐसी समस्त सेवाओं तथा पदों के सम्बन्ध में जिन पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष से कम है, अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी।	2– इस नियमावली के अधीन ऐसी समस्त सेवाओं तथा पदों के सम्बन्ध में जिन पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है, अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी; परन्तु यह कि इस संशोधन से पूर्व जारी विज्ञापनों में आयु सीमा यथावत रहेगी।

आज्ञा से,

(दिलीप कुमार कोटिया)
प्रमुख सचिव।

संख्या 267 /सु.भ्र.उ.ज.से.वि /2012/02(11) 2012

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/
सचिव/प्रभारी सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

मण्डलायुक्त,
कुमायूँ एवं गढ़वाल।

समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जन सेवा अनुभाग देहरादून: दिनांक: 11 सितम्बर, 2012

विषय: जिला अधिकारियों के कृत्यों एवं कर्तव्यों का निर्धारण।

महोदय,

जिलाधिकारी जिला स्तर पर राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। उनके द्वारा राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकास कार्यक्रमों तथा कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन तथा अनुश्रवण हेतु विभिन्न विभागों तथा एजेन्सियों के मध्य समन्वय किया जाता है। शासन जिलाधिकारियों से सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को आवश्यक नेतृत्व प्रदान किये जाने की भी अपेक्षा करता है। उपरोक्त के अतिरिक्त जिला अधिकारी विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में विधि एवं नियम के अनुसार विभिन्न कार्यों एवं विनियामक कृत्यों का सम्पादन करने के लिए भी उत्तरदायी है।

2. जिला अधिकारी के कृत्यों एवं कर्तव्यों के सम्बन्ध में निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जाती है—

(क) जिलाधिकारी राज्य सरकार के किसी भी विभाग के जिले से संबंधित सभी महत्वपूर्ण मामलों के प्रसंग में संबंधित विभागीय सचिव अथवा आवश्यकतानुसार मुख्य सचिव को वस्तुस्थिति से अवगत करायेंगे। जिलाधिकारी के पत्र को शासन स्तर पर समुचित वरीयता प्रदान करते हुए समयबद्ध कार्यवाही की जायेगी तथा उससे जिलाधिकारी को भी अवगत कराया जायेगा।

(ख) जिलाधिकारी द्वारा विभिन्न विभागों की परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के द्रुतगामी एवं गुणवत्तापरक क्रियान्वयन हेतु विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को आवश्यक नेतृत्व प्रदान किया जाएगा तथा उनके द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं एवं कार्यक्रमों का

नियमित रूप से अनुश्रवण किया जाएगा। उक्त कम में जिलाधिकारी निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करेंगे:–

(I) सभी विकासात्मक तथा कल्याणकारी कार्यक्रम आम लोगों के हित के अनुरूप उच्च गुणवत्ता के साथ कियान्वित हों।
(II) विकास योजनाओं का कियान्वयन निर्धारित समय–सीमा के अन्दर पूरा हो।
(III) विभिन्न विभागों के बीच समन्वय हो तथा कार्यक्रमों में आ रही कठिनाईयों को ससमय दूर किया जाए।
(IV) विभिन्न विकास एवं कल्याणकारी कार्यकमों के उद्देश्य की पूर्ति एवं उनके कियान्वयन से वांछित परिणाम प्राप्त किये जाने की समीक्षा।
(V) विकास/कल्याणकारी कार्यों के कियान्वयन का नियमित अनुश्रवण किया जाये।
(VI) शासन के प्रतिनिधि के रूप में समय–समय पर सौंपे गये कार्यों को सम्पादित किया जाना।

3. उपरोक्त उद्धेश्यों की सुचारू रूप से प्राप्ति हेतु जिलाधिकारी द्वारा निम्न प्रशासनिक कार्य भी सम्पादित किये जायेगें:–

(i) जिलाधिकारी को विकास एवं जन सुविधाओं के कार्यकमों के कियान्वयन का स्वंय या जनपद के अन्य किसी अधिकारी से निरीक्षण करने या कराने पर ऐसी स्थिति परिलक्षित हो कि कार्यकम का कियान्वयन अपेक्षानुसार संचालित नहीं हो रहा अथवा उसका लाभ आम जन को सुचारू रूप से प्राप्त नहीं हो रहा है तब जिलाधिकारी द्वारा संबन्धित निरीक्षण के सम्बन्ध में स्वतः परिपूर्ण आख्या तथा सुझाव यदि कोई हों विभाग के सचिव/प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्ष को भेजे जायेगें तथा जनपदस्तरीय उत्तरदायी अधिकारी को परिलक्षित स्थिति से अवगत करते हुए आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए निर्देश देगें।

(ii) जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा विभागीय तथा विकास एवं जन सुविधाओं से सम्बन्धित अपने प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम की अग्रिम प्रति/सूचना जिला अधिकारी को दी जाएगी। अपरिहार्य परिस्थिति में अल्प सूचना पर जिला स्तरीय अधिकारी को भ्रमण पर जाना हो तो सम्बन्धित अधिकारी इसकी तत्काल मौखिक/दूरभाष से सूचना जिलाधिकारी को देगें। जिलाधिकारी द्वारा स्थानीय आवश्यकता व परिस्थिति के दृष्टिगत कारण अभिलिखित करते हुए संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी को मुख्यालय में रहने अथवा भ्रमण कार्यक्रम में संशोधन का निर्देश दे सकेंगे। निर्देश के अनुरूप कार्यक्रम में संशोधन किया जायेगा अथवा मुख्यालय पर बने रहा जायेगा।

(iii) विकास एवं जन सुविधाओं से सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी अपने आकस्मिक अवकाश का आवेदन जिला अधिकारी के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित करेंगे। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जिला अधिकारी की सहमति से ही आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। आकस्मिक अवकाश स्वीकृति के पश्चात यदि मुख्यालय छोडना है तो जिला अधिकारी की सहमति प्राप्त करनी अनिवार्य होगी।

(iv) जिला अधिकारी द्वारा विकास एवं जनसुविधाओं से सम्बन्धित जिला स्तरीयअधिकारी (टी.एन.गौडावर्मन मामले में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.09.2000 के अनुसरण में वन विभाग के अधिकारियों को छोड़ कर)के कार्य एवं आचरण के संबंध में वर्ष के अन्त में वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि अंकित की जाएगी। जिलाधिकारी द्वारा अंकित की जाने

वाली प्रविष्टि सम्बन्धित अधिकारी के वैभागिक प्रतिवेदक प्राधिकारी की प्रविष्टि के अलावा प्रदान की जायेगी। जिलाधिकारी की प्रविष्टि पर किसी विभागीय अधिकारी द्वारा कोई मंतव्य अथवा टिप्पणी अंकित नहीं की जायेगी। जिला अधिकारी द्वारा जिला स्तरीय अधिकारियों के सम्बन्ध में अंकित की जाने वाली प्रविष्टि में केवल विकास योजनाओं/कल्याणकारी कार्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं कार्यक्रमों को सफल बनाने में सम्बन्धित अधिकारी के योगदान तथा जनता के प्रति व्यवहार के सम्बन्ध में अपना मनतव्य पदोन्नति पर विचार के लिए अंकित करेंगे। पदोन्नति के समय विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा जिला अधिकारी द्वारा अंकित मनतव्य को समुचित महत्ता प्रदान की जायेगी। विभाग के प्राविधिक कार्यों का मूल्यांकन विभागीय अधिकारियों द्वारा ही किया जायेगा।

4. वन विभाग से सम्बन्धित अनेक विषय ऐसे हैं, जिनसे विभिन्न विभागों के विकास कार्यक्रम, वन भूमि एवं अन्य प्रकरणों से प्रभावित रहते हैं। विकास कार्यों को गति प्रदान करने के लिए इनपर समुचित समन्वय एवं शीघ्र समाधान की आवश्यकता है। जिलाधिकारी ऐसे विषयों पर जिले से सम्बन्धित वन अधिकारियों एवं सम्बन्धित विभागों के साथ प्रत्येक माह नियत तिथि पर बैठक करेंगे और विभिन्न विषयों का नियमानुसार निस्तारण एवं अनुश्रवण करेंगे। इस बैठक का कार्यवृत्त मुख्य सचिव, एफ0आर0डी0सी0, प्रमुख सचिव, वन तथा पी0सी0सी0एफ0 को भेजा जायेगा। उपरोक्त बैठकों के आधार पर जिलाधिकारी जिले से सम्बन्धित वन विभाग के अधिकारी/ अधिकारियों के वार्षिक कार्यों के बारे में अपना मंतव्य भी मुख्य सचिव, एफ0आर0डी0सी0, प्रमुख सचिव/सचिव,वन,एवं पी0सी0सी0एफ0 को भेजेंगे।

5. इस आदेश के पूर्व निर्गत शासनादेशों के वह अंश जो इस शासनादेश से असंगत है अवक्रमित समझे जायेंगे।

6. आपसे अनुरोध है कि तत्काल प्रभाव से उपर्युक्त निर्देशों का दृढ़तापूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. महानिदेशक, सूचना, उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, एनआईसी उत्तराखण्ड सचिवालय को इस आशय के साथ कि कृपया उपरोक्त शासनादेश बैबसाईट पर प्रकशित करने का कष्ट करें।
6. मीडिया सेन्टर।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(नितेश कुमार झा)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (सा0नि0–वे0आ0) अनुभाग–7
संख्या: 305/XXVII(7)02/2012
देहरादून, दिनांक 25 अक्टूबर, 2012

कार्यालय ज्ञाप

विषय: राज्य सरकार के सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या:153/XXVii(7)02/2012 दिनांक 13 जून 2012 द्वारा दिनांक 01–01–2012 से महंगाई राहत 65 प्रतिशत की दर से अनुमन्य किया गया है, के क्रम में श्री राज्यपाल ने राज्य सरकार के समस्त सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 13 जून, 2012 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए 01–07–2012 से महंगाई राहत की एक और किश्त 7 प्रतिशत (सात प्रतिशत) की दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है, तदनुसार दिनांक 01–07–2012 से राहत की दर बढ़कर 72 प्रतिशत हो गई है।

2– महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये से गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रूपये में राउण्ड कर दिया जाय।

3– यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4– यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है पर भी लागू होंगे।

5– शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए–1–252/दस/10(3)–81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान के अन्तर्गत महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

6– महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इससे पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त।

Government of Uttarakhand
Finance (G.R.-P.C.) Section -7
NO-305/XXVII(7)02/2012
Dehradun : Dated 25 October, 2012

Office Memorandum

Subject :Grant of Dearness Relief to state Government Civil/Family Pensioners.

The Undersigned is directed to refer to this office memo No- 153/XXVII(7)02/2012, dated:13 June, 2012 on the subject mentioned above sanctioning an installment of Dearness Relief with effect from 01 January, 2012 and to say that the Governor is pleased to revive the rates of dearness relief admissible to all civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average consumer price index at the rate of 7% (Seven Percent) with effect from 01 July, 2012 in super session of the rates mentioned in the O.M. dated: 13 June ,2012 refered to above accordingly the rate of dearness of pension/family pension w.e.f. 01-07-2012 has risen to 72%.

2- Payment of dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded, off to next higher rupee.

3- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of Uttaranchal Public Service Commission, employees of local bodies and Public undertaking/corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4- These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from state under the education/ Technical Education Department whose Pension/Family pension is at per with the pensioners of the state Government.

5- As per orders issued in O.M. No. A-1-252/X-10(3)-81, dated: April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M. shall be made by the paying authorities/ Public Sector Banks.

6- Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

(Radha Raturi)
Secretary

संख्याः ३०५/XXVII(7)02/2012, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

2– समस्त जिलाधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

3– प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग/सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को महंगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के संबंध में स्वयं निर्णय ले सकते है तथा इस संबंध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता न होगी।

4– क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल।

5– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।

6– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय भवन, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

7– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

8– उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियां मुद्रित कराकर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

9– वित्त, आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।

10– निदेशक, एन0 आई0 सी0, देहरादून।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव

No.305/XXVII(7)02/2012, the date

Copy forwarded to following for information and necessary action.

1- All Principal Secretaries/Secretaries.

2- All Head of Department/Offices, Uttrakhand.

3-Principal Secretary/Secretary,Urban Development/ Public Industy Development Department, Utttrakhand Government with the request that the admiribility of D.A may be permitted it self in the view of financial status of the bodies/sector and there is no need of finance Department Consent.

4- Regional Additional Director Treasury and Pension Garhwal/ Kumaon Diveision.

5- Director, Treasury and Finance services, Uttrakhand.

6- Accountant General Uttrakhand, Oberoy Building, Saharanpur Road, Majra, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.

7- All Treasury Officers, Uttrakhand.

8- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 500 copies of this G.O. be got printed and sent to the Go[illegible] please.

9- Finance, audit sale, Govt. of Uttrakhand.
10- Director, N.I.C., Dehradun.

By Order,

(S.C. Pandey)
Addl. Secretary

उत्तराखण्डशासन
वित्त (सा०नि०–वे०आ०) अनुभाग–7
संख्या 306/XXVII(7)02/2012
देहरादून, दिनांक 25 अक्टूबर 2012

कार्यालय ज्ञाप

विषयः राज्य सरकार के अपुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले सिविल/पारिवारिक पेंशनरों आदि को महंगाई राहत की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त(वे०आ०–सा०नि०)अनु०–7 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 155/xxvii(7)02/2012 दिनांक 13 जून,2012 द्वारा दिनांक 01–01–2012 से महंगाई राहत की 139 प्रतिशत की एक किश्त स्वीकृत की गई थी के कम में श्री राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार के समस्त अपुनरीक्षित पेंशन प्राप्त करने वाले सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 13 जून, 2012 में उल्लिखित दरों का अतिक्रमण करते हुए दिनांक 01 जुलाई, 2012 से 151 प्रतिशत, दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2– महंगाई राहत की ऐसी धनराशि जो एक रूपये के गुणांक में आगणित होगी, उसे अगले रूपये में राउण्ड कर दिया जाय।

3– यह आदेश मा० उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रम आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, उनके सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित होगा।

4– यह आदेश शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर पेंशनरों जिन्हें शासकीय पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन अनुमन्य है पर भी लागू होंगे।

5– शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–ए– 1–252/दस/10(3)–81, दिनांक 27 अप्रैल, 1982 में निर्गत आदेशानुसार पेंशन पर अतिरिक्त राहत आदि के भुगतान के लिये महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। अतः पेंशन भुगतान के अन्तर्गत महंगाई राहत का भुगतान कर दिया जायेगा।

6– महंगाई राहत स्वीकृत करने के सम्बन्ध में अन्य प्रतिबन्ध जो इसके पूर्व निर्गत शासनादेशों में निर्धारित थे, यथावत् लागू रहेंगे।

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

Government of Uttrakhand
Finance (G.R.-P.C.) Section -7
NO- 306/XXVII(7)02/2012
Dehradun : Dated 25 October 2012

Office Memorandum

Subject:-Grant of Dearness Relief to state Government Pre revised Civil /Family Pensioners

The Undersigned is directed to refer to this office memo No-155/XXVII(7)02/2012, dated: 13 June 2012 on the subject mentioned above sanctioning an instalment of Dearness Relief with effect from 01-01-2012 and to say that the Governor is pleased to revive the rates of dearness relief admissible to all pre revised civil/family pensioners of this Government to compensate them for the rise in the cost of living beyond average consumer price index at the rate of with effect from 01 July, 2012 to 151 %, in super session of the rates mentioned in the O.M. dated: 13 June 2012 refered to above.

2- Payment of dearness relief involving a fraction of a rupee shall be rounded, off to next higher rupee.

3- These orders will not be applicable to the Judges of High Court, Chairman and Members of Uttaranchal Public Service Commission, employees of local bodies and Public undertaking/corporation etc. in respect of whom separate orders will have to be issued by respective departments.

4- These order will also be applicable to such teaching and non-teaching pensioners of Institutions aided from state under the education/ Technical Education Department whose Pension/Family pension is at per with the pensioners of the state Government.

5- As per orders issued in O.M. No. A-1-252/X-10(3)-81, dated: April 27, 1982 the Accountant General Authority is not necessary for payment of relief of pension and as such the payment, of dearness relief as admissible under, this O.M. shall be made by the paying authorities/ Public Sector Banks.

6- Others terms and conditions regarding of dearness relief laid down in earlier Government orders shall remain applicable as usual.

(Radha Raturi)
Secretary

संख्याः 306/XXVII(7)02/2012, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

2- समस्त जिलाधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

3-प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग/सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपकम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निकाय/उपकम के कार्मिकों को महगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के संबंध में स्वयं निर्णय ले सकते है तथा इस संबंध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता न होगी।

4- क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल।

5- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।

6-महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय भवन, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून को सूचनार्थ एवं 50 अतिरिक्त प्रतियां इस आशय से प्रेषित कि राज्य के बाहर के लेखा प्राधिकारी को इसकी प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

7- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

8- उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 500 प्रतियां मुद्रित कराकर वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

9- निदेशक, एन0 आई0 सी0, देहरादून।

आज्ञा से,

(शरद चन्द पाण्डेय)
अपर सचिव

No 306/XXVII(7)02/2012, the date

Copy forwarded to following for information and necessary action.

1- All Principal Secretaries/Secretaries.

2- All Head of Department/Offices, Uttrakhand.

3-Principal Secretary/ Secretary,Urban Development / Public Industy Development Department, Utttrakhand Government with the request that the admiribility of D.A may be permitted it self in the view of financial status of the bodies/sector and there is no need of finance Department Consent.

4- Regional Additional Director Treasury and Pension Garhwal/ Kumaon Diveision.

5- Director, Treasury and Finance services, Uttrakhand.

6- Accountant General Uttrakhand, Oberoy Building, Saharanpur Road, Majra, Dehradun along with 50 extra copies with the request that account officers of other states be also informed please.

7- All Treasury Officers, Uttrakhand.

8- Deputy Director, Govt. Press, Roorkee with request that 500 copies of this G.O. be got printed and sent to the Govt. please.

9- Director, N.I.C., Dehradun.

By Order,

(S.C. Pandey)
Addl. Secretary

संख्या: ३०१/XXVII(7)02/2012

प्रेषक,

राधा रतूडी,
सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,उत्तराखण्ड।
2– वित्त अधिकारी/कुल–सचिव,समस्त राज्य विश्वविद्यालय,उत्तराखण्ड।
3– समस्त अध्यक्ष,जिला पंचायतें,उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादून,दिनांक २५ अक्टूबर,2012

विषयः राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को दिनांक 01 जुलाई,2012 से महगाई भत्ते का पुनरीक्षण ।

पठित निम्नलिखित :–

1– शासनादेश संख्या:143/XXVII(7)02/2012 दिनांक 13 जून,2012 ।
2–भारत सरकार,वित्त मंत्रालय,व्यय विभाग,कार्यालय ज्ञाप सं0 1(8)/ 2012– ई–ii(बी) दिनांक 28 सितम्बर, 2012 ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 के शासनादेश संख्या 143/XXVII(7) 02/2012 दिनांक 13जून,2012 द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2012 से महगाई भत्ता मूल वेतन के 65 प्रतिशत की दर से अनुमन्य किया गया है।

2– उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क0 सं0 1 एवं 2 में उल्लिखित शासनादेश संख्या:143/XXVII(7)02/2012 दिनांक 13जून,2012 तथा भारत सरकार,वित्त मंत्रालय,व्यय विभाग,कार्यालय ज्ञाप सं0 1(8)/2012–ई–ii(बी) दिनांक 28 सितम्बर, 2012 के कम में राज्यपाल महोदय ने दिनांक 01–07–2012 से प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों को महगाई भत्ते में 7 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 65 प्रतिशत से बढ़ाकर 72 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।

3– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या–1–1599/दस–42(एम)/97,23नवम्बर,1998 के प्रस्तर–3,4,5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

4– इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत/संशोधित दरों पर महगाई भत्ते को दिनांक 01 जुलाई,2012, से उन कर्मचारियों, जिनकी सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद हुई हो (अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित हैं) को छोड़कर शेष कर्मचारियों को दिनांक 01 जुलाई, 2012 से 30 सितम्बर,2012 तक(सेवा निवृत्त एवं 6 माह के अधीन सेवा निवृत्त होने वाले व्यक्तियों को छोड़कर) की बढ़ी हुई धनराशि उनके सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी तथा माह 01 अक्टूबर,2012 से इसको नकद भुगतान किया जाएगा। परन्तु 01 अक्टूबर,2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के अवशेष(एरियर) की धनराशि नई पेंशन योजना में जमा की जायेगी।

5– इस आदेश के द्वारा स्वीकृत महगाई भत्ते के भुगतान की प्रकिया जो उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित है, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर भी लागू होगी।

भवदीय,
(राधा रतूडी)
सचिव।

संख्या : 307/ xxvii(7)02/2012 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार,ओबराय भवन,माजरा,देहरादून।
2. समस्त कोषाधिकारी,उत्तराखण्ड,देहरादून।
3. वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक),भारत सरकार,वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), कमरा नं-261,नार्थ ब्लाक,नई दिल्ली-110001।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, शहरी विकास विभाग/सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को मंहगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के संबंध में स्वंय निर्णय ले सकते है तथा इस संबंध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता न होगी।
5. सचिव,राज्यपाल महोदय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
6. सचिव,विधान सभा,उत्तराखण्ड,देहरादून।
7. महानिबन्धक,उच्च न्यायालय,उत्तराखण्ड,देहरादून।
8. रीजनल प्रॉविडेन्ट फण्ड कमिश्नर,कानपुर/देहरादून।
9. निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवाएं,उत्तराखण्ड,देहरादून।
10. वित्त, आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
11. स्थानिक आयुक्त,उत्तराखण्ड,नई दिल्ली।
12. निदेशक,एन0आई0सी0,उत्तराखण्ड,देहरादून।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव।

पत्रांकः— 313/xxvii(7)40(ix)/2011

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनु–07, देहरादून: दिनांकः ६० अक्टूबर,2012

विषयः राज्य कर्मचारियों के लिये एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों के लिये दिनांक 01.01.2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में समयमान वेतनमान/एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की व्यवस्था शासनादेश सं0–872/xxvii(7)न0प्रति0/2011, दिनांक 08 मार्च 2011 द्वारा लागू करते हुये कतिपय बिन्दुओं को स्पष्ट करने हेतु अग्रेत्तर शासनादेश सं0–10/xxvii(7)40 (ix)/2011, दिनांक 07 अप्रैल 2011, सं0–65/xxvii(7)40(ix)/2011, दिनांक 04 अगस्त 2011 एवं सं0–216/xxvii(7)40 (ix)/2011, दिनांक 14 अक्टूबर 2011 भी निर्गत किये गये हैं।

2. इस सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों पर अनुभव की जा रही कठिनाइयों एवं कतिपय बिन्दुओं–जिज्ञासाओं के सन्दर्भ में अपेक्षित स्पष्टीकरण–मार्गदर्शन के विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन–स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) के प्रसंग में बिन्दुवार स्थिति निम्नवत् सुस्पष्ट करते हुये तद्नुसार ही एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की व्यवस्था लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) पुनरीक्षित वेतन–संरचना में एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की व्यवस्था समस्त श्रेणी के राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये समानता के आधार पर एक ही तिथि 01.09.2008 से प्रभावी होगी और दिनांक 31.08.2008 तक पुनरीक्षित वेतन–संरचना में सभी वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन के पद धारकों हेतु समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था, यथावत् लागू रहेगी। परिणामस्वरूप दिनांक 01.01.1996 से लागू वेतनमानों में रू0 8000–13500 या उससे उच्च वेतनमान के पदधारकों के सम्बन्ध में समयमान वेतनमान की दिनांक 31.12.2005 तक प्रभावी रही, पूर्व व्यवस्था अब दिनांक 31.08.2008 तक यथावत् लागू समझी जायेगी। शासनादेश संख्या–395/xxvii(7)/2008, दिनांक 17 अक्टूबर 2008 का प्रस्तर–13 एवं उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च 2011 का प्रस्तर–1(1) इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(2) सीधी भर्ती के किसी पद पर प्रथम नियमित नियुक्ति की तिथि से क्रमशः 10 वर्ष, 18 वर्ष एवं 26 वर्ष की अनवरत एवं संतोषजनक सेवा के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के लाभ, निम्न प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किये जायेंगे और तदनुसार उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च 2011 का प्रस्तर–1(2)(1) संशोधित समझा जायेगा :–

(क) प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन सीधी भर्ती के पद के वेतनमान/सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में 10 वर्ष की नियमित सेवा, निरन्तर एवं संतोषजनक रूप से पूर्ण कर लेने पर देय होगा।

परन्तु,

किसी पद का वेतनमान/वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन किसी समय–बिन्दु पर उच्चीकृत होने की स्थिति में वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु सेवा–अवधि की गणना में पूर्व वेतनमान/वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन तथा उच्चीकृत वेतनमान/वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में की गयी सेवाओं को जोड़कर उच्चीकृत ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा।

(ख) प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 08 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा अथवा कुल 18 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा।

परन्तु,

यदि ए०सी०पी की व्यवस्था लागू होने के बाद सम्बन्धित कार्मिक की प्रोन्नति, उसे प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन देय होने की तिथि के पूर्व अथवा उसके पश्चात प्राप्त हो जाती है, तो प्रोन्नति की तिथि से 08 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा अथवा कुल 18 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, से प्रोन्नति के पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य होगा।

(ग) द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 08 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा अथवा कुल 26 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा।

परन्तु,

ऐसे पदधारक, जिन्हें एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए०सी०पी०) लागू होने की तिथि 01.09.2008 से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन 18 वर्ष या अधिक की सेवा–अवधि पर अनुमन्य होता है, को द्वितीय स्तरोन्नयन में 08 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा अथवा कुल 26 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा।

(3) एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए०सी०पी०) की व्यवस्था लागू होने के पूर्व अथवा बाद में, प्रथम पदोन्नति होने के उपरान्त केवल द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन तथा द्वितीय पदोन्नति प्राप्त होने के उपरान्त तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ ही देय रह जायेगा। तीसरी पदोन्नति प्राप्त होने के तिथि के पश्चात किसी भी दशा में वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य न होगा। इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 01.01.2006 से लागू पुनरीक्षित

वेतन संरचना में यदि समान ग्रेड वेतन वाले पद पर प्रोन्नति हुयी है, तो उसे भी वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु पदोन्नति माना जायेगा। यहां, "**समान ग्रेड वेतन**" का आशय, उस ग्रेड वेतन से तुलना का है, जो कार्मिक की पदोन्नति की तिथि को, उसे किसी भी रूप में (पद के साधारण वेतनमान या समयमान वेतनमान या ए0सी0पी0 यथास्थिति) वास्तविक रूप से प्राप्त ग्रेड वेतन होगा। इस प्रकार यदि किसी कार्मिक की पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन, उसे प्राप्त पदोन्नति की तिथि को, पूर्व से वास्तविक रूप में प्राप्त ग्रेड वेतन से निम्न होगा, तो ऐसी पदोन्नति को एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) के प्रसंग में वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में नहीं माना जायेगा। इस सीमा तक उक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च 2011 का प्रस्तर–1 (2) (v) संशोधित समझा जायेगा किन्तु उसके अधीन "**परन्तुक**" यथावत लागू रहेगा।

(4) किसी वरिष्ठ कार्मिक की पदोन्नति के फलस्वरूप अनुमन्य ग्रेड वेतन, कनिष्ठ कार्मिक को एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की व्यवस्था में प्राप्त ग्रेड वेतन से निम्न होने की स्थिति का निराकरण किये जाने हेतु सम्बन्धित वरिष्ठ कार्मिक को निम्नानुसार लाभ अनुमन्य कराया जायेगा और तदनुसार उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च 2011 का प्रस्तर–1(7) एवं शासनादेश दिनांक 07 अप्रैल 2011 के प्रस्तर–3 की तालिका में बिन्दु–02 के संदर्भ में पूर्व निर्गत स्पष्टीकरण को संशोधित समझा जायेगा:–

" किसी कार्मिक को पदोन्नति पर प्राप्त होने वाला ग्रेड वेतन, एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की व्यवस्था के अन्तर्गत किसी कनिष्ठ कार्मिक को प्राप्त हो रहे ग्रेड वेतन से निम्न होने की स्थिति में वरिष्ठ कार्मिक को कनिष्ठ के समान ग्रेड वेतन, कनिष्ठ को देय तिथि से अनुमन्य कराया जायेगा, जब वरिष्ठ तथा कनिष्ठ कार्मिकों की भर्ती का स्रोत तथा सेवा–शर्तें समान हो तथा यह भी कि वरिष्ठ कार्मिक की यदि पदोन्नति न हुई होती, तो वह निम्न पद पर कनिष्ठ कार्मिक को एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) के अन्तर्गत उक्त वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता की तिथि से अथवा उसके पूर्व की तिथि से एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) के अन्तर्गत उक्त वित्तीय स्तरोन्नयन के लिये अर्ह होता।"

(5) उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च, 2011 के **प्रस्तर–3 (प्रथम अंश)** में उल्लिखित " **धारित पद**" का आशय एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की व्यवस्था के प्रसंग में सामान्य अवधारणा के दृष्टिगत उस पद से समझा जाये, जिस पद पर सम्बन्धित कार्मिक सेवा के प्रारम्भ में "**सीधी भर्ती**" से नियुक्त हुआ हो और इसी प्रस्तर में " **उक्त आधार**" का आशय कि उक्त शासनादेश के ही प्रस्तर–1 (यथा संशोधित) में निहित व्यवस्था से है। इस सीमा तक उक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च 2011 का उपर्युक्त प्रस्तर–3 (प्रथम अंश) संशोधित समझा जायेगा।

3. उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च 2011,(यथा संशोधित), जिसमें निहित एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की व्यवस्था को सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो (औ0वि0अनु0–1) से निर्गत शासनादेश सं0–2225/vii–1/60–उद्योग/2011 दिनांक

30.11.2011 के प्रस्तर–1(7) द्वारा सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों के कार्मिकों पर भी यथावत् लागू किया गया है, के प्रस्तर–3 (द्वितीय अंश) के सुसंगत उप प्रस्तरों में राज्य सरकार के अधीन विभिन्न उपक्रमों/ सार्वजनिक निगमों के कार्मिकों, जिनके लिये समयमान वेतनमान/उच्च वेतनमान की व्यवस्थायें भिन्न–भिन्न दशाओं में और भिन्न–भिन्न सेवा–अवधियों पर लागू रही हों, के लिये भी एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की अनुमन्यता के सम्बन्ध में अपनायी जाने वाली प्रकिया का उल्लेख नहीं है। अतएव उनके सम्बन्ध में प्रश्नगत प्रकिया सम्बन्धी शासनादेश सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों द्वारा वित्त विभाग की सहमति से यथाशीघ्र पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

4. कृपया उपर्युक्तानुसार स्थिति से अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भी यथाशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त

संख्या:– 313 (1)/ xxvii(7)40(ix)/2011 तद्दिनांक:–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
4. प्रमुख सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें–सह–स्टेट इण्टरनल आडीटर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
8. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10. इरला चेक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एल0एन0पन्त)
अपर सचिव।

पत्रांकः– 314 /xxvii(7)40(ix)/2011

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनु–07. देहरादूनः दिनांक 30 अक्टूबर,2012

विषयः राज्य कर्मचारियों के लिये एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों के लिये दिनांक 01.01.2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में समयमान वेतनमान/एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की व्यवस्था शासनादेश सं0–872/xxvii(7)न0प्रति0/2011, दिनांक 08 मार्च 2011 द्वारा लागू करते हुये कतिपय बिन्दुओं को स्पष्ट करने हेतु अग्रेत्तर शासनादेश सं0–10/xxvii(7)40 (ix)/2011 दिनांक 07 अप्रैल 2011, सं0–65/xxvii(7)40(ix)/2011 दिनांक 04 अगस्त 2011 एवं सं0–216/xxvii(7)40(ix)/2011, दिनांक 14 अक्टूबर 2011 भी निर्गत किये गये हैं।

2. इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पुनरीक्षित वेतन–संरचना में वेतन बैण्ड 15600–39100 ग्रेड वेतन रू0 5400 से निम्न ग्रेड वेतन वाले पदधारकों को पूर्व में लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था के अन्तर्गत अनुमन्य होने वाले लाभों को समायोजित करते हुये एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की अनुमन्यता के सम्बन्ध में स्पष्ट प्राविधान उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च 2011 के प्रस्तर–3(द्वितीय अंश) के विभिन्न उप प्रस्तरों में निहित है किन्तु ग्रेड वेतन रू0 5400 एवं उससे उच्च ग्रेड वेतन के पदो के पदधारकों के लिये एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की अनुमन्यता के सम्बन्ध में अपनायी जाने वाली प्रकिया का उसमें उल्लेख न होने के कारण, तत्सम्बन्धित स्पष्टीकरण की भी अपेक्षा है। अतएव ऐसे पदधारकों के सम्बन्ध में भी अपनायी जाने वाली प्रकिया को निम्नवत् सुस्पष्ट करते हुये तदनुसार ही एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की व्यवस्था लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(क) पुनरीक्षित वेतन–संरचना में एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) लागू होने की तिथि 01.09.2008 को कोई अधिकारी, जिसके द्वारा धारित पद का ग्रेड वेतन रू0 5400 या अधिक है, पद के साधारण वेतनमान में है, को एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की व्यवस्था के अन्तर्गत अर्हकारी सेवा की गणना उक्त पद धारित करने की तिथि से करते हुये उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च 2011 के

प्रस्तर–1(यथा संशोधित/यथा स्पष्टीकरण) में निहित व्यवस्थानुसार वित्तीय स्तरोन्नयन के लाभ यथास्थिति अनुमन्य होंगे। यहां भी, **"धारित पद"** का आशय एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की व्यवस्था के प्रसंग में सामान्य अवधारणा के दृष्टिगत उस पद से समझा जाये, जिस पद पर सम्बन्धित कार्मिक सेवा के प्रारम्भ में **"सीधी भर्ती"** से नियुक्त हुआ हो और इसी प्रस्तर में **"उक्त आधार"** का आशय उक्त शासनादेश के ही प्रस्तर–1 (यथास्थिति) में निहित व्यवस्था से है।

(ख) उपर्युक्त पदधारक, जो दिनांक 01.09.2008 को समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत उपर्युक्त स्पष्टीकरण के अनुसार सीधी भर्ती से धारित पद के साधारण वेतनमान से उच्च किसी वैयक्तिक वेतनमान (सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन) में कार्यरत है, को निम्नानुसार एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) के लाभ देय होंगे:–

(i) पुनरीक्षित वेतन–संरचना में ग्रेड वेतन रू0 5400 अथवा उससे उच्च ग्रेड वेतन के ऐसे कार्मिक, जिन्हें समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि (08 वर्ष/अभियंत्रण एवं कतिपय विशिष्ट संवर्ग के लिये 05 वर्ष/कतिपय मामलों में 06 वर्ष) की सेवा पर दिनांक 01.09.2008 के पूर्व प्रथम उच्च वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें वैयक्तिक रूप से अनुमन्य ग्रेड वेतन में न्यूनतम 08 वर्ष की सेवा सहित कुल 18 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने की तिथि अथवा दिनांक 01.09.2008, जो भी बाद में हो, से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में प्रथम उच्च वैयक्तिक वेतनमान के सादृश्य प्राप्त हो रहे ग्रेड वेतन से अगला उच्च ग्रेड वेतन इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य होगा कि सम्बन्धित कार्मिक अनुमन्यता की तिथि तक धारित पद से किसी पद पर पदोन्नत न हुआ हो। सेवा–अवधि की गणना उस पद पर नियुक्ति की तिथि से की जायेगी, जिस पद के सदंर्भ में प्रथम उच्च वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य कराया गया था।

(ii) पुनरीक्षित वेतन–संरचना में ग्रेड वेतन रू0 5400 अथवा उससे उच्च ग्रेड वेतन के ऐसे कार्मिक, जिन्हें समयमान वेतनमान पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि (14 वर्ष/अभियंत्रण एवं कतिपय विशिष्ट संवर्ग के लिये 12 वर्ष/कतिपय मामलों मे 16 वर्ष/18 वर्ष) की सेवा पर दिनांक 01.09.2008 के पूर्व द्वितीय उच्च वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें कुल 26 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने की तिथि अथवा दिनांक 01.09.2008, जो भी बाद में हो, से द्वितीय उच्च वैयक्तिक वेतनमान के सादृश्य प्राप्त हो रहे ग्रेड वेतन से अगला उच्च ग्रेड वेतन इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य होगा कि सम्बन्धित कार्मिक अनुमन्यता की तिथि तक उक्त धारित पद से किसी अन्य पद पर पदोन्नत न हुआ हो, जिस पर रहते हुये उसे द्वितीय उच्च वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य हुआ हो। सेवा अवधि की गणना उस पद पर नियुक्ति की तिथि से की जायेगी, जिस पद के सदंर्भ में द्वितीय उच्च वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य कराया गया था।

(ग) सीधी भर्ती के पद पर प्रथम नियुक्ति की तिथि से तीन वित्तीय स्तरोन्नयन अथवा तीन पदोन्नतियां प्राप्त होने के पश्चात किसी भी दशा में आगे वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ देय नही है। एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की उक्त सामान्य अवधारणा के दृष्टिगत पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–3 एवं

ग्रेड वेतन रू0 5400 से प्रारम्भ होने वाली सेवाओं के ऐसे पदधारक, जिन्हें समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत 15 प्रतिशत पदों के सापेक्ष सेलेक्शन ग्रेड के रूप में ग्रेड वेतन 8700 वैयक्तिक रूप से अनुमन्य हो चुका है, उन्हें सेवा में प्रवेश (ENTRY) के पद से तीन वित्तीय स्तरोन्नयन के समतुल्य लाभ अनुमन्य हो जाने के कारण एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की व्यवस्था के अन्तर्गत आगे कोई लाभ देय नही होगा।

3. उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च 2011,(यथा संशोधित), जिसमें निहित ए0सी0पी0 की व्यवस्था को सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो (औ0वि0अनु0–1) से निर्गत शासनादेश सं0–2225/vii–1/60–उद्योग/2011 दिनांक 30.11.2011 के प्रस्तर–1(7) द्वारा सार्वजनिक निगमों/उपकमों के कार्मिकों पर भी यथावत् लागू किया गया है, के प्रस्तर–3 (द्वितीय अंश) के सुसंगत उप प्रस्तरों में राज्य सरकार के अधीन विभिन्न उपकमों/सार्वजनिक निगमों के कार्मिकों, जिनके लिये समयमान वेतनमान/उच्च वेतनमान की व्यवस्थायें भिन्न–भिन्न दशाओं में और भिन्न–भिन्न सेवा–अवधियों पर लागू रही हों, के लिये भी एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की अनुमन्यता के सम्बन्ध में अपनायी जाने वाली प्रकिया का उल्लेख नहीं है। अतएव उनके सम्बन्ध में प्रश्नगत प्रकिया सम्बन्धी शासनादेश सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों द्वारा वित्त विभाग की सहमति से यथाशीघ्र पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

4. कृपया उपर्युक्तानुसार स्थिति से अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भी यथाशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त

<u>संख्या:– 3।५ (1)/ xxvii(7)40(ix)/2011 तद्दिनांक:–</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
4. प्रमुख सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें–सह–स्टेट इण्टरनल आडीटर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
8. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10. इरला चेक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एल0एन0पन्त)
अपर सचिव।

संख्या 37/XXVII(7)27(2)/2013

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2— समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त(वे0आ0—सा0नि0)अनु0—07 देहरादून:दिनांक:16 जनवरी, 2013

विषय:— उत्तराखण्ड सचिवालय से इतर राजकीय विभागों के लिपिकीय संवर्ग के वेतनमान संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में उत्तराखण्ड सचिवालय से इतर राजकीय विभागों के लिपिकीय संवर्ग के पदनाम एवं वेतनमान संशोधन के संबंध में श्री राज्यपाल निम्नवत् सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

क्र0सं0	पदनाम	वर्तमान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन	संशोधित पदनाम	संशोधित वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन
1	2	3		4
1	कनिष्ठ सहायक	₹ 5200—20200 ग्रेड पे ₹1900	कनिष्ठ सहायक	₹5200—20200 ग्रेड पे ₹2000
2	प्रवर सहायक	₹5200—20200 ग्रेड पे ₹2400	वरिष्ठ सहायक	₹5200—20200 ग्रेड पे ₹2800
3	मुख्य सहायक	₹5200—20200 ग्रेड पे ₹2800	प्रधान सहायक	₹9300—34800 ग्रेड पे ₹4200
4	प्रशासनिक अधिकारी	₹9300—34800 ग्रेड पे ₹4200	प्रशासनिक अधिकारी	₹ 9300—34800 ग्रेड पे ₹4600
5	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	₹9300—34800 ग्रेड पे ₹4600	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	₹9300—34800 ग्रेड पे ₹4800
6	—	—	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	₹15600—39100 ग्रेड पे ₹5400

2— कलेक्ट्रेट, मण्डलायुक्त कार्यालय, तथा प्रदेश के ऐसे विभाग जिनमें विभागाध्यक्ष वेतनमान ₹67000—3 प्रतिशत वेतनवृद्धि की दर—79000 के स्तर के पद हैं, वहां लिपिकीय संवर्ग में पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड ₹15600—39100 एवं ग्रेड वेतन ₹5400 में मुख्य प्रशासनिक अधिकारी पदनाम से पद रखा जायेगा।

3— लिपिक संवर्ग के अन्तर्गत सीधी भर्ती हेतु शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं तथा पदोन्नति हेतु सेवा अवधि की अर्हता के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा पृथक से नियमों में संशोधन किये जायेंगे।

4— उक्तानुसार संशोधित वेतनमान का लाभ दिनांक 01—04—2013 से अनुमन्य होगा।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संख्या:- 373 (1)/ xxvii(7)27(2)/2011 तद्‌दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
4. प्रमुख सचिव, मा० राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें-सह-स्टेट इण्टरनल आडीटर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
8. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10. इरला चेक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
11. निदेशक, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
अपर सचिव।

संख्या- 65 /IX-1/2013/215/2011

प्रेषक,

डा0 उमाकान्त पंवार
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव / सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

2–समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

3–मण्डलायुक्त, गढ़वाल / कुमांऊ, उत्तराखण्ड।

4–पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।

परिवहन अनुभाग–1 *देहरादून: दिनांक 17 जनवरी, 2013*

विषयः–राज्य के विशिष्ट एवं अति विशिष्ट महानुभावों तथा राज्य सरकार के विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों हेतु शासकीय वाहन के क्रय के सम्बन्ध में नीति।

महोदय

राज्य सरकार के अधीन स्थापित विभागों में विभिन्न स्तर के अधिकारियों को वाहन अनुमन्य किये गये है। इस अनुमन्यता के आधार पर विभागों द्वारा बजट के अनुरूप वाहन क्रय किये जाते हैं। कुछ विभागों द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बाजार से वाहन किराये पर लिये जाते हैं। वर्तमान में राज्य में वाहनों के क्रय एवं रख–रखाव से सम्बन्धित व्यवस्था में एकरूपता न होने के कारण शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त शासकीय वाहन के क्रय के सम्बन्ध में निम्नवत नीति निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

1. **विभिन्न श्रेणी के महानुभावों एवं अधिकारियों को शासकीय वाहनों के मॉडल / मूल्य की अनुमन्यता।**

श्रेणी	महानुभाव / अधिकारी*	अधिकतम वाहन क्रय मूल्य
A	मा0 केबिनेट मंत्रीगण, मुख्य सचिव, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अपर मुख्य सचिव, महानिदेशक पुलिस व समकक्ष अधिकारी	15 लाख तक
B	प्रमुख सचिव, सचिव, मण्डलायुक्त, आई.जी. पुलिस एवं अन्य समकक्ष	12 लाख तक
C	अपर सचिव, विभागाध्यक्ष, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं अन्य समकक्ष	8 लाख तक
D	अन्य अधिकृत अधिकारी / निदेशालयों के अधिकारी / निगमों के अधिकारी आदि / समकक्ष	6 लाख तक

वाहनों के मॉडल –

आउटसोर्सिंग द्वारा अथवा शासकीय क्रय के माध्यम से अधिप्राप्त किये जाने वाले उपरोक्त श्रेणीवार निर्धारित मूल्य सीमा के भीतर आने वाले वह डीजल अथवा पैट्रोल चलित वाहन खरीदे/प्राप्त किये जा सकेंगे जो केन्द्र सरकार/राज्य सरकार की डी0जी0एस0 एण्ड डी0 सूची में सम्मिलित होंगे।

केन्द्र सरकार/राज्य सरकार की डी0जी0एस0 एण्ड डी0 सूची से बाहर के मॉडलों की अधिप्राप्ति के सम्बन्ध में राज्य सरकार के प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

2. **शासकीय प्रयोग में लाये जाने वाले वाहनों को आउटसोर्सिंग प्रणाली/क्रय से अधिप्राप्त करने सम्बन्धी नीतिः–**

शासकीय प्रयोग में लाये जाने वाले वाहनों को आउटसोर्सिंग प्रणाली/क्रय आदि अधिप्राप्ति करने वाली प्रणालियों के तुलनात्मक अध्ययन से अधिप्राप्ति के लिये निम्नलिखित विकल्प होगेः–

1. निजी वाहन के प्रयोग का विकल्प।
2. आउटसोर्सिंग से वाहनों को प्राप्त करने का विकल्प।
3. शासन द्वारा वाहनों का स्वयं क्रय एवं संचालन करना सबसे महंगा विकल्प है।

विभिन्न श्रेणियों के लिए अधिप्राप्ति के निम्नलिखित विकल्प होंगे–

क्र. स.	श्रेणी		वाहन क्रय मूल्य–रेंज (मार्च, 2012 के मूल्य)	प्रणाली
1	A	Ministers, CS, DGP, Equivalent	15 लाख तक	शासन द्वारा अधिप्राप्ति अथवा आउटसोर्सिंग द्वारा
2	B	Pri. Secy., Secy, Comm. Equivalent	12 लाख तक	प्रथम विकल्पः–रिइम्बर्समेन्ट द्वितीय विकल्पः–आउटसोर्सिंग
3	C	Add. Secy., DM, SSP, Equivalent	08 लाख तक	प्रथम विकल्पः–रिइम्बर्समेन्ट द्वितीय विकल्पः–आउटसोर्सिंग
4	D	Others Below Category C above	06 लाख तक	प्रथम विकल्पः–रिइम्बर्समेन्ट द्वितीय विकल्पः–आउटसोर्सिंग
5	O	Negative List (Comm. DM, etc.)	As per B,C,D above	शासन द्वारा अधिप्राप्ति

Category "O" (Negative list) :

श्रेणी **"O"** (नेगेटिव लिस्ट) में वह पद हैं जो संवैधानिक हैं अथवा प्रशासन की गोपनीयता/ संवेदनशीलता/सुरक्षा के दृष्टिगत से ऐसे पद हैं, जिनके लिए वाहनों की अधिप्राप्ति/संचालन/रख–रखाव आउटसोर्सिंग के माध्यम से करना उचित नहीं होगा। इन पदों हेतु अधिप्राप्ति का दायित्व शासन के सम्बन्धित विभागों का ही होगा। इस श्रेणी में निम्नलिखित पद होंगे –

1. श्रेणी– **'A'** के सभी पद, परन्तु श्रेणी– **'A'** के लिए आउटसोर्सिंग का विकल्प भी खुला रहेगा।

2. मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी, महानिदेशक पुलिस एवं जिला पुलिस अधीक्षक व अन्य जिन्हें समय–समय पर शासन द्वारा इंगित किया जाय।

3. शासकीय अधिकारियों को स्वचालित निजी वाहन व्यवस्था अनुमन्य करने तथा इस हेतु भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में नीतिः–

1. श्रेणी बी० सी० व डी० के अधिकारियों को सर्वप्रथम अपने निजी वाहन को शासकीय कार्य हेतु प्रयोग करने का विकल्प रहेगा। प्रथम चरण में यह विकल्प केवल सचिवालय तथा देहरादून मुख्यालय पर तैनात अधिकारियों को ही अनुमन्य होगा।

2. इस विकल्प को चुनने वाले अधिकारियों को निजी वाहन प्रयोग पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

3. निजी वाहन के प्रयोग किए जाने पर दावे के भुगतान हेतु अनुमन्य अधिकतम सीमा निर्धारण करने के अन्तर्गत निम्न तथ्यों को संज्ञान में लिया जायेगाः–

   1. Depreciation on capital cost say 6% of the capital cost. यदि वाहन की कीमत औसतन सचिव स्तर के अधिकारियों के लिए रू० दस लाख रखी जाए तो ₹ 60,000/– Depreciation प्रतिवर्ष होगा अर्थात् औसतन ₹ 5000/– प्रतिमाह।
   2. प्रतिमाह 120 लीटर पेट्रोल के औसत के आधार पर ₹ 70 प्रति लीटर के अनुसार ₹ 8,400/– प्रतिमाह ईंधन व्यय।
   3. वाहन चालक का मानदेय ₹ 7000/– प्रतिमाह।
   4. प्रतिवर्ष वाहन का बीमा अर्थात् लगभग 2.5 प्रतिशत वाहन की कीमत का अर्थात् ₹ 25000/– प्रतिवर्ष जो हर वर्ष घटता रहेगा को दृष्टिगत रखते हुए ₹ 1500/– प्रतिमाह बीमा मद में व्यय।
   5. वाहन का रख–रखाव प्रतिमाह ₹ 1000/–
   6. इस प्रकार उपरोक्त बिन्दु 1 से लेकर 5 तक कुल ₹ 23,000/– प्रतिमाह होगा।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए C एवं D श्रेणी के अधिकारियों के लिए उनके वाहन की कम लागत एवं शहर में 10 से 12 कि०मी० प्रतिलीटर के औसत को देखते हुए क्रमशः 100 लीटर एवं 80 लीटर प्रतिमाह तथा वाहन चालक के रूप में ₹ 7000/– प्रतिमाह एवं रख–रखाव को देखते हुए श्रेणी C के लिए ₹ 20,000/– तथा D श्रेणी के लिए ₹ 17,000/– की अनुमन्यता होगी।

	'बी' श्रेणी	'सी' श्रेणी	'डी' श्रेणी
	वाहन की औसत कीमत ₹ 10लाख	वाहन की औसत कीमत ₹ 7 लाख	वाहन की औसत कीमत ₹ 5 लाख
Depreciation @ 6% की दर से प्रतिमाह धनराशि	5,000	3,500	2,500

पेट्रोल	8,400(120 लीटर)	7,000 (100 लीटर)	5,600 (80 लीटर)
वाहन चालक मानदेय	7,000	7,000	7,000
बीमा	1500	1250	1000
रख–रखाव	1000	750	500
कुल योग	22,900– 23,000	19,500–20,000	16,600–17,000

2– निजी वाहन प्रयोगकर्ता द्वारा reimbursement claim की अनुमन्य सीमा तक प्रतिमाह अपना दावा आहरण वितरण अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। इस प्रकार की प्रकिया अपनाए जाने पर आयकर अधिनियम की धारा 10(14) नियम 2BB के अन्तर्गत आयकर से छूट प्रदान है। वाहन के उपयोग करने वाले अधिकारी द्वारा निवास से कार्यालय आने जाने हेतु वाहन के उपयोग पर ₹ 500/– की कटौती करते हुए भुगतान दावा प्रस्तुत किया जाएगा।

यदि कोई अधिकारी किसी माह में 15 या उससे अधिक दिन कार्यरत रहता है तो अनुमन्यता की धनराशि की सीमा के अन्तर्गत अन्यथा 15 दिन से कम रहने पर आधी धनराशि दिए जाने पर विचार किया जा सकता है क्योंकि 15 दिन से कम रहने पर भी वाहन चालक एवं Depreciation आदि का व्यय तो होता ही रहेगा। प्रत्येक वर्ष के पश्चात् ईंधन के मूल्य में वृद्धि अथवा कमी होने पर निजी वाहन प्रयोग दरों को पुनरीक्षित करने पर विचार किया जाएगा।

तत्काल प्रभाव से नई गाड़ियों (A श्रेणी को छोड़ते हुए) के क्रय एवं वाहन चालक की भर्ती पर रोक लगायी जाती है। ग्रेड पे 7600/– से निम्न अधिकारियों को चिन्हित कर वाहन की आवश्यकतानुसार एवं पूर्ण औचित्य के साथ प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति के उपरान्त वाहन अनुमन्य किया जायेगा। सभी विभागाध्यक्षों से वर्तमान में उपलब्ध वाहन तथा नियमित वाहन चालकों की संख्या भी प्राप्त कर ली जाए जिसके आधार पर निर्णय लेने में सुगमता होगी। इसके लिए परिवहन विभाग को नोडल विभाग बनाया जाता है।

राज्य सम्पत्ति विभाग में श्रेणी A के द्वारा वर्तमान में प्रयोग में लाए जा रहे वाहनों को यदि वापस करते हुए नए वाहन की मांग की जाती है तो ऐसी स्थिति में राज्य सम्पत्ति द्वारा प्रथमतः निष्प्रयोज्य वाहन के बदले श्रेणी A से प्राप्त वापस वाहनों (Handed Down Cars) को प्रयोग में लाया जाएगा। यदि Handed Down Cars की उपलब्धता नहीं है उस स्थिति में बाह्य स्रोत से वाहन उपलब्ध कराया जाएगा।

इसी प्रकार नए वाहन के क्रय की रोक लगने के पश्चात् B,C एवं D श्रेणी के अधिकारियों द्वारा उन परिस्थितियों में जब उनको उपलब्ध कराए गए सरकारी वाहन निष्प्रयोज्य की श्रेणी में आ जाते हैं तब उन्हें भी Handed Down Cars उपलब्ध कराई जाएंगी। Handed Down Cars की उपलब्धता न होने पर उन्हें निजी कार का प्रयोग सरकारी ड्यूटी के लिए अनुमन्य किया जा सकता है, यदि अधिकारी निजी कार का प्रयोग नहीं करना चाहता है तो ऐसी स्थिति में बाह्य स्रोत से वाहन उपलब्ध कराया जाएगा।

बाह्य स्रोत से वाहन की उपलब्धता कराए जाने के दृष्टिगत परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में अपर परिवहन आयुक्त, राज्य सम्पत्ति अधिकारी, अपर सचिव वित्त एवं आर०टी०ओ०, देहरादून की एक कमेटी गठित होगी, जिनके द्वारा मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्र के लिए बाह्य एजेन्सी से विभिन्न माडलों की वाहनों के लिए निविदा आमंत्रित करके दरें प्राप्त की जायेगी, जिसमें ईंधन व्यय शामिल नहीं होगा तथा एक माह में औसत अधिकतम दूरी के उपयोग के बाद एक बढ़ी हुई दर भी हो सकती है। इस प्रकार बाह्य स्रोत से निर्धारित श्रेणी वाले अधिकारियों के लिए विभाग समान दरों पर वाहन किराए पर ले सकेंगे।

4. उपरोक्त नीतियों के परिणाम स्वरूप शासकीय वाहन चालकों के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाली स्थिति के निस्तारण सम्बन्धी नीतिः—

आउटसोर्सिंग तथा रिइम्बर्समेन्ट प्रणाली के प्रचलित होने पर कुछ संख्या में वर्तमान में सेवारत शासकीय चालक वाहनहीन/redundant हो जायेंगे। उस स्थिति में निम्नलिखित विकल्पों पर विचार किया जा सकता है।

1. भविष्य में नये चालकों की नियुक्ति को सामान्यतः प्रतिबन्धित कर दिया जाय तथा ए (A) श्रेणी के महानुभावों हेतु चालकों के नियुक्ति की प्रक्रिया पृथक से तय कर ली जाय।
2. वर्तमान में redundant कार्यहीन/वाहनहीन हुये चालकों को सर्वप्रथम एक आकर्षक वी.आर.एस. (स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति) का विकल्प दिया जाय।
3. तदोपरान्त बचे हुये चालकों को शासन के अन्य विभागों में चालकों की रिक्त पदों पर सेवा—स्थानान्तरित किया जाना होगा।
4. बचे हुये वाहन चालक वर्तमान में उपलब्ध शासकीय वाहनों पर कार्यरत रहेंगे।

उपरोक्त चारों विकल्पों के क्रियान्वयन हेतु विस्तृत नीति/गणना/व्यवस्था राज्य सम्पत्ति विभाग तथा कार्मिक विभाग द्वारा पृथक से की जानी होगी।

वाहनों की लागत सीमा को देखते हुए श्रेणी A के लिए बाजार दर पर तथा अन्य सभी श्रेणियों के लिए DG S&D की दरों पर वाहन क्रय किया जायेगा। वर्तमान में उपलब्ध वाहनों एवं उनकी कीमत को देखते हुये विभिन्न श्रेणी के लिए निम्न मेक के माडल उपलब्ध कराये जायेगें तथा सभी वाहनों का रंग सफेद होगा।

श्रेणी	महानुभाव/अधिकारी	वाहन का अधिकतम मूल्य	माडल
A	मा० कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्य सचिव, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अपर मुख्य सचिव, महानिदेशक पुलिस एवं समकक्ष अधिकारी.	15 लाख तक	1-Toyota-Innova VX(Diesel) 2-Skoda-Laura 3-Honda-City 4-Mahindra XUV 500
B	प्रमुख सचिव,	12 लाख तक	1-Toyota-Innova 2-Honda-City

	सचिव, मण्डलायुक्त, आईजी पुलिस, अन्य समकक्ष		3-Maruti-SX4, 4-Swift Disire
C	अपर सचिव, विभागाध्यक्ष, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं अन्य समकक्ष	08 लाख तक	1-Maruti-SX4, Swift Disire, Ertiga 2-Tata-Indigo, Manza
D	अन्य अधिकृत अधिकारी/निदेशालयों के अधिकारी/निगमों के अधिकारी आदि/समकक्ष	06 लाख तक	1-Tata-Indigo, CS 2-M &M Bulerrro

5— उक्त के अतिरिक्त दायित्वधारी/दर्जाधारी व समकक्ष महानुभावों को एम्बेसडर कार अनुमन्य होगा।

6— उपरोक्त निर्देशों का सभी स्तरों पर अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

डा० उमाकान्त पंवार
सचिव

संख्या- 65/IX-1/2013/215/2011 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2— प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
3— प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4— रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5— समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
6— वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7— समस्त निजी सचिव, मा0 मंत्रीगण, उत्तराखण्ड।
8— निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
9— सचिवालय के समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10— महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
11 निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12— गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(नितेश कुमार झा)
अपर सचिव

महत्वपूर्ण

संख्या 51/XLIII(1)/2013-02 (09) 2012

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/ प्रभारी सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।

2. समस्त विभागाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड ।

3. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तराखण्ड ।

सुराज ,भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा अनुभाग **देहरादूनः दिनांक 18 जनवरी, 2013**

विषय : शासकीय पत्राचार में ई-मेल के प्रयोग के सम्बन्ध में ।

महोदय,

ई-मेल पत्र व्यवहार का एक सशक्त द्रुतगामी माध्यम है। राज्य सरकार के विभागों में अभी इसका प्रयोग नहीं हो रहा है। अभी राज्य सरकार के कार्यालयों से पत्र डाक के माध्यम से अथवा संदेश वाहक के माध्यम से भेजे अथवा प्राप्त किये जाते हैं। सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि ई-मेल माध्यम का उपयोग पत्र-व्यवहार के लिए दिनांक 26.01.2013 से प्रारम्भ किया जाये।

2. मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सचिवालय के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव तथा अपर सचिव, सचिवालय से बाहर तमाम विभागाध्यक्ष, समस्त जिला अधिकारी, समस्त मुख्य विकास अधिकारी, समस्त मण्डलायुक्त के ई-मेल एकाउन्ट एन0आई0सी0 के सहयोग से तैयार कराकर इन एकाउन्टों की एक डायरेक्टरी सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग द्वारा तैयार करके उक्त अधिकारियों को उपलब्ध कराये जाएगें।

उक्त सभी अधिकारियों के कार्यालय में स्कैनर की व्यवस्था रखी जायेगी। सचिवालय स्थित अधिकारी, विभागाध्यक्ष, मण्डलायुक्त, जिला अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी से पत्र व्यवहार में पत्र, रिपोर्ट जिसको ई-मेल से भेजने में व्यवहारिक कठिनाई नही है अथवा पत्र, गोपनीयता के कारण उसे ई-मेल से भेजना व्यवहारिक न पाया जाये को छोड़कर स्कैन करके ई-मेल के साथ संलग्न कर भेजा जाएगा।

3. उक्त अधिकारी प्रत्येक दिवस अपने ई-मेल एकाउन्ट को खोलकर प्राप्त ई-मेल के साथ संलग्न पत्र/रिपोर्ट को डाउनलोड कर के उसे पत्र पंजी में वैसे ही अंकित करायेगा जैसे अन्य डाक से प्राप्त पत्र/रिपोर्ट को पत्र पंजी में प्रविष्टि की जाती है। प्रविष्टि अंकन में 'ई-मेल से प्राप्त' अथवा 'डाक से प्राप्त' का भी स्पष्ट उल्लेख/अंकन किया जायेगा।

4. ई–मेल से भेजे जाने वाले पत्र/रिपोर्ट को प्रेषण करने वाले अधिकारी पत्र/रिपोर्ट की मूल प्रति डाक से अथवा संदेशवाहक से अवश्य भेजेगें। मूल पत्र/रिपोर्ट को उसी पत्रावली में जिसमें ई–मेल से प्राप्त पत्र/रिपोर्ट प्राप्त करके रखा गया है, में उसके साथ ही पत्रावलित की जायेगी।

5. प्रत्येक कार्यालय द्वारा प्रत्येक माह जो पत्र/रिपोर्ट निर्गत हुए हैं उनका विवरण बनाया जायेगा तथा जो पत्र/रिपोर्ट ई–मेल से नहीं भेजे गये है उसका औचित्य अंकित करा जायेगा। विवरण सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग को भेजा जायेगा। सचिवालय स्थित अधिकारी पत्र व्यवहार अन्य प्राधिकारियों की तरह दोनों तरीकों से करेगें और उक्तानुसार विवरण तैयार करके सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग को देगें।

6. राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन विभाग अपने अधीनस्थ कार्यालयों को उक्त प्रकार से ई–मेल से पत्र व्यवहार में जोड़ सकते हैं। नये जुड़े कार्यालयों का ई–मेल एकाउन्ट खुलने पर उसे डायरेक्टरी में प्रविष्टि करने के लिए सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा विभाग को भेजा जायेगा।

7. उक्त कार्यालयों के ई–मेल एकाउन्ट पर आमजन अथवा अन्य कार्यालयों से भी ई–मेल प्राप्त होगीं। इन ई–मेलों को उन पर कार्यवाही करके ई–मैल से उत्तर भेजने की कार्यवाही की जायेगी।

8. उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–122NP/XXVII(5)/2012–13 दिनांक 30.11.2012 में प्राप्त सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय

/

(आलोक कुमार जैन)
मुख्य सचिव

संख्या 51 /सु0भ्र0उ0ज0स0/2012–02 (09) 2012 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. राज्य सूचना अधिकारी, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
सचिव

संख्या 48 / XLIII-1 / 2013-02 (06) 2012

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल, उत्तराखण्ड।
3. समस्त निदेशक/विभागाध्यक्ष/आयुक्त उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन एवं जनसेवा अनुभाग   देहरादून: दिनांक 21 जनवरी, 2013

विषयः आम जनता की शिकायतों को आन-लाईन दर्ज करने एवं उनके निस्तारण हेतु "समाधान" योजना लागू किये जाने विषयक।

महोदय,

अवगत कराना है कि राज्य सरकार द्वारा जनता की शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु निरन्तर प्रयास किया जा रहा है जिसके क्रम में जनपदों में "शिकायत पंजीकरण प्रकोष्ठ एवं मण्डल स्तर पर शिकायत पंजीकरण एवं अनुवर्ती प्रकोष्ठ की स्थापना सम्बन्धी आदेश पूर्व में निर्गत किये जाये थे। इसी प्रक्रिया को आगे बढाते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा जनता की शिकायतें/समस्याओं/परिवादों के त्वरित निस्तारण हेतु उन्हें आन-लाईन दर्ज करने एवं निर्धारित अवधि में उनका निस्तारण कर सूचना आन-लाईन प्रदान किये जाने की व्यवस्था "**समाधान**" दिनांक 26.01.13 से लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस व्यवस्था में राज्य में कितनी एवं क्या-क्या शिकायतें दर्ज हुई, कितनी शिकायतों का क्या निस्तारण हुआ, कितनी शिकायतें लम्बित हैं ? यह सब सामान्य रूप से वैबसाईट samadhan.uk.gov.in पर दृष्य होगी। जब तक कि स्वयं शिकायतकर्ता अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा इसे प्रतिबन्धित न कर दिया जाये।

2. **शिकायत/समस्या/परिवाद-** राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं/वस्तुओं को प्रदान किए जाने में अड़चन/अनौचित्यपूर्ण विलम्ब, नियमविरुद्ध किसी लोक प्राधिकारी के कार्य में अनियमितता, किसी कानून, अधिनियम, शासनादेश, नीति का उल्लंघन, किसी योजना/कार्यक्रम में अनियमितता अथवा अक्रियान्वयन की स्थिति को ही, शिकायत की परिभाषा के अन्तर्गत माना जायेगा। किन्तु सरकारी सेवा नियमावली में सेवा सम्बन्धी प्रकरणों के इसके अन्तर्गत सम्मिलित नहीं माना जायेगा और न ही नये प्रस्ताव, मांग परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों

को किसी क्षेत्र विशेष में लागू करने की मांग अथवा राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के बाहर की शिकायतों/समस्याओं को शिकायत/समस्या/परिवाद के अन्तर्गत माना जायेगा।

3. <u>शिकायत दर्ज करने की सुविधा एवं प्रक्रिया:–</u>

3.1 शिकायतकर्ता/आवेदनकर्ता अपनी शिकायत को आन–लाईन दर्ज करा सकता है। वह Samadhan.uk.gov.in पर उपरोक्त प्रस्तर–2 में उल्लिखित परिभाषाअन्तर्गत अपनी शिकायत अंकित कर सकता है। साथ ही यदि वह आवश्यक समझता है तो वह अपने शिकायत के समर्थन में साक्ष्य के रूप में अभिलेख अपलोड कर सकता है। शिकायतकर्ता के पास यह भी सुविधा होगी कि वह अपनी समस्या का निदान भी अंकित कर सकें। निदान अंकित करने की सुविधा का यह आशय नहीं है कि राज्य सरकार द्वारा अनौचित्यपूर्ण अथवा अविधिक निदान को माना जाना बाध्यकारी है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यदि किसी के द्वारा अश्लील सामग्री, लेख, अपशब्द, राष्ट्र अथवा राज्य विरोधी तथ्य अंकित किये जाते हैं तो उसके विरूद्ध भारतीय विधि के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

3.2 शिकायत दर्ज करते समय शिकायतकर्ता को अपना नाम, पता, मोबाईल न0, वोटर आई0डी0कार्ड/ड्राईविंग लाइसेंस/आधार कार्ड न0 अंकित करना अनिर्वाय होगा। आवेदनकर्ता को अपना ई–मेल दर्ज करने की सुविधा होगी, जिस पर उसे सूचनायें भी प्रेषित होंगी। आवेदनकर्ता को शिकायत से सम्बन्धित जनपद, तहसील को भी दर्ज/उल्लेख करना होगा।

3.3 शिकायतकर्ता को शिकायत दर्ज करने हेतु सम्बन्धित विभाग का चयन/उल्लेख करना होगा यदि विभाग के सम्बन्ध में शिकायतकर्ता को ठीक प्रकार से जानकारी नहीं है अथवा संदेह है तो वह "अन्य" के विकल्प का चयन कर सकता है। शिकायतकर्ता अपनी शिकायत को निम्न 03 स्तरों में से किसी एक स्तर पर ही दर्ज करा सकता है:–

1– प्रमुख सचिव/सचिव

2– निदेशक/विभागाध्यक्ष/आयुक्त

3– जिलाधिकारी

3.4 शिकायत दर्ज करने पर आवेदनकर्ता के मोबाईल न0 पर एक यूनिक कोड SMS के माध्यम से प्राप्त होगा। इस यूनिक कोड को निर्धारित स्थान पर अंकित कर Submit करने पर शिकायत अंतिम रूप से दर्ज हो जायेगी तथा शिकायतकर्ता को स्वतः सृजित (आटोजनरेटेड) यूनिक आई0डी0न0 प्राप्त होगा जो कि उसके मोबाईल न0 पर SMS के माध्यम से मिलेगा। साथ ही वह उसका प्रिंट भी निकाल सकता है।

3.5 शिकायतकर्ता अपनी शिकायत को यदि गोपनीय रखना चाहता है तो उसे ऐसा करने की सुविधा होगी। वह अपनी शिकायत को गोपनीय रखने के विकल्प का चयन कर सकता है। ऐसा करने पर उसकी शिकायत आम जनता/सम्बन्धित अधिकारी के लिये दृश्य नहीं होगी किन्तु यथावश्यकता मुख्य सचिव महोदय के स्तर पर शिकायत देखी जा सकती है।

3.6 शिकायतकर्ता के शिकायत की अद्यतन स्थिति उसके ई–मेल पर उपलब्ध होती रहेगी। इसके अलावा वह अपनी शिकायत की अद्यतन स्थिति, यूनिक आई0 डी0 न0, वोटर आई0 डी0

कार्ड न0/डी0एल0न0/आधार कार्ड न0 अथवा मोबाईल न0 से वेब पोर्टल के माध्यम से ज्ञात कर सकता है।

4. <u>शिकायत दर्ज होने के बाद उसके निस्तारण की प्रकिया:–</u>

4.1 शिकायत के तीनों स्तरों (1) प्रमुख सचिव/सचिव (2) निदेशक/विभागाध्यक्ष/आयुक्त (3) जिलाधिकारी को सॉफ्टवेयर के प्रयोग हेतु यूजर आई0डी0 एवं लागिन पासवर्ड प्रदान किया जायेगा। जिससे वे इस व्यवस्था के तहत अपने से सम्बन्धित दर्ज शिकायतों को देखकर उसका निस्तारण करने हेतु सक्षम होंगे।

4.2 शिकायतकर्ता द्वारा जिस स्तर पर शिकायत दर्ज की जायेगी उस स्तर के अधिकारी को प्रत्येक सुबह आठ बजे उनके शासकीय ई–मेल पर स्वतः 'एलर्ट मेल' प्रेषित होगी।

4.3 सक्षम अधिकारी अपने यूजर आई0डी0 एवं लॉगिन पासवर्ड यूज कर शिकायतों को देख सकेगें तथा शिकायतों के सम्बन्ध में वह इसे स्वीकार, स्वीकार एवं अन्तरित तथा अस्वीकार करने का विकल्प चुन सकेगें।

4.4 यदि शिकायत उनके स्तर से निस्तारित होनी है तो वे उसे स्वीकार कर उसका निस्तारण निर्धारित समयावधि के भीतर कर निस्तारण की सूचना आनलाईन कर दर्ज करेगें। उपयोगकर्ता अधिकारी अपने विभाग से सम्बन्धित प्रकरणों का निस्तारण कर यदि कोई अभिलेख अपलोड करना चाहते हैं तो ऐसा करने की सुविधा भी उपलब्ध है। जिलाधिकारी यह देखेगें कि यदि शिकायत जनपद स्तर कार्यालयों से निस्तारित होने योग्य है तो यह शिकायत निस्तारित कराकर उसके निस्तारण की स्थिति आनलाईन अंकित करेंगे तथा यथावश्यकता अभिलेख अपलोड करेंगे।

4.5 यदि शिकायत उपयोगकर्ता अधिकारी से सम्बन्धित नहीं है तो वह उसे सम्बन्धित अधिकारी को आनलाईन ही शिकायत अन्तरित करेगा। शिकायत अन्तरित करते समय अपनी टिप्पणी अंकित करनी अनिवार्य होगी।

4.6 यदि शिकायत, स्वीकार करने योग्य नहीं है तो उपयोगकर्ता अधिकारी द्वारा सकारण उस शिकायत को अस्वीकृत करना होगा। अस्वीकृत शिकायत उसकी डाटाबेस में रहेगी ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसे देखा जा सके।

4.7 शिकायत अस्वीकृत करने के मुख्य आधार यह होंगे कि (1) वह मांग के रूप में (2) अपनी/सरकारी कर्मचारी/अधिकारी के सेवा सम्बन्धी प्रकरण से होगी (3) शिकायत में अपशब्दों का प्रयोग हो अथवा अश्लील एवं राष्ट्र एवं राज्य विरोधी बाते हों, (4) अंकित शिकायत उपरोक्त प्रस्तर–2 में उल्लिखित शिकायत की परिभाषा के अन्तर्गत न आती हो। यहां यह उल्लेखनीय है कि बिन्दु संख्या–3 के सम्बन्ध में आई0टी0 एक्ट के तहत सम्बन्धित शिकायतकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

4.8 सक्षम अधिकारी/उपयोगकर्ता अधिकारी यदि यह समझता है कि शिकायत स्वीकृत किये जाने के उपरान्त भी गोपनीय रखी जानी आवश्यक है तो वह शिकायत को आमजन हेतु दृष्य होने से रोकने का विकल्प चयनित कर सकता है। ज्ञातव्य है कि इस व्यवस्था में सामान्य तौर पर (By Default) शिकायतों को आमजन हेतु दृश्य रखा गया है।

4.9 भविष्य में साफ्टवेयर में आवश्यक व्यवस्था किये जाने के पश्चात यदि उपयोगकर्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी चाहे तो इस व्यवस्था का उपयोग सामान्य डाक से प्राप्त होने वाली शिकायतों को स्वयं ही स्कैन कर अपलोड कर सकेगा।

4.10 सचिव/प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री, सचिव/प्रमुख सचिव मा0 राज्यपाल एवं मुख्य सचिव द्वारा शिकायतों को महत्वपूर्ण/अतिमहत्वपूर्ण (V.I.P & V.V.I.P) के रूप में प्राथमिकता अंकित करने की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

4.11 शिकायत हेतु उल्लिखित स्तरों से सम्बन्धित अधिकारियों को शीघ्र ही उनकी यूजन आई0डी0 एवं पासवर्ड प्रदान किये जायेगें। इसके लिये राज्य सूचना अधिकारी, एन0आई0सी0 से भी सम्पर्क कर सकते हैं।

5. शिकायत निस्तारण हेतु निर्धारित समयावधिः–

5.1 जिलाधिकारी स्तर पर दर्ज शिकायतों को 30 दिन में निस्तारित करना होगा यदि 30 कार्यदिवस में शिकायत निस्तारित नहीं होती है तो वह स्वतः ही मण्डलायुक्त के स्तर पर अंतरित हो जायेगी। मण्डलायुक्त द्वारा इसे 15 दिन में निस्तारित करवाया जायेगा। यदि मण्डलायुक्त द्वारा 15 दिन की निर्धारित सीमा के भीतर निस्तारण नहीं कराया जाता है तो शिकायत स्वतः मुख्य सचिव के स्तर पर अंतरित हो जायेगी।

5.2 निदेशक/विभागाध्यक्ष/आयुक्त के स्तर पर दर्ज शिकायत को भी 30 कार्यदिवस में निस्तारित करना होगा यदि निर्धारित सीमा के भीतर निस्तारण नहीं होता है तो शिकायत स्वतः ही सम्बन्धित विभाग के सचिव/प्रमुख सचिव को अंतरित हो जायेगी। जिन्हें 15 दिनों में इसे निस्तारित करना होगा। यदि निर्धारित अवधि में यह निस्तारण नहीं होता है तो शिकायत मुख्य सचिव को अंतरित हो जायेगी।

5.3 यदि शिकायत प्रमुख सचिव/सचिव को की गयी है तथा सम्बन्धित स्तर द्वारा उसे स्वीकृत किया गया है तो उसका निस्तारण 45 दिनों के भीतर होना चाहिये यदि निर्धारित अवधि के भीतर निस्तारण नहीं होता है तो शिकायत मुख्य सचिव महोदय को स्वतः अंतरित हो जायेगी।

5.4 यदि शिकायत जिस स्तर पर दर्ज की गयी है उस स्तर से सम्बन्धित नहीं है तो उपयोगकर्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा उसे 05 कार्यदिवसों के भीतर सम्बन्धित स्तर को अंतरित किया जाना अनिवार्य होगा।

6. इस व्यवस्था में शिकायत एवं उसके निस्तारण की स्थिति आनलाईन देखी जा सकेगी। जब तक कि उसे जन सामान्य हेतु दृष्य होने से रोका न गया हो। लम्बित, निस्तारित शिकायतों की सूचना जनपदवार देखी जा सकती है।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
मुख्य सचिव

संख्या 48 /XLIII-1/2013–02 (06) 2012 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेन्शन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।
4. राज्य सूचना अधिकारी, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड।
5. मीडिया सेन्टर।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(नितेश कुमार झा)
अपर सचिव

संख्या ५०६/ XXVii(7)27(2)/2011

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2– समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादून:दिनांक ०८ फरवरी, 2013

विषय:–उत्तराखण्ड सचिवालय से इतर राजकीय विभागों के लिपिकीय संवर्ग के वेतनमान का संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या:– 373/xxvii(7)27(2)/2013 दिनांक 16 जनवरी, 2013 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के प्रस्तर–4 में संशोधित वेतनमान का लाभ दिनांक 01–04–2013 से अनुमन्य किया गया है। शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त लाभ दिनांक 01–04–2013 के स्थान पर दिनांक 01 जनवरी, 2013 से अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

2– उपर्युक्त शासनादेश संख्या:– 373/xxvii(7)27(2)/2013 दिनांक 16 जनवरी, 2013 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्याः– 406 (1)/ xxvii(7)27(2)/2011 तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
4. प्रमुख सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें–सह–स्टेट इण्टरनल आडीटर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
8. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10. इरला चेक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
11. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एल0एन0पन्त)

अपर सचिव।

संख्या:५१२/XXVII(7)61(8)/2010

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2– समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–07 देहरादून:दिनांक: 15 फरवरी, 2013

विषयः–अधिसूचना संख्या 21/XXVII(7)अ0पे0यो0/2005 दिनांक 25 अक्टूबर, 2005 द्वारा लागू नव परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के संबंध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या 21/XXVII(7)अ0पे0यो0/2005 दिनांक 25 अक्टूबर, 2005 द्वारा दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 से राज्य सरकार की सेवा में अथवा राज्य सरकार के अधीन एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त–पोषित शिक्षण संस्थाओं/स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनमें उक्त तिथि के पूर्व राज्य सरकार के पेंशनरों की भांति पेंशन योजना लागू थी, में नवनियुक्त कर्मचारियों को नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना से आच्छादित किया गया है।

2– शासन के संज्ञान में ऐसे प्रकरण लाये गये हैं, जिनमें राज्य सरकार के अधीन सरकारी सेवा में दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 को अथवा उसके उपरान्त नियुक्त नये कार्मिक पूर्व में केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके द्वारा वित्त–पोषित स्वायत्तशासी संस्थाओं में सेवारत् थे। इन मामलों में यह जिज्ञासायें की जा रही हैं, कि पूर्व सेवा में नियुक्ति की तिथि तथा राज्य सरकार में नियुक्ति की तिथि के आधार पर भिन्न–भिन्न परिस्थितियों में ऐसे कर्मचारियों को किस योजना से आच्छादित माना जायेगा।

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भित प्रकरणों का निस्तारण निम्नलिखित दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जायः–

संख्याः– ५१२ (1)/ xxvii(7)61(8)/2011 तद्दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महानिबन्धक, उत्तराखण्ड मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल।
3. प्रमुख स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
4. सचिव विधानसभा, उत्तराखण्ड।
5. प्रमुख सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7. समस्त कोषागार अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
9. उपनिदेशक राजकीय मुद्रणालय रूड़की को राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एल0एन0पन्त)

अपर सचिव।

संख्या: 1799 /XXIV-3/12/02(80)05

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3 देहरादून, दिनांकः 13 मार्च, 2013

विषयः राज्य में विभिन्न प्रकार की प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियों का युक्तिकरण **(Rationalization)** किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत विभिन्न कियाकलापों हेतु छात्र/छात्राओं को विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। राज्य गठन के पश्चात से आरम्भ की गयी विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं एवं भारत सरकार द्वारा विभिन्न छात्रवृत्तियों में दी जा रही छात्रवृत्ति दर को दृष्टिगत रखते हुये तथा वर्तमान मे प्रचलित छात्रवृत्तियों की धनराशि अत्यन्त न्यून तथा दरें काफी पुरानी निर्धारित होने के कारण एवं छात्रवृत्तियों की वर्तमान दरों में वृद्धि किये जाने को दृष्टिगत रखते हुए छात्रवृत्ति के मात्र प्रोत्साहन स्वरूप के ही आलोक में संलग्न **परिशिष्ट 'अ'** के अनुसार निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के आधार पर वर्तमान छात्रवृत्ति दरों को **Rationalize** किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) समस्त छात्रवृत्तियों के आवेदन पत्र विद्यालय स्तर पर प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के माध्यम से छात्र/छात्राओं को वितरित किये जायेंगे। साथ ही **Online Application** व्यवस्था भी अपनायी जायेगी।

(2) किसी छात्र/छात्रा को एक ही छात्रवृत्ति अनुमन्य होगी जो वर्ष मे दस माह के लिए ही देय होगी। कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा/सर्व शिक्षा की व्यवस्था के दृष्टिगत शिक्षा विभाग द्वारा दी जाने वाली किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति/वित्तीय सहायता अनुमन्य नहीं होगी।

(3) छात्र/छात्राओं के प्रवेश के समय ही उनका बैंक खाता खुलवा लिया जाए तथा विभाग इन बैंक खातों की सूचना समाज कल्याण विभाग को भी सूचित कर दे। इस संबंध में समाज कल्याण विभाग शिक्षा विभाग से सम्पर्क कर व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे। पिछड़ा वर्ग को दी जाने वाली छात्रवृत्ति योजनाओं में भारत सरकार के मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाय। छात्रवृत्ति का भुगतान भी दो किश्तों में ई0सी0एस0 के माध्यम से सीधे छात्र /छात्राओं के बैंक खातों में हस्तान्तरित कर किया जाए।

(4) राज्य स्तर पर जनपदों से प्राप्त संख्या के आधार पर विभाग द्वारा बजट की व्यवस्था का समय से प्राविधान सुनिश्चित कराया जायेगा।

(5) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के संबंध में भारत सरकार से दर परिवर्तन हेतु विभाग द्वारा अनुरोध किया जायेगा। भारत सरकार की सहमति के आधार पर ही इस छात्रवृत्ति के संबंध में निर्णय लिया जायेगा तब तक इस छात्रवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराया जाए।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: 246(P)XXVII(3)2012-13 दिनांक: 09 मार्च, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या: 1799 /XXIV-3/12/02(80)05 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3– निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
4– प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5– अनु सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6– मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
7– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9– समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
10– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11– बजट एवं राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर।
12–वित्त विभाग (अनुभाग–3)/नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड सचिवालय।
13–एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
14–भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
15–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पी0एस0जंगपांगी)
अपर सचिव ।

परिशिष्ट 'अ'

शासनादेश संख्याः 1799/XXIV-3/12/02(80)05 दिनांकः मार्च, 2013 का संलग्नक

क्र0 सं0	छात्रवृत्ति	वर्तमान योजना	वर्तमान दर	नयी प्रस्तावित योजना	छात्रवृत्तियों को Rationalize करने के उपरान्त वर्तमान प्रस्तावित नयी छात्रवृत्ति का स्वरूप
1	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कक्षा–7,8 पर अतिरिक्त छात्रवृत्तियों की व्यवस्था	प्रत्येक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधान द्वारा प्रतिवर्ष एक छात्रवत्ति तीन वर्ष के लिए खुली स्पर्धा परीक्षा, जो जुलाई में कक्षा–06 में होती है, के आधार पर दी जाती है। सम्बन्धित की आयु एक जुलाई को 12 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।	कक्षा–6 रू0 04/– प्रतिमाह कक्षा–7 रू0 05/– प्रतिमाह कक्षा–8 रू0 06/– प्रतिमाह	—	छात्रवृत्ति समाप्त।
2	एकीकृत छात्रवृत्ति सूची "क"	छात्र की आयु 15 वर्ष से अधिक न हो, कक्षा–9 में प्रवेश ले लिया हो। कक्षा–8 की परीक्षा में 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र एकीकृत छात्रवृत्ति की परीक्षा दे सकते हैं। योग्यता सूची में प्रथम 15 छात्र/छात्राओं को सूची "क" में	श्रेणी क– छात्रावासी रू0 100– प्रतिमाह अछात्रावासी को रू0 50– प्रतिमाह	–	छात्रवृत्ति समाप्त।
	एकीकृत छात्रवृत्ति सूची "ख"	वरीयता सूची में "क" श्रेणी के छात्रों को छोड़कर प्रति ब्लॉक सर्वोच्च 5 छात्र/छात्रा एवं 02 जनजाति छात्र/छात्रा के लिए अतिरिक्त छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है।	श्रेणी ख– गैर छात्रावासी रू0 100 –प्रतिमाह	–	
	एकीकृत छात्रवृत्ति सूची "ग"	श्रेणी "क" एवं "ख" को छोड़कर वरीयता सूची में शेष उत्तीर्ण छात्र	श्रेणी ग– गैर छात्रावासी रू0 15– प्रतिमाह	–	
	विशेष छात्रवृत्ति (देश के चुने हुए उ0मा0 वि0 में पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं हेतु)	एकीकृत परीक्षा में सूची क, ख एवं ग में चयनित अभ्यर्थियों को आवासीय विद्यालय में प्रवेश लेने पर व्यवस्था हेतु।	विद्युत, जलकर, भवन किराया रू0 1000 प्रतिमाह, ट्यूशन प्रति विद्यालय 03 छात्र/छात्राओं हेतु रू0 150– प्रतिमाह व प्रासंगिक व्यय रू0 4800–प्रतिमाह	–	छात्रवृत्ति समाप्त।

3	प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय के लिए एक अतिरिक्त हाईस्कूल एवं इन्टर छात्रवृत्ति।	प्रत्येक हाईस्कूल तथा इन्टर कालेज चाहे वह शासकीय हो या अशासकीय, दो छात्र/छात्राओं को योग्यता तथा आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कक्षा-9, 10 में दो वर्ष के लिए रू0 15 प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसी प्रकार इन्टर कालेजों में कक्षा-11 व 12 में दो वर्ष के लिए रू0 16 प्रति माह की दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।	कक्षा-9, 10 में रू0 15— कक्षा0-11, 12 में रू0 16— प्रतिमाह	–	
4	पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में योग्यता छात्रवृत्ति	इस परीक्षा में कक्षा-6 में पढ़ने वाले ऐसे छात्र-छात्रा बैठ सकते हैं जिनकी आयु शिक्षासत्रीन वर्ष की एक जुलाई को 12 वर्ष से अधिक न हो। जिला स्तरीय परीक्षा में जनपद को आवंटित संख्या के आधार पर परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को तीन वर्ष के लिये कक्षा-6 से 8 तक छात्रवृत्ति रू0 15 प्रतिमाह की दर से स्वीकृत की जाती है।	रू0 15—प्रतिमाह	–	छात्रवृत्ति समाप्त।
5	राज्य योग्यता छात्रवृत्ति	एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड नरेन्द्रनगर द्वारा आयोजित योग्यता परीक्षा में सम्मिलित छात्र-छात्राओं के घोषित परिणाम के आधार पर डा0 शिवानन्द नौटियाल छात्रवृत्ति के उपरान्त प्रति विकास खण्ड से 05 छात्र-छात्राऐं (95 X 5= 475) का चयनोपरान्त छात्रवृत्ति	क्रमांक 2 पर छात्रावासी हेतु 100.00 अछात्रावासी हेतु 50.00 क्रमांक 3 पर रू0 15.00 व 16.00 क्रमांक 4 पर रू0 15.00 के अनुसार।	क्रमांक 01 से 04 के स्थान पर नई छात्रवृत्ति प्रस्तावित	सहमति छात्रावासी के लिए दर रू0 200/— अछात्रावासी के लिए दर रू0 150/—
	डा0 शिवानन्द नौटियाल छात्रवृत्ति	वर्तमान में उक्त छात्रवृत्ति कक्षा-8 की परीक्षा परिणाम के आधार पर गढ़वाल मण्डल से 06 एवं कुमायूँ मण्डल से 05 छात्र/छात्राओं को देय है। किन्तु आर0टी0ई0 के अनुपालन में कक्षा-8 तक वार्षिक परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है।	रू0 250/— प्रतिमाह		पूर्व निर्धारित दर पर एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड, नरेन्द्रनगर द्वारा आयोजित योग्यता परीक्षा में सम्मिलित छात्र-छात्राओं के घोषित परिणाम के आधार पर 11 शीर्ष स्थान प्राप्त छात्र छात्राओं में से गढ़वाल मण्डल के 06 एवं कुमायूँ मण्डल से 05 छात्र/छात्राओं को देय होगी।

6	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति	उत्तराखण्ड की हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा परिणाम के मैरिट के आधार पर छात्र–छात्राओं को राज्य स्तर पर चयनोपरान्त छात्रवृत्ति अनुमन्य की जाती है।	कक्षा–11 व कक्षा–12 रू0 60/– प्रतिमाह	पूर्ववत्, कोई परिवर्तन नहीं।	भारत सरकार से दर परिवर्तन हेतु अनुरोध किया जा सकता है। उनकी सहमति के आधार पर ही इस छात्रवृत्ति के संबंध मे निर्णय लिया जाएगा। तब तक पूर्ववत्।
7	1. बालिका शिक्षा प्रोत्साहन	तेजस्वी योजनान्तर्गत बीपीएल परिवार की समस्त बालिकाओं को दिए जाने वाली प्रोत्साहन धनराशि।	कक्षा–9 में रू0 1000/– कक्षा–10 में रू0 2000/– एक मुश्त	पूर्ववत्, कोई परिवर्तन नहीं।	पूर्ववत्
		सरस्वती योजना के तहत् समस्त वर्गों की बालिकाओं की कक्षा–8 में 80 प्रतिशत उपस्थिति तथा कक्षा–9 उत्तीर्ण करने के उपरान्त कक्षा–10 में प्रवेश के पश्चात् बालिकाओं की कक्षा–9 में 80 प्रतिशत की उपस्थिति के आधार पर अनुदान देय।	वर्तमान में कक्षा–9 व 10 में रू0 1000/– एक मुश्त	—	'बालिका शिक्षा प्रोत्साहन' (साईकिल योजना) के फलस्वरूप समाप्त।
	2- Incentive to Girls for Secondary Education	समस्त अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति एवं के0जी0बी0वी0 से कक्षा–8 उत्तीर्ण सभी बालिकाओं को अनुमन्य	कक्षा– 10 उत्तीर्ण करने पर एक मुश्त रू0 3000/–	पूर्ववत्, कोई परिवर्तन नहीं।	पूर्ववत्
8	राष्ट्रीय प्रतिभा खोज छात्रवृत्ति	कक्षा–11 में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के घोषित परिणाम में मैरिट (योग्यता) के आधार पर अवरोही क्रम में निर्धारित संख्या तक छात्रवृत्ति सुविधा अनुमन्य।	रू0 500 प्रतिमाह कक्षा–11 व 12	पूर्ववत्, कोई परिवर्तन नहीं।	पूर्ववत्
9	राष्ट्रीय साधन–सह–योग्यता छात्रवृत्ति (National Means Cum-Merit)	कक्षा–8 उत्तीर्ण करने के उपरान्त राष्ट्रीय साधन– सह योग्यता परीक्षा में सम्मिलित छात्र–छात्राओं को घोषित परिणाम में मैरिट (योग्यता) के आधार पर अवरोही क्रम में निर्धारित संख्या तक छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति सुविधा अनुमन्य।	रू0 500 प्रतिमाह कक्षा–9 से 12	पूर्ववत्, कोई परिवर्तन नहीं।	पूर्ववत्
10	खेल छात्रवृत्ति (राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त एवं अर्न्तराष्ट्रीयस्तर पर प्रतिभाग करने वाले छात्र खिलाडी)	पदक प्राप्त करने वाले उत्तराखण्ड के समस्त खिलाडी	स्वर्ण पदक रू0 500/– प्रतिमाह सिल्वर पद रू0 400/– प्रतिमाह कांस्य पद रू0 300/– प्रतिमाह	पूर्ववत्, कोई परिवर्तन नहीं।	पूर्ववत्

11	1. आर.आई.एम.सी. छात्रवृत्ति (सैनिक छात्रवृत्ति)	उत्तराखण्ड राज्य कोटे के समस्त विद्यार्थी	रू 1000/– प्रतिमाह	पूर्ववत्, कोई परिवर्तन नहीं।	पूर्ववत्
	2. प्रदेश के बाहर स्थित सैनिक स्कूल छात्रवृत्ति	उत्तराखण्ड मूल के समस्त विद्यार्थी अभिभावक की आय के आधार पर	1.रू. 12000 मासिक तक पूर्ण छात्रवृत्ति रू0 40,000 वार्षिक। 2.रू. 12001 से 15000 मासिक तक तीन चौथाई रू0 30,000 वार्षिक। 3.रू0 15001 से 18000 मासिक तक आधी रू. 20,000 वार्षिक 4. रू. 18001 से 22,000 मासिक तक एक चौथाई रू. 10,000 वार्षिक 5. रू. 22,000 मासिक से ऊपर कुछ नहीं।	पूर्ववत्, कोई परिवर्तन नहीं।	पूर्ववत्
12	विविध छात्रवृत्ति 1. सीमांत जनपद के छात्र/छात्राओं हेतु परिवहन भत्ता	मानक के अन्तर्गत आने वाले समस्त छात्र	वास्तविक धनराशि की प्रतिपूर्ति।	पूर्ववत् कोई परिवर्तन नहीं।	पूर्ववत्
	2. स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों के आश्रितों हेतु छात्रवृत्ति	मानक के अन्तर्गत आने वाले समस्त छात्र	——	पूर्ववत्, कोई परिवर्तन नहीं।	कक्षा 9 से 12 तक छात्रावासी के लिए रू0 200/– एवं अछात्रावासी के लिए रू0 150/– प्रतिमाह

(पी0एस0जंगपांगी)
अपर सचिव

संख्या 148/XXVII(7) (अ०पे०यो०)/2013

प्रेषक

राधा रतूड़ी
प्रमुख सचिव, वित्त
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

1– निदेशक, लेखा एवं हकदारी
उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं
उत्तराखण्ड देहरादून।
3– समस्त कोषागार अधिकारी, उत्तराखण्ड।

वित्त (वे०आ०सा०नि०) अनुभाग –7 देहरादूनः दिनांक : 22 मार्च /2013

विषय :– अधिसूचना संख्या– 21/ XXVII(7) (अं०पें०यो०)/ 2005 दिनांक 25 अक्टूबर 2005 द्वारा नई पेंशन योजना (अंशदायी पेंशन योजना) के सम्बन्ध में समय– समय पर निर्गत शासनादेशों के स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

राज्य सरकार की सेवा में दिनांक 01 अक्टूबर 2005 को अथवा उसके बाद नियुक्त अधिकारी/ कर्मचारियों के लिए अधिसूचना संख्या– 21/ XXVII(7) (अं०पें०यो०)/2005 दिनांक 25 अक्टूबर 2005 द्वारा नई पेंशन योजना (अंशदायी पेंशन योजना) लागू है। इस सम्बन्ध समय– समय पर निर्गत शासनादेशों /कार्यालय ज्ञाप में कतिपय बिन्दुओं पर विभिन्न विभागों, संगठनों द्वारा की गयी जिज्ञासाओं के समाधान के लिए नई पेंशन योजना के कियान्वयन की प्रकिया के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल निम्नवत स्पष्टीकरण निर्गत किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

2– अधिसूचना संख्या– 26/XXVII(7)/2008 दिनांक 30/01/2009 के द्वारा ऐसे कार्मिक जो 1 अक्टूबर 2005 को या इससे पूर्व राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत थे, उन्हें कतिपय शर्तों के अधीन पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित माना गया है। जबकि 01 अक्टूबर 2005 के बाद नई नियुक्ति के दृष्टिगत पूर्व में इनको नई पेंशन योजना का सदस्य मानते हुए अंशदान काटा गया है। शासनादेश संख्या– 643/XXVII(7)/2010 दिनांक 11/08/2010 में व्यवस्था दी गयी है, कि ऐसे कार्मिकों के नई पेंशन योजना में जमा अंशदान (कार्मिक का अंश) की धनराशि मय ब्याज के सम्बन्धित कार्मिक के सामान्य भविष्य निधि में जमा की जायेगी और नियोक्ता /सरकार का अंश राजकोष में वापस जमा कर दिया जायेगा। परन्तु ऐसे अधिकांश प्रकरणों में अंशदान की आंशिक धनराशि सी०आर०ए०/ट्रष्टी बैंक को प्रेषित की जा चुकी है। ऐसे कार्मिकों की सम्पूर्ण धनराशि राज्य सरकार के पास न होने के कारण निस्तारण में कठिनाई हो रही है।

3– चूंकि अब उपरोक्त प्रकार के कार्मिक नई पेंशन योजना से आच्छादित नहीं हैं। अतः इनके अंशदान की धनराशि जो सी०आर०ए०/ट्रष्टी बैंक को प्रेषित की जा चुकी है, को पी०एफ०आर०डी०ए० के परिपत्र सं०– PFRDA/2012/2/PDEX/2 22 जनवरी 2013 के कम में वापस मंगाया जायेगा।

4– ऐसे प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु यह व्यवस्था की जाती है, कि शासनादेश संख्या– 643/XXVII(7)/2010 दिनांक 11/08/2010 के अनुसार पास बुक / लेजर में डी०डी०ओ० एवं कोषागार द्वारा सत्यापन कर कोषागार के माध्यम से निदेशक लेखा एवं हकदारी को प्रेषित किये जायेंगे। निदेशक लेखा एवं हकदारी द्वारा केवल कार्मिक के 10 प्रतिशत अंशदान में सामान्य भविष्य निधि के बराबर ब्याज आंगणित करते हुए लेखापर्ची तैयार कर सम्बन्धित कोषागार/आ०वि०अधि० को भुगतान हेतु प्रेषित की जायेगी। कोषागार द्वारा सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी से बिल तैयार करवाकर धनराशि लेखाशीर्षक 8342001703 से आहरित करते हुए सम्बन्धित कार्मिक के जी०पी०एफ० खाते में ठीक उसी प्रकार जमा किया जायेगा जिस प्रकार चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों का जी०पी०एफ० की धनराशि चतुर्थ श्रेणी से भिन्न जी० पी० एफ० खाते में जमा किया जाता है।

5— निदेशालय लेखा एवं हकदारी द्वारा बाद में ऐसे कार्मिकों की धनराशि जो सी0आर0ए0 को प्रेषित की गयी है, को सी0आर0ए0/ट्रष्टी बैंक से प्राप्त कर शत प्रतिशत राजकोष में सुसंगत लेखाशीर्षक 0071001170300 में जमा करा दिया जायेगा। सी0आर0ए0 से धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त निदेशक लेखा एवं हकदारी द्वारा आगणन कर यह सुनिश्चित किया जायेगा, कि लेखाशीर्षक 83420011703 में कितना राज्यांश जमा शेष रह गया है, जिसे राजकोष में जमा नहीं किया गया है। और अन्त में नियोक्ता का अंश जो लेखाशीर्षक 8342 में है को आहरित कर उपरोक्त लेखाशीर्षक 0071 में जमा किया जायेगा।

6— शासनादेश संख्या–346/XXVII (7) /2007 दिनांक 21 नवम्बर 2007 में कोई कार्मिक जो इस योजना का सदस्य नहीं है, त्रुटिवश योजना में अंशदान की कटौती हो जाती है, तब सम्बन्धित कोषागार अभिलेख से पुष्टि के उपरान्त घटाईयें वापसियों की प्रकिया के अधीन कर्मचारी का अंश रिफण्ड और नियोक्ता का अंश वापस राजकोष में जमा करने की व्यवस्था की गयी थी। परन्तु विभिन्न कोषागारों द्वारा पृच्छा की जा रही है, कि ऐसे कार्मिकों के जमा अंशदान की धनराशि जो सी0आर0ए0/ट्रष्टी बैंक को प्रेषित की गयी है, की वापसी की क्या प्रकिया होगी।

7— प्रस्तर –6 में उल्लिखित प्रकरणों में से जिनमें धनराशि सी0आर0ए0/ट्रष्टी बैंक को स्थानान्तरित की गयी है, का निस्तारण उपरोक्त प्रस्तर –4 व 5 के अनुसार ही किया जायेगा परन्तु राजकोष से कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा। शेष प्रकरणों में शासनादेश संख्या–346/XXVII (7) /2007 दिनांक 21 नवम्बर 2007 के अनुसार ही कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त निर्गत की जा रही संशोधित व्यवस्था के दृष्टिगत इस विषय में पूर्व में निर्गत अधिसूचना/ कार्यालय ज्ञाप उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाये।

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव वित्त

संख्या 468 /XXVII(7) (अ0पें0यो0)/2013, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—
1— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
2— समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
3— महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
4— रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल।
5— स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड नई दिल्ली।
6— सचिव, विधान सभा उत्तराखण्ड देहरादून।
7— सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड देहरादून।
8— उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9—निदेशक, उत्तराखण्ड प्रशासनिक अकादमी नैनीताल।
10—अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की।
11—वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड एकक देहरादून।
12—गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(एल0 एन0 पन्त)
अपर सचिव, वित्त

286
संख्याः / xxvii(7)09(13) / 2011

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7 देहरादून:दिनांक: 13 अप्रैल, 2013

विषय:–अविभाजित उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स तथा उत्तर प्रदेश से स्थानातंरित हुए पेंशनर्स की व्यय प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान के संबंध में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अविभाजित उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स (09–11–2000 के पूर्व) जो उत्तराखण्ड के कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे तथा ऐसे पेंशनर्स जिनके प्राधिकार पत्र दिनांक 09–11–2000 के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस राज्य को स्थानातंरित किये गये है तथा जो उत्तराखण्ड राज्य में स्थाई रूप से निवास कर रहे है के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के दावों का निस्तारण राज्य के विभागाध्यक्षों द्वारा नियमानुसार किये जाने की व्यवस्था की गई है।

2– राजकीय पेंशनर्स संघो द्वारा जिज्ञासा की गई है कि चिकित्सा अनुभाग–3 के शासनादेश संख्याः 679 / चि0–3–2009–437 / 2002 दिनांक 04–09–2006 में चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों की अधिकतम सीमा का निर्धारण करते हुए 40,000 तक कार्यालयाध्यक्ष, 40,000 से अधिक तथा किन्तु 1 लाख तक विभागाध्यक्ष, 1 लाख से अधिक किन्तु 2 लाख तक शासन के प्रशासकीय विभाग तथा 2 लाख से अधिक शासन के प्रशासकीय विभाग द्वारा चिकित्सा विभाग के परामर्श एवं वित्त विभाग की सहमति से किये जाने की व्यवस्था की गई है किन्तु वित्त विभाग के उपरिउल्लिखित शासनादेश संख्याः286 / xxvii(7)09(ii) / 2011 दिनांक 30–12–2011 में चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों का निस्तारण राज्य के विभागाध्यक्षों के माध्यम से किये जाने में उन सेवानिवृत्त पेंशनर्सो जिनके दावों का भुगतान 40,000 से कम है उन्हें भी विभागाध्यक्ष के माध्यम से चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों का भुगतान किये जाने के फलस्वरूप कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। चिकित्सा विभाग के उपरिउल्लिखित शासनादेश दिनांक 04–09–2006 में उत्तराखण्ड के सरकारी सेवकों / सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्य तथा मृत सरकारी सेवक के पारिवारिक पेंशन हेतु अर्ह सदस्यों की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के दावे के भुगतान के संबंध में 40,000 तक कार्यालयाध्यक्ष स्वीकर्ताधिकारी घोषित किये गये है।

3– उक्त के संबंध में सेवानिवृत्त पेंशनर्स संघो द्वारा की गई जिज्ञासा के क्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि अविभाजित उत्तर प्रदेश के पेंशनर्स (09–11–2000 के पूर्व) जो उत्तराखण्ड के कोषागारों से पेंशन प्राप्त कर रहे तथा ऐसे पेंशनर्स

जिनके प्राधिकार पत्र दिनांक 09-11-2000 के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस राज्य को स्थानान्तरित किये गये है तथा जो उत्तराखण्ड राज्य में स्थाई रुप से निवास कर रहे है तथा जिनके चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे 40,000 तक हैं, उनके संबंध में स्वीकर्ताधिकारी विभागाध्यक्ष के स्थान पर कार्यालयाध्यक्ष होगें, किन्तु चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावो का भुगतान अंतरराज्जीय समायोजन के माध्यम से किये जायेंगें।

4— वित्त विभाग का शासनादेश संख्या:286/xxvii(7)09(ii)/2011 दिनांक 30-12-2011 केवल उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

भवदीय

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संख्या:- 181 (1)/ xxvii(7)09(13)/2011 तद्दिनांक:-
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार, उत्तरप्रदेश।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, वित्त, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
5. सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड देहरादून।
6. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
7. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड।
8. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
9. निदेशक लेखा, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
10. क्षेत्रीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन गढ़वाल/कुमांऊ।
11. रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, कानपुर/देहरादून।
12. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
13. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14. उप निदेशक, राजकीय मुद्राणालय रूड़की।
15. वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
16. इरला चेक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
17. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
18. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एल0एन0पन्त)
अपर सचिव।

संख्या– 309 /XXVII(6) /2013

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
लेखा एवं हकदारी,
उत्तराखण्ड देहरादून।

वित्त अनुभाग–6 देहरादूनः दिनाँक 22 मई, 2013

विषयः–पुरानी पैंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों की नई पैंशन योजना में जमा अंशदान को सी0आर0ए0 से प्राप्त करने हेतु बैंक में निदेशक, लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड के नाम खाता खुलवाने हेतु अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या–242/अं0यो0/नि0ले0ह0/2013–14 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें शासनादेश संख्या– 466/XXVII(7)/2013 दिनांक 22.03.2013 के अनुसार पुरानी पैंशन योजना से आच्छादित कार्मिकों की नई पैंशन योजना में जमा अंशदान को सी0आर0ए0 से प्राप्त करने हेतु बैंक में निदेशक, लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड के नाम खाता खुलवाने हेतु अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नई पैंशन योजना से सम्बन्धित धनराशि को सी0आर0ए0 से आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से प्राप्त करने हेतु स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की लक्ष्मी रोड स्थित शाखा में खाता खुलवाने की प्रशासकीय अनुमति आपको प्रदान की जाती है।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल) 22/5/2013
सचिव।

संख्या 300 (1)/XXVII(6)/2013, तद्‌दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1–महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय मोर्टस बिल्डिग, माजरा, देहरादून।

2–महालेखाकार (ऑडिट), उत्तराखण्ड वैभव पैलेस सी–1/105 इन्दिरानगर देहरादून।

3–प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक उत्तराखण्ड, देहरादून।

4–निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं उत्तराखण्ड।

5–निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय।

6–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(वीं‍र सिंह)
अपर सचिव।

प्रेषक,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

सेवा में,

1. निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
ननूरखेड़ा, देहरादून।
2. निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।
3. निदेशक,
अकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

पत्रांक : महानिदे0/1306-1406/(1)/X(6)/2013-14 दिनांक : 28 मई 2013

विषय : **विभागीय अधिकारियों के अवकाश, सत्रान्त लाभ एवं अतिरिक्त सेवा विस्तार प्रकरणों के संबंध में दिशा निर्देश।**

महोदय,

उपर्युक्त सन्दर्भ में अवगत कराना है शासनादेश संख्या:–सा–4–944/दस–66–73, दिनांक 16–8–73 द्वारा राजपत्रित अधिकारियों को 02 माह तक का उपार्जित अवकाश, राजाज्ञा संख्या:–सा–4–1752/दस–200(2)–77 दिनांक 20–6–78 द्वारा 90 दिन तक का चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश एवं राजाज्ञा संख्या:–सा–4–438/दस–2000–203–86 दिनांक 3 जुलाई 2000 द्वारा अपने अधीन कार्यरत कार्मिकों को 300 दिन के उपार्जित अवकाश के नकदीकरण स्वीकृत करने का अधिकार विभागाध्यक्षों को दिया गया है।

विभाग में महानिदेशालय की स्थापना से पूर्व उक्त अवधि के अतिरिक्त शेष समस्त अवकाश शासन स्तर स्वीकृत किये जाते रहे हैं। उत्तराखण्ड शासन माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 577/XXiv–2/ 2012–12(05)/2012 दिनांक 01 अक्टूबर 2012 द्वारा समूह 'क' व 'ख' के अधिकारियों के 120 दिन तक के चिकित्सा/उपार्जित अवकाश के प्रकरणों पर स्वीकृति हेतु महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा को अधिकृत किया गया है।

उक्त कार्यालय ज्ञाप द्वारा ही उक्त के अतिरिक्त प्रधानाचार्य, रा0इ0का0 (बालक/बालिका) के अधिर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त सत्रान्त लाभ की स्वीकृति एवं राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/प्रवक्ता/सहायक अध्यापक को अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त 02 वर्ष के अतिरिक्त सेवा विस्तार के प्रकरणों पर स्वीकृति हेतु महानिदेशक को अधिकृत किया गया है।

प्रायः यह देखने में आ रहा है कि अधिकारियों के अवकाश प्रकरण, प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज को अधिवर्षता आयु के उपरान्त सत्रान्त लाभ प्रदान

किये जाने व राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार के तहत 02 वर्ष के अतिरिक्त सेवा विस्तार के प्रकरण बिना संबंधित निदेशक की संस्तुति/आख्या के महानिदेशालय को प्राप्त हो रहे हैं जिससे इन पर अनावश्यक पत्राचार हो रहा है। इससे जहां एक ओर अनावश्यक श्रम व समय नष्ट हो रहा है, वहीं संबंधित कार्मिकों के प्रकरणों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब भी हो रहा है।

अतः उक्त के संबंध में आपको निर्देशित करना है कि उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 16–8–73, दिनांक 20–6–78 एवं शासनादेश दिनांक 3 जुलाई 2000 में निहित प्राविधानानुसार अपने अधीनस्थ कार्यरत अधिकारियों के प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित करें। उपार्जित अवकाश के 60 दिन से अधिक व चिकित्सा प्रमाण पत्र आधार पर अवकाश के 90 दिन से अधिक किन्तु 120 दिन से अधिक नही, के अवकाश प्रकरण सम्बन्धित निदेशक की संस्तुति के आधार पर महानिदेशालय स्तर से स्वीकृत किये जायेंगे। इस अवधि से अधिक व अन्य सभी प्रकार के अवकाश पूर्ववत शासन को सन्दर्भित किये जायेंगे।

उक्त के अतिरिक्त आपको यह भी निर्देशित करना है कि प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज को सत्रान्त लाभ प्रदान किये जाने व राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार के तहत 02 वर्ष के अतिरिक्त सेवा विस्तार के प्रकरण सम्बन्धित निदेशक की संस्तुति व हस्ताक्षरों से ही महानिदेशालय को प्रस्तुत किये जांय। जनपद/मण्डल स्तर से सीधे प्रकरण महानिदेशालय को प्रस्तुत किये जाने की संबंध में सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे। इन प्रकरणों में यह भी देख लिया जाय कि जो भी प्रकरण अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा आपको प्रस्तुत किये जॉय उनके साथ संलग्न अभिलेख कम से कम मुख्य शिक्षा अधिकारी स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित/अवलोकित हों। किसी भी दशा में अपूर्ण/हस्ताक्षर रहित प्रकरण महानिदेशालय को सन्दर्भित न किये जॉय।

कृपया उक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(पी0एस0 जंगपांगी)
महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ0सं0महानिदे0/ /(1)/X(6)/2013–14 दिनांकित

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0, उत्तराखण्ड।
2. सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगरगर, नैनीताल।
3. अपर निदेशक, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
4. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।

(पी0एस0 जंगपांगी)
महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

संख्या: 909 /XXIV-3/13/02(58)2013

उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग– 3 देहरादून: दिनांक 03 मई (जून),2013.

विषय: राज्य के शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत् कक्षा–9 से 12 तक के विद्यार्थियों से लिए जाने वाले शिक्षण शुल्क की दरों का पुनरीक्षण/वृद्धि किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या: बेसिक–5/9513/अकादमिक/43(1)2012–13 दिनांक: 14.12.2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या 380/XXIV–3/2005 दिनांक: 21.11.2005 द्वारा राज्य के बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा के अधीन विद्यालयों में कक्षा–6 से 12 तक अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं से लिए जाने वाली शुल्क की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है। इस संबंध में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या 380/XXIV–3/2005 दिनांक: 21.11.2005 में शुल्क की निर्धारित दरों को तत्काल प्रभाव से पुनरीक्षित करते हुए राज्य के शासकीय विद्यालयों में कक्षा: 9 से कक्षा–12 तक अध्ययनरत् विद्यार्थियों से वर्तमान में लिए जा रहे शिक्षण शुल्क की दर निम्नांकित तालिका के अनुसार वृद्धि करते हुए अध्ययनरत विद्यार्थियों से संशोधित दरों के अनुरूप शुल्क प्राप्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

" शिक्षण शुल्क"

वर्ग	कक्षा 9–10		कक्षा 11–12		अन्य विवरण
	वर्तमान शुल्क दर	प्रस्तावित संशोधित शुल्क दर	वर्तमान शुल्क दर	प्रस्तावित संशोधित शुल्क दर	
कला एवं वाणिज्य वर्ग	15.00	20.00	20.00	25.00	मासिक
विज्ञान वर्ग	15.00	20.00	25.00	30.00	मासिक

4. उपरोक्त शासनादश दिनांक: 21नवम्बर, 2005 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय उक्त शासनादेश की अन्य सभी शर्तें/दरें पूर्ववत लागू रहेंगी।

क्रमश:–2

5. यह आदेश वित्त विभाग के आ0शा0सं0: 11(NP)XXVII/2013–14 दिनांक: 31 मई, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

<u>पृष्ठांकन संख्या: 909 /XXIV-3/13/02(58)2013 तद्‌दिनांक.</u>

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
6. राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड, देहरादून
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा, गढवाल/कुमायूं मण्डल उत्तराखण्ड।
11. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/बेसिक), उत्तराखण्ड (द्वारा राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान),
12. शिक्षा अनुभाग–2,3,4 व अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
13. वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4
संख्या- 61 XXIV-4/1(3) 2010
देहरादून: दिनांक 06 जून, 2013.

अधिसूचना

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 की धारा 18 की उप धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्यपाल, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् विनियम, 2009 में अग्रेतर संशोधन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद (संशोधन) विनियम, 2013 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

विनियम 8 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद विनियम, 2009 जिन्हें यहां आगे मूल विनियम कहा गया है, के भाग दो-क, अध्याय-एक के विनियम 8 के उप विनियम 'ट' के पश्चात् उप विनियम (ठ) निम्नवत रख दिया जायेगा अर्थात्,

"ठ" यदि किन्ही कारणों से प्रबन्ध समिति के चुनाव समय पर न हों तो मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, मुख्य शिक्षा अधिकारी की संस्तुति पर सम्बन्धित विद्यालय में प्रबन्ध संचालक की नियुक्ति करेगा, जो प्रबन्ध समिति का चुनाव करायेगा। प्रबन्ध संचालक को प्रबन्ध समिति के समस्त अधिकार प्रदत्त होंगे।

विनियम 7(2)का संशोधन

3. मूल विनियम अध्याय-दो में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान विनियम के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा।

स्तम्भ-1
वर्तमान विनियम
अध्याय दो (परिषद द्वारा संस्थाओं की मान्यता)
विनियम (2)

ऐसे इण्टरमीडिएट कालेज एवं हाईस्कूल जिनसे सम्बद्ध प्राइमरी अनुभाग के अध्यापक धारा-42 के प्राविधानों के अन्तर्गत वेतन भुगतान प्राप्त करते हैं, में उपलब्ध प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी के कुल पदों के 25% पदों को प्रबन्ध समिति द्वारा सम्बद्ध प्राइमरी अनुभाग में कार्यरत ऐसे अध्यापकों से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा, जिन्होंने प्राइमरी अध्यापक के

स्तम्भ-2
एतद्द्वारा प्रतिपादित विनियम
अध्याय दो (परिषद द्वारा संस्थाओं की मान्यता) विनियम (2)

ऐसे इण्टरमीडिएट कालेज एवं हाईस्कूल जिनसे सम्बद्ध प्राइमरी अनुभाग के अध्यापक धारा-42 के प्राविधानों के अन्तर्गत वेतन भुगतान प्राप्त करते हैं, में उपलब्ध प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी के कुल पदों के 25% पदों को प्रबन्ध समिति द्वारा सम्बद्ध प्राइमरी अनुभाग में कार्यरत ऐसे अध्यापकों से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा, जिन्होंने प्राइमरी अध्यापक के रूप में पाँच वर्षों की सेवा पूरी कर ली है तथा सम्बन्धित विषय के [illegible]

रूप में पाँच वर्षों की सेवा पूरी कर ली है तथा सम्बन्धित विषय के चयन के लिए निर्धारित अर्हता रखता हो और वह प्रशिक्षित स्नातक हो। ऐसी पदोन्नति द्वारा की जाने वाली नियुक्ति के सम्बन्ध में विनियम 5,6,7 के अधीन दी गयी प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।	के लिए निर्धारित अर्हता रखता हो और वह प्रशिक्षित स्नातक/बी0टी0सी0 या समकक्ष प्रशिक्षण प्राप्त हो। ऐसी पदोन्नति द्वारा की जाने वाली नियुक्ति के सम्बन्ध में विनियम 5,6,7 के अधीन दी गयी प्रकिया का पालन किया जायेगा।

विनियम 10(क)का संशोधन

4. मूल विनियम, अध्याय–दो में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान विनियम 10 के उप विनियम (क) के द्वितीय प्रस्तर के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा।

स्तम्भ–1 वर्तमान विनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिपादित विनियम
अध्याय दो संस्थाओं के प्रधानों और अध्यापकों की नियुक्ति विनियम 10 (क) विज्ञापन में यह भी बताया जायेगा कि विहित आवेदन का प्रपत्र सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से 100 रूपया प्रति प्रपत्र की दर से रेखांकित पोस्टल आर्डर या बैंकड्राफ्ट जो सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी के पदनाम से हो, भुगतान करने पर प्राप्त किये जा सकते हैं। किसी भी दशा में जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में नकद रूप में भुगतान स्वीकार नहीं किया जायेगा। इसके साथ–साथ प्रत्येक विज्ञापन की प्रति प्रबन्धक द्वारा सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जायेगी और संस्था के प्रधान का पद विज्ञापित किये जाने की दशा में विज्ञापन की प्रति मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक को भी भेजी जायेगी।	**अध्याय दो संस्थाओं के प्रधानों और अध्यापकों की नियुक्ति विनियम 10(क)** विज्ञापन में यह भी बताया जायेगा कि विहित आवेदन का प्रपत्र सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से 300 रूपया प्रति प्रपत्र की दर से रेखांकित पोस्टल आर्डर या बैंकड्राफ्ट जो सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी के पदनाम से हो, भुगतान करने पर प्राप्त किये जा सकते हैं। किसी भी दशा में मुख्य शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में नकद रूप में भुगतान स्वीकार नहीं किया जायेगा। इसके साथ–साथ प्रत्येक विज्ञापन की प्रति प्रबन्धक द्वारा सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी को भेजी जायेगी और संस्था के प्रधान का पद विज्ञापित किये जाने की दशा में विज्ञापन की प्रति मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक को भी भेजी जायेगी।

विनियम16 का संशोधन

5. मूल विनियम, अध्याय–दो में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये वर्तमान विनियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा।

स्तम्भ–1 वर्तमान विनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिपादित विनियम
अध्याय दो संस्थाओं के प्रधानों और अध्यापकों की नियुक्ति विनियम 16	**अध्याय दो संस्थाओं के प्रधानों और अध्यापकों की नियुक्ति विनियम 16**
चयन समिति की बैठक में उपस्थित प्रत्येक विशेषज्ञ और गुण विषयक अंक देने वाला प्रत्येक व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा स्वीकृत दर पर पारिश्रमिक पाने के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त विशेषज्ञों को ऐसी दर पर, जैसा राज्य सरकार स्वीकृत करे, यात्रा भत्ता दिया जायेगा। उक्त व्यय मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय से किया जायेगा।	चयन समिति की बैठक में उपस्थित प्रत्येक विशेषज्ञ और गुण विषयक अंक देने वाले प्रत्येक विषय विशेषज्ञ को 1000 रूपया (रूपये एक हजार) अन्य सदस्य को गुण विषयक अंक हेतु रूपये 20 प्रति अभ्यर्थी न्यूनतम 500 रूपया स्वीकृत दर पर पारिश्रमिक पाने के हकदार होंगे। इसके अतिरिक्त विशेषज्ञों को ऐसी दर पर, जैसा राज्य सरकार स्वीकृत करे, यात्रा भत्ता दिया जायेगा। उक्त व्यय मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय से किया जायेगा।

अध्याय दो परिशिष्ट "क" का संशोधन

6. मूल विनियम अध्याय–दो परिशिष्ट–क में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान विनियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा।

स्तम्भ–1 वर्तमान विनियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिपादित विनियम
अध्याय दो (विनियम 1 के सन्दर्भ में) अशासकीय मान्यता प्राप्त प्राईमरी, पूर्व माध्यमिक विद्यालय एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों / प्रधानों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हतायें **अध्यापक**	**अध्याय दो (विनियम 1 के सन्दर्भ में) अशासकीय मान्यता प्राप्त प्राईमरी, पूर्व माध्यमिक विद्यालय एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों / प्रधानों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हतायें** **अध्यापक**
1. मान्यता प्राप्त अशासकीय हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट कालेजों में नियुक्त किये जाने वाले समस्त अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हतायें वही होंगी जो	1. मान्यता प्राप्त अशासकीय हाईस्कूल / इण्टरमीडिएट कालेजों में नियुक्त किये जाने वाले समस्त अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हतायें वही होंगी जो

समय–समय पर राजकीय हाईस्कूल एवं राजकीय इण्टर कालेजों के एल०टी० व प्रवक्ता पदों के अध्यापकों के लिये राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई हों या की जायेंगी।	समय–समय पर राजकीय हाईस्कूल एवं राजकीय इण्टर कालेजों के एल०टी० व प्रवक्ता पदों के अध्यापकों के लिये राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई हों या की जायेंगी।
	1(क) अशासकीय विद्यालयों में प्रवक्ता पंजाबी एवं बंगला पद हेतु उस विषय में स्नातकोत्तर/समकक्ष तथा बी०एड० एवं एल०टी० स्तर पर स्नातक/ समकक्ष तथा बी०एड० शैक्षिक योग्यता लागू होगी।
2. पूर्व माध्यमिक विद्यालय में नियुक्त किये जाने वाले अध्यापकों हेतु अर्हतायें निम्नवत् होंगी:–	2. पूर्व माध्यमिक विद्यालय **(कक्षा VI–VIII)** तक के विद्यालय में नियुक्त किये जाने वाले अध्यापकों हेतु न्यूनतम अर्हतायें निम्नवत् होंगी:–
(क) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में स्नातक उपाधि।	(क) (स्नातक और प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो)। अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक (बी०एड०)। अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक (बी०एड०) जो इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदण्ड तथा कियाविधि) विनियम के अनुसार प्राप्त किया गया हो। अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी०एल०एड०)। अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय बी०ए० /बी०एस०सी०एड० या बी०ए०एड० /
(ख) राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बेसिक अध्यापक प्रशिक्षण पाठयकम (बी०टी० सी०)। बी०टी०सी० प्रशिक्षित अभ्यर्थी न मिलने पर विश्व विद्यालय की बी०एड० उपाधि या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से एल०टी० डिप्लोमा मान्य होगा)।	

	बी0एस0सी0एड0। अथवा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक तथा एक वर्षीय बी0एड0. (विशेष शिक्षा) तथा (ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किये गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) में उत्तीर्ण।
3. प्राथमिक विद्यालय (कक्षा I–V) नियुक्त किये जाने वाले अध्यापकों हेतु न्यूनतम अर्हतायें निम्नवत होंगी:–	**3. प्राथमिक विद्यालय (कक्षा I–V) नियुक्त किये जाने वाले अध्यापकों हेतु न्यूनतम अर्हतायें निम्नवत होंगी:–**
(क) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में स्नातक उपाधि।	(क) न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो)
(ख) राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बेसिक अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्कम(बी0टी0सी0)। (बी0टी0सी0 प्रशिक्षित अभ्यर्थी न मिलने पर विश्वविद्यालय की बी0एड0 उपाधि या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से एल0टी0 डिप्लोमाधारी अभ्यर्थी जिन्हें आवश्यक सेवारत प्रशिक्षण प्रदान किया जाय)।	अथवा न्यूनतम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो), जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदण्ड तथा कियाविधि) विनियम 2002 के अनुसार प्राप्त किया गया हो। अथवा न्यूनतम 50% अंको के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा 4 वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक (बी0एल0एड0)। अथवा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा।

अथवा

स्नातक तथा प्रारम्भिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो)

तथा

(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा **(टी०ई०टी)** में **पास होना।**

भाग 2 ख अध्याय एक का संशोधन — 7. मूल विनियम भाग दो–ख में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान विनियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा।

स्तम्भ–1 वर्तमान विनियम भाग दो–ख	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिपादित विनियम भाग दो–ख
अध्याय–एक– परिभाषाएं।	अध्याय–एक–परिभाषाएं
(5) "प्रधानाध्यापक" का अर्थ परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त हाईस्कूल का प्रधान है।	(5) "प्रधानाध्यापक" का अर्थ मान्यता प्राप्त **हाईस्कूल/पूर्व माध्यमिक विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल)/ प्राईमरी का प्रधान है।**

अध्याय सात विनियम 3(च) का संशोधन — 8. मूल विनियम अध्याय सात (परिषद द्वारा संस्थाओं की मान्यता) हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट स्तर की मान्यता–विनियम 3 के उप विनियम (च) के पश्चात उप विनियम (च)(1) निम्नवत रख दिया जायेगा, अर्थात–

(च) (1) स्थानीय निकाय द्वारा अनुरक्षित मान्यता प्राप्त संस्थाओं के लिए प्रशासन योजना से छूट रहेगी।

अध्याय सात विनियम 5(6)का संशोधन — 9. मूल विनियम अध्याय 7 के विनियम 5(6) के पश्चात उप विनियम (6)(क) निम्नवत रख दिया जायेगा, अर्थात–

(6)(क) विद्यालय के नाम भूमि 30 वर्ष की पंजीकृत लीज डीड होनी चाहिये तथा नजूल भूमि के मामले में भूमि विद्यालय के निजी स्वामित्व का प्रमाण पत्र परगना अधिकारी/तहसीलदार/अपर तहसीलदार द्वारा प्रदत्त संलग्न करना अनिवार्य होगा।

अध्याय सात विनियम 9 का संशोधन

10. मूल विनियम में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान विनियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा।

स्तम्भ–1 वर्तमान विनियम	स्तम्भ–2 एतद् द्वारा प्रतिपादित विनियम
विनियम 9 (अ) (क) (5) (च) **हाईस्कूल नवीन की मान्यता वन टाइम हेतु–**	**विनियम 9 (अ) (क) (5) (च)** **हाईस्कूल नवीन की मान्यता वन टाइम हेतु–**
भूमि–विद्यालय के नाम जिस पर भवन बना हो उसका विवरण निम्नवत है– 1. शहरी क्षेत्र (नगर निगम/नगर पालिका/टाउन एरिया) में 1000 वर्ग मी0 अथवा चौथाई एकड़ तथा 2. ग्रामीण क्षेत्र में 4000 वर्ग मी0 अथवा एक एकड भूमि होना अनिवार्य है।	भूमि–विद्यालय के नाम जिस पर भवन बना हो उसका विवरण निम्नवत् है– 1. शहरी क्षेत्र (नगर निगम/नगर पालिका /टाउन एरिया) में 1000 वर्ग मी0 अथवा चौथाई एकड़ तथा 2. ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग मी0 अथवा आधा एकड़ भूमि होना अनिवार्य है।
भूमि विद्यालय के प्रबन्धक अथवा अन्य किसी व्यक्ति के नाम होने पर मान्य नहीं होगी।	भूमि विद्यालय के प्रबन्धक अथवा अन्य किसी व्यक्ति के नाम होने पर मान्य नहीं होगी।

अध्याय तेरह विनियम {1} (छ:) का संशोधन

11. मूल विनियम में नीचे स्तम्भ 01 में दिये गये वर्तमान विनियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा।

स्तम्भ–1 वर्तमान विनियम हाईस्कूल परीक्षा (कक्षा 9 तथा 10 का पाठयकम) विनियम {1} (छ:)	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिपादित विनियम हाईस्कूल परीक्षा (कक्षा 9 तथा 10 का पाठयकम) विनियम एवं ग्रेडिंग व्यवस्था) विनियम {1} (छ:)
योग एवं स्वास्थ्य (आन्तरिक मूल्यांकन एवं ग्रेडिंग व्यवस्था)	योग, आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य (आन्तरिक मूल्यांकन एवं ग्रेडिंग व्यवस्था)

अध्याय तेरह विनियम {2}(अ)–1 का संशोधन

12. मूल विनियम में नीचे स्तम्भ 01 में दिये गये वर्तमान विनियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा।।

स्तम्भ–1 वर्तमान विनियम हाईस्कूल परीक्षा (कक्षा 9 तथा 10 का पाठयकम) विनियम {2} (अ)–1	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिपादित विनियम हाईस्कूल परीक्षा (कक्षा 9 तथा 10 का पाठयकम) विनियम एवं ग्रेडिंग व्यवस्था) विनियम {2} (अ)–1
योग एवं स्वास्थ्य (आन्तरिक मूल्यांकन एवं ग्रेडिंग व्यवस्था)	योग, आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य (आन्तरिक मूल्यांकन एवं ग्रेडिंग व्यवस्था)
परीक्षा योजनाः– विनियम {1} (अ)–1	परीक्षा योजनाः– विनियम {1} (अ)–1
योग एवं स्वास्थ्य (आन्तरिक मूल्यांकन एवं ग्रेडिंग व्यवस्था)	योग, आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य (आन्तरिक मूल्यांकन एवं ग्रेडिंग व्यवस्था)

अध्याय चौदह विनियम 3 का संशोधन

13. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ 01 में दिये गये वर्तमान विनियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया विनियम रख दिया जायेगा।

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम इण्टरमीडिएट परीक्षा	स्तम्भ–2 एतद् द्वारा प्रतिपादित विनियम इण्टरमीडिएट परीक्षा
विनियम 3 अतिरिक्त एवं अनिवार्य विषय, योग एवं स्वास्थ्य शिक्षा	**विनियम 3 अतिरिक्त एवं अनिवार्य विषय, योग, आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य शिक्षा**
कक्षा 11 एवं 12 में आन्तरिक मूल्यांकन ग्रेडिंग के साथ विद्यालय स्तर पर योग एवं स्वास्थ्य को अनिवार्य विषय के रूप में संचालित किया जायेगा।	कक्षा 11 एवं 12 में आन्तरिक मूल्यांकन ग्रेडिंग के साथ विद्यालय स्तर पर योग, आयुर्वेद एवं स्वास्थ्य को अनिवार्य विषय के रूप में संचालित किया जायेगा।

(मनीषा पंवार)
सचिव।

संख्या– /(1)1(3)2010/XXIV–4/2013, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, शिक्षा मंत्री को मा0 शिक्षा मंत्री जी को अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
7. निदेशक/सभापति, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
8. अपर शिक्षा निदेशक/गढ़वाल मण्डल, पौडी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
9. समस्त मुख्य शिक्षा धिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. उप निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि अधिसूचना की 300 प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आ0के0तोमर)
उपसचिव।

प्रेषक,

महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

सेवा में,

1. अपर निदेशक (मा.शि.), गढ़वाल / कुमाऊँ मण्डल।
2. अपर निदेशक (प्रा.शि.), गढ़वाल / कुमाऊँ मण्डल।
3. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि./प्रा.शि.), उत्तराखण्ड।
5. प्राचार्य, डायट / डी.आर.सी. उत्तराखण्ड।
6. समस्त ख.शि.अ. उत्तराखण्ड द्वारा सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
7. समस्त सी.आर.सी. उत्तराखण्ड द्वारा सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
8. समस्त बी.आर.सी. उत्तराखण्ड द्वारा सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।

पत्रांक / शिविर / 1826-2066 / 2013-14   दिनांक 27 जून, 2013

विषय :- **विद्यालयों के निरीक्षण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विद्यालयों में छात्र-छात्राओं एवं अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा विद्यालयों को शैक्षिक अनुसमर्थन प्रदान करने हेतु विद्यालयों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाना अनिवार्य है। इससे जहां विद्यालयों में अध्यापकों की शत् प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित हो सकेगी वहीं शैक्षिक गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित हो सकेंगी। इसे मध्यनजर रखते हुये विद्यालयों का निम्नानुसार निरीक्षण हेतु संख्या निर्धारित की जाती है :-

क्र. सं.	अधिकारी का पदनाम	निरीक्षण / अनुश्रवण हेतु विद्यालयों की संख्या	दायित्व
1	2	3	4
1	मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि. / प्रा.शि.)	माह में 5-5 विद्यालय न्यूनतम	निरीक्षण प्रपत्रों के आधार पर डी.सी.बी. श्रेणी के विद्यालयों को प्रशासनिक व अकादमिक सुधार करना, शैक्षिक अनुश्रवण, आदर्श पाठ, सम्प्राप्ति मूल्य के शैक्षिक कार्य तथा अनुश्रवण
2	मुख्य शिक्षा अधिकारी	माह में 10-10 विद्यालय न्यूनतम	
3	जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि. / प्रा.शि.)	माह में 10-10 विद्यालय न्यूनतम	
4	खण्ड शिक्षा अधिकारी	माह में 15-15 विद्यालय न्यूनतम	
5	बी.आर.सी.	तीन माह में क्षेत्रान्तर्गत के समस्त प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों का शैक्षिक अनुश्रवण	
6	सी.आर.सी.	15 दिन में क्षेत्रान्तर्गत के समस्त प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालयों का शैक्षिक अनुश्रवण	
7	प्राचार्य डायट	माह में 10-10 विद्यालय	
8	डायट के वरिष्ठ प्रवक्ता व प्रवक्ता	माह में 5-5 विद्यालय	

क्रमशः पेज-2 पर

विद्यालयों का निरीक्षण चक्रानुक्रम में किया जाय, जिससे एक निश्चित समय में समस्त विद्यालयों का निरीक्षण सुनिश्चित हो सके। साथ ही निरीक्षण के समय पाई गई कमियों को इंगित करते हुये उन्हें दूर कराया जाय तथा अगले निरीक्षण में उसका अवलोकन किया जाय।

डायट प्राचार्य द्वारा प्रत्येक विद्यालय हेतु एक डायट प्रवक्ता को मेन्टर (मार्गदर्शक) नियुक्त किया जायेगा। मासिक निरीक्षण आख्या पर डायट प्राचार्य द्वारा बैठक का कार्यवृत्त एवं कार्यवाही के बिन्दु चिन्हित किये जायेंगे।

उक्त किये गये निरीक्षणों का विवरण मुख्य शिक्षा अधिकारी संकलित कर मण्डलीय अपर निदेशक को माह की 10 तारीख तक उपलब्ध करायेंगे। इसी प्रकार मण्डलीय अपर निदेशक अपने मण्डल की सूचना को संकलित करते हुये निदेशक को प्रत्येक माह की 15 तारीख तक उपलब्ध करायेंगे। निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा व निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा प्रत्येक माह की 20 तारीख तक निरीक्षण सार अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराया जायेगा। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निरीक्षण की सूचना राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान को भी उपलब्ध कराई जायेगी।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(पी.एस. जंगपांगी)
महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ.सं./शिविर/ /2013–14 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ।
2. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
5. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड।

(पी.एस. जंगपांगी)
महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

वरिष्ठ प्रवक्ता/प्रवक्ता डायट हेतु विद्यालय अनुश्रवण प्रपत्र

1. अनुश्रवणकर्ता का नाम

2. अनुश्रवित विद्यालय का नाम

3. अनुश्रवित विद्यालय का दिनांक

4. विद्यालय में ठहराव..............विद्यालय में आने का समय............विद्यालय से जाने का समय

5. आदर्श पाठ प्रस्तुत यदि हो तो सम्बोध

6. शिक्षकों की शैक्षिक समस्याओं का समाधान
   1–
   2–
   3–

7. छात्रों की शैक्षिक सम्प्राप्ति स्थलीय परीक्षण के आधार पर आंकलन कक्षा के अधिकतम 10 छात्रों के परीक्षण के आधार पर (20 अंकों की परीक्षा में विद्यालय की दो कक्षाओं द्वारा)

8. विद्यालय द्वारा कोई विशिष्ट कार्य

9. विद्यालय का चिन्ताजनक पक्ष

10. सुधारात्मक शिक्षण की अद्यतन स्थिति

11. छात्र उपस्थिति प्रतिशत में

12. छात्रों की स्थिति

कुल पंजीकृत	उपस्थित	अनुपस्थित

13. अध्यापकों की उपस्थिति

स्वीकृत	कार्यरत	अनुपस्थित

हस्ताक्षर डायट मेन्टर

हस्ताक्षर/मोहर
प्रधानाध्यापक

नोटः– विद्यालय अनुश्रवण की एक प्रति स्थल पर ही विद्यालय को उपलब्ध कराई जाय व एक प्रति डायट प्राचार्य को प्रस्तुत की जाय

संख्या- 17 /XXIV-2/2013/01(05)/2012

प्रेषक,

मनीषा पंवार
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2 देहरादूनः दिनांक 10 जून, 2013

विषय:- प्रदेश के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं के शिक्षकों को चयन वेतनमान/प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय से संबंधित शासनादेश सं0 655/माध्यमिक/2002 दिनांक 12 जुलाई, 2002 के प्रस्तर 1(ख) माध्यमिक शिक्षा-उप प्रस्तर (3) में निम्नवत् व्यवस्था प्राविधानित है:-

" शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में कार्यरत स्नातक वेतनक्रम के शिक्षकों की प्रोन्नति वेतनमान उसी दशा में स्वीकृत किया जायेगा जब उनके द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त कर ली गयी है। "

उपर्युक्त व्यवस्था के संबंध में यह पाया गया कि पदोन्नति अथवा समयमान वेतनमान हेतु संवर्ग में उच्च शैक्षिक अर्हता के निर्धारण के प्राविधान कदाचित उचित नहीं हैं। अतः इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित शासनादेश संख्या-655/माध्यमिक/2002 दिनांक 12 जुलाई, 2002 में उल्लिखित प्रस्तर-1(ख) (3) को विलोपित किया जाता है। शासनादेश दिनांक 12 जुलाई, 2002 के अन्य प्राविधान यथावत् प्रभावी रहेंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही यथाशीघ्र सम्पादित की जाये।

भवदीय
/
(मनीषा पंवार)
सचिव

संख्या- 17 /XXIV-2/2013/01(05)/2012 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव-मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल, द्वारा निदेशक।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड, द्वारा निदेशक।
7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, द्वारा निदेशक।
8. वित्त अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव

संख्या– / चौबीस–2–2013–25(07) / 2012

प्रेषक,

मनीषा पंवार
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 11 जून, 2013

विषयः– विभाग में सम्बद्ध शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–315 / xxiv–2 / 25(7) / 2012 दिनांक 17 मई, 2012 द्वारा विभाग में विभिन्न शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सम्बद्धता समाप्त करते हुए विभिन्न कार्यालयाध्यक्षों से दिनांक 31–5–2012 तक प्रमाण–पत्र मांगे गये थे। शासनादेश संख्या–366 / xxiv–2 / 25(7) / 2012 दिनांक 30 मई, 2012 द्वारा शासन के उपरोक्त आदेशों का कियान्वयन अग्रिम आदेशों तक स्थगित करते हुए सभी कार्यालयाध्यक्षों से यह सूचना / प्रमाण–पत्र प्राप्त किया गया था कि वर्तमान में कितने शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारी विभिन्न कारणों से मूल तैनाती के स्थान से अन्यत्र सम्बद्ध है।

2. उक्त के सम्बन्ध में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी जो विभिन्न कार्यालयों में सम्बद्ध हैं, उनका सम्बद्धीकरण तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए उन्हें मूल तैनाती के स्थान पर भेज दिया जाये। ऐसे कार्मिक उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापना नियमावली, 2013 के अनुसार स्थानान्तरण हेतु आवेदन कर सकते हैं। उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों से आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिन के भीतर मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक से प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुए इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जायेगा कि उनके जिले में कोई भी शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारी किसी अन्य कार्यालय / संस्था से सम्बद्ध नहीं है।

3. उक्त अवधि के पश्चात् यदि किसी ऐसे संबद्ध शिक्षक / शिक्षणेत्तर कार्मिक का वेतन आहरित किया जाता है तो इसके लिए संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

कृपया उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीया

(मनीषा पंवार)
सचिव।

संख्या– 863/ चौबीस–2–2013–25(07) / 2012– तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव।

संख्याः 984/xxiv-3/13/02 (63)2013

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3 देहरादून, दिनांक 11 जून, 2013

विषयः-निर्माण कार्यों की सूचना के प्रारूप के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में, प्रायः शासन को संदर्भित प्रस्तावों में यह देखा गया है कि निर्माण कार्यों की सूचना/प्रस्ताव बिना किसी प्रारूप के क्रमबद्धता एवं प्राथमिकता पर नहीं उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

अतः इस संबंध में प्रारूप संलग्न कर प्रेषित है। कृपया, भविष्य में निर्माण कार्यों से संबंधित समस्त प्रस्ताव बजट उपलब्धता के अधीन, प्राथमिकता तय कर उक्त निर्धारित प्रारूप के साथ शासन को यथासमय शीघ्र संदर्भित किये जाएं।

संलग्न-यथोक्त।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 984/xxiv-3/13/02(63)2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः-उपरोक्तानुसार संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. निदेशक, बेसिक शिक्षा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. उपनिदेशक, नियोजन, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4. सहायक निदेशक, बैसिक शिक्षा निदेशालय, देहरादून, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव।

निर्माण कार्यों की सूचना का प्रारूप

धनराशि रू0 लाख में

क्र.स.	विषय	आख्या/रिपोर्ट
1.	योजना का नाम	
2.(1)	चालू कार्य	
(2)	नया कार्य	
3.	भूमि उपलब्धता	
(1)	भूमि उपलब्ध है तो भूमि का रकवा (वर्ग मीटर में)	
(2)	क्या भूमि विभाग के नाम दर्ज है (अद्यतन स्थिति)	
4.	योजना निर्माण का स्थल	
(1)	सड़क से दूरी	
(2)	पानी की व्यवस्था	
(3)	विद्युत की व्यवस्था	
(4)	शौचालय की व्यवस्था	
(5)	जिला मुख्यालय/तहसील/ब्लाक मुख्यालय से दूरी	
5.	योजना की अनुमोदित लागत	
6.	वित्त पोषण	
(1)	जिला प्लान	
(2)	राज्य सैक्टर	
(3)	केन्द्र पोषित	
7.	क्या योजना एस.सी.पी./टी.एस.पी. प्लान अन्तर्गत है	
8.	पूर्व में अवमुक्त धनराशि का विवरण, संगत शासनादेश सहित	
9.	कार्यदायी संस्था से mou की स्थिति	
10.	योजना में अनुमोदित मुख्य कार्यों का विवरण	
11.	वर्तमान तक योजना के निर्माण कार्यों का विवरण/लागत	
(1)	पूर्ण किए गये कार्यों का विवरण	
(2)	निर्माणाधीन कार्यों का विवरण	
(3)	लम्बित कार्यों का विवरण	

12.	योजना का पर्ट चार्ट बना है अथवा नहीं	
13.	चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि की मांग औचित्य सहित, इस मांग की धनराशि से कौन–कौन से निर्माण कार्य पूर्ण होंगे	
14.	योजना की पुनरीक्षित लागत व पुनरीक्षित का कारण	
15.	विद्यालय भवन निर्माण हेतु प्रस्ताव–	
(1)	वर्तमान में क्या व्यवस्था है भवन उपलब्ध है या किराये पर है	
(2)	उपलब्ध भवनों की संख्या नाप सहित, तथा कब निर्मित हुए	
(3)	विद्यालय परिसर में कुल उपलब्ध भूमि का रकबा (वर्ग मीटर में)	
(4)	कुल उपलब्ध भूमि में कितनी भूमि पर भवन आदि निर्मित हैं (वर्ग मीटर में)	
(5)	विद्यालय का स्तर–हाईस्कूल/ इण्टर कितनी कक्षाएं संचालित हैं उनका विवरण छात्र संख्या सहित	
(6)	विद्यालय की कुल छात्र संख्या	
(7)	समीपस्थ हाईस्कूल/ इण्टर शासकीय/अशासकीय विद्यालयों का विवरण	

संख्या–512/xxvii(7)50(49)/2013

प्रेषक,

राकेश शर्मा

प्रमुख सचिव, वित,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

2–समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,

उत्तराखण्ड।

वित (वे0आ0–सा0नि0) अनु0–7 देहरादूनः दिनांक12जून, 2013

विषयः दिनांक 01 जनवरी, 2006 अथवा इसके पश्चात सीधी भर्ती से नियुक्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण किया जाना।

महोदय,

दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना की स्वीकृति एवं वेतन निर्धारण की प्रक्रिया से संबंधित शासनादेश संख्या–395/xxvii(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 एवं शासनादेश संख्या–41/xxvii(7) सी0भर्ती0/2009 दिनांक 13 फरवरी, 2009, के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01 जनवरी, 2006 अथवा इसके पश्चात सीधी भर्ती से नियुक्त किसी कार्मिक के योगदान की तिथि के बाद की किसी तिथि से शासन द्वारा संबंधित पद का वेतनमान (सादृश्य वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन) उच्चीकृत किये जाने के फलस्वरूप देय उच्चीकृत ग्रेड वेतन और उसके साथ बैण्ड वेतन भी, यदि उच्चीकरण की तिथि को उक्त शासनादेश दिनांक 13 फरवरी, 2009 में उल्लिखित तालिका के अनुसार उच्चीकृत ग्रेड वेतन के संदर्भ में सीधी भर्ती हेतु यथा निर्धारित न्यूनतम बैण्ड वेतन की तुलना में निम्न होता है, तो उच्चीकरण की तिथि से उस सीमा तक बढ़ाकर अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– ऐसे प्रत्येक प्रकरण में विभागीय स्तर पर वेतन निर्धारण हेतु औपचारिक आदेश निर्गत किया जाना आवश्यक होगा। तत्पश्चात् अगली वेतन वृद्धि उक्त शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 (यथा संशोधित) में निहित व्यवस्थानुसार अनुमन्य होगी।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)

प्रमुख सचिव।

संख्या 562(1)/xxvii(7) 50 (49)/2013 तददिनांक।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. प्रधान महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
5. रेजीडेन्ट कमिश्नर उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. समस्त कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
7. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(एल0एन0 पन्त)

अपर सचिव।

प्रेषक,

अपर निदेशक,
एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड,
नरेन्द्रनगर, टिहरी।

सेवा में,

समस्त प्राचार्य,
डायट / डी.आर.सी. उत्तराखण्ड।

पत्रांक : सि0नि0/1819-1832 /टी.ई.टी. (विशेष बी.एड.एड.)/2013-14 दिनांक 15/17 जून 2013

विषय : अध्यापक पात्रता परीक्षा 2011 उत्तीर्ण चयनित प्रशिक्षु शिक्षकों को विशेष बी.एल.एड. प्रशिक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक बेसिक/7101-30/प्रशिक्षु शिक्षक/2013-14 दिनांक 13 जून 2013 के क्रम में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-1223/XXIV(1)/ 2011-28/2010 दिनांक 14 दिसम्बर 2011 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत अध्यापक पात्रता परीक्षा 2011 के आधार पर चयनित (बी0एड0 योग्यताधारी) प्रशिक्षु शिक्षकों को 06 माह का प्रशिक्षण (विशेष बी0एल0एड0) दिया जाना था। यह प्रशिक्षण मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में योजित विशेष अपील संख्या-360/2012 त्रिवेणी चन्द्र पाण्डेय बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित स्थगन आदेश दिनांक 27.11.2012 के कारण प्रारम्भ नहीं किया जा सका। वर्तमान में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 10 जून 2013 को उक्त अपील पर अन्तिम निर्णय दिये जाने के बाद चयनित प्रशिक्षु शिक्षकों का बैचवार जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/डी0आर0सी0 में प्रशिक्षण प्रारम्भ किया जाना है जिसके लिए दिशा-निर्देश निम्नवत् दिये जा रहे हैं:-

1. प्रशिक्षण एन0सी0टी0ई0 द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम पर आधारित होगा जिसकी हार्ड/सॉफ्ट कॉपी आपको उपलब्ध करायी जा रही है।
2. प्रशिक्षण की अवधि 06 माह होगी जिसमें पाठ्यक्रम में निर्धारित सैद्धान्तिक पक्ष डायट/डी0आर0सी0 स्तर पर तथा क्रियात्मक पक्ष विद्यालय (जो कि प्रशिक्षु शिक्षक को मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा पूर्व में आवंटित है) में पूर्ण किया जायेगा जिसका अनुश्रवण डायट संकाय के सदस्यों द्वारा किया जायेगा।
3. प्रत्येक डायट/डी0आर0सी0 में एक बैच में 100 प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण का प्राविधान किया गया है।
4. प्रथम चरण के प्रशिक्षुओं के क्रियात्मक प्रशिक्षण अवधि में द्वितीय चरण के लिए चयनित प्रशिक्षु डायट/डी0आर0सी0 में सैद्धान्तिक प्रशिक्षण लेंगे।

जनपदवार/बैचवार प्रशिक्षुओं की संख्या नीचे दी जा रही है। कुछ जनपदों में अधिक संख्या होने के कारण उन्हें प्रशिक्षण हेतु अन्य जनपद आवंटित किये गये हैं जिसका स्पष्ट उल्लेख भी नीचे किया गया है:-

सैद्धान्तिक प्रशिक्षण हेतु डायटवार प्रशिक्षुओं की संख्या

क्र0 सं0	जनपद	प्रशिक्षुओं की कुल संख्या	प्रथम बैच हेतु निर्धारित संख्या			द्वितीय बैच हेतु निर्धारित संख्या		
			जनपद के प्रशिक्षु	अन्य जनपदों के प्रशिक्षु	प्रशिक्षुओं की कुल सं0	जनपद के प्रशिक्षु	अन्य जनपदों से	प्रशिक्षुओं की कुल संख्या
1	उत्तरकाशी	86	86	-	86	-	43टिहरी से	43
2	रुद्रप्रयाग	62	62	23 पौड़ी से	85	-	-	-
3	हरिद्वार	65	65	31 देहरादून से	96	-	-	-
4	चमोली	159	100	-	100	59	-	59
5	टिहरी	243	100	-	100	100	-	100
6	पौड़ी	223	100	-	100	100	-	100
7	देहरादून	231	100	-	100	100	-	100
8	पिथौरागढ़	104	104	-	104	-	-	-
9	चम्पावत	71	71	29अल्मोड़ा से	100	-	-	-
10	बागेश्वर	184	100	-	100	84	16अल्मोड़ा से	100
11	अल्मोड़ा	524	104	-	104	104		104
12	नैनीताल	70	70	30अल्मोड़ा से	100	-	101अल्मोड़ा से	101
13	ऊधमसिंहनगर	60	60	40अल्मोड़ा से	100	-	100अल्मोड़ा से	100
	योग	2082	1122	153	1275	547	260	807

प्रत्येक जनपद के प्रशिक्षु शिक्षक अपने जनपद में ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में दो बैचों में प्रशिक्षण लेंगे। प्रशिक्षण को दो बैचों में पूर्ण किये जाने के दृष्टिगत जिन जनपदों में प्रशिक्षु शिक्षकों की संख्या 200 से अधिक है उनके लिए अन्य जनपदों के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में केवल सैद्धान्तिक प्रशिक्षण के लिए स्थान आवंटित किये गये हैं जबकि क्रियात्मक प्रशिक्षण वे अन्य प्रशिक्षुओं के समान अपने ही जनपद में (कार्यरत विद्यालय में) पूर्ण करेंगे। जनपद एवं जनपद से बाहर प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षु शिक्षकों की सूची जनपद स्तर पर निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाय–

सर्व प्रथम प्रत्येक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में सभी प्रशिक्षु शिक्षकों का पंजीकरण 30 जून 2013 तक पूर्ण कर लिया जाय।

पंजीकृत प्रशिक्षु शिक्षकों में से महिलाएं प्रत्येक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिए निर्धारित सीटों के अन्तर्गत अपने ही जनपद में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी। यदि महिलाओं की संख्या किसी जनपद में अधिक होती है तो श्रेष्ठता (चयन हेतु अपनायी गयी प्रक्रिया के आधार पर) के आधार पर सूची तैयार की जाय और शेष महिलाओं को जनपद से बाहर आवंटित अन्य जनपद में प्रशिक्षण हेतु निर्देशित किया जाय।

पुरुष प्रशिक्षु शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए जनपद स्तर पर श्रेष्ठता (चयन हेतु अपनायी गयी प्रक्रिया के आधार पर) के आधार पर सूची तैयार की जाय। श्रेष्ठता सूची में पहले आने वाले प्रशिक्षु शिक्षकों को अपने ही जनपद में महिलाओं को वरीयता देने के बाद शेष सीटों के सापेक्ष चयन किया जाय। अन्य पुरुष प्रशिक्षु शिक्षकों को प्रशिक्षण हेतु निर्धारित संख्या के अनुरूप जनपद के सम्मुख आवंटित अन्य जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण हेतु निर्देशित किया जाय।

प्रशिक्षु शिक्षकों के द्वारा आवंटित अन्य जनपद में प्रशिक्षण हेतु किये जाने वाले अनुरोध पर प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्वयं निर्णय ले सकते हैं।

अतः यथाशीघ्र जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) से चयनित/प्रशिक्षण हेतु अर्ह प्रशिक्षु शिक्षकों की सूची प्राप्त कर समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों के आलोक में संस्थान स्तर पर प्रशिक्षण हेतु बैचवार प्रशिक्षण की कार्य योजना इस बात को ध्यान में रखते हुए तैयार कर लें कि प्रशिक्षण 01 जुलाई 2013 से अनिवार्य रूप से प्रारम्भ हो जाय। उक्त के आलोक में कृत कार्यवाही से परिषद् कार्यालय एवं निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून को भी अवगत करायें।

भवदीय,

(डा० एस०के० शील)
अपर निदेशक
एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड,
नरेन्द्रनगर, टिहरी।

पृ०सं० : वि०ग०/1819-1832/2013-14 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि :

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड के निर्देश के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक), समस्त जनपद, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि प्रशिक्षु शिक्षकों की सूची तैयार कर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को तत्काल उपलब्ध करायें।

(डा० एस०के० शील)
अपर निदेशक,
एस.सी.ई.आर.टी. उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड शासन,
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3
संख्या: 796/XXIV-3/13/02(168)05T.C.
देहरादून, दिनांक: 17 जून, 2013

कार्यालय ज्ञाप

राज्य में केन्द्र पुरोनिधानित योजना इन्फार्मेशन एण्ड कम्यूनिकेशन टैक्नोलॉजी इन स्कूल्स (आई0सी0टी0) के अंतर्गत शिक्षा के क्षेत्र में आई0सी0टी0 का समुचित प्रयोग करने वाले नवाचारी शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिये जाने हेतु चयन के लिए राज्य स्तरीय समिति निम्नवत् प्रमुख सचिव/सचिव, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित की जाती है:-

1. राज्य, परियोजना निदेशक, रा0मा0शि0अ0 उत्तराखण्ड - सदस्य
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून - सदस्य/सचिव
3. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून - सदस्य
4. निदेशक, आई0टी0डी0ए0 सचिवालय परिसर, देहरादून - सदस्य

(मनीषा पंवार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 796/XXIV-3/13/02(168)05T.C.तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिदेशक/प्रभारी, आई0सी0टी0, विद्यालयी शिक्षा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2- राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड।
3- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4- अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, देहरादून, उत्तराखण्ड।
5- वित्त नियंत्रक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
6- उप निदेशक, आई0सी0टी0 (प्रकोष्ठ), विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, देहरादून।
7- लेखाधिकारी, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
8- निदेशक, उत्तराखण्ड सूचना तकनीकी विकास ऐजेन्सी ITDA देहरादून, उत्तराखण्ड।
9- निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून, उत्तराखण्ड।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील श्री पांथरी)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग–2
संख्या : 998(A)/XXIV–2/2013–32(01)/2013
देहरादून, दिनाँक : 18 जून, 2013

अधिसूचना संख्या–998/ XXIV–2/2013–32(01)/2013 दिनांक 18 जून, 2013 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन (संशोधन) नियमावली, 2013" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रुड़की (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित करा कर इसकी 200 प्रतियाँ शिक्षा अनुभाग–2 को यथा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. निजि सचिव, मा0 विद्यालयी शिक्षा मंत्री जी।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
6. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
7. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
8. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल, पौड़ी एवं नैनीताल, उत्तराखण्ड।
9. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
10. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
12. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
13. निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
14. निदेशक आकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड।
15. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
16. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
17. अधिशासी निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।
18. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।

संलग्नक–यथोक्त।

आज्ञा से,

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग–2
संख्या :११८/XXIV–2/2013–32(01)/2013
देहरादून, दिनाँक : 18 मई, 2013

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली, 2013 के अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन (संशोधन) नियमावली, 2013

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली, 2013 है।

(2) यह दिनांक 21 मई, 2013 में प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

2. नियम 10 (2) (घ) के अन्त में टिप्पणी का अन्तस्थापन–

मूल नियमावली के नियम 10 (2) (घ) के अन्त में निम्नलिखित टिप्पणी अन्तःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्

"टिप्पणी– 70 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग बच्चे के शिक्षक माता या पिता मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त बच्चे की 70 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण करने हेतु पात्र होगें।"

आज्ञा से
(मनीषा पंवार)
सचिव

संख्या– / XXIV()/2013-

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून।

2– राज्य परियोजना निदेशक
उत्तराखण्ड सभी के लिये शिक्षा परिषद,
ननूरखेड़ा, देहरादून

शिक्षा अनुभाग–1 देहरादूनः दिनॉक 20 जून, 2013

विषयः शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा–19(1) के प्राविधानुसार अनुसूची में उल्लिखित विद्यालयों हेतु न्यूनतम कार्यदिवस एवं अध्यापकों के लिये प्रति सप्ताह कार्यकारी घण्टों के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक राज्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड सभी के लिये शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड के पत्र सं0 रा0प0नि0/281/07–RTE/2013–14 दिनॉक 15.5.2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा–19(1) के प्राविधानुसार अनुसूची में उल्लिखित विद्यालयों हेतु न्यूनतम कार्यदिवस एवं अध्यापकों के लिये प्रति सप्ताह कार्यकारी घन्टों के निर्धारण हेतु एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यवस्था निर्धारित की जाती है:–

(1) कक्षा–1 से 5 तक शैक्षिक सत्र में न्यूनतम 220 कार्य दिवस एवं प्रतिदिन 4.30 घन्टे की दर से 990 अनुदेशात्मक घन्टे (Instructional hours) तथा कक्षा–6 से 8 तक शैक्षिक सत्र में न्यूनतम 230 कार्य दिवस एवं प्रतिदिन 4.30 घण्टे की दर से 1035 अनुदेशात्मक घन्टे होने अनिवार्य है।

(2) विद्यालय ग्रीष्मकाल में प्रतिदिन प्रातः 7.30 बजे से अपराह्न 01.00 बजे तक तथा शीतकाल में प्रातः 10.00 बजे से सायं 3.30 बजे तक खुले रहेंगे। प्रतिदिन 4.30 घन्टे बच्चों के साथ उनके निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार उपयुक्त शिक्षण विधियों द्वारा शिक्षण/अनुदेश के लिये होंगे। शेष 01.00 घन्टे में से प्रतिदिन 10 मिनट प्रार्थना सभा के कार्यक्रम, 30 मिनट मध्याह्न भोजन एवं सृजन वादन के रूप में, 20 मिनट पाठ्य सहगामी क्रियाओं यथा चित्रकला, गीत संगीत, कविता पाठ, हस्तकला एवं खेलकूद इत्यादि हेतु उपयोग में लाये जायेंगे।

(3) अध्यापक हेतु प्रति सप्ताह अनुदेश देने/शिक्षण कार्य के लिए 45 घन्टों का प्रावधान है, जिसमें अध्यापन की तैयारी भी सम्मिलित है। अतः प्रति दिन अनुदेश/शिक्षण कार्य/तैयारी हेतु 7.30 घन्टे होंगे। अध्यापक प्रतिदिन 7.30 घन्टें में से 5.30 घन्टे विद्यालय में रह कर अध्यापन कार्य, अनुदेशन, बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का आंकलन, कमजोर बच्चो की समस्याओं का चिन्हीकरण एवं उनके निदान हेतु सुधारात्मक/पूरक शिक्षण, बच्चों के आंकलन का अभिलेखीकरण तथा बच्चों की प्रोफाइल तैयार करने हेतु उपयोग में लाये जायेंगे।

....2/–

(4) अध्यापक प्रतिदिन शेष 2.00 घन्टें विद्यालय के खुलने से पूर्व अथवा विद्यालय बन्द होने के बाद में विद्यालय में उपस्थित रह कर शिक्षण हेतु पाठ्य योजनाओं का निर्माण, विद्यालय विकास योजना निर्माण, क्रियात्मक शोध, बच्चों को दिये गृह कार्यो एवं उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण, बच्चों से सम्बन्धित समस्याओं (अनुपस्थित रहना, अस्वाभाविक व्यवहार, शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर प्राप्त न होना) के कारण जानने के लिए बच्चों के माता–पिता/अभिभावकों/क्षेत्रीय समुदाय से सहयोग प्राप्त करने हेतु उपयोग में लाये जायेंगे। माह के अन्तिम सप्ताह में शिक्षक–अभिभावकों की बैठक भी अनिवार्य रूप से आयोजित की जायेगी। इनका विवरण भी पंजिका में उल्लिखित होगा। पठन–पाठन के 4:30 घन्टों के कार्य के दौरान किसी भी तरह का प्रशासनिक कार्य(पंजिका/बैंक/आख्या इत्यादि लिखना) पूर्णतः वर्जित है। किसी भी निरीक्षण के दौरान, यदि ऐसा पाया गया तो इसे पठन–पाठन के प्रति उदासीनता समझी जायेगी और सम्बन्धित अध्यापक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

अतः समस्त अध्यापकों से उपरोक्त निर्धारित व्यवस्थानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

संख्या–631 (i)/XXIV(i)/2013–45/2008 TC-I तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3– निजी सचिव, मा0 मंत्री, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, विधान भवन, देहरादून को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ प्रेषित।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, ननूरखेड़ा, देहरादून।
6– समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड (निदेशक, प्रा0शि0 के माध्यम से)।
7– समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड(निदेशक, प्रा0शि0 के माध्यम से)।
8– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राधिका झा)
अपर सचिव

संख्या–655/XXIV(i)/2013–25/2007

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक,
उत्तराखण्ड सभी के लिए शिक्षा परिषद,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–1 देहरादून: दिनांक20जून, 2013

विषय–मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत जनपद, विकासखण्ड व विद्यालय स्तर पर गठित क्रियान्वयन एंव अनुश्रवण समिति की नियमित मासिक/ त्रैमासिक बैठकों के आयोजन तथा विद्यालयों के शत–प्रतिशत अनुश्रवण करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मध्याह्न भोजन योजना केन्द्र व राज्य सरकार के सहयोग से चलने वाला एक ध्वजवाहक कार्यक्रम है। इसके मुख्य उद्देश्यों में प्रारम्भिक स्तर पर राजकीय, स्थानीय निकाय, राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों, आवासीय/गैर आवासीय विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों, मकतब/मदरसों तथा राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना विद्यालयों में कक्षा 1 से कक्षा–8 तक अध्ययनरत बच्चों के पोषण के स्तर में सुधार करना, अपवंचित समूहों के गरीब बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित रहने तथा कक्षा–कक्ष गतिविधियों में सम्मिलित होने को प्रोत्साहित करना तथा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में ग्रीष्मावकाश के दौरान प्रारम्भिक स्तर के बच्चों को पोषण सहायता उपलब्ध कराना सम्मिलित है।

2– इतनी विशाल योजना के कुशल प्रबन्धन, क्रियान्वयन, अनुश्रवण तथा स्थानीय समस्याओं के निराकरण के लिए यह आवश्यक है कि योजना के प्रत्येक हितधारकों यथा अध्यापकों, अभिभावकों, विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्यों, अधिकारियों तथा जनसमुदाय का कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से भागीदारी सुनिश्चित हो।

3– भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशिका 2006 के अनुच्छेद–3.2 में योजना के बेहतर प्रबन्धन के लिए जनपद, विकासखण्ड तथा विद्यालय स्तर पर क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति का निम्नवत गठन कर, नियमित त्रैमासिक/मासिक बैठकों का आयोजन किये जाने के निर्देश हैं।

समिति	स्तर	अध्यक्ष	सचिव	बारम्बारता
क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति	जनपद स्तरीय समिति	वरिष्ठतम माननीय सांसद/विधायक	जिलाधिकारी	त्रैमास
	विकासखण्ड स्तरीय समिति	उप जिला अधिकारी	खण्ड शिक्षा अधिकारी	त्रैमास
	विद्यालय प्रबन्धन समिति	आर0टी0ई0 के प्राविधान के अनुसार निर्वाचित अभिभावक	प्रधानाध्यापक/वरिष्ठतम शिक्षक (पदेन)	मासिक

4– बैठक में निम्नलिखित एजेण्डा बिन्दुओं को चर्चा के लिए सम्मिलित कर नियमित अनुश्रवण किया जा सकता है यथा–

- विद्यालय तक गुणवत्ता युक्त खाद्यान्न का नियमित ढुलान, एक माह का अग्रिम स्टॉक (बफर स्टॉक) का रखरखाव आदि।
- एफ0सी0आई0 के गोदाम से विद्यालय तक खाद्यान्न का निःशुल्क ढुलान।
- विद्यालय तक कुकिंग कास्ट, मानदेय, आकस्मिक व्यय की अग्रिम धनराशि का प्रेषण।

- विद्यालय में भौतिक संसाधन यथा किचन कम स्टोर, खाना बनाने व परोसने वाले बर्तन, किचन उपकरण, अनाज तौलने की मशीन, साबुन, तौलिया, नैल कटर, फिनाइल, कंघी–सीसा आदि की उपलब्धता।
- स्वास्थ्य कार्यक्रम "चिरायु" की प्रगति, विटामिन–ए, आयरन फॉलिक एसिड, कृमिनाशक दवाओं, चश्मों तथा कान की मशीन का नियमित वितरण।
- विभिन्न विभागों यथा स्वास्थ्य, पेयजल, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, वैकल्पिक ऊर्जा विभाग आदि से नियमित समन्वयन।
- एम0आई0एस0 के अन्तर्गत मासिक / वार्षिक डाटा एन्ट्री कार्य की प्रगति।
- भोजनमाता को मानदेय का नियमित भुगतान, आदि।

5– बैठक का नियमित आयोजन कर स्थानीय समस्याओं का निराकरण स्थानीय आधार पर किये जाने का प्रयास किया जाए। यदि समस्या का निदान स्थानीय आधार पर न हो सके तो उसे उच्च स्तर पर अग्रेसित किया जाए। बैठक के कार्यवृत का प्रेषण नियमित रूप से मध्याह्न भोजन योजना प्रकोष्ठ, सर्व शिक्षा अभियान को प्रेषित किया जाए।

6– इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशिका 2006 के अनुच्छेद–6.2 के आधार पर प्रत्येक त्रैमास में कम से कम 25 प्रतिशत विद्यालयों के अनुश्रवण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है अर्थात वर्ष में प्रत्येक विद्यालय का कम से कम एक बार अवश्य अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाए। विद्यालयों के शत–प्रतिशत अनुश्रवण के लिए विभागीय अधिकारियों के लिए निम्नवत मासिक / वार्षिक लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है–

पदनाम	मासिक लक्ष्य	वार्षिक लक्ष्य
सचिव, विद्यालयी शिक्षा	1	5
अपर सचिव, बेसिक शिक्षा	1	5
अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा	1	5
महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा	1	5
राज्य परियोजना निदेशक	1	5
निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा	1	10
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा	1	10
निदेशक, शोध मूल्यांकन एवं अनुश्रवण	1	10
प्राचार्य डायट	2	12
मुख्य शिक्षा अधिकारी	2	16
जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक)	2	16
जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)	2	16
खण्ड शिक्षा अधिकारी	3	24
उप शिक्षा अधिकारी	3	24
समन्वयक, बी0आर0सी0	4	30
सह समन्वयक, बी0आर0सी0	4	30
समन्वयक, सी0आर0सी0	5	40

भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार जिलाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना के जनपद स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति के सचिव तथा खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति के सचिव हैं।

7– अतएव अनुश्रवण समिति के सचिव जनपद व विकासखण्ड पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के सहयोग से वर्षभर का अनुश्रवण कैलेण्डर इस प्रकार तैयार करेंगे की प्रत्येक त्रैमास में 25 प्रतिशत विद्यालयों तथा वर्ष भर में कम से कम प्रत्येक विद्यालय का एक बार अनुश्रवण सुनिश्चित किया जा सके।

विद्यालयों में अनुश्रवण के दौरान निम्नलिखित हस्तक्षेपों तथा विषयों पर आधारित अनुश्रवण प्रपत्र को विकसित किया जाए तथा तदनुसार अनुश्रवण कर उसका विश्लेषण सुनिश्चित कर स्थानीय आधार पर समस्याओं का निदान करने का प्रयत्न किया जाए।

- विद्यालय, छात्र, अध्यापक व भोजनमाता विवरण।
- बच्चों का नामांकन, उपस्थिति तथा लाभान्वित बच्चों का विवरण
- मानवीय व भौतिक संसाधनों की उपलब्धता
- सामाजिक समानता व सामुदायिक सहभागिता की स्थिति
- भोजन मीनू, खाना पकाने की विधि, भोजन का स्वाद व गुणवत्ता
- स्वास्थ्य कार्ड का रखरखाव, परीक्षण व दवाओं/उपकरणों के वितरण की स्थिति
- बच्चों व भोजनमाताओं की व्यक्तिगत स्वच्छता, बर्तनों व पेयजल की स्वच्छता
- किचन कम स्टोर निर्माण, कुकिंग कॉस्ट, मानदेय व खाद्यान्न की उपलब्धता
- अभिलेखों व पत्रावलियों का रखरखाव

8– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करते हुये मध्याह्न भोजन योजना के बेहतर क्रियान्वयन तथा समस्याओं के निदान हेतु नियमित बैठकों का आयोजन तथा विद्यालयों का अनुश्रवण सुनिश्चित किये जाने हेतु कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
सचिव

संख्या–653 (i)/XXIV(i)/2013–25/2007 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मण्डलायुक्त, गढवाल/कुमायूँ, उत्तराखण्ड।
2– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड
4– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
5– निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, ननूरखेड़ा, देहरादून।
6– समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड (रा0प0निदेशक के माध्यम से)।
7– निजी सचिव, अपर सचिव, बेसिक एवं माध्यमिक, उत्तराखण्ड शासन को अपर सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राधिका झा)
अपर सचिव

217 / 2276

संख्या: 1040/XXIV-3/13/01(11)2007

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3

देहरादून, दिनांक: 21 जून, 2013

विषय:– **उत्तराखण्ड प्रदेश में स्थित शिक्षण संस्थानों को कौउंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन (आई0सी0एस0ई0) एवं सैन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्ड्री एजुकेशन (सी0बी0एस0ई0) नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति के संबंध में।**

महोदय

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में शासनादेश संख्या: 641/XXIV-3/13/01(11)2007 दिनांक: 26 जून, 2007 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है उत्तराखण्ड प्रदेश में स्थित शिक्षण संस्थानों को कौउंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन (आई0सी0एस0ई0) एवं सैन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्ड्री एजुकेशन (सी0बी0एस0ई0) नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने के संबंध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उपरोक्त शासनादेश में निम्नांकित विवरणानुसार आंशिक संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है:–

(अ) शासनादेश संख्या: 641/XXIV–3/07/01(11)/2007 दिनांक: 26 जून, 2007 के **प्रस्तर–4** में यह प्राविधान सम्मिलित किया जाता है कि संबंधित मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित संस्था से संस्था/स्कूल द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 में उल्लिखित प्राविधान कि, 25% सरकार प्रायोजित कमजोर एवं अपेक्षित वर्ग के छात्रों को निजी शिक्षण संस्थानों में आवश्यक रूप से शिक्षा दी जायेगी, का भी पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित किया जायेगा, तथा संबंधित संस्था/विद्यालय द्वारा ऐसी अनापत्ति/मान्यता प्राप्त करने के पश्चात प्रत्येक वर्ष U-DISE (Unified District Information System In Education) में संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा किया जाना अनिवार्य होगा, की शर्त भी इंगित करते हुए संस्था/स्कूल से शपथपत्र प्राप्त किया जायेगा।

(ब) उपरोक्त शासनादेश के **प्रस्तर–5** में उल्लिखित वर्तमान व्यवस्था/प्राविधान को समाप्त करते हुए शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिले में स्थित ऐसे विद्यालयों (जो कौउंसिल फार दि इण्डियन एजुकेशन सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली एवं सैन्ट्रल बोर्ड ऑफ सैकेण्ड्री एजुकेशन नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के इच्छुक हों) के संबंध में नियंत्रण अधिकारी होंगे और वे इन शिक्षण संस्थाओं के बारे में विद्यालयों का निरीक्षण एवं अनुश्रवण करते हुए पूरा विवरण तत्परता के साथ सुस्पष्ट संस्तुति सहित निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड को प्रस्तुत करेंगे। निदेशक, माध्यमिक शिक्षा द्वारा ऐसे प्रस्तावों का सम्यक् परीक्षणोपरान्त विभागीय अभिमत एवं सुस्पष्ट संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त शासनादेश दिनांक: 26 जून, 2007 की समस्त शर्तें/प्रतिबन्ध पूर्ववत लागू रहेंगे।

कृपया उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से संबंधित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
सचिव

क्रमशः–2–

पृष्ठांकन संख्याः 1040/XXIV-3/13/01(11)2007 तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निजी सचिव, माननीय विद्यालयी शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3– आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6– मण्डलीय शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/ कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
7– समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9– सचिव, कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन (आई०सी०एस०ई०) प्रगति विहार, तृतीय तल 47–48 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली।
10– सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् समुदाय केन्द्र प्रीति विहार, नई दिल्ली।
11– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुनील श्री पांथरी)
उप सचिव

संख्या: 1047/XXIV/13/02(60)13

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून, दिनांक 21 जून, 2013

विषय **Direct Benefit Transfer** योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य एवं जनपद स्तर पर अधिकारियों/कार्मिकों को नामित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के संदर्भ में अवगत कराना है कि भारत सरकार के द्वारा डी0बी0टी0 (Direct benefit Transfer) योजना के अन्तर्गत् उत्तराखण्ड राज्य के बागेश्वर, चम्पावत एवं टिहरी जनपदों को चयनित किया गया है। उक्त योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित स्कूल शिक्षा के राष्ट्रीय साधन–सह योग्यता छात्रवृत्ति योजना (National Means-cum-Merit Scholarship Scheme - NMMSS) एवं राष्ट्रीय स्तर पर बालिकाओं के लिए माध्यमिक शिक्षा हेतु प्रोत्साहन योजना (National Scheme of Incentive to Girls for Secondary Education - SIGSE) के लाभार्थियों को सम्मिलित किया गया है। उक्त योजना 01 जुलाई 2013 से प्रारम्भ की जानी प्रस्तावित है। इस हेतु समस्त पात्र लाभार्थियों का NPR नामांकन, आधार कार्ड नम्बर, डिजिटल डेटा–बेस तैयार करते हुए आधार नम्बर का बैंक खाते के साथ समन्वयन किया जाना है।

2. उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य एवं जनपदों में कार्य को समयान्तर्गत पूर्ण किये जाने के लिए प्रत्येक स्तर पर निम्नवत् अधिकारियों/कार्मिकों को इस आशय से नामित किया जाता है कि वे दिनांक: 30 जून, 2013 से पूर्व Data Digitisation का कार्य सम्पादित कराते हुए राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) के साथ समन्वय करते हुए योजना की गतिविधियों के Uploading आदि से सम्बन्धित प्रशिक्षण प्राप्त कर, Digital Signature Certificate (DSC), Verifier का Account Create करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

1- निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशि0 –राज्य योजना प्रशासक (State Scheme Administrator)
2- मुख्य शिक्षा अधिकारी –जनपदीय योजना प्रशासक (District Scheme Administrator)
3- जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) –जनपदीय सत्यापनकर्ता (District Scheme Verifier)
4- श्री जयप्रकाश द्विवेदी (MIS अधिकारी) – राज्य समन्वयक DBT कार्यक्रम

3. उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य शिक्षा अधिकारी कम्प्यूटर कार्य में दक्ष व्यक्ति को Contributor के रूप में नामित करेंगे तथा Verifier एवं Contributor का Account Create करायेंगे। प्रश्नगत योजना से सम्बन्धित अन्य प्राविधानित/आवश्यक दिशा–निर्देश समय–समय पर राज्य योजना प्रशासक द्वारा प्रसारित किये जायेंगे।

कृपया, तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(मनीषा पंवार)
सचिव

संख्या–634/XXIV/(1)/2013-14/2010

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण,
उत्तराखण्ड, नरेन्द्रनगर।

शिक्षा (बेसिक) अनुभाग–1 देहरादून: दिनांक, 24 जून, 2013

विषयः–शिक्षा सत्र 2014–15 के लिए कक्षा–1 से 8 की पाठ्य पुस्तकों के मुद्रणार्थ हेतु पाठ्य–पुस्तक समिति का गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या–16505–06/नौ–1(01)/2010–11 दिनांक 31–03–2013 एवं राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–रा0प0नि0/343/पैडा–II/2013–14 दिनांक 22–05–2013 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शैक्षिक सत्र 2014–15 के हेतु कक्षा–1 से 8 तक की निःशुल्क/सशुल्क पाठ्य पुस्तकों/Workbooks के मुद्रण कार्य एवं मुद्रणार्थ कागज आपूर्ति हेतु निम्नानुसार पाठ्य पुस्तक समिति गठित की जाती है:–

1–निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड	–अध्यक्ष
2–अपर निदेशक, एस0सी0आर0टी0	–सदस्य
3–अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड (मुख्यालय)	–सदस्य
4–अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा (मुख्यालय)	–सदस्य
5– अपर राज्य परियोजना निदेशक SSA उत्तराखण्ड	–सदस्य
6–वित्त नियंत्रक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड	–सदस्य
7–वित्त नियंत्रक SSA उत्तराखण्ड	–सदस्य
8–वित्त एवं लेखाधिकारी, एससीईआरटी	–सदस्य
9–सयुक्त/उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की	–सदस्य
10–निदेशक, उद्योग निदेशालय द्वारा नामित एक श्रेणी 'ख' का अधिकारी	–सदस्य
11– संयुक्त निदेशक, प्रकाशन विभाग एससीईआरटी	–सदस्य/सचिव

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के प्राविधानों तथा महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–पा0पु0/7294/नौ–1(57)/2012–13 दिनांक 06–11–2012 (छायाप्रति संलग्न) में की गयी संस्तुतियों का अनुपालन करते हुए समिति की संस्तुति सहित सुविचारित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2-निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून को उनके उक्त पत्र दिनांक 31-03-2013 के कम में।

3-राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान उत्तराखण्ड को उनके उक्त पत्र दिनांक 22-05-2013 के कम में।

आज्ञा से,

(सुनील श्री पांथरी)
उप सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2
संख्या– /xxiv–2/2013–29(08)/2010
देहरादून: दिनांक 26, जून, 2013

<u>कार्यालय–ज्ञाप</u>

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–2 के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–347/xxiv–2/2012–29(8)/2010 दिनांक 12 जुलाई, 2012 को अतिक्रमित करते हुए एतद्द्वारा चयन वर्ष 2012–13 में संलग्न सूची अनुसार 65 प्रधानाध्यापकों एवं 41 प्रधानाध्यापिकाओं को प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या/समकक्ष पदों पर प्रोन्नति हेतु निर्धारित पात्रता अवधि में 50 प्रतिशत की सीमा तक शिथिलीकरण प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

यह छूट कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या–1674/XXX(2)/ 2010 दिनांक 23 नवम्बर, 2010 के प्राविधानानुसार पूरे सेवाकाल में एक बार के लिए ही अनुमन्य होगी।

(मनीषा पंवार)
सचिव

<u>संख्या– 1127 (1)/xxiv–2/2013–29(08)/2010–तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. कार्मिक अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(सुनीलश्री पांथरी)
उप सचिव।

समयबद्ध

प्रेषक, संख्याः /23(8)–एक/2013

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद
रामनगर, नैनीताल।

महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा दिनांक २६ जून, 2013

विषय :– **स.अ. एल.टी. के पदों पर मृतक आश्रितों को उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा (TET-II) की परीक्षा उत्तीर्ण करने का अवसर प्रदान किये जाने सम्बन्धी।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–362/xxiv-2/2013–27(03)2013 दिनांक 21 जून, 2013 द्वारा निर्णय लिया गया है कि जो अभ्यर्थी सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली के अधीन एल.टी. पद हेतु शैक्षिक अर्हता रखते हों तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा की दिनांक 25–26 दिसम्बर, 2012 को समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति के अनुरूप आवेदन न कर पाये हों, उन पात्र मृतक आश्रित अभ्यर्थियों को अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) आयोजन के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–972/xxiv(1)/2012–15/2011 दिनांक 23–11–2012 के अधीन उक्त प्रकाशित विज्ञप्ति में वर्णित प्राविधानानुसार आवेदन पत्र भरने हेतु अन्तिम तिथि के बाद भी आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाय।

उक्त के क्रम में मृतक आश्रित अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु मुख्य शिक्षा अधिकारी को अधिकृत किया जाता है। समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी मृतक आश्रितों की अनुमानित संख्या का आंकलन करके बोर्ड कार्यालय रामनगर को समयान्तर्गत उपलब्ध करायेंगे। बोर्ड कार्यालय द्वारा मांग की संख्या से 10 प्रतिशत अधिक आवेदन पत्रों को समस्त जनपदों को उपलब्ध कराया जायेगा। आवेदन पत्र परिषद के कार्यालय से भी उपलब्ध कराये जाये। इस कार्य हेतु जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) माध्यमिक शिक्षा के लिये एवं जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) प्रारम्भिक शिक्षा के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों के परीक्षण/पुष्टि हेतु उत्तरदायी होंगे ताकि मात्र पात्र अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकें। तदुपरान्त मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों का भली–भांति परीक्षण करने के उपरान्त सूची सहित बोर्ड कार्यालय को निर्धारित अवधि के अन्तर्गत उपलब्ध कराये जायेंगे। किसी भी गलत आवेदनपत्र

को प्रस्तुत किये जाने के लिये सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक/माध्यमिक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगें। जिन मृतक आश्रित अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन किया गया है, उन्हें पुनः आवेदन की आवश्यकता नहीं होगी।

कृपया इस हेतु एक समय–सारणी निर्धारित कर अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब उपलब्ध करायें।

भवदीय,

(पी.एस. जंगपांगी)
महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ.सं./2319-37/23(8)–एक/2013 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से कि उक्त व्यवस्था के दृष्टिगत अब TET-I एवं TET-II की परीक्षाएँ स्थगित किया जाना अपरिहार्य है जिन्हें अविलम्ब स्थगित किया जाय।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड को उनके पत्र संख्या/शिविर/189/2013–14 दिनांक 24 जून, 2013 के क्रम में।
3. अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल।
4. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।

24/06/13

(पी.एस. जंगपांगी)
महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

संख्या: 472/XXIV-3/13/04(65)2005

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून, दिनांक: 27 जून, 2013

विषयः केन्द्रपुरोनिधानित शिक्षक–शिक्षा की पुनर्संरचना एवं पुनर्गठन योजनान्तर्गत राज्य में SCERT, तथा 03 DRC का DIET में उच्चीकरण एवं 03 नये BITE का गठन व अकादमिक पदों का पृथक संवर्ग का गठन किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शिक्षक शिक्षा योजना की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (NCERT) को अधिकृत करते हुए एन0सी0ई0आर0टी0 द्वारा योजना की समीक्षा उपरान्त अपनी विस्तृत रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार को अगस्त 2009 में सौंपी गई। भारत सरकार द्वारा पत्रांक 43–14/2012–EE9 दिनांक 9.07.2012 द्वारा शिक्षक शिक्षा की वर्तमान स्थिति एवं एन0सी0ई0आर0टी0 की रिपोर्ट पर नई शिक्षक शिक्षा योजना के प्रारूप पर विचार–विमर्श कर सभी राज्यों में एक समान शिक्षक शिक्षा योजना लागू करने का निर्णय लेते हुए नई गाईड लाईन्स/दिशा निर्देश तैयार कर सभी राज्यों को उक्तानुसार योजना प्रदेश में पुनर्गठित करते हुए मार्च 2013 तक भारत सरकार को अवगत कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उपरोक्तानुसार प्रदत्त दिशा निर्देशानुसार एवं निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक/अका0शो0/34461/पुनर्संरचना/2012–13 दिनांक 09 अगस्त, 2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में केन्द्रपुरोनिधानित शिक्षक शिक्षा की पुनर्संरचना एवं पुनर्गठन योजना को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के नये दिशा–निर्देश (New Guidlines) के अनुरूप शिक्षक शिक्षा में गुणात्मक सुधार व प्रशिक्षण एवं अनुश्रवण व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु शिक्षक प्रशिक्षकों को पृथक "शिक्षक शिक्षा संवर्ग" **(SCERT, DIET/DRC, BITE)** का गठन व अकादमिक पदों का पृथक संवर्ग का गठन करते हुए संलग्न परिशिष्ट 'अ' के कालम 9 के अनुसार पूर्व सृजित 112 पदों का समायोजन तथा 41 पदो को समर्पित करते हुए 108 (एक सौ आठ) नवीन अस्थाई पदों (जिनमें से 6 संविदा आधारित तथा 18 आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाने वाले) शासनादेश निर्गत निर्गत होने अथवा नियमित नियुक्ति की तिथि, जो भी बाद में हो, से दि0 28.02.14 तक, बशर्तें ये बिना किसी पूर्व से सूचना के समाप्त न कर दिये जाय, के सृजन/स्वीकृति की तथा शिक्षक शिक्षा की योजना को केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के मध्य 75%: 25% के अनुपात में वित्त पोषण आधार पर संचालित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3. वर्तमान समय में न्याय पंचायत से राज्य स्तर तक निम्नवत् इकाईयां संचालित है:–
राज्य स्तर पर – एस0सी0ई0आर0टी0 (SCERT)
जिला स्तर पर – जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET)
न्याय पंचायत पर –न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र/संकुल संसाधन केन्द्र (CRC)

4. भारत सरकार की नई गाईड लाईन्स के अनुसार राज्य में SCERT, DIET/DRC, एवं BITE की वर्तमान स्थिति को पुनर्गठित किये जाने के निर्देश दिये है। अतः उपरोक्तानुसार SCERT तथा वर्तमान में संचालित 03 DRCs को DIET में उच्चीकृत कर कुल 13 DIET एवं 03 नयी BITE का गठन करने के फलस्वरूप SCERT, DIET/DRC, एवं BITE का स्वरूप निम्नवत् होगा–

क्रमशः–2–

(i) भारत सरकार ने समस्त राज्यों में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) ने समान विभागीय, कार्यदायित्वों, संरचना एवं मानव संसाधनों को उच्चीकृत एवं समरूप करते हुए एक मानक स्वरूप तैयार किया है जिसमें समस्त राज्यों की SCERT समान विभागीय संरचना एवं मानव संसाधन के साथ कार्य करेगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत राज्य स्तर पर SCERT को शीर्ष अकादमिक प्राधिकरण (Academic Authority u/s 29 of the RTE Act) का दर्जा प्राप्त है।

वर्तमान में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद **(SCERT)** प्रमुखतया प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। प्रदेश में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान संचालित है। माध्यमिक शिक्षकों के विशिष्ट प्रशिक्षण, शैक्षिक प्रशासकों एवं शिक्षक प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु वर्तमान में कोई व्यवस्था नहीं होने के दृष्टिगत भारत सरकार की नई गाईड लाईन्स के अनुसार इन कार्यों को SCERT द्वारा सम्पादित किये जाने व SCERT के अकादमिक पदों को उच्चीकृत कर SCERT के वर्तमान कुल 153 अकादमिक एवं गैर अकादमिक अभिकर्मियों के पदों के सापेक्ष नवीन संरचना गठित करते हुए उक्त के आधार पर SCERT में कुल 78 पद स्वीकृत किये जाते है। SCERT में वर्तमान में सृजित पद, शासनादेश संख्या 787/(1)/**XXIV**-2/2012-06(05)/2008 दिनांक: 31 दिसम्बर, 2012 द्वारा निदेशक अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण कार्यालय में स्थानान्तरित पद, SCERT/DIET/BITE मे समायोजित पद तथा समर्पित पद एवं नवीन सृजित पदों की स्थिति संलग्न **परिशिष्ट 'अ'** के अनुसार होगी। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) में नवीन संरचना के लागू होने पर समायोजित एवं नव सृजित पदों के उपरान्त नवीन स्वरूप संलग्न **परिशिष्ट 'ब'** के अनुसार होगा।

(ii) प्रदेश में वर्तमान में 10 जनपदों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET) तथा 03 जनपदों रूद्रप्रयाग, बागेश्वर, एवं चम्पावत में जिला संसाधन केन्द्र (DRCs) संचालित है। भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार 01 अप्रैल, 2011 तक अस्तित्व में आये समस्त जनपदों में संचालित जिला संसाधन केन्द्रों को DIET में उच्चीकृत किये जाने से इन 03 जनपदों रूद्रप्रयाग, बागेश्वर एवं चम्पावत के जिला संसाधन केन्द्रों को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET) में उच्चीकृत किया जाता है। उच्चीकरण के फलस्वरूप इन संस्थानों में 01 DIET में पूर्व सृजित 17 पदों को सम्मिलित करते हुए तथा 31 नये पदों को सृजित कर कुल प्रति DIET 48 पद स्वीकृत किये गये है। इस प्रकार 03 नये DIET में पूर्व सृजित 51 पद तथा नये सृजित/समायोजित 93 पदों को सम्मिलित करते हुए कुल 144 पद स्वीकृत किये गये है। प्रत्येक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET) में वर्तमान सृजित पदों का स्वरूप संलग्न **परिशिष्ट 'स'** के अनुसार होगा।

(iii) राज्य में वर्तमान में कोई भी ब्लाक शिक्षक शिक्षा संस्थान (BITE) संचालित नहीं है। विद्यालयी शिक्षा के अन्तर्गत प्रारम्भिक स्तर से माध्यमिक स्तर तक के अध्यापकों हेतु सेवारत प्रशिक्षण आयोजित करने व अकादमिक फेकल्टी द्वारा विद्यालयों का अनुश्रवण आदि के दृष्टिगत भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार प्रदेश के तीन जनपदों बागेश्वर (अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र मानते हुए) उधमसिंहनगर तथा हरिद्वार (अल्पसंख्यक बहुल्य क्षेत्र मानते हुए) में ब्लाक स्तर पर एक-एक ब्लाक शिक्षक शिक्षा संस्थान (BITE) की स्थापना करते हुए 01 BITE में 14 पदों के आधार पर 03 BITE में कुल 42 पद स्वीकृत किये गये है। ब्लाक शिक्षक शिक्षा संस्थान (BITE) में वर्तमान सृजित पदों का स्वरूप संलग्न परिशिष्ट 'द' के अनुसार होगा।

5. शिक्षक शिक्षा के अकादमिक अभिकर्मियों द्वारा मुख्यतः पाठ्यचर्या का विकास, पाठ्य पुस्तकों का लेखन, शोध सर्वे, राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार, विज्ञान महोत्सव का आयोजन, सेवारत एवं सेवापूर्व शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, डायट/डी0आर0सी0 के अभिकर्मियों की क्षमता सम्वर्द्धन हेतु राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं NCERT, NUEPA, RIE Ajmer, DoPT इत्यादि से समन्वयन कर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाना तथा भारत सरकार से शिक्षक शिक्षा के अन्तर्गत प्राप्त बजट को डायट/डी0आर0सी0, सी0टी0ई0, आई0ए0एस0ई0 को हस्तान्तरित करवाना, डायट/डी0आर0सी0 पर अकादमिक एवं प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित किया जायेगा।

क्रमशः 3-

6- **SCERT/DIET/BITE** में शिक्षक प्रशिक्षकों हेतु पृथक "शिक्षक शिक्षा संवर्ग" के गठन हो जाने के फलस्वरूप राज्य शैक्षिक 'प्रशासनिक संवर्ग' सेवा से 03 संयुक्त निदेशक, 08 उप निदेशक, तथा 13 प्राचार्य डायट के पद कम होकर शिक्षक शिक्षा संवर्ग में समायोजित हो गये हैं। इसी प्रकार राज्य शैक्षिक (अध्यापक संवर्ग) सेवा से पूर्व सृजित 82 सहायक निदेशक/वरिष्ठ प्रवक्ता (60 **DIET** + 03 DRCs तथा 19 **SCERT**) पद कम होकर शिक्षक शिक्षा संवर्ग में समायोजित हो गये हैं। अब वरिष्ठ प्रवक्ता पदों की संख्या 78 रह गयी है।

उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तराखण्ड विशेष अधीनस्थ शिक्षा (प्रवक्ता संवर्ग) से 237 पद (170 पद **DIET** + 18 पद DRCs + 49 पद **SCERT**) से कम होकर नवीन गठित उत्तराखण्ड अधीनस्थ (शिक्षक प्रशिक्षक संवर्ग) सेवा में समायोजित हो गये हैं। इस संवर्ग में प्रवक्ता ग्रेड पे 4800 के कुल 239 पद (221 पद **DIET** + 18 पद **BITE**) तथा 13 पद कार्यानुभव शिक्षक ग्रेड पे 4600 डायट हेतु शिक्षक प्रशिक्षक संवर्ग में सम्मिलित हो गये हैं।

7. वर्तमान में डाटा एन्ट्री आपरेटर, जीप चालक एवं परिचारक (चतुर्थ श्रेणी) के पदों पर कार्यरत कार्मिकों के समायोजन के पश्चात रिक्त पदों एवं भविष्य में सेवानिवृत्त अथवा अन्य कारणों से रिक्त होने वाले पदों को आउट सोर्सिंग के माध्यम से भरा जायेगा।

8. केन्द्रांश funding 90:10 आधार पर करने हेतु भी विभाग द्वारा प्रयास किया जायेगा।

9. राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT), जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET), व ब्लाक शिक्षक शिक्षा संस्थान (BITE) में नवीन संगठनात्मक ढांचे में सृजित पदों के सापेक्ष उनकी शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हतायें व अनुभव संलग्न **परिशिष्ट 'ख'** के अनुसार होगी। भविष्य में राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एन0सी0टी0ई0) द्वारा शिक्षक प्रशिक्षकों की शैक्षिक योग्यता/अर्हताओं में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की दशा में उक्तानुसार परिर्वतन मान्य होंगे।

उपरोक्तानुसार "शिक्षक शिक्षा संवर्ग" गठन के पश्चात स्वीकृत पदों के संबंध में सेवा विनियमावली एवं उनके सापेक्ष भर्ती का माध्यम/स्त्रोत पृथक से सेवा विनियमावली का गठन करते हुए निर्धारित की जायेगी।

10. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 32 **(P)**XXVII(3)2013-14 दिनांक 14 जून, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक-यथोक्त।</u>

भवदीय,
(मनीषा पंवार)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या: 472/XXIV-3/13/04(65)2005 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3- प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
4- संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
5- निदेशक, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
6- निजी सचिव, मा0 विद्यालयी शिक्षा मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
7- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

क्रमशः-4

8- मण्डलायुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
9- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
10-निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून।
11-राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड देहरादून।
12-राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड देहरादून।
13- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
14- मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
15- समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
16- गोपन अनुभाग, (मंत्रिपरिषद) उत्तराखण्ड शासन।
17- निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
18- निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
19- अपर निदेशक, राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परिषद्, नरेन्द्रनगर, उत्तराखण्ड।
20- समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
21- समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/ब्लाक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान, उत्तराखण्ड।
22- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की जनपद हरिद्वार को आगामी बजट में प्रकाशनार्थ कर उक्त की 30-30 प्रतियां इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रेषित।
23- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0एस0जंगपांगी)
अपर सचिव

परिशिष्ट 'अ'

एस०सी०ई०आर०टी० के पुनर्गठन, 03 डी०आर०सी० को डायट के उच्चीकरण तथा 03 नवीन बाइट की स्थापना के फलस्वरूप पद विभाजन की स्थिति

क्र. सं.	SCERT के वर्तमान पदों की स्थिति			शा०सं० : 787(1)XXIV-2/ दि० 31-12-2012 द्वारा निदेशक, अकादमिक में स्थानान्तरित पद	SCERT के नवीन ढाँचे में समायोजित पद	03 DRCs के DIET में उच्चीकरण में समायोजित पद	03 BIET में समायोजित पद	कुल समायोजित पद (5+6+7+8)	समर्पित पद	नव सृजित पद
	पदनाम	ग्रेड पे	संख्या							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	डीन	10000								1
2	प्रोफेसर	8900								4
3	अपर निदेशक	8900	1		01 राज्य शैक्षिक (प्रशासनिक संवर्ग) सेवा का पद			1		
4	संयुक्त निदेशक	8700	3						3	
5	एसोसिएट प्रोफेसर	8000								13
6	उप निदेशक	7600	8				03 प्राचार्य	3	5	
7	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	6000								22
8	सहायक निदेशक	5400	19			15 (वरिष्ठ प्रवक्ता)		15	4	
9	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	5400								1
10	लेखाधिकारी	5400	1						1	
11	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	5400								1
12	शोध अधिकारी	4600	17						17	
13	प्रवक्ता	4800	49			33	16	49		2
14	लेखाकार	4800	1		01 (सहायक लेखाधिकारी)			1		6
15	ज्येष्ठ लेखा परीक्षक	4800	1						1	
16	अनुभाग अधिकारी	4800								1
17	कम्प्यूटर सहायक	4800								1
18	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	4800	1						1	
19	सैमी प्रोफेशनल असिस्टेन्ट	4600								10

20	कार्यानुभव शिक्षक	4600								3
21	प्रशासनिक अधिकारी	4200	5	2		3		5		
22	वैयक्तिक सहायक	4200	1						1	
23	लेखा परीक्षक	4200	1						1	
24	कार्यालय एकाउंटेण्ट	4200								1
25	प्रयोगशाला सहायक	आउट सोर्सिंग द्वारा								2
26	मुख्य सहायक	2800	8	3		3		6	2	
27	आशुलिपिक	2800	3			3		3		
28	कार्यालय सहायक	2800								1
29	सहायक लेखाकार	2800	2						2	
30	बर्सर	2800								1
31	प्रवर सहायक	2400	4			4		4		5
32	कैटेलागर	2400								1
33	कनिष्ठ सहायक	1900	2			2		2		10
34	वाहन चालक	1900	8		4	3		7	1	
35	दफ्तरी	1900	3	1				1	2	
36	प्रयोगशाला सहायक	आउट सोर्सिंग द्वारा								3
37	डाटा एण्ट्री आपरेटर	आउट सोर्सिंग द्वारा								4
38	परिचारक	आउट सोर्सिंग द्वारा	15	1	8		6	15		9
39	जूनियर प्रोजेक्ट फैलो	संविदा पद								6
	योग		153	7	14	66	25	112	41	108

(मनीषा पंवार)
सचिव

(परिशिष्ट 'ब')

संख्या: 472/XXIV-3/13/04(65)2005 दिनांक: जून, 2013 का संलग्नक

SCERT में नवसृजित होने वाले पदों की स्थिति

S. No.	Designation	Name of the Department		No. of faculty members	Status of posts	Details	Pay Scale
1	Dean	SCERT		1	Professor	—	37400-67000 GP 10000
2	Additional Director (Admin.)	SCERT (Incharge of DIETs in addition to other normal work of SCERT)		1	Departmental	—	37400-67000 GP 8900
3	Head	I. Division of Curriculum Studies		1	Professor	—	37400-67000 GP 8900
		(i) Deptt. of Science & Mathematics		4	Associate Professor(2)	Maths & Chemistry	15600-39100 GP 8000
					Assistant Professor(2)	Physics & Biology	15600-39100 GP 6000
		(ii) Deptt. of Social Sciences		3	Associate Professor (1)	—	15600-39100 GP 8000
					Assistant Professor (2)	Hist / Geo.	15600-39100 GP 6000
						Politics	
		(iii) Deptt. of Languages		5	Associate Professor (1)	—	15600-39100 GP 8000
					Assistant Professor (4)	Hindi-1, English-2, Sanskrit-1	15600-39100 GP 6000
		(iv) Deptt. of Art Education and Work Education		2	Assistant Professor (2)	Art Edu.-1, Work Edu.-1	15600-39100 GP 6000
		(v) Department of Health Education & Physical Education		1	Assistant Professor (1)	—	15600-39100 GP 6000
		(vi) Department of Special Needs & Social Justice (i) Inclusive Education (ii) Women Empowerment Cell/ ECCE Cell Education for SC/ST and Minority cell		3	Associate Professor (1)	—	15600-39100 GP 8000
					Assistant Professor (2)		15600-39100 GP 6000
		(vii) Deptt. of Educational Measurement and Evaluation		3	Associate Professor (1)		15600-39100 GP 8000
					Assistant Professor (2)		15600-39100 GP 6000
4	Head	II.	Division of Teacher Education & Foundation	1	Professor (1)		37400-67000 GP 8900
			- Pre-Service Education	2	Associate Professor (1)		15600-39100 GP 8000
					Assistant Professor(1)		15600-39100 GP 6000
			- Philosophy	2	Associate Professor (1)		15600-39100 GP 8000
					Assistant Professor(1)		15600-39100 GP 6000
			- Psychology	2	Associate Professor (1)		15600-39100 GP 8000
					Assistant Professor(1)		15600-39100 GP 6000
			- Sociology	2	Associate Professor (1) Assistant		15600-39100 GP 8000
					Professor(1)		15600-39100 GP 6000
			- In-Service Education	2	Associate Professor (1)		15600-39100 GP 8000
					Assistant Professor(1)		15600-39100 GP 6000

5	Head	**III. Division of Technological Services (ICT)**	1	**Professor(1)**		37400-67000 GP 8900
		(i) Department of Computer Education (ii) (i) Department of Technological Aids	2	Associate Professor (1)		15600-39100 GP 8000
				Assistant Professor (1)		15600-39100 GP 6000
6	Head	**IV. Division of Educational Surveys, Research & Policy Perspective**	3	Professor(1)		37400-67000 GP 8900
				Associate Professor (1)		15600-39100 GP 8000
				Assistant Professor (1)		15600-39100 GP 6000
7	Head	**Division of Library & Documentation**	2	Assistant Librarian (1)		15600-39100 GP 5400
				Cataloguer (1)		5200-20200 GP 2000
8	Technical Staff	Technical Staff for different departments	7	Computer Assistant(1)		9300-34800 GP 4800
				Semi Professional Assistant (4)		9300-34800 GP 4600
				Laboratory Assistant(2)		9300-34800 GP 3400
9	Project Staff	Project Staff for different departments for 3 years	6	Junior Project Fellow (6) (Contractual)		-
10	**Chief Administrative Officer**	Administrative Section	22	**Office:** Chief Administrative officer (1)		15600-39100 GP 5400
				Section Officer (DIET)(1)		**9300-34800 G.P 4800**
				Asstt. Account Officer (1)		**9300-34800 G.P 4800**
				Office Accountant(1)		**9300-34800 G.P 4200**
				Office Assistant (1)		5200-20200 GP 2000
				Data Entry Operator (4)		5200-20200 GP 1900
				Driver (4)		5200-20200 GP 1900
				Group D (6)		5200-20200 GP 1900
				Hostel Bursar for Hostel (1)		5200-20200 GP 2800
				Group D (2)		5200-20200 GP 1800
TOTAL			**78**			

(मनीषा पवार)
सचिव

(परिशिष्ट 'द')

संख्या: 472/XXIV-3/13/04(65)2005 दिनांक: जून, 2013 का संलग्नक

03 नयी संचालित की जाने वाली BITE के ढांचें की स्थिति

S.N.	Name of Department	No. of Faculty Members	Proposed Pay Scale & Grade Pay	03 नवीन BIETs की स्थापना के पश्चात कुल स्वीकृत पद
1	BITE Incharge/Principal	1	HoD 15600–39100 (G.P. - 7600)	3
2	Curriculum & Learning Technology - Teaching of Science - Teaching of Social Science - Teaching of Mathematics - Teaching of Languages - Teaching of Health & Physical Education - Teaching of Art Education - Pre School Education - Special Needs	6	Lecturer 9300–34800 (G.P. - 4600)	18
4	Resource Centre	2	Semi Professional / Assistant Research Officer 9300–34800 (G.P. - 4600)	6
5	Administrative Structure	5	Administrator Officer cum Accountant (1) G.P. - 4800	3
			Office Assistant (2) G.P. - 1900	6
			Group D (2) G.P. - 1800	6
	Total	14		—
	Total (03) BITE	14X3= 42		42

(मनीषा पंवार)
सचिव

(परिशिष्ट 'स')

संख्या: 472/XXIV-3/13/04(65)2005 दिनांक: जून, 2013 का संलग्नक

03 DRCs को DIET में उच्चीकृत करने पर DIETs में वर्तमान में पदों का ढांचा की स्थिति

क्र.सं.	पदनाम	पदों की संख्या				
		01(एक) DIET में सृजित होने वाले पद	01(एक) DRCs में सृजित पद	DRCs को DIET में उच्चीकृत करने पर नव सृजित किए जाने वाले पदों की संख्या	तीनों DRCs को DIET में उच्चीकृत करने पर नव सृजित किए जाने वाले पदों की कुल संख्या	पूर्वसृजित एवं नवीन सृजित पदों के उपरान्त तीनों DIET में उच्चीकरण के पश्चात पदों की संख्या
1	प्राचार्य	1	1	0	0	3
2	वरिष्ठ प्रवक्ता	6	1	5	5×3= 15	18
3	प्रवक्ता	17	6	11	11×3= 33	51
4	कार्यानुभव शिक्षक	1	0	1	1×3= 3	3
5	तकनीकि सहायक	1	1	0	0	3
6	संख्या सहायक	1	1	0	0	3
7	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	1	0	0	3
8	प्रशासनिक अधिकारी	1	0	1	1×3= 3	3
9	लेखाकार	1	0	1	1×3= 3	3
10	मुख्य सहायक	3	2	1	1×3=3	9
11	आशुलिपिक	1	0	1	1×3= 3	3
12	प्रवर सहायक	3	0	3	3×3= 9	9
13	कनिष्ठ सहायक	3	1	2	2×3= 6	9
14	प्रयोगशाला सहायक	1	0	1	1×3= 3	3
15	चालक	1	0	1	1×3= 3	3
16	परिचारक	6	3	3	3×3= 9	18
	योग	48	17	31	31×3= 93	144

(मनीषा पंवार)
सचिव

(परिशिष्ट 'य')

संख्या: 472/XXIV-3/13/04(65)2005 दिनांक: जून, 2013 का संलग्नक

SCERT, DIET व BITE के नवीन संगठनात्मक ढांचे में सृजित पदों के सापेक्ष उनकी शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हताएं व अनुभव

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (SCERT)

डीन	विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में 55 प्रतिशत अंकों के साथ परास्नातक उपाधि। 55 प्रतिशत अंकों के साथ एम0एड0/एम0ए0 (शिक्षाशास्त्र) एवं पी0एच0डी0 उपाधि/नैट/स्लैट शोध पत्रों का राष्ट्र स्तरीय पत्रिकाओं में प्रकाशन। शिक्षक प्रशिक्षण/उच्च शिक्षण संस्थाओं में न्यूनतम 10 वर्षों का कार्य करने का अनुभव।
अपर निदेशक	समकक्ष वेतनमान में कार्यरत् विभागीय अधिकारी। समकक्ष विभागीय अधिकारी उपलब्ध न हो पानेकी दशा में विभाग में एक स्तर नीचे के वेतनमान में कार्यरत् वे अधिकारी जो एसोसिएट प्रोफेसर पद हेतु निर्धारित शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हतायें रखते हों पात्र होंगे। शिक्षक प्रशिक्षण/उच्च शिक्षण संस्थाओं में न्यूनतम 8 वर्षों का कार्य करने का अनुभव।
प्रोफेसर	विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से संबधित विषय में 55 प्रतिशत अंको के साथ परास्नातक । 55 प्रतिशत अंको के साथ एम0एड0/एम0ए0 (शिक्षाशास्त्र) एवं 55 प्रतिशत अंको के साथ बी0एड0 शोध पत्रों का राष्ट्र स्तरीय पत्रिकाओं में प्रकाशन/ राष्ट्रीय सेमिनारों में शोध पत्रों का प्रस्तुतीकरण। शिक्षा शास्त्र में पी0एच0डी0/नेट/स्लेट। उच्च शिक्षण संस्थानों/एस0सी0ई0आर0टी0 अथवा अन्य राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय शोध एवं प्रशिक्षण संस्थानों में कार्य करने न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव।
एसोसिएट प्रोफेसर (पैडागोजी)	विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से संबधित विषय में 55 प्रतिशत अंको के साथ परास्नातक । 55 प्रतिशत अंको के साथ एम0एड0/एम0ए0 (शिक्षाशास्त्र) एवं 55 प्रतिशत अंको के साथ बी0एड0 शोध पत्रों का राष्ट्र स्तरीय पत्रिकाओं में प्रकाशन/ राष्ट्रीय सेमिनारों में शोध पत्रों का प्रस्तुतीकरण। शिक्षा शास्त्र में पी0एच0डी0/नेट/स्लेट। उच्च शिक्षण संस्थानों/एस0सी0ई0आर0टी0 अथवा अन्य राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय शोध एवं प्रशिक्षण संस्थानों में कार्य करने न्यूनतम 8 वर्षों का अनुभव।
एसोसिएट प्रोफेसर (विषयगत)	विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से संबधित विषय में 55 प्रतिशत अंको के साथ परास्नातक। शोध पत्रों का राष्ट्र स्तरीय पत्रिकाओं में प्रकाशन/ राष्ट्रीय सेमिनारों में शोध पत्रों का प्रस्तुतीकरण संबधित विषय में पी0एच0डी0/नेट/स्लेट। उच्च शिक्षण संस्थानों/एस0सी0ई0आर0टी0 अथवा अन्य राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय शोध एवं प्रशिक्षण संस्थानों में कार्य करने न्यूनतम 8 वर्षों का अनुभव
असिस्टेन्ट प्रोफेसर (पैडागोजी)	विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से संबधित विषय में 55 प्रतिशत अंको के साथ परास्नातक । 55 प्रतिशत अंको के साथ एम0एड0। शोध पत्रों का राष्ट्र स्तरीय पत्रिकाओं में प्रकाशन/ राष्ट्रीय सेमिनारों में शोध पत्रों का प्रस्तुतीकरण। शिक्षा शास्त्र में पी0एच0डी0/नेट (शोध पदों हेतु)
अधिमानी योग्यता	राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं/शोध एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्य करने का न्यूनतम पाँच वर्षों का अनुभव।

असिस्टेन्ट प्रोफेसर (विषयगत)	विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में 55 प्रतिशत अंको के साथ परास्नातक। शोध पत्रों का राष्ट्र स्तरीय पत्रिकाओं में प्रकाशन/ राष्ट्रीय सेमिनारों में शोध पत्रों का प्रस्तुतीकरण। पी0एच0डी0/नेट गणित/विज्ञान (01), अंग्रेजी (01), हिन्दी/संस्कृत (01), सामाजिक विज्ञान (01) (मा0स्तर पर संचालित 04 विषयों में से किसी एक में), समाज शास्त्र (01), शारीरिक शिक्षा/स्वास्थ्य शिक्षा (01), कला/संगीत (01), कम्प्यूटर विज्ञान (01), एम0टैक/नेट/ पी0एचडी0 एवं अन्य संबंधित विषयों में नेट/पी0एचडी0।
अधिमानी योग्यता	राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय शोध एवं प्रशिक्षण संस्थानों/शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों मे कार्य करने का न्यूनतम पाँच वर्षो का अनुभव।

(मनीषा पंवार)
सचिव

संख्याः 472/XXIV-3/13/04(65)2005 दिनांकः जून, 2013 का संलग्नक

ब्लाक शिक्षक शिक्षा संस्थान (BITE)

प्राचार्य/ बाईट इंचार्ज	विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55 प्रतिशत अंको सहित विद्यालयी शिक्षा में संचालित किसी एक विषय में परास्नातक उपाधि पी०एच०डी०/नेट/स्लेट (शिक्षा शास्त्र में वरीयता)/एम०फिल (शिक्षाशास्त्र) /एम०एड०/एम०ए० (शिक्षाशास्त्र) शिक्षक प्रशिक्षण/प्रशिक्षण संस्थाओं में न्यूनतम पांच वर्षों का कार्य करने का अनुभव।
अधिमानी योग्यता	राज्य/जनपद स्तरीय शीर्ष अकादमिक संस्थाओं (एस०सी०ई०आर०टी, डायट, डी०आर०सी०) में कार्य के अनुभव में वरीयता। अकादमिक कार्यशालाओं के संचालन एवं समन्वयन का अनुभव। उल्लेखनीय अकादमिक कार्य जैसे पाठ्य पुस्तक लेखन, राष्ट्र एवं राज्य स्तरीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित शैक्षिक आलेख। शोध पत्रों का राष्ट्र स्तरीय पत्रिकाओं में प्रकाशन। कुशल संप्रेक्षण कौशल। कम्प्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान।
प्रवक्ता	विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से (गणित (01), विज्ञान (01), अंग्रेजी (01), सामाजिक विज्ञान के अन्तर्गत किसी एक विषय में (01), हिन्दी (01) एवं संस्कृत/उर्दू (01)) में 55 प्रतिशत अंको के साथ परास्नातक शोध पत्रों का राष्ट्र/राज्य स्तरीय पत्रिकाओं में प्रकाशन पी०एच०डी०/नेट/स्लेट (शिक्षा शास्त्र में वरीयता)/एम०फिल (शिक्षाशास्त्र)/55 प्रतिशत अंकों के साथ एम०एड०/एम०ए० (शिक्षाशास्त्र) शिक्षक प्रशिक्षण/प्रशिक्षण संस्थाओं में न्यूनतम पांच वर्षों का कार्य करने का अनुभव।
अधिमानी योग्यता	संबंधित विषय में पी०एच०डी० उपाधि/नैट/सलैट योग्यताधारी को वरीयता दी जायेगी। राज्य/जनपद स्तरीय शीर्ष अकादमिक संस्थाओं (एस०सी०ई०आर०टी, डायट, डी०आर०सी० में कार्य के अनुभव में वरीयता। पी०एच०डी०/नेट/स्लेट योग्यताधारी अभिकर्मियों को वरीयता। अकादमिक कार्यशालाओं के संचालन एवं समन्वयन का अनुभव। उल्लेखनीय अकादमिक कार्य जैसे पाठ्य पुस्तक लेखन, राष्ट्र एवं राज्य स्तरीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित शैक्षिक आलेख। कुशल संप्रेक्षण कौशल। कम्प्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान। माध्यमिक विद्यालयों/शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में न्यूनतम पांच वर्षों का शिक्षण/ प्रशिक्षण अनुभव
सेमी प्रोफेशनल असिस्टैन्ट एवं शोध सहायक	विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में परास्नातक तथा बी०एड अथवा समकक्ष होगी। शोध कार्य का अनुभव एम०एड०, एम०फिल को वरीयता।

(मनीषा पंवार)
सचिव

संख्या: 472/XXIV-3/13/04(65)2005 दिनांक: जून, 2013 का संलग्नक

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (DIET)

प्राचार्य	विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों परास्नातक डिग्री पी०एच०डी०/नेट/स्लेट (शिक्षा शास्त्र में वरीयता)/एम०फिल (शिक्षाशास्त्र)/ एम०एड० 55%/ एम०ए० (शिक्षाशास्त्र) 55% अंको के साथ। शिक्षक प्रशिक्षण/शिक्षण संस्थाओं में 10 वर्ष कार्य करने का अनुभव
विभागाध्यक्ष	विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% अंकों परास्नातक डिग्री पी०एच०डी०/नेट/स्लेट (शिक्षा शास्त्र में वरीयता)/एम०फिल (शिक्षाशास्त्र)/एम०एड० 55%/एम०ए० (शिक्षाशास्त्र) 55% अंको के साथ। शोध पत्रों का राष्ट्र/राज्य स्तरीय पत्रिकाओं में प्रकाशन। शिक्षक प्रशिक्षण/शिक्षण संस्थाओं में न्यूनतम पांच वर्षों का अनुभव।
प्रवक्ता	विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से (गणित–2, विज्ञान–3, अंग्रेजी–2, सामाजिक विज्ञान के अन्तर्गत निर्धारित चार विषयों में से प्रत्येक में एक (कुल चार) हिन्दी एवं संस्कृत–2+2, क्रियेटिव आर्ट–1, शारीरिक शिक्षा–1) में से 55 प्रतिशत अंको के साथ परास्नातक। शोध पत्रों का राष्ट्र/राज्य स्तरीय पत्रिकाओं में प्रकाशन। पी०एच०डी०/नेट/स्लेट (शिक्षा शास्त्र में वरीयता)/एम०फिल (शिक्षाशास्त्र)/55 प्रतिशत अंको के साथ एम०एड०/एम०ए० (शिक्षाशास्त्र)
अधिमानी योग्यता	राज्य/जनपद स्तरीय शीर्ष अकादमिक संस्थाओं (एस०सी०ई०आर०टी, डायट, डी०आर०सी० में कार्य के अनुभव में वरीयता। पी०एच०डी०/नेट/स्लेट योग्यताधारी अभ्यर्थियों को वरीयता। अकादमिक कार्यशालाओं के संचालन एवं समन्वयन का अनुभव। उल्लेखनीय अकादमिक कार्य जैसे पाठ्य पुस्तक लेखन, राष्ट्र एवं राज्य स्तरीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित शैक्षिक आलेख। कुशल संप्रेषण कौशल। कम्प्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान।
अनुभव	माध्यमिक विद्यालयों/शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में न्यूनतम पांच वर्षों का शिक्षण/ प्रशिक्षण अनुभव
कार्यानुभव शिक्षक	विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55 प्रतिशत अंको के साथ परास्नातक एवं बी०एड० शिक्षक प्रशिक्षण/शिक्षण संस्थाओं में न्यूनतम तीन वर्षों का अनुभव। एस.यू.पी.डब्ल्यू./कलाट शिक्षा व्यवसायिक शिक्षा में डिप्लोमा
अधिमानी योग्यता	राज्य/जनपद स्तरीय शीर्ष अकादमिक संस्थाओं (एस०सी०ई०आर०टी, डायट, डी०आर०सी० में कार्य के अनुभव में वरीयता। अकादमिक कार्यशालाओं के संचालन एवं समन्वयन का अनुभव। अकादमिक कार्य जैसे पाठ्य पुस्तक लेखन, राष्ट्र एवं राज्य स्तरीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित शैक्षिक आलेख। कुशल संप्रेषण कौशल। कम्प्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान।
तकनीकी सहायक	बी.सी.ए./कम्प्यूटर साइंस/कम्प्यूटर एप्लीकेशन में पी.जी. डिप्लोमा/ डोएक के ए या बी डिप्लोमा।
अधिमानी योग्यता	राज्य/जनपद स्तरीय शीर्ष अकादमिक संस्थाओं (एस०सी०ई०आर०टी, डायट, डी०आर०सी० में कार्य के अनुभव में वरीयता। अकादमिक कार्यशालाओं के संपादन/संचालन का अनुभव। उल्लेखनीय अकादमिक कार्य जैसे पाठ्य पुस्तक लेखन, राष्ट्र एवं राज्य स्तरीय पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित शैक्षिक आलेख। कुशल संप्रेषण कौशल। कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों का कार्यसाधक ज्ञान।
सांख्यिकीकार	एम.ए./एम.एससी.– सांख्यकी/गणित अथवा एम०ए० अर्थशास्त्र/एम०काम० (सांख्यकी में विशेषज्ञता सहित)। आकड़ों के संग्रहण, प्रोसेसिंग, विश्लेषण एवं परिणाम तैयार करने की योग्यता। शोध, सर्वे एवं नियोजन का अनुभव। कुशल संप्रेषण कौशल।
अधिमानी योग्यता	कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों का कार्यसाधक ज्ञान।
पुस्तकालयाध्यक्ष	बी.लिब. डिजिटल लाइब्रेरी/रिकार्ड कीपिंग एवं डाक्यूमेंटेशन का अनुभव। दो वर्षों के शैक्षिक अनुभव को वरीयता।

(मनीषा पंवार)
सचिव

पत्रांक-589/xxvii(7)40(ix)/2011

प्रेषक,

राकेश शर्मा

प्रमुख सचिव, वित्त,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2– समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनु–07, देहरादून: दिनांक: 01 जुलाई 2013

विषयः **राज्य कर्मचारियों के लिये एस्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम (ए0सी0पी0) की व्यवस्था के सम्बन्ध में।**

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों के लिये दिनांक 01.01.2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 की व्यवस्था शासनादेश सं0–872/xxvii(7) न0प्रति0/2011, दिनांक 08 मार्च 2011 द्वारा लागू करते हुये कतिपय बिन्दुओं को स्पष्ट करने हेतु अग्रेत्तर शासनादेश सं0–10/xxvii(7) 40(ix)/2011,दिनांक07अप्रैल 2011, सं0–65/xxvii(7)40(ix)/2011, दिनांक 04 अगस्त 2011 सं0–216/xxvii(7) 40(ix)/2011, दिनांक 14 अक्टूबर 2011, सं0–313/xxvii(7)40 (ix)/2011 एवं सं0–314/xxvii(7)40(ix)/2011 भी निर्गत किये गये हैं।

2– इस सम्बन्ध में विभिन्न स्तरों पर अनुभव की जा रही कठिनाइयों एवं कतिपय बिन्दुओं–जिज्ञासाओं के सन्दर्भ में अपेक्षित स्पष्टीकरण–मार्गदर्शन के विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन–स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त ए0सी0पी0 के प्रसंग में बिन्दुवार स्थिति निम्नवत् सुस्पष्ट करते हुये तदनुसार ही ए0सी0पी0 की व्यवस्था लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) राजकीय कर्मचारियों को ए0सी0पी0 की वर्तमान व्यवस्था, जिसके अन्तर्गत सीधी भर्ती के किसी पद पर नियमित नियुक्ति की तिथि से क्रमशः 10,18 एवं 26 वर्ष की अनवरत एवं सन्तोषजनक सेवा के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के लाभ कतिपय

प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किये गये हैं, के स्थान पर क्रमशः 10,16 एवं 26 वर्ष की अनवरत एवं सन्तोषजनक सेवा के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के लाभ निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य किये जायेंगे और तद्नुसार उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च 2011 का प्रस्तर–1(2)(1) एवं शासनादेश सं0 313/xxvii(7)40(ix)/2011 दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 का प्रस्तर–2 (2) संशोधित समझा जायेगा:–

(क) प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन सीधी भर्ती के पद के वेतनमान/सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में 10 वर्ष की नियमित सेवा, निरन्तर एवं संतोषजनक रूप से पूर्ण कर लेने पर देय होगा।

परन्तु,

किसी पद का वेतनमान/वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन किसी समय–बिन्दु पर उच्चीकृत होने की स्थिति में वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु सेवा–अवधि की गणना में पूर्व वेतनमान/वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन तथा उच्चीकृत वेतनमान/वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में की गयी सेवाओं को जोड़कर उच्चीकृत ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा।

(ख) प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 06 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा अथवा कुल 16 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा।

परन्तु,

यदि ए0सी0पी0 की व्यवस्था लागू होने की तिथि 01.09.2008 के बाद सम्बन्धित कार्मिक की प्रथम प्रोन्नति, उसकी सीधी भर्ती के पद के सापेक्ष प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन देय होने की तिथि के पूर्व अथवा उसके पश्चात प्राप्त हो जाती है, तो प्रोन्नति की तिथि से 06 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा अथवा कुल 16 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, से प्रोन्नति के पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य होगा।

परन्तु,

यह भी, कि सीधी भर्ती के किसी पद पर नियमित नियुक्ति की तिथि से 16 वर्ष की अनवरत एवं संतोषजनक सेवा पूरी होने की तिथि तक दो पदोन्नतियाँ अथवा समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत दो प्रोन्नतीय/अगला/उच्च वेतनमान अथवा एक पदोन्नति के बाद प्रोन्नति के पद के सापेक्ष प्रोन्नतीय/अगला/उच्च वेतनमान (यथा स्थिति) का लाभ प्राप्त न होने की दशा में, उसे उक्तानुसार 16 वर्ष की सेवा पूर्ण होने की तिथि अथवा ए0सी0पी0 लागू होने की तिथि 01.09.2008, जो भी बाद में हो, से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा।

(ग) द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में 10 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा अथवा 26 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा।

परन्तु,

ऐसे पदधारक, जिन्हें ए0सी0पी0 लागू होने की तिथि 01.09.2008 से द्वितीय, वित्तीय स्तरोन्नयन 16 वर्ष या अधिक की सेवा–अवधि पर अनुमन्य होता है, को द्वितीय स्तरोन्नयन में 10 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा अथवा कुल 26 वर्ष की निरन्तर एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण करने की तिथि, जो भी पहले हो, से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा।

परन्तु,

यह भी, कि सीधी भर्ती के किसी पद पर नियमित नियुक्ति की तिथि से 26 वर्ष की अनवरत एवं संतोषजनक सेवा पूरी होने की तिथि तक तीन पदोन्नतियों का लाभ प्राप्त न होने की दशा में, उसे उक्तानुसार 26 वर्ष की सेवा पूर्ण होने की तिथि अथवा ए0सी0पी0 लागू होने की तिथि 01.09.2008, जो भी बाद में हो, से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन देय होगा।

(घ)उपर्युक्त शासनादेश सं0 313/xxvii(7)40(ix)/2011 दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 के प्रस्तर–2 (5) एवं सं0 314//xxvii(7)40(ix)/2011, दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 के प्रस्तर–2 (क) में ए0सी0पी0 की व्यवस्था के प्रसंग में सामान्य अवधारणा के दृष्टिगत "धारित पद" का आशय स्पष्ट किया गया है, जिसके फलस्वरूप यदि किसी कार्मिक के सम्बन्ध में यह तथ्य संज्ञान में आता है कि उक्त तिथि 30 अक्टूबर, 2012 तक उक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च

2011 के क्रम में पूर्व की स्थिति के आधार पर ए०सी०पी० का लाभ स्वीकृत किया जा चुका है, तो ऐसे प्रकरणों को पुनरोद्घाटित (Re-open) नहीं किया जायेगा।

(2) ऐसे कार्मिक, जिन्हें 14 वर्ष की सेवा के अधार पर प्रथम प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें उपर्युक्त लाभ अनुमन्य होने की तिथि से न्यूनतम 02 वर्ष की सेवा सहित कुल 16 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 01 सितम्बर,2008, जो भी बाद में हो, से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होगा। उक्त तिथि को संबन्धित कार्मिक को पूर्व से अनुमन्य प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन देय होगा। इस सीमा तक उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च, 2011 का प्रस्तर–3 (2) संशोधित समझा जायेगा।

(3) ए०सी०पी० की व्यवस्था में वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अगले ग्रेड वेतन की अनुमन्यता हेतु पुनरीक्षित वेतन संरचना में ग्रेड वेतन रू0 1900 के उपरान्त उपलब्ध ग्रेड वेतन रू0 2000 को "इग्नोर" किया जायेगा, जिसके फलस्वरूप वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु ग्रेड वेतन रू0 1900 का अगला ग्रेड वेतन रू0 2400 माना जायेगा। इस सीमा तक उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च, 2011 का प्रस्तर–1(3) संशोधित समझा जायेगा।

(4)(क) ए०सी०पी० की अनुमन्यता हेतु "नॉन फंक्शनल" वेतनमान के सादृश्य ग्रेड वेतन को "इग्नोर" किया जायेगा। अतः उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च, 2011 के प्रस्तर–1(2) (ii) को विलुप्त माना जायेगा।

(ख) उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड राज्य कार्मिकों के संदर्भ में "नॉन फंक्शनल" वेतनमान/ग्रेड वेतन की व्यवस्था सामान्य रूप में सभी सेवा–संवर्ग/पदों पर लागू नहीं है, बल्कि पूर्व में उत्तराखण्ड सचिवालय और उससे समकक्षता वाले अन्य कार्यालयों में जिन कतिपय पदों (जैसे–अनुभाग अधिकारी एवं निजी सचिव) पर यह विशिष्ट व्यवस्था लागू थी, वह भी समाप्त हो चुकी है। वर्तमान में "नॉन फंक्शनल" वेतनमान/ग्रेड वेतन की विशिष्ट व्यवस्था राज्य सरकार के निर्णयानुसार केवल फार्मेसिस्ट के पद पर ही, तत्सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से निर्गत शासनादेश से लागू है। अतएव यदि किसी प्रकरण में फार्मेसिस्ट पद से भिन्न किसी पदधारक को किसी भी स्तर से इस रूप में कोई भी वित्तीय लाभ त्रुटिवश प्रदान कर दिया गया हो, तो उसे यथाशीघ्र सही कराया जाना और वेतन–भत्ते के रूप में अधिक

भुगतानित धनराशि का समायोजन भी संबन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर अपेक्षित होगा।

(5)(क) उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च, 2011 के प्रस्तर–1(1) के अनुसार ग्रेड वेतन रू0 5400 (वेतन बैण्ड–3) एवं उससे उच्च ग्रेड वेतन/वेतन बैण्ड के लिए ए0सी0पी0 की जो व्यवस्था दिनांक 01.01.2006 से लागू की गई थी, उसे बाद में समानता के आधार पर संशोधित करते हुये उक्त शासनादेश सं0 313/xxvii(7)40(ix)/2011, दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 के प्रस्तर–2(1) के अनुसार दिनांक 01.09.2008 से प्रभावी किया गया है। यद्यपि, उक्त शासनादेश 8 मार्च, 2011 में ऐसे कार्मिकों को ए0सी0पी0 की स्वीकृति हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख नहीं था, क्योंकि उनके सम्बन्ध में ए0सी0पी0 लागू किये जाने अथवा समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था को ही भविष्य में भी बनायें रखने का निर्णय उक्त शासनादेश दिनांक 8 मार्च, 2011 के प्रस्तर–1(4) के अनुसार संवर्ग–नियंत्रक/प्रशासकीय विभाग द्वारा सक्षम स्तर से लिया जाना था, फिर भी यदि यह तथ्य संज्ञान में आता है कि उक्त तिथि 30 अक्टूबर, 2012 तक उक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च, 2011 में निहित पूर्व की किसी व्यवस्था से आच्छादित किसी प्रकरण में ए0सी0पी0 का लाभ दिनांक 01.09.2008 के पूर्व की तिथि से स्वीकृत किया जा चुका है, तो ऐसे प्रकरणों को पुनरोद्घाटित (Re-open) नहीं किया जायेगा, किन्तु ए0सी0पी0 की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी (नियुक्ति प्राधिकारी/प्रशासकीय विभाग) एवं विभागाध्यक्ष के स्तर पर यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन पुनरीक्षण हेतु विकल्प की तिथि (यथा– दिनांक 01.01.2006 अथवा अन्य तिथि, जो भी हो) से ही यदि ए0सी0पी0 का लाभ स्वीकृत किया गया है, तो वेतन का निर्धारण अपुनरीक्षित वेतन संरचना में पूर्व से प्राप्त अपुनरीक्षित वेतन के आधार पर ए0सी0पी0 के लाभ के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में सीधे ही शासनादेश सं0 395/xxvii(7)/2008 दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत शासन द्वारा जारी फिटमेण्ट तालिका के अनुसार ही किया गया हो और यदि वेतन निर्धारण हेतु इससे भिन्न प्रक्रिया अपनायी गयी हो, तो उस प्रकरण में वेतन– भत्तों के रूप में अधिक भुगतानित धनराशि का समायोजन अपेक्षित होगा। ज्ञातव्य है कि पुनरीक्षित वेतन संरचना (यथा विकल्प) लागू होने और से0 ग्रेड/ए0सी0पी0 अनुमन्य होने की एक ही तिथि होने की दशा में , उस तिथि को दो बार वेतन निर्धारण किये जाने की व्यवस्था शासन द्वारा लागू नहीं की गयी है।

(ख) ग्रेड वेतन रू0 5400 (वेतन बैण्ड–3) या उससे उच्च ग्रेड वेतन के पदधारकों के लिए ए0सी0पी0 के लाभ की अनुमन्यता हेतु प्रक्रियात्मक व्यवस्था विषयक उक्त शासनादेश सं0 314/xxvii(7)40(ix)/2011 दिनांक 30 अक्टूबर, 2012 के प्रस्तर–2(ख) (i) एवं (ii) निम्नानुसार संशोधित समझे जायेंगे:–

(i) पुनरीक्षित वेतन–संरचना में ग्रेड वेतन रू0 5400 अथवा उससे उच्च ग्रेड वेतन के ऐसे कार्मिक, जिन्हें समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि (08 वर्ष/अभियंत्रण एवं कतिपय विशिष्ट संवर्ग के लिये 05 वर्ष/कतिपय मामलों में 06 वर्ष) की सेवा पर दिनांक 01.09.2008 के पूर्व प्रथम उच्च वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें वैयक्तिक रूप से अनुमन्य ग्रेड वेतन में न्यूनतम 06 वर्ष की सेवा सहित कुल 16 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने की तिथि अथवा दिनांक 01.09.2008, जो भी बाद में हो, से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में प्रथम उच्च वैयक्तिक वेतनमान के सादृश्य प्राप्त हो रहे ग्रेड वेतन से अगला उच्च ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा। सेवा–अवधि की गणना उस पद पर नियुक्ति की तिथि से की जायेगी, जिस पद के संदर्भ में प्रथम उच्च वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य कराया गया था।

(ii) पुनरीक्षित वेतन–संरचना में ग्रेड वेतन रू0 5400 अथवा उससे उच्च ग्रेड वेतन के ऐसे कार्मिक, जिन्हें समयमान वेतनमान पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि (14 वर्ष/अभियंत्रण एवं कतिपय विशिष्ट संवर्ग के लिये 12 वर्ष/कतिपय मामलों में 16 वर्ष/18 वर्ष) की सेवा पर दिनांक 01.09.2008 के पूर्व द्वितीय उच्च वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें कुल 26 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण होने की तिथि अथवा दिनांक 01.09.2008, जो भी बाद में हो, से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में द्वितीय उच्च वैयक्तिक वेतनमान के सादृश्य प्राप्त हो रहे ग्रेड वेतन से अगला उच्च ग्रेड वेतन इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य होगा कि उसे सीधी भर्ती के पद के सापेक्ष तीन पदोन्नतियाँ प्राप्त न हुयी हों।

3– उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च, 2011 (यथा संशोधित) में निहित ए0सी0पी0 की व्यवस्था को सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो (औ0वि0अनु0–1) से निर्गत शासनादेश सं0–2225/vii–1/60–60–उद्योग/2011 दिनांक 30.11.2011 के प्रस्तर–1(7) द्वारा सार्वजनिक निगमों/उपक्रमों के कार्मिकों पर भी यथावत् लागू किया गया है। अतएव उनके सम्बन्ध में

प्रश्नगत प्रक्रिया सम्बन्धी शासनादेश सम्बन्धित प्रशासनिक विभागों द्वारा वित्त विभाग की सहमति से यथाशीघ्र पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

4— कृपया उपर्युक्तानुसार स्थिति से अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भी यथाशीघ्र अवगत कराते हुये विभागीय स्तर पर "टैस्ट–ऑडिट" भी यथा समय सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(आलोक शर्मा)
प्रमुख सचिव वित्त

संख्या:– 584 (1)/xxvii(7)40(ix)/2011 तद्दिनांक:–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1–महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2–महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड।
3–प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
4–प्रमुख सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5–स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6–निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें–स्टेट इण्टरनल आडीटर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7–वित्त आडिट प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
8–समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9–उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10–इरला चेक अनुभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11–निदेशक, एन. आई. सी. उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
12–गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एल0एन0पन्त)
अपर सचिव

संख्या:588/xxvii(7)27(3)/2013

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7

देहरादून: दिनांक:01 जुलाई, 2013

विषय:– प्रदेश के वाहन चालक सेवा–संवर्ग का पुनर्गठन।

उपर्युक्त विषयक पत्र संख्या:–108/xxvii(7)/2006 दिनांक 3 जुलाई 2006, एवं पत्र संख्या:–408/xxvii(7)27(3)/2013, दिनांक 08 फरवरी, 2013 द्वारा संसूचित पूर्व निर्णयों के आंशिक संशोधन के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पुनर्विचारोपरान्त प्रदेश के वाहन चालक सेवा–संवर्ग को तत्कालिक प्रभाव से निम्नवत् संशोधित रूप में पुनर्गठित किये जाने का निर्णय लिया गया है:–

क्र0 सं0	पदनाम	वर्तमान वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन (रू0)	संस्तुत वेतन-बैण्ड एवं ग्रेड वेतन (रू0)	पदों का प्रतिशत	भर्ती की प्रक्रिया/अर्हता
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1–	वाहन चालक ग्रेड–4	वेतन बैण्ड–1 (5200–20200) एवं ग्रेड वेतन रू0 1900	वेतन बैण्ड–1 (5200–20200) एवं ग्रेड वेतन रू0 1900	30	(एक) 75 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा। सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के अर्हताएं:– (i) किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से आठवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, और (ii) यथा स्थिति भारी या हल्के वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेन्स संबंधित नियमावली के अधिसूचित किये जाने के दिनांक के पूर्व से 03 वर्ष से अन्यून अवधि का रखता हो। (दो) 25 प्रतिशत पद मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे क्लीनर्स और समूह 'घ' के कर्मचारियों में से, जिन्होंने भर्ती–वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और यथास्थिति भारी या हल्के वाहन चलाने का 03 वर्ष से अन्यून अवधि का वैध ड्राइविंग लाइसेन्स रखता हो तथा किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से आठवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण

					कर ली हो: परन्तु, यदि उक्तानुसार पोषक संवर्ग की अनुपलब्धता हो अथवा पोषक संवर्ग में ऐसे पात्र व्यक्ति उपलब्ध न हों, तो ऐसी रिक्तियों को उक्त खण्ड (एक) के अधीन सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जायेगा।
2–	वाहन चालक ग्रेड–3	वेतन बैण्ड–1 (5200–20200) एवं ग्रेड वेतन रू0 2400	वेतन बैण्ड–1 (5200–20200) एवं ग्रेड वेतन रू0 2400	25	वाहन चालक ग्रेड–3 के पद पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति ऐसे वाहन चालक ग्रेड–4 से की जायेगी, जिन्होंने भर्ती–वर्ष के प्रथम दिवस को 09 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूरी कर ली है और इस हेतु निर्धारित ट्रेड टेस्ट उत्तीर्ण कर लिया हो।
3.	वाहन चालक ग्रेड–2	वेतन बैण्ड–1 (5200–20200) एवं ग्रेड वेतन रू0 2800	वेतन बैण्ड–1 (5200–20200) एवं ग्रेड वेतन रू0 2800	20	वाहन चालक ग्रेड–2 के पद पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति ऐसे वाहन चालक ग्रेड–3 के पदधारकों से की जायेगी, जिन्होंने भर्ती–वर्ष के प्रथम दिवस को ग्रेड–3 के पद पर 06 वर्ष की संतोषजनक सेवा अथवा वाहन चालक ग्रेड–4 की सेवाओं को जोड़ते हुए कुल 15 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो और इस हेतु निर्धारित ट्रेड टेस्ट उत्तीर्ण कर लिया हो।
4.	वाहन चालक ग्रेड–1	वेतन बैण्ड–2 (9300–34800) एवं ग्रेड वेतन रू0 4200	वेतन बैण्ड–2 (9300–34800) एवं ग्रेड वेतन रू0 4200	15	वाहन चालक ग्रेड–1 के पद पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति ऐसे वाहन चालक ग्रेड–2 पदधारकों से की जायेगी, जिन्होंने भर्ती–वर्ष के प्रथम दिवस को ग्रेड–2 के पद पर 03 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो।
5.	वाहन चालक विशेष श्रेणी		वेतन बैण्ड–2 (9300–34800) एवं ग्रेड वेतन रू0 4600	10	वाहन चालक विशेष श्रेणी के पद पर ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति ऐसे वाहन चालक ग्रेड–1 के पदधारकों से की जाएगी, जिन्होंने भर्ती–वर्ष के प्रथम दिवस को ग्रेड–1 के पद पर कम से कम 01 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।

2-- उपर्युक्तानुसार संवर्गीय पुनर्गठन के फलस्वरूप उपलब्ध पदों पर प्रथमतः एक मुश्त समायोजन एवं तत्पश्चात् भर्ती/पदोन्नति के संबंध में निम्नवत् व्यवस्था सुसंगत सेवानियमावली में संशोधन (यथास्थिति) करके निर्धारित की जायः–

"संवर्गीय पुनर्गठन के फलस्वरूप संशोधित/उच्चीकृत ग्रेड वेतन के उपलब्ध पदों पर वर्तमान व्यवस्था में निम्न स्तर (ग्रेड वेतन) के पद पर कार्यरत पदधारकों से ज्येष्ठता एवं उपयुक्तता के आधार पर प्रथमतः पुनर्गठन की तिथि से एक मुश्त समायोजन कर दिया जाय। एक मुश्त समायोजन की यह सुविधा एक बार ही दी जायेगी और ऐसे समायोजित होने वाले पद धारकों का संशोधित/उच्चीकृत ग्रेड वेतन में वेतन–निर्धारण शासनादेश संख्या–395/XXVII(7)/2008, दिनांक 17 अक्टूबर, 2008 के प्रस्तर–27 में निहित व्यवस्था(यथा संशोधित) के अनुसार किया जायेगा।

तत्पश्चात् रिक्त पदों को, संबंधित पद हेतु उक्तानुसार संशोधित रूप में निर्धारित अर्हता एवं भर्ती की प्रकिया के अनुसार ही भरा जायेगा।"

3– कृपया उपर्युक्त पत्र दिनांक 03 जुलाई, 2006 एवं दिनांक 08 फरवरी, 2013 द्वारा संसूचित निर्णयों को उक्त निर्णयों के अनुसार संशोधित रूप में कार्यान्वित किये जाने हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
प्रमुख सचिव ।

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग–2
संख्या : 1255(A)/XXIV–2/2013–32(01)/2013
देहरादून, दिनांक : 01 जुलाई, 2013

अधिसूचना संख्या–1225/XXIV–2/2013–32(01)/2013 दिनाक 01 जुलाई, 2013 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2013" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित करा कर इसकी 100 प्रतियाँ शिक्षा अनुभाग–2 को यथा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. निजि सचिव, मा0 विद्यालयी शिक्षा मंत्री जी।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
6. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
7. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
8. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल, पौड़ी एवं नैनीताल, उत्तराखण्ड।
9. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
10. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
12. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
13. निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
14. निदेशक आकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड।
15. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
16. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
17. अधिशासी निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।
18. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।

<u>संलग्नक–यथोक्त।</u>

आज्ञा से,

(आर0आर0 सिंह)
अनु सचिव

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग–2
संख्या : 1255/XXIV–2/2013–32(01)/2013
देहरादून, दिनाँक : 01 जून, 2013

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली, 2013 के अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2013

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2013 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. नियम 22 (2) का संशोधन:–

उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली, 2013 में स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 22 (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
विकलांगता के अन्तर्गत 70 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग शिक्षक, विकलांगता प्रमाण–पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त हो। साथ ही मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त शिक्षण कार्य हेतु चिकित्सीय रूप से स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।	विकलांगता के अन्तर्गत 50 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग शिक्षक, विकलांगता प्रमाण–पत्र मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त हो। साथ ही मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त शिक्षण कार्य हेतु चिकित्सीय रूप से स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

3. नियम 10 (1)(अ)(ख)(एक) का संशोधनः–

उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली, 2013 में स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 10 (1)(अ)(ख)(एक) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
जो शिक्षिका 52 वर्ष एवं शिक्षक 55 वर्ष की आयु स्थानान्तरण वर्ष के 31 मार्च को पूर्ण कर चुके हों।	जो शिक्षिका 50 वर्ष एवं शिक्षक 55 वर्ष की आयु स्थानान्तरण वर्ष के 31 मार्च को पूर्ण कर चुके हों।

आज्ञा से,

(मनीषा पंवार)

सचिव

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग–2
संख्या : 1108/XXIV–2/2013–32(01)/2013
देहरादून, दिनाँक : 05 जुलाई 2013

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली, 2013 के अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2013

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली, 2013 है।

(2) यह दिनांक 21 मई, 2013 में प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

2. नियम 10 (1) (इ) (क) (ख) (ग) का अन्तःस्थापन–

मूल नियमावली में नियम 10 (1) (इ) (क) (ख) (ग) निम्नानुसार अन्तःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्

नियम 10 (1) अनिवार्य स्थानान्तरण

(इ) X क्षेत्र से Y क्षेत्र में तथा Y क्षेत्र से X क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण पर विकल्प प्राप्त किया जाना:–

(क) अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत पदस्थापना हेतु X क्षेत्र से Y क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण वाले शिक्षक से Y क्षेत्र के पांच विद्यालय के नाम तथा Y क्षेत्र से X क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण वाले शिक्षक से X क्षेत्र के पांच विद्यालय के नाम का विकल्प मांगे जायेंगे।

परन्तु यह कि प्राथमिक/उच्च प्राथमिक में कार्यरत शिक्षक जनपद के अन्तर्गत पांच विद्यालयों तथा स0अ0, एल0टी0/प्रवक्ता मण्डल के अन्तर्गत पांच विद्यालयों के नाम का ही विकल्प देंगे।

परन्तु यह और कि शिक्षक द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार विद्यालयों में पद रिक्त न होने की दशा में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु अधिकृत अधिकारी द्वारा समस्त शिक्षकों के विकल्प पर विचार करने के उपरान्त शिक्षक द्वारा दिये गये विकल्प में से किसी एक विद्यालय के निकटवर्ती उसी श्रेणी के विद्यालय अथवा उसी क्षेत्र के अन्य श्रेणी के निकटवर्ती विद्यालय में पद रिक्त होने की दशा में अनिवार्य स्थानान्तरण में शिक्षक को पदस्थापित किया जायेगा। उक्तानुसार किए गये पदस्थापना में आवंटित विद्यालय के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अपील मान्य नहीं होगी।

(ख) विकल्प न देने की स्थिति में अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा शिक्षक को आवंटित विद्यालय ही मान्य होगा व इसके विरूद्ध किसी भी प्रकार की अपील की सुनवाई नहीं की जायेगी।

(ग) X क्षेत्र से Y क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण में महिला शिक्षिका को यथा सम्भव Y क्षेत्र में D श्रेणी के विद्यालय में पदस्थापित किया जायेगा।

आज्ञा से,

(मनीषा पंवार)
सचिव

संख्या- /XXVII(7)30(1)/2008

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

(1)समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
(2)समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7 देहरादून : दिनांक 11 सितम्बर, 2013

विषय: वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 01.01.2006 से पुनरीक्षित वेतन-संरचना की स्वीकृति एवं वेतन-निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-395 /XXVII/(7)/2008, दिनांक 17 अक्टूबर 2008 के प्रस्तर- 6 में संदर्भित संलग्नक-2 की कतिपय फिटमेंट तालिकाओं के अनुसार, दिनांक 01 जनवरी 2006 के पूर्व लागू निम्नलिखित वेतनमानों (अपुनरीक्षित) में प्रारम्भिक वेतन-स्तरों (सोपानों) पर सेवारत कार्मिकों का दिनांक 01 जनवरी 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन-संरचना में निर्धारित होने वाला वेतन दिनांक 01 जनवरी, 2006 अथवा बाद में सीधी भर्ती से नियुक्त होने वाले कार्मिकों के लिए शासनादेश संख्या-41/XXVII/(7) सी0 भर्ती /2009, दिनांक 13 फरवरी 2009 में उल्लिखित वेतन-तालिका के अनुसार यथा निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम निर्धारित होने की स्थिति शासन के संज्ञान में आयी है।

2- अतएव इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त स्थिति-विशेष में प्रश्नगत विसंगति के समुचित निराकरण हेतु उक्त शासनादेश दिनांक 13 फरवरी, 2009 में ग्रेड वेतनवार उल्लिखित वेतन-तालिका के अनुसार सीधी भर्ती के प्रसंग में अनुमन्य "न्यूनतम वेतन" को संज्ञान में लेते हुये सम्यक विचारोपरान्त उक्त शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर 2008 के साथ संलग्न की गयी फिटमेंट तालिकाओं में से निम्नलिखित 05 फिटमेंट तालिकाओं, जिनमें प्रारम्भिक स्तरों (सोपानों) पर कतिपय संशोधन आवश्यक पाया गया है, के स्थान पर इस शासनादेश के साथ संलग्न की जा रही संशोधित तालिकाओं को प्रतिस्थापित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र सं	दि0 01.01.2006 के पूर्व लागू वेतनमान अपुनरीक्षित) रू0	दि0 01.01.2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना सादृश्य वेतन बैण्ड	ग्रेड वेतन रू0
1	2	3	4
1	3200-85-4900	वेतन बैण्ड-1 / 5200-20200	2000
2	4000-100-6000	वेतन बैण्ड-1 / 5200-20200	2400
3	4500-125-7000	वेतन बैण्ड-1 / 5200-20200	2800
4	10000-325-15200	वेतन बैण्ड-3 / 15600-39100	6600
5	16400-450-20000	वेतन बैण्ड-4 / 37400-67000	8900

3- उक्त शासनादेश दिनांक 17 अक्टूबर 2008 को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

संलग्नक:- उपर्युक्तानुसार

भवदीय,

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव

क्रमश: 2

संख्या- 689(1)/XXvii(7)30(1)/08 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव/ सचिव मा0 राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
3. प्रमुख सचिव/सचिव मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
5. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल, देहरादून।
6. स्थानीय आयुक्त, उत्तराखण्ड नई दिल्ली।
7. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तराखण्ड, विकास भवन, लखनऊ ।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें-सह-स्टेट इंटरनल आडिटर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. समस्त मुख्य/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
11. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, इरला चेक अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
12. निदेशक, एन0 आई0 सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(एल0 एन0 पन्त)
अपर सचिव

शासनादेश संख्या– 689 /XXVII(7)30(1)/... 11/4/2013 का संलग्नक

(संशोधित फिटमेंट तालिका)

–1–

Pre-revised scale
Rs.3200-85-4900

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-1 Rs.5200-20200 + Rs.2000

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade pay	revised Basic Pay
3,200	6,460	2,000	8,460
3,285	6,460	2,000	8,460
3,370	6,460	2,000	8,460
3,455	6,460	2,000	8,460
3,540	6,590	2,000	8,590
3,625	6,750	2,000	8,750
3,710	6,910	2,000	8,910
3,795	7,060	2,000	9,060
3,880	7,220	2,000	9,220
3,965	7,380	2,000	9,380
4,050	7,540	2,000	9,540
4,135	7,700	2,000	9,700
4,220	7,850	2,000	9,850
4,305	8,010	2,000	10,010
4,390	8,170	2,000	10,170
4,475	8,330	2,000	10,330
4,560	8,490	2,000	10,490
4,645	8,640	2,000	10,640
4,730	8,800	2,000	10,800
4,815	8,960	2,000	10,960
4,900	9,120	2,000	11,120
4,985	9,280	2,000	11,280
5,070	9,430	2,000	11,430
5,155	9,590	2,000	11,590

शासनादेश संख्या- 649 /XXVii(7) 30(1)/08-11/09/ 2013 का संलग्नक

(संशोधित फिटमेंट तालिका)

Pre-revised scale
Rs.4000-100-6000

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-1 Rs.5200-20200 + Rs.2400

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade pay	revised Basic Pay
4,000	7,510	2,400	9,910
4,100	7,630	2,400	10,030
4,200	7,820	2,400	10,220
4,300	8,000	2,400	10,400
4,400	8,190	2,400	10,590
4,500	8,370	2,400	10,770
4,600	8,560	2,400	10,960
4,700	8,750	2,400	11,150
4,800	8,930	2,400	11,330
4,900	9,120	2,400	11,520
5,000	9,300	2,400	11,700
5,100	9,490	2,400	11,890
5,200	9,680	2,400	12,080
5,300	9,860	2,400	12,260
5,400	10,050	2,400	[illegible]
5,500	10,230	2,400	[illegible]
5,600	10,420	2,400	[illegible]
5,700	10,610	2,400	[illegible]
5,800	10,790	2,400	[illegible]
5,900	10,980	2,400	[illegible]
6,000	11,160	2,400	[illegible]
6,100	11,350	2,400	13,750
6,200	11,540	2,400	13,940
6,300	11,720	2,400	14,120

शासनादेश संख्या– 689 /XXVii(7)30(1)/08 टी०-11/2013 का संलग्नक

(संशोधित फिटमेंट तालिका)

-3-

Pre-revised scale
Rs.4500-125-7000

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-1 Rs.5200-20200 + Rs.2800

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade pay	revised Basic Pay
4,500	8,560	2,800	11,360
4,625	8,610	2,800	11,410
4,750	8,840	2,800	11,640
4,875	9,070	2,800	11,870
5,000	9,300	2,800	12,100
5,125	9,540	2,800	12,340
5,250	9,770	2,800	12,570
5,375	10,000	2,800	12,800
5,500	10,230	2,800	13,030
5,625	10,470	2,800	13,270
5,750	10,700	2,800	13,500
5,875	10,930	2,800	13,730
6,000	11,160	2,800	13,960
6,125	11,400	2,800	14,200
6,250	11,630	2,800	14,430
6,375	11,860	2,800	14,660
6,500	12,090	2,800	14,890
6,625	12,330	2,800	15,130
6,750	12,560	2,800	15,360
6,875	12,790	2,800	15,590
7,000	13,020	2,800	15,820
7,125	13,260	2,800	16,060
7,250	13,490	2,800	16,290
7,375	13,720	2,800	16,520

(संशोधित फिटमेंट तालिका)

–4–

Pre-revised scale
Rs.10000-325-15200

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-3 Rs.15600-39100 + Rs.6600

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade pay	revised Basic Pay
10,000	18,750	6,600	25,350
10,325	19,210	6,600	25,810
10,650	19,810	6,600	26,410
10,975	20,420	6,600	27,020
11,300	21,020	6,600	27,620
11,625	21,630	6,600	28,230
11,950	22,230	6,600	28,830
12,275	22,840	6,600	29,440
12,600	23,440	6,600	30,040
12,925	24,050	6,600	30,650
13,250	24,650	6,600	31,250
13,575	25,250	6,600	31,850
13,900	25,860	6,600	32,460
14,225	26,460	6,600	33,060
14,550	27,070	6,600	33,670
14,875	27,670	6,600	34,270
15,200	28,280	6,600	34,880
15,525	28,880	6,600	35,480
15,850	29,490	6,600	36,090
16,175	30,090	6,600	36,690

(संशोधित फिटमेंट तालिका)

-5-

Pre-revised scale
Rs.16400-450-20000

Revised Pay Band + Grade Pay
PB-4 Rs 37400-67000 + Rs 8900

Pre-revised Basic Pay	Revised Pay		
	Pay in the Pay Band	Grade pay	revised Basic Pay
16,400	40,200	8,900	49,100
16,850	40,890	8,900	49,790
17,300	40,890	8,900	49,790
17,750	42,120	8,900	51,020
18,200	42,120	8,900	51,020
18,650	43,390	8,900	52,290
19,100	43,390	8,900	52,290
19,550	44,700	8,900	53,600
20,000	44,700	8,900	53,600
20,450	46,050	8,900	54,950
20,900	46,050	8,900	54,950
21,350	47,440	8,900	56,340

संख्या: 313 / XXVii(7)27(40)/2013

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष।

वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7

देहरादून: दिनांक: 10 अक्टूबर, 2013

विषय:– कोटद्वार दुगड्डा, श्रीनगर एवं ऋषिकेश में "सी" श्रेणी तथा मसूरी में "बी–2" श्रेणी के समान दर से अपवादस्वरूप मकान किराया भत्ता दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या–जी–1–373/दस–99–205–99 दिनांक 11 जून, 1999, संख्या– जी–1–889/दस–99–205–99 दिनांक 06 दिसम्बर, 1999 के क्रम में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–132/वित्त अनु–3/2001 दिनांक 18 दिसम्बर, 2001 द्वारा प्रदेश के नगरों/नगरीय क्षेत्रों के मकान किराया भत्ते की श्रेणी/भत्ते में पुनरीक्षण किया गया, जिसमें श्रेणी के आधार पर नगर/क्षेत्र को वर्गीकृत किया गया है, जिसमें "सी" श्रेणी में अन्य क्षेत्रों के साथ–साथ पौढ़ी गढ़वाल (शहरी क्षेत्रों) का वर्गीकृत किया गया है, जबकि कोटद्वार दुगड्डा, श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल) एवं ऋषिकेश (देहरादून) को अन्य के साथ–साथ अवर्गीकृत श्रेणी में रखा गया था। तदोपरान्त वेतन समिति, 2008 के द्वितीय प्रतिवेदन में मकान किराया भत्ता के पुनरीक्षण के संबंध में संस्तुति की गई है, जिसके क्रम में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–38/XXVii(7)म0कि0/2009 दिनांक 13 फरवरी, 2009 एवं संख्या–61/XXVii म0कि0/2009 दिनांक 16 फरवरी, 2009 द्वारा मकान किराया भत्ता की दरों में संशोधन किया गया है, जिसमें पौड़ी, देहरादून एवं नैनीताल के सभी क्षेत्रों को "बी–2" श्रेणी में रखा गया है, जबकि कोटद्वार दुगड्डा, श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल) एवं ऋषिकेश (देहरादून) को अन्य के साथ–साथ "अवर्गीकृत" श्रेणी में रखा गया है।

अतः इस संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोटद्वार दुगड्डा, श्रीनगर एवं ऋषिकेश में "सी" श्रेणी तथा मसूरी में "बी–2" श्रेणी के समान दर से अपवादस्वरूप मकान किराया भत्ता दिनांक 01 अक्टूबर, 2013 से अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे0आ0–सा0नि0)अनु0–7
संख्या: 745/xxvii(7)27(20)/2013
देहरादून, दिनांक: 10 अक्टूबर, 2013

कार्यालय ज्ञाप

विषय–सरकारी सेवकों को स्थायी मासिक भत्ता (नियत यात्रा भत्ता) के स्थान पर वाहन भत्ता अनुमन्य किया जाना।

वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–1332/xxvii(3)म/2004 दिनांक 02 अगस्त 2004 द्वारा सरकारी सेवकों को स्थायी मासिक भत्ता (नियत यात्रा भत्ता) वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–3 के नियम–38(1) परिशिष्ट–12 में उल्लिखित सूची के अनुसार मैदानी एवं पर्वतीय क्षेत्र के अनुसार अनुमन्य किया गया है।

वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–700/xxvii(7)30(5)/2013 दिनांक 16 सितम्बर 2013 द्वारा वाहन भत्ते की दरों का पुनरीक्षण किया गया है। वाहन भत्ते की उक्त दरें वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 नियम–82 परिशिष्ट–8 में उल्लिखित वाहन भत्तों की सूची के अनुसार अनुमन्य किया गया है।

अतः इस संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपवादस्वरूप, जहां स्थायी मासिक भत्ता (नियत यात्रा भत्ता) अनुमन्य है, वहां फील्ड कर्मचारियों को वर्तमान में अनुमन्य स्थायी मासिक भत्ता के स्थान पर वाहन भत्ता रू0 1200/– प्रतिमाह माह अक्टूबर, 2013 से अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या 745 (1)/XXVII(7)27(20)/2013 तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, ओबराय भवन, माजरा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधानसभा उत्तराखण्ड।
4. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
8. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एल0एन0पन्त)
अपर सचिव।

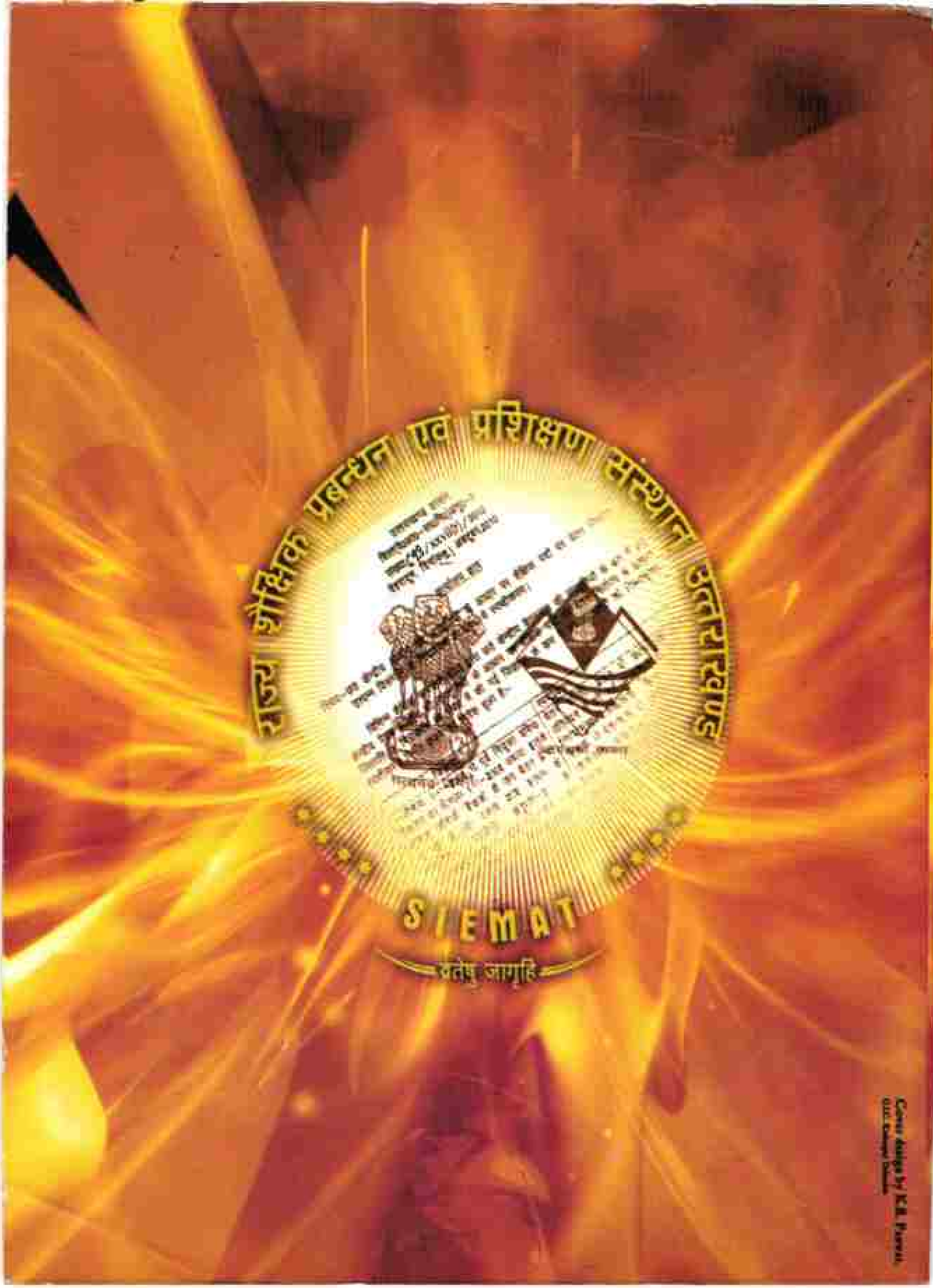

राज्य शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखण्ड
SIEMAT